



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272366
CG-DL-E-08052026-272366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 310]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 344(अ).— सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 155, 158 और 159 के अधीन अपेक्षानुसार सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. संख्यांक 935(अ), दिनांक 30 दिसंबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1), धारा 155 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1), धारा 158 तथा धारा 159 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-

- (i) कर्मचारी प्रतिकर नियम, 1924;
- (ii) कर्मचारी प्रतिकर (धन का अंतरण) नियम, 1935;
- (iii) कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 1960;
- (v) प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) नियम, 1963;
- (vi) उपदान संदाय (केंद्रीय) नियम, 1972;
- (vii) सिने-कामगार कल्याण निधि नियम, 1984;
- (viii) कर्मचारी प्रतिकर (कार्यवाही का स्थान) नियम, 1996;
- (ix) अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1997;
- (x) कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 1997;
- (xi) भवन या अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर नियम, 1998; और
- (xii) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009;

को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "एजेंसी" से कोई निगम, निकाय या संस्था अभिप्रेत है, जिसे संसद के अधिनियम के अधीन या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष प्रयोजन साधन के रूप में स्थापित किया गया है;

(ख) "अपील" से संहिता के अधीन की गई अपील अभिप्रेत है;

(ग) केंद्रीय क्षेत्र में "अपील प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या धारा 105 के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रैंक में वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है;

(घ) "निर्धारण अधिकारी" से राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष पद धारण करता है, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के अध्याय VIII के अधीन उपकर के निर्धारण के लिए नियुक्त किया जाता है;

(ङ) "कर्मचारी प्रतिकर हेतु" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार इन नियमों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को करने के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप से अथवा किसी भी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की श्रेणी के लिए नामोद्दिष्ट किया गया हो;

(च) "प्राधिकरण" से केंद्र सरकार या धारा 72 की उप-धारा (3) के उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) किसी कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय IV के अधीन "किसी अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से उस अवधि के दौरान उसे देय मजदूरी की कुल राशि को उन दिनों की संख्या से विभाजित किया जाना अभिप्रेत है, जिनके लिए ऐसी मजदूरी देय थी;

(ज) संहिता के अध्याय IV के अधीन "मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) किसी कर्मचारी के संबंध में, जो समय-दर के आधार पर नियोजित है, मजदूरी की वह राशि जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय होती यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, तो 26 से विभाजित होता यदि उसे मासिक दर दी गई है, 13 अगर उसे पाक्षिक दर दी गई है, 6 अगर उसे साप्ताहिक दर दी गई है और 1 अगर उसे दैनिक दर दी गई है;

(ii) किसी अन्य आधार पर नियोजित कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि को पूर्ण या आंशिक दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है जिसके लिए उसने उस वेतन अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है:

परंतु कि जहां कोई कर्मचारी ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी प्राप्त करता है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिनों के लिए काम किया हुआ माना जाएगा यदि मजदूरी अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो।

स्पष्टीकरण - जहां कोई रात की पाली आधी रात के बाद भी जारी रहती है, वहां आधी रात के बाद रात की पाली की अवधि को दिन से पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करने के लिए गिना जाएगा;

(झ) "हितलाभ अवधि" से धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट अंशदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अनधिक की अवधि अभिप्रेत है;

(ञ) "कैरियर केंद्र (केंद्रीय)" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र अभिप्रेत है;

(ट) "कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)", से पूरे भारत में, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सिवाय, संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा अधिसूचित कैरियर केंद्र अभिप्रेत है, जिसका क्षेत्राधिकार है-

(i) उस क्षेत्र पर जहां संबंधित स्थापन स्थित हैं; या

(ii) विनिर्दिष्ट वर्गों या संबंधित स्थापनों की श्रेणियों या रिक्तियों पर;

(ठ) "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)" से संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित विशिष्ट वर्गों या स्थापनों या रिक्तियों की श्रेणियों पर अधिकार क्षेत्र के रूप में चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैरियर केंद्र, जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है:

परंतु कि पंजाब या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कैरियर केंद्रों का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा-

(i) संबंधित राज्यों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यालय या स्थापन; और

(ii) निजी क्षेत्र का स्थापन;

(ड) "उपकर क्लेक्टर" से राज्य सरकार द्वारा संहिता अध्याय - viii के अधीन उपकर के संग्रह के लिए नियुक्त एक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "अध्यक्ष" से निगम, केंद्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, स्थायी समिति, चिकित्सा हितलाभ समिति या कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो अभिप्रेत है;

(ण) "चार्टर्ड इंजीनियर" से इंजीनियरिंग डिग्री और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(त) "संहिता" से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 की 36) अभिप्रेत है;

- (थ) "अंशदान अवधि"से लगातार छह महीने से अनधिक की अवधि, जैसा कि धारा के 157अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;
- (द) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से संहिता के उद्देश्य के लिए ईमेल द्वारा प्रस्तुत सूचना या नामित पोर्टल पर अपलोड करना या किसी भी तरीके से डिजिटल भुगतान अभिप्रेत है;
- (ध) "अपवर्जित रिक्तियों" से ऐसी रिक्तियां अभिप्रेत है जिन्हें धारा 140 की उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है;
- (न) "प्ररूप" से इन नियमों से जुड़ा कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (प) "निधि" से धारा 25 में विनिर्दिष्ट कर्मचारी राज्य बीमा निधि, भविष्य निधि, पेंशन निधि और धारा 16 में विनिर्दिष्ट कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा निधि या धारा 141 में संदर्भित सामाजिक सुरक्षा निधि, जैसा भी मामला हो अभिप्रेत है;
- (फ) "सरकारी प्रतिभूतियों" से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;
- (ब) "अचल संपत्ति" में भूमि, भूमि से होने वाले लाभ, धरतीसे संबद्ध वस्तुएँ, या स्थायी रूप से धरती से संबद्ध किसी भी वस्तु से जुड़ी चीजें सम्मिलित हैं;
- (भ) "चल संपत्ति" से अचल संपत्ति के सिवाय हर प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है;
- (म) "नोडल अधिकारी" से भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा पंजीकरण, नवीनीकरण और अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है या निजी क्षेत्र, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय प्राधिकरण से श्रमिकों के निर्माण से संबंधित कोई अन्य कार्य करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की निगरानी और निगरानी करता है;
- (य) "नामांकन" से धारा 55 के अधीन किया गया नामांकन अभिप्रेत है;
- (यक) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" से नियम 53 के अधीन बनाए गए महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर अभिप्रेत है;
- (यख) "अनुसूची" से संहिता की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (यग) "धारा" से संहिता की एक धारा अभिप्रेत है;
- (यघ) "श्रम सुविधा पोर्टल" से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का इस नाम वाला पोर्टल अभिप्रेत है।
- (यड.) "विनिर्दिष्ट" से केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट से अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी विनिर्दिष्ट अधिकारी का आदेश अभिप्रेत है;
- (यच) "मानक हितलाभ दर" से अंशदान अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी को उन दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त औसत दैनिक मजदूरी अभिप्रेत है, जिसके लिए उक्त मजदूरी का भुगतान किया गया था;
- (यछ) "अंतरणकर्ता प्राधिकारी" से किसी भी देश में किसी भी प्राधिकारी से अभिप्रेत है जो उस देश में कर्मचारियों से संबंधित कानून के अन्तर्गत कोई भी प्रदत्त एकमुश्त धनराशि को अंतरित करता है या अंतरण कारित करता है और वह भारत में निवास कर रहे अथवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के हितलाभ के लिए लागू है।
- (यज) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले मार्च के 31वें दिन को समाप्त वर्ष अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके संहिता में हैं।

3. अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधानों को एक स्थापना के लिए अनुप्रयोज्य बनाने की रीति और शर्तें-(1) किसी ऐसे स्थापन का नियोक्ता, जिस पर अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधानों को संहिता की धारा 1 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत लागू किया गया है, ऐसे प्रावधानों को स्थापनों पर लागू नहीं करने के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, को इस शर्त के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है, कि नियोक्ता और उस स्थापन के अधिकांश कर्मचारी इस तरह के अनुरोध पर लिखित रूप में सहमत हों।

(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर संहिता की धारा 1 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अधीन आवेदन पर निर्णय लेंगे:

परंतु कि यदि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, आवेदन देने की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो धारा संहिता की 1 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अधीन अनुमति दे दी गई, जैसा भी मामला हो, मान ली जाएगी जो 60 दिनों के पूरा होने की दिनांक से लागू मानी जाएगी:

परंतु यह है कि यदि अध्याय 3 या अध्याय 4 के प्रावधान, धारा संहिता की 1 की उप-धारा (4) के संबंध में किसी स्थापना को संहिता की धारा-1 की उप धारा (5) अथवा उप धारा (7), जो भी मामला हो, के अधीन अधिसूचना के बाद लागू किए जा चुके हों तो इस प्रकार के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी है कि अध्याय 3 या अध्याय 4, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अधीन इस तरह की व्याप्ति के पांच साल के अंदर स्थापना के नियोक्ता द्वारा ऐसा कोई आवेदन नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी है कि इस तरह के किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी रिटर्न प्रस्तुत न कर दिए हों, संहिता के अधीन सभी बकाया का भुगतान न कर दिए हों और आवेदन के साथ इस आशय का एक स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिए हों।

4. कर्मचारी के आश्रित माता-पिता की आय - संहिता की धारा 2 के खंड (33) के उप-खंड (ड) और संहिता के अध्याय-IV के प्रयोजनों के लिए सभी स्रोतों से आय चौदह हजार रुपये प्रति माह अथवा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राशि, जो भी मामला हो, से अधिक नहीं होगी।

5. स्थापना का पंजीकरण और उनका निरस्तीकरण- (1) (क) जो स्थापना पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पंजीकरण कराने के लिए प्रत्येक नियोक्ता उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के फॉर्म-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्रम सुविधा पोर्टल पर आवेदन करेगा इसके लिए उसे स्थापना का ब्यौरा देते हुए और फॉर्म में यथा-विनिर्दिष्ट नियोक्ताओं के पहचान और पते के प्रमाण सहित स्थापना के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

व्याख्या: इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के अधीन फार्म-1, इन नियमों के अधीन पंजीकरण हेतु साझा फार्म होगा।

(ख) फॉर्म पर डिजिटल रूप में या ऐसे अन्य तरीके से हस्ताक्षर किया जाएगा जैसा कि पोर्टल पर अपेक्षित हो।

(ग) आवेदन में प्रस्तुत सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

(घ) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के अधीन आबंटित स्थापना का स्थायी खाता संख्या (पैन) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन स्थापना को आबंटित कोई अन्य विशिष्ट संख्या या फॉर्म में प्रस्तुत कोई अन्य विवरण, ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

(ङ) यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र तुरंत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा किंतु पूर्ण आवेदन जमा करने पर हर हाल में सात दिनों के अंदर इसे जारी किया जाना है। अन्यथा ऐसे स्थापना को पंजीकृत मान लिया जाएगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा।

परन्तु कि अपवादात्मक परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, पूरे भारत के लिए या किसी भी भाग के लिए स्थापन या स्थापनों के वर्ग के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक

पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर सकेगी और इस प्रकार प्रदान की गई, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम 2026 के प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) संहिता के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, उस नियोक्ता को उपनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने का निदेश देगा, जो इसका अनुपालन करने में विफल रहा हो और ऐसे नियोक्ता को नियत समय-सीमा में इसका अनुपालन करते हुए इस संबंध में उक्त अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करना होगा।

(3) नियोक्ता उस समय लागू किसी अन्य केंद्रीय श्रम कानून के तहत पहले से ही पंजीकृत स्थापन के संबंध में, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर नियोक्ता या स्थापन के विवरण को अद्यतित करेगा।

(4) गलत जानकारी प्रदान करने पर प्राप्त हुए कोई भी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। संबंधित नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रूप में नोटिस देकर तीस दिनों के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र क्यों न रद्द किया जाए, इसका कारण बताने का मौका देने के बाद किया जा सकता है। ऐसे में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र रद्द किया जाना चाहिए।

(5) नियोक्ता संहिता या योजनाओं अथवा नियमों या विनियमों, जैसा भी मामला हो, और संबंधित कार्यालयों के साथ सभी पत्राचार में अपने द्वारा तैयार या प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करेगा।

(6) विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रस्तुत व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता (केंद्रीय) नियम, 2026 के फार्म I में दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन होने पर इसे तीस दिनों के भीतर (ऐसे परिवर्तन से) नियोक्ता द्वारा अद्यतन किया जाएगा।

(7) एक स्थापना का नियोक्ता जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसकी उपजीविकाजन्य गतिविधियां बंद होने की प्रक्रिया में हैं, संहिता के अधीन देय अन्य बकायों और अंशदान का पूरा ब्यौरा और प्रस्थिति बताने के बाद श्रम सुविधा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट फार्म में पंजीकरण रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

(8) पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन की अनुमति तब दी जाएगी जब आवेदन में दिए गए विवरण केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से सत्यापित कर लिए जाएंगे:

परंतु पंजीकरण रद्द करने के लिए इस तरह के किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोक्ता ने सभी रिटर्न प्रस्तुत न कर दिए हों, संहिता के अधीन सभी बकायों का भुगतान न कर दिए हों और आवेदन के साथ इस आशय का एक स्व-प्रमाण पत्र न प्रस्तुत कर दिए हों।

परंतु यह भी है कि निरस्तीकरण के ऐसे आवेदन पर निर्णय सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

(10) पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहां कार्य किया जा रहा है।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

6. केंद्रीय बोर्ड में निहित निधियों का प्रबंध- (1) केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें निहित निधि का प्रबंध करेगा।

(2) योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए केंद्रीय बोर्ड जितना आवश्यक समझे या योजनाओं में जितने विनिर्धारित हो, उतने खाते खोल सकता है।

(3) निधियों से संबंधित सभी धन भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा किए जाएंगे जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए या जैसा कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के अनुसार, निवेश किया जाएगा।

(4) इस संबंध में किए गए सभी व्यय, तथा हानि, जो किसी निवेश के कारण हुई हो, निधि पर प्रभारित होंगे।

(5) निधि, जिसमें प्रशासन खाता सम्मिलित नहीं है, से वैयक्तिक सदस्यों, अथवा उनके नामितियों या उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों के जमा (क्रेडिट) में पड़ी धनराशि को संबंधित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार भुगतान करने के अलावा अन्य कहीं खर्च नहीं किया जाएगा।

(6) निधि का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस हेतु अधिकृत किए गए हों।

7. कार्यकारी समिति (1) केंद्रीय बोर्ड उन कार्यों का निष्पादन करेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा इसे धारा 13 के अंतर्गत सौंपे गए हों तथा यह धारा 15 के अधीन तैयार की गई योजनाओं का शासन भी करेगा।

(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः-

- (i) केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष;
- (ii) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति;
- (iii) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति;
- (iv) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति;
- (v) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में संदर्भित व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति; और
- (vi) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पदेन।

(3) (क) केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक का आयोजन करेगा जिसमें उप नियम (2) के उपखंड (iv) एवं (v) में संदर्भित नियोक्ता अथवा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, का प्रतिनिधित्व होगा।

(ख) केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष उन सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने के लिए सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है जो नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों जैसा मामला हो, का प्रतिनिधित्व करते हों तथा प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन बोर्ड के अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां यदि खंड (क) के अंतर्गत चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं समर्थित व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों का जैसा मामला हो, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के वर्ग के संबंध में, व्यक्तियों, जिनके नाम प्रस्तावित एवं समर्थित हों, को कार्यकारी समिति में चयनित घोषित किया जाएगा।

(घ) ऐसे मामलों में जहां यदि खंड (क) के अधीन चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं समर्थित व्यक्तियों की संख्या नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों जैसा भी मामला हो, का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो अध्यक्ष के अलावा बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को एक मत पत्र दिया जाएगा जिसमें ऐसे प्रस्तावित एवं समर्थित सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे, तथा वह उस पर अपना मत नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के ऐसे वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों एक अधिक व्यक्तियों को दे सकता है परंतु एक उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक वोट नहीं दे सकता।

(ङ) ऐसे मामलों में जहां यदि नियोक्ताओं अथवा कर्मचारियों के वर्गों के संबंध में रिक्तियों की संख्या की तुलना में कोई सदस्य अधिक उम्मीदवारों के लिए मत देता है अथवा किसी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक मत देता है तो उसके सभी मत अवैध माने जाएंगे।

(च) सर्वाधिक संख्या में वोट पाने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष द्वारा उसी बैठक में अथवा तत्पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र कार्यकारी समिति का चयनित सदस्य घोषित किया जाएगा :

परंतु, जब उम्मीदवारों के बीच समान वोट मिलने की स्थिति हो तो अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(छ) ऐसे मामलों में जहां यदि चुनाव की वैधता पर कोई प्रश्न उठता है तो इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जो इस पर निर्णय लेगी।

(4) केंद्रीय बोर्ड, आदेश द्वारा, एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकता है जिसमें न्यासी तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उतने अधिकारी होंगे जितने कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

परंतु केंद्रीय बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकता है जिनके पास समिति से संबंधित विशेष ज्ञान हो।

(5) कार्यकारी समिति, केंद्रीय बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन इसके कार्यकलाप को निष्पादित करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी तथा बोर्ड द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

(6) (क) धारा 4 की उप धारा के खंड (ख) (ग) (घ) एवं (ङ) में संदर्भित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय बोर्ड के प्रत्येक न्यासी की पदावधि 4 वर्ष होगी जो उस दिनांक से आरंभ होगी जिस दिन से उनकी नियुक्ति को राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो।

(ख) अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य की पदावधि 2 वर्ष होगी जो उस दिनांक से आरंभ होगी जिस दिनांक को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया गया हो।

(ग) खंड (क) एवं खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति के सभी न्यासी अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

परंतु कार्यकारी समिति का कोई सदस्य उस दिन से अपना पद छोड़ देगा जिस दिन से वह केंद्रीय बोर्ड का सदस्य नहीं रहता है।

(घ) खंड (क) एवं (ख) में संदर्भित न्यासी अथवा सदस्य, जिसकी नियुक्ति किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए की गई है, उस न्यासी अथवा सदस्य जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है, के कार्यकाल की शेष पदावधि के लिए एवं पदावधि समाप्त हो जाने के बाद भी उस समय तक पद धारण करेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित न की गई हो।

(ङ) कोई भी व्यक्ति, न्यासी अथवा सदस्य के रूप में अधिकतम दो पदावधि के लिए नियुक्ति के पात्र होगा।

परंतु पदावधि के लिए ऐसी सीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पदेन नियुक्त न्यासी अथवा सदस्य पर लागू नहीं होगी तथा ऐसी नियुक्ति न्यासी अथवा सदस्य, जैसा भी मामला हो, की पदावधि के साथ सहविस्तारी होगी :

परंतु आगे, अधिकतम दो पदावधि में, पूर्व के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन किसी व्यक्ति के केंद्रीय बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्ति की पदावधि भी सम्मिलित होगी।

(7) (क) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केंद्रीय बोर्ड तथा कार्यकारी समिति का सचिव होगा।

(ख) केंद्रीय बोर्ड एवं कार्यकारी समिति का सचिव, केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के अध्यक्ष की सलाह से केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित करेगा, उनके कार्यवृत्त अनुरक्षित करेगा तथा केंद्रीय बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, के निर्णयों का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

ख. कर्मचारी राज्य बीमा निगम

8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थायी समिति तथा चिकित्सा हितलाभ समिति- (1) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित राज्य से नामित किए जाने पर निगम के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

(2) (क) निगम की सामान्य मुहर निगम के महानिदेशक की अभिरक्षा में रहेगी और इसे महानिदेशक या उप नियम 3 के अधीन गठित स्थायी समिति के दो सदस्यों की उपस्थिति के बिना किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगाया जाएगा और महानिदेशक या उक्त दो सदस्य इस तथ्य के प्रमाण में अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे कि अनुबंध पर मुहर उसकी (महानिदेशक) या उनकी (सदस्यों) उपस्थिति में लगायी गई थी।

(ख) निगम के पास अपने प्रत्येक अन्य कार्यालयों में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपयोग के लिए एक अधिकारिक मुहर होगी जो कि उस कार्यालय के नाम के साथ निगम की सामान्य मुहर की एक प्रतिकृति होगी।

(ग) अधिकारिक मुहर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें स्थायी समिति द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया/किए गए हों, की उपस्थिति के बिना किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगायी जाएगी और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति इस तथ्य के प्रमाण में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे कि उस पर उसकी या उनकी उपस्थिति में सील लगायी गयी थी।

(घ) एक दस्तावेज जिस पर एक अधिकारिक मुहर लगायी गयी है, निगम के लिए उसी रूप में कार्य करेगी जैसे उस पर निगम की सामान्य मुहर से सील लगायी गयी हो।

(3) निगम की एक स्थायी समिति इसके सदस्यों में से ही गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त निगम के तीन सदस्य;

(ग) निगम के तीन सदस्य जो उस पर ऐसी तीन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसा कि केन्द्र सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगी;

(घ) निगम द्वारा चुने गए आठ सदस्य इस प्रकार हैं—

(i) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य

(ii) कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से तीन सदस्य

(iii) चिकित्सा पेशे का प्रतिनिधित्व करने वाले निगम के सदस्यों में से एक सदस्य और

(iv) संसद द्वारा निर्वाचित निगम के सदस्यों में से एक सदस्य; और

(ङ) निगम के महानिदेशक, पदेन सदस्य

(4)(क) निगम के अध्यक्ष, निगम की एक बैठक में जिसमें उप नियम (3) के खंड (घ) के अधीन स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाना प्रस्तावित है, निगम सदस्यों से नाम का प्रस्ताव देने के लिए सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। यह उन सदस्यों

का समूह होगा जिससे चुनाव होना है, और प्रस्तावित नामों का निगम के अन्य सदस्यों द्वारा विधिवत समर्थन किया जाएगा।

(ख) यदि चुनाव के लिए किसी समूह से प्रस्तावित संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं है तो जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रस्तावित किए गए हैं, उन्हें स्थायी समिति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ग) यदि किसी समूह द्वारा चुनाव के लिए प्रस्तावित संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो बैठक में उपस्थित निगम के प्रत्येक सदस्य को एक गुप्त मतपत्र दिया जाएगा जिसमें प्रस्तावित सभी उम्मीदवारों के नाम होंगे और उसे समूह से भरी जाने वाली रिक्तियों के अनुसार किसी एक सदस्य के पक्ष में वोट कर सकेगा और यदि कोई भी सदस्य समूह में रिक्तियों के आधार पर एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट करता है या एक से अधिक वोट देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सभी वोट अमान्य माने जाएंगे:

(घ) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की घोषणा अध्यक्ष द्वारा बैठक में की जाएगी या उसके बाद यथाशीघ्र स्थायी समिति के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित की जाएगी;

परंतु जहाँ किन्हीं उम्मीदवारों के बीच वोटों की समानता पायी जाती है और एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित होने का हकदार हो जाता है उस व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारण जिसे ऐसा एक अतिरिक्त वोट दिया गया माना जाएगा, अध्यक्ष की उपस्थिति में और ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे, लॉटरी द्वारा किया जाएगा:

(ङ) यदि किसी चुनाव की वैधता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा उनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा:

(5) चिकित्सा हितलाभ समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नानुसार हैं—

(क) चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन में सहायता के उद्देश्य से गठित स्थानीय समितियों के गठन, स्थापना, कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में निगम को सलाह देना:

(ख) निम्नलिखित के संबंध में निगम को अनुशंसा प्रदान करना—

- (i) अस्पतालों, औषधालयों, क्लिनिकों और अन्य संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ के स्तर और प्रकृति और ऐसी संस्थाओं में रखी जाने वाली दवाओं, कर्मचारियों और उपकरणों की प्रकृति और सीमा और इनके वांछित मानक से कम होने की सीमा;
- (ii) संहिता के अधीन प्रदान किए गए चिकित्सा हितलाभ के संबंध में प्रयोग के लिए चिकित्सा सूत्र;
- (iii) लाभ प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ चिकित्सा प्रमाणन, जिसमें ऐसे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और प्ररूप, सांख्यिकीय विवरणियाँ, रजिस्टर और अन्य चिकित्सा रिकॉर्ड सम्मिलित हैं और
- (iv) बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार और निःशक्त या घायल बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्नियोजन के लिए किए गए उपाय;

(ग) संहिता के अधीन चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजित किसी भी चिकित्सक के पेशेवर आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर निगम को सलाह देना।

(6) (क) इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अथवा उपबंधित के सिवाए निगम सदस्यो के उस सदस्य की जो उप धारा 1 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में से किसी में भी विनिर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है या पदेन सदस्य है, की पदावधि उस दिनांक से चार वर्ष की होगी जिस दिनांक से उसकी नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित किया गया है:

परंतु निगम सदस्य के चार वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति या चुनाव अधिसूचित किया गया है:

परंतु यह भी है कि निगम के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कुल दो कार्यकालों की कुल अवधि से अधिक नहीं होगा।

(ख) धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट निगम के सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(7)(क) इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से अथवा उप बंधित के सिवाये स्थाई समिति का वह सदस्य, जो उप-नियम 3 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सदस्य से भिन्न है, की पदावधि उस दिनांक से दो वर्ष होगी जिस दिनांक को उसका निर्वाचन अधिसूचित किया गया है:

परंतु स्थायी समिति का कोई सदस्य, दो साल की उक्त अवधि की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक पद पर बना रहेगा:

परन्तु यह और कि स्थायी समिति का कोई सदस्य निगम का सदस्य न रहने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(ख) उप-नियम 3 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट स्थायी समिति का सदस्य केंद्र सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(8) स्थायी समिति निगम के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी और संहिता के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत प्रदान किए गए किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है और निगम के किसी भी कार्य का पालन कर सकती है।

ग. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

9. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड- (1) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के अलावा, अन्य सदस्य उसके नामांकन की दिनांक से तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे तथा वे पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे:

परंतु एक पदेन सदस्य के अलावा कोई सदस्य, कुल दो कार्यकालों की अवधि से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।

(ख) केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (i) और (ii) की श्रेणी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संघों और असंगठित क्षेत्र के नियुक्ता संघों के प्रतिनिधियों में से इस तरह से नामांकन मांगेगी जैसा कि वह निर्धारित करे।

(ग) केंद्र सरकार, श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) के अधीन सात व्यक्तियों को नामित करेगी।

(घ) केन्द्र सरकार धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप खंड 4 के अधीन लोकसभा अध्यक्ष (लोक सभा) से दो लोकसभा सदस्यों और राज्य सभा के अध्यक्ष से एक सदस्य जैसा भी मामला हो, के नामांकन की मांग करेगी।

(ङ) केन्द्र सरकार, धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (v) के अधीन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कल्याण से जुड़े मामलों से संबंधित, दस सदस्यों को नामित करेगी।

(च) केन्द्र सरकार, धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (vi) के अधीन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों और धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (vii) के अधीन केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को रोटेशन के आधार पर, जैसा कि यह निर्धारित कर सकता है, नामित करेगी।

(छ) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (i), (ii) व (iii) के अंतर्गत नामित सदस्य, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा अगर वह उस हित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना बंद कर दे, जिस श्रेणी से उसे इस प्रकार नामित किया गया था :

परंतु उक्त उप-खंड (i) के अंतर्गत नामित सात व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं का एक-एक प्रतिनिधित्व हो।

(ज) धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के अंतर्गत नामित सदस्य, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा अगर वह संसद उस सदन का सदस्य न रहे जिससे उसे इस प्रकार नामित किया गया था।

(झ) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य न तो चुना जायेगा और न रहेगा अगर उस पर धारा 8 का कोई प्रावधान लागू होता है।

(2) (क) धारा 6 के अंतर्गत असंगठित कामगारों हेतु गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वह बोर्ड होगा जो गिग व प्लेटफार्म कामगारों के उद्देश्य हेतु धारा 114 की उप-धारा (6) में संदर्भित है।

(ख) पदेन सदस्य को छोड़कर, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उसके नामांकन की दिनांक से तीन वर्ष होगी तथा वह पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा:

परंतु पदेन सदस्यों के अलावा किसी भी सदस्य की पदावधि कुल दो अवधियों से अधिक के लिए नहीं होगा।

(ग) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अधीन, सातवीं अनुसूची में दिए अनुसार एग्रीगेटर्स की श्रेणियों में से क्रमावर्तन आधार पर एग्रीगेटर्स के प्रतिनिधियों के रूप में पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(घ) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अधीन, गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों में से रोटेशन आधार पर गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(ङ) केंद्र सरकार धारा 114 की उप-धारा (6) के खंड (ङ) के अधीन, श्रमिक कल्याण, प्रबंधन, वित्त, विधि, प्रशासन, ई-कॉमर्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से विशेषज्ञ के रूप में पांच सदस्यों को नामित करेगी।

(च) गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन में, किसी भी बैठक में कार्य करने हेतु छह सदस्यों का कोरम होगा।

(छ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण संबंधी मामलों, गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों की संख्या के आकलन, नए प्रकार के एग्रीगेटर्स की पहचान अथवा गिग कामगारों व प्लेटफार्म कामगारों से सम्बंधित अन्य किसी मामले पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकेगा।

(3) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, उसे समुनदेशित अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु धारा 6 की उप-धारा (7) के अंतर्गत एक समिति का गठन कर सकता है जो ऐसी समिति को जैसा समुनदेशित हो विशिष्ट मामलों पर विमर्श तथा सिफारिश करेगी;

(ख) यह समिति, ऐसे बोर्ड अथवा बाहर से, जैसा भी मामला हो, उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से, जिन पर समिति को विमर्श करना अपेक्षित है, सदस्यों का चुनाव कर सकती है।

(4) (क) केंद्र सरकार बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पूर्व से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगी।

(ख) अगर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए बोर्ड का गठन नहीं होता है, तो जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्णय किया जाए। नए बोर्ड का गठन होने तक की अवधि के लिए बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक अधिसूचना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जा सकेगी।

(ग) खंड (ख) में संदर्भित व्यवस्था लागू किये जाने के पश्चात, की गई सभी कार्रवाईयों का प्रभाव बिलकुल वही होगा जैसे कि वे स्वयं बोर्ड द्वारा ही की गई हों।

(5) (क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, केंद्र सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा।

(ख) ऐसे सदस्य का पद, जिस दिनांक से उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है उस दिनांक से अथवा त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिवस समाप्त होने पर, दोनों में से जो भी पहले हो, रिक्त हो जायेगा।

(ग) ऐसे सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के अधिकार केंद्र सरकार के पास होंगे।

(6) अगर ऐसा कोई सदस्य अपना पता परिवर्तित करता है तो वह अपने नए पते की सूचना बोर्ड के सदस्य-सचिव को देगा जो कार्यालयीन रिकार्ड में उसके नए पते की प्रविष्टि कर देगा:

परंतु कि अगर कोई सदस्य अपना नया पता बताने में असफल रहता है, तो कार्यालयीन रिकार्ड में उल्लिखित उसका पता ही सभी उद्देश्यों हेतु उसका सही पता माना जायेगा।

(7) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सदस्यता में जब भी कोई रिक्ति हो अथवा होने वाली हो, तो बोर्ड के सदस्य-सचिव केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम 9 के उप-नियम (1) व (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती है तथा इस प्रकार नामित व्यक्ति, सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है, उसके शेष कार्यकाल के लिए उस पद पर बना रहेगा।

(8) (क) असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के किसी सदस्य को हटाने हेतु धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (ख) व (ग) के अंतर्गत कार्यवाहियों, अगर कोई हों, के रूके रहने के दौरान ऐसा सदस्य बोर्ड की बैठकों से प्रवृत्त रहेंगे;

(ख) धारा 8 के अंतर्गत किसी सदस्य के विवर्जन, अपात्र ठहराए जाने अथवा हटाये जाने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

10. अन्य कल्याण उपाय व सुविधाएँ: केंद्र सरकार की राय में अगर निर्माण कर्मकार के कल्याण में सुधार हेतु यह आवश्यक हो कि किसी राज्य में नई कल्याण योजना अथवा योजनाएं बनाई जाएं, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथोनिर्दिष्ट अन्य कल्याणकारी उपायों तथा सुविधाओं के लिए प्रावधान करेगा और उनमें सुधार करेगा।

घ. सामान्य

11. बैठकें, बैठकों की सूचना, कार्यों की सूची और कोरम: (1) (क) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या इनकी कोई समिति, उप-नियम (2) के अधीन, ऐसे स्थान व समय पर बैठक करेगी जो इसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(ग) केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति तथा निगम की स्थायी समिति की वर्ष में कम से कम चार बैठकें तथा निगम की चिकित्सा हितलाभ समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(ङ) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या इनकी किसी भी समिति के अध्यक्ष जब भी उचित समझें, तथा संबंधित निकाय के कम से कम आधे सदस्यों से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर पंद्रह दिनों के भीतर एक विशेष बैठक बुलाएंगे तथा इस प्रकार किये गए अनुरोध में इस प्रकार प्रस्तावित बैठक किए जाने का उद्देश्य उल्लिखित होगा।

(2) (क) केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति की प्रत्येक साधारण बैठक का नोटिस, जिसमें इसकी दिनांक, समय व स्थान उल्लिखित हो, बैठक में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाईयों की एक सूची, और सम्बंधित अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित को जारी होने की दिनांक के पंद्रह दिनों के अंदर केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति के प्रत्येक न्यासी अथवा सदस्य को, जैसा भी मामला हो, को ई-मेल अथवा स्पीड डाक (पंजीकरण सहित) या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजी जाएगी तथा इसके पश्चात यथाशीघ्र, कार्यसूची की प्रत्येक मद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कार्यसूची के साथ भेजी जाएगी।

(ख) जब भी केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति, जैसा भी मामला हो, के संबंधित अध्यक्ष किसी मामले पर विचार के लिए जो उनकी राय में अति आवश्यक है, की आकस्मिक बैठक बुलाते हैं; तो ऐसा यथोचित समय जिसे वह आवश्यक समझें देने वाला नोटिस पर्याप्त समझा जाएगा और केंद्रीय बोर्ड अथवा निगम अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अथवा राज्य निर्माण कर्मकार

कल्याण बोर्ड अथवा इनकी किसी समिति, जैसा भी मामला हो, के प्रत्येक न्यासी व सदस्य को ई-मेल अथवा स्पीड डाक (पंजीकरण सहित) या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजा जायेगा।

(ग) जिस कार्य के लिए केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक बुलाई गई है, उसके अलावा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना बैठक में किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नामित न्यासी या सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(4) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कोरम पूरा न हो-

(क) केन्द्रीय बोर्ड के मामले में ग्यारह न्यासी और कार्यकारी समिति के मामले में चार सदस्य; या

(ख) निगम के मामले में पंद्रह सदस्य, स्थायी समिति के मामले में पांच सदस्य और चिकित्सा हितलाभ समिति के मामले में सात सदस्य; या

(ग) असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में दस सदस्य और गिग श्रमिकों और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के मामले में छह सदस्य; या

(घ) राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में चार सदस्य;

उपस्थित हैं:

परन्तु, यदि किसी बैठक में, कोरम पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यासी या सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, जैसा भी मामला हो, कोरम के स्वरूप की स्थिति में तो बैठक का अध्यक्ष एक घंटे के लिए बैठक को स्थगित कर देगा और उसके बाद बैठक में उपस्थित न्यासी या सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना कार्य का निपटान वैध होगा।

(5) (क) यदि कोई न्यासी या सदस्य, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, जैसा भी मामला हो, वह लिखित रूप में, संबंधित निकाय के अध्यक्ष को, बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता के कारणों की व्याख्या करते हुए, संगठन के किसी भी सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, जो उसके स्थान पर केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या उसकी किसी समिति की किसी भी बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करेगा:

परन्तु, ऐसी कोई भी नियुक्ति तब तक वैध नहीं होगी जब तक-

(i) ऐसी नियुक्ति को संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है; और

(ii) बैठक के लिए नियत दिनांक से पूर्व, संबंधित निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति संबंधी लिखित सूचना प्राप्त कर ली गई है।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत वैध रूप से नियुक्त एवजी को, सम्बंधित निकाय की बैठक में, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, सदस्य की वे सारी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें प्राप्त होते, जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा उसे भत्ते प्राप्त होंगे और वे उन दायित्वों के अधीन होंगे जो संहिता के अंतर्गत नियुक्त न्यासी या सदस्य के होते।

(ग) कोई न्यासी या सदस्य, जिसने सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या खंड (क) के अंतर्गत बनी उनकी समिति की किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए एवजी नियुक्त किया हो, इस उप-नियम में निहित किसी तथ्य के होते हुए भी, एवजी द्वारा निधि के गबन या दुरुपयोग का जिम्मेदार होगा और साथ ही, वह नियुक्त एवजी द्वारा निधि से सम्बंधित कर्तव्य पूरा नहीं करने या गलत कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(6) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले हर प्रश्न पर सम्बंधित निकाय के उपस्थित सदस्यों या न्यासी के मतदान के आधार पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष एक अतिरिक्त मतदान करेंगे।

परंतु कि, अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो किसी प्रश्न को सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति के सदस्यों या न्यासी को आवश्यक कागजात परिचालित कर उनकी लिखित राय लेकर निर्णय लेने का निदेश दे सकते हैं; और ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय सदस्यों या न्यासी से, दी गयी समय-सीमा के अन्दर, प्राप्त राय के बहुमत के आधार पर किया जाएगा और राय के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष की राय मान्य होगी:

परंतु कि केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य या न्यासी यह अनुरोध कर सकता है कि सम्बंधित निकाय के सदस्यों या न्यासी को लिखित राय के लिए संदर्भित प्रश्न पर सेंट्रल बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति की बैठक में विचार किया जाए तथा अध्यक्ष ऐसा करने का निदेश दे सकते हैं यदि यह अनुरोध सम्बंधित निकाय के कम-से-कम तीन सदस्यों या न्यासी द्वारा किया गया हो।

(7) (क) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम सहित, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी समिति के प्रत्येक सदस्य या न्यासी तथा केंद्र सरकार को भेजी जाए, जैसा भी मामला हो, तथा केंद्र सरकार को और राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में कार्यवृत्त प्रत्येक सदस्य या उनकी कोई समिति, जैसा भी मामला हो, अग्रेषित की जाए तथा सम्बंधित राज्य सरकार को यथाशीघ्र भेजी जाए और हर हाल में बैठक के चार सप्ताह से पहले भेजी जाए।

(ख) केन्द्रीय बोर्ड तथा उसकी कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड, अध्यक्ष के अनुमोदन से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ग) अगली बैठक में ऐसे परिशोधन, जिन पर विचार आवश्यक हो, के साथ इस बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी किसी समिति की बैठक का कार्यवृत्त एक अलग पुस्तिका (इसके पश्चात् इसे कार्यवृत्त पुस्तिका लिखा जाए) में रखा जाए तथा इस पर उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाए जिसमें कार्रवाई की पुष्टि की जानी है।

(ङ.) ऐसी संपुष्टि की दिनांक से 15 दिनों के भीतर बैठक की कार्यवृत्त केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी:

परंतु कि राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले में सम्बंधित राज्य सरकार को संपुष्टि के 15 दिनों के भीतर कार्यवृत्त की प्रति अग्रेषित किया जाएगा।

(च) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय में कार्यवृत्त-पुस्तिका को सम्बंधित सदस्य द्वारा कार्यदिवसों में कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण हेतु खुला रखा जाएगा।

(8) (क) प्रत्येक गैर सरकारी न्यासी या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या अन्य समिति का सदस्य, जैसा मामला हो, को यात्रा की अनुमति दी जाएगी तथा इन बैठकों में उपस्थिति के लिए उन्हें केंद्र सरकार के पे मैट्रिक्स में लेवल 12 के अधिकारियों के समान दैनिक भत्ता देय होगी।

(ख) जहां ऐसे न्यासी या सदस्य, जो संसद के सदस्य हों या राज्य विधान मंडल के सदस्य हों, को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता संसद के सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के उपबंधों के अनुसार या सम्बंधित राज्य विधान मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू प्रावधानों के अनुसार देय होगा, जैसा भी मामला हो:

परंतु कि, जब एक मंत्री को केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति का सदस्य या न्यासी या सदस्य नियुक्त किया जाता है और तदनुसार बैठक में भाग लेते हैं तो उन्हें यात्रा एवं दैनिक भत्ता उन्हें सरकारी कार्य के लिए की गयी यात्रा मानकर तदनुसार लागू नियमों के आधार पर देय होगा तथा उसका भुगतान उन्हें वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ग) अगर केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति का सदस्य या न्यासी इस कार्य के लिए अपने नियोजक से भत्ता आहरित किया है/करेंगे तो ऐसी स्थिति में, जैसा भी मामला हो, उन्हें कोई दैनिक या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा या किसी समिति या अन्य विधायिका या सरकार द्वारा गठित या आयोजित सम्मलेन में सरकार अथवा उनके नियोजक द्वारा यात्रा का साधन उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उनकी अन्य समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठक में वे भाग लेते हैं तो सदस्यों को उन बैठकों के लिए भी दैनिक तथा यात्रा भत्ता देय होगा।

(ङ.) केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति या केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा गठित उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, सरकारी न्यासी या केंद्र सरकार का सदस्य अपने विभाग से केंद्र सरकार के नियमों के अधीन उसे अनुदेय पैमाने पर अपना यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा और इस तरह आहरित की गई राशि, केंद्र सरकार द्वारा इसकी मांग किए जाने पर, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा उस सरकार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) किसी गैर-सरकारी सदस्य को भत्ते का दावा करने की अंतिम दिनांक से पहले भुगतान नहीं किया जाएगा तथा अग्रवर्ती और वापसी दोनों यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता बिल में सम्मिलित किया जाएगा और इस प्रकार किए गए भुगतान को यात्रा पूरी होने की दिनांक पर ध्यान दिए बिना, अंतिम माना जाएगा।

12. निगम, केन्द्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, राज्य असंगठित कामगार बोर्ड, भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या किसी भी समिति का पुनर्गठन- जब केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को धारा 11 के उपबंधों के अधीन अधिक्रमित कर दिया गया होतो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, -

(क) धारा 114 या धारा 7 की उप-धारा (6) के परंतुक के साथ पठित धारा 4 या धारा 5 या धारा 6, जैसा भी मामला हो, के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन कामगार कल्याण बोर्ड के लिए नए न्यासी या सदस्य को नियुक्त करेगा या उनकी नियुक्ति और चुनाव कारित करेगा।

(ख) स्वविवेक से, केन्द्रीय बोर्ड या निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या राज्य असंगठित कामगार बोर्ड या भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कार्यकरण के लिए ऐसी अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी जो वह ठीक समझे।

अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि

13. अपील दायर करने के लिए प्ररूप, रीति, समय-सीमा और शुल्क- (1) अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी:

परंतु यह कि अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार, यदि चाहें तो, हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं:

परंतु यह और कि -

(i) अधिकरण स्वविवेक से कार्यवाही में हिंदी के उपयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन अंतिम आदेश अंग्रेजी में होगा;

(ii) मामले की सुनवाई करते समय अधिकरण, अपने विवेक से, दलीलों और दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद को दायर करने का निर्देश दे सकता है।

(2) (क) अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण को अपील व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट या विधिवत रूप से प्राधिकृत विधिक व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्री को या उसे प्राप्त करने के लिए अधिकरण के रजिस्ट्रार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपील प्ररूप-1 में प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रार को विधिवत रूप से संबोधित पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(ख) खंड (क) के अधीन अपील इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तीन प्रतियों में पेपर-बुक प्ररूप में एक अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे जिसमें प्रतिवादी का पूरा पता लिखा हो, के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह कि जहां प्रतिवादियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां अप्रयुक्त फ़ाइल आकार के लिफाफे जिनमें प्रत्येक प्रतिवादी का पूरा पता हो, के साथ अपील की उतनी ही अतिरिक्त प्रतियां जितने प्रतिवादी हैं, पेपर-बुक प्ररूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां प्रतिवादियों की संख्या पांच से अधिक है, रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते समय अपील की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(ग) रजिस्ट्रार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्ररूप-2 में अपील की प्राप्ति की पावती जारी करना कारित करेगा।

(3) (क) रजिस्ट्रार, या उसके द्वारा उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक अपील पर उस दिनांक को पृष्ठांकित करेगा जिस पर इसे प्रस्तुत किया गया है या उस नियम के अधीन प्रस्तुत किया गया माना जाता है और डिजिटल रूप से या अन्यथा पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(ख) यदि संवीक्षा पर अपील सही पाई जाती है, तो उसे विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा और एक क्रमांक दिया जाएगा।

(ग) यदि संवीक्षा पर अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति का है, तो रजिस्ट्रार पक्षकार को अपनी उपस्थिति में उसे परिशोधित करने की अनुमति दे सकता है और यदि वही त्रुटि औपचारिक प्रकृति का नहीं है, तो रजिस्ट्रार अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने की दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निर्देश देगा।

(घ) यदि अपीलकर्ता खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटि को परिशोधित करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अपील को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है और तदनुसार अपीलकर्ता को सूचित कर सकता है।

(4) अपील साधारणतया अपीलकर्ता द्वारा ऐसे अधिकरण के रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में –

- (i) कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो, या
- (ii) प्रतिवादी का कार्यालय जिसके आदेश के विरुद्ध राहत मांगी गई है, स्थित हो।

(5) (क) रजिस्ट्रार के पास दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ दो हजार रुपये का शुल्क इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा या रजिस्ट्रार के पक्ष में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में आहरित क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में और उस स्टेशन के उस बैंक की मुख्य शाखा में देय होगा, जहां उक्त अधिकरण की सीट स्थित है।

(ख) धारा 125 या धारा 128 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि यदि अधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उक्त अवधि को अन्य साठ दिनों के लिए बढ़ा सकता है:

परन्तु यह और कि नियोक्ता द्वारा किसी अपील पर अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने धारा 16 के अधीन गठित संबंधित निधि में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धारा 125 के अधीन निर्धारित राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि जमा नहीं की है।

(6) उप-नियम (2) के अधीन दायर की गई प्रत्येक अपील में स्पष्ट रूप से अलग-अलग शीर्षों के अधीन ऐसी अपील के आधार बताए जाएंगे और ऐसे आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाएगा; और अपील, किसी भी अन्य विविध याचिका सहित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जाएगी या अच्छी गुणवत्ता के मोटे कागज पर दोनों तरफ डबल स्पेस में टाइप की जाएगी।

(7) (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा दायर की जा रही प्रत्येक अपील के साथ एक पेपर-बुक होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

- (i) उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है;
- (ii) अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए और अपील में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियां; और
- (iii) दस्तावेजों का एक सूचकांक।

(ख) खंड (क) में संदर्भित दस्तावेजों को विधिक व्यवसायी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जा सकता है और प्रत्येक दस्तावेज को क्रमशः अनुबंध क-1, क-2, क-3 के रूप में या इसी तरह से चिह्नित किया जाएगा।

(ग) जहां एक एजेंट द्वारा अपील दायर की जाती है, उसे ऐसे एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज को भी अपील में संलग्न किया जाएगा:

परन्तु कि जहां एक कानूनी व्यवसायी द्वारा अपील दायर की जाती है, उसके साथ डिजिटल प्रारूप में या अन्यथा विधिवत निष्पादित 'वकालतनामा' होगा।

(8) अपील कार्रवाई के एक कारण पर आधारित होगी और जिसमें एक या एक से अधिक राहत की मांग की जा सकती है परन्तु कि वे परस्पर परिणामी हों।

(9) (क) अधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अधिकरण द्वारा निर्देशित निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से जारी किया जा सकता है, अर्थात्: -

- (i) स्वयं पक्षकार द्वारा; या
- (ii) प्रोसेस सर्वर के माध्यम से हैंड डिलीवरी (दस्ती) द्वारा; या
- (iii) देय पावती के साथ नामांकन के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा।

(ख) जहां अधिकरण द्वारा जारी नोटिस को स्वयं पक्षकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या 'हैंड डिलीवरी' (दस्ती) द्वारा तामील किया जाता है, वह अधिकरण की रजिस्ट्री के साथ, पावती और सेवा के एक हलफनामे के साथ दायर करेगा।

(ग) खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण, प्रत्यार्थियों की संख्या और उनके निवास स्थान अथवा कार्य और अन्य परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए निदेश दे सकता है कि अपील का नोटिस प्रत्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा वैकल्पिक सेवा के किसी भी प्रकार सहित किसी अन्य ढंग से, जो भी अधिकरण को उचित और सुविधाजनक लगे, दिया जाएगा।

(घ) खण्ड (क) के अधीन कुछ भी किए जाने पर भी, अधिकरण अपने विवेक से मामले की प्रकृति और आकस्मिकता का ध्यान रखते हुए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा कोड के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त स्थायी काउंसिल पर नोटिस की तामील का निदेश दे सकता है।

(ङ.) अधिकरण द्वारा जारी प्रत्येक नोटिस, जब तक कि अन्यथा आदेश न हो, पेपर-बुक की प्रति के साथ-साथ अपील की प्रति के साथ होगा।

(च) प्रत्येक अपीलकर्ता सेवा अथवा प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए शुल्क का इस प्रकार से भुगतान करेगा, जैसा कि अधिकरण खण्ड (ग) के अधीन निदेश देगा, इस प्रकार की राशि जो कि सेवा के संबंध में किए गए वास्तविक प्रभारों, जैसा कि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, से अधिक नहीं होगी।

(छ) खण्ड (ग) के अधीन सेवा अथवा प्रक्रिया के निष्पादन के लिए शुल्क, रजिस्ट्रार द्वारा शुल्क निर्धारण के आदेश की दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अथवा विस्तारित समय, जो उनके द्वारा अनुमत हो, के भीतर उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट तरीके से, छोड़ दी जाएगी।

(ज) खण्ड (क) से (घ) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि अधिकरण संतुष्ट है कि सभी प्रत्यार्थियों को अपील की सूचना प्रदान करना तर्क-संगत रूप से व्यावहारिक नहीं है, यह, लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए निदेश दे सकेगा कि इस बात के होते हुए भी की कुल्लेक प्रत्यार्थियों को आवेदन की सूचना प्रदान नहीं की गई है अपील पर सुनवाई की जाएगी।

परंतु निम्नलिखित के बिना किसी भी अपील पर सुनवाई नहीं की जाएगी:-

(i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय बोर्ड, यदि इस प्रकार की सरकार अथवा बोर्ड प्रत्यर्थी है, को अपील की सूचना दे दी गई है;

(ii) उस प्राधिकारी को अपील का नोटिस प्रदान कर दिया गया है, जिसने वह आदेश पारित किया था, जिस आदेश के विरुद्ध अपील दर्ज की गई है; और

(iii) अधिकरण संतुष्ट है कि उन प्रत्यार्थियों जिनपर अपील का नोटिस नहीं भेजा गया है, के हित उन प्रत्यार्थियों जिनको अपील की सूचना भेजी गई है, के द्वारा यथेष्टतया और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है।

(10) (क) कोई भी व्यक्ति जो अपील के प्रतिवाद का इरादा रखता है, अपील का उत्तर और अधिकरण की रजिस्ट्री के साथ पेपर बुक रूप में भरोसेमंद दस्तावेज़, उसे भेजे गए अपील के नोटिस प्रदान करने की 30 दिन की अवधि के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा तीन प्रतियों में दर्ज कर सकेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन दर्ज उत्तर में प्रत्यर्थी, अपीलकर्ता द्वारा अपनी अपील में उल्लेख किए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, अस्वीकार अथवा व्याख्या करेगा और मामले के उचित निर्णय हेतु जो भी अतिरिक्त तथ्य आवश्यक पाए जाए, का भी उल्लेख कर सकेगा और इसे डिजिटल रूप से अथवा अन्यथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और लिखित कथन को, प्रत्यर्थी अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो भी उसके द्वारा लिखित में इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया है, के द्वारा इस प्रकार से सत्यापित किया जाएगा, जिस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 15 के आदेश-VI में उपबंधित किया गया है।

(ग) खण्ड (ख) में संदर्भित उत्तर दस्तावेजों के साथ फ़ाइल किया जाएगा और इसे आर-1, आर-2, आर-3 और इस प्रकार आगे अंकित किया जाएगा।

(घ) प्रत्यर्थी खण्ड (ग) में यथा उल्लेखित दस्तावेजों के साथ-साथ उत्तर की एक प्रति यदि कोई हो, को अपीलकर्ता अथवा उसके विधि-व्यवसायी को, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा प्रदान करेगा और अधिकरण की रजिस्ट्री में इस प्रकार की सेवा का प्रमाण फ़ाइल करेगा।

(ङ) प्रत्यर्थी के उपर्युक्त तीस दिनों की अवधि के अंदर उत्तर फ़ाइल करने में असफल रहने के मामले में, उसे इस प्रकार किसी अन्य दिन में जो भी अधिकरण द्वारा लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए और ऐसी लागत जो भी अधिकरण द्वारा उचित समझी जाए, के भुगतान पर, उत्तर फ़ाइल करने की अनुमति दी जा सकेगी, परंतु यह, इस प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी को नोटिस की तामील करने की दिनांक से साठ दिनों से अधिक नहीं होगी।

(11) अधिकरण पक्षों को अपील की सुनवाई की दिनांक और स्थान इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा अधिसूचित करेगा जैसा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी सामान्यतः अथवा विशेष आदेश के द्वारा निदेशित करें।

(12) (क) अधिकरण मामलों की सुनवाई के लिए एक कैलेंडर तैयार करेगा, और जहाँ तक संभव हो, कैलेंडर के अनुसार मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा।

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 23 के अधीन अपील, जहाँ तक व्यवहारिक हो, दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाएगा कि इसका एक वर्ष की अवधि में निर्णय हो जाए।

(ग) अधिकरण के पास स्थगन को अस्वीकार करने और मौखिक बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति होगी।

(13) (क) जहाँ अपील की सुनवाई की नियत दिनांक को अथवा कोई अन्य दिनांक, जिस पर इस प्रकार की सुनवाई स्थगित की जा सकती है, पर जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई जाती हैं, अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अधिकरण, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, चूक के लिए या तो अपील को निरस्त कर सकता है या इसकी सुनवाई कर सकता है और योग्यता के आधार पर इसका निर्णय कर सकता है।

(ख) जहाँ चूक के लिए अपील को निरस्त कर दिया गया है और अपीलकर्ता ने निरस्त करने की दिनांक से 30 दिन की अवधि के अन्दर अपील की वापसी के लिए आवेदन करता है और अधिकरण को संतुष्ट कर देता है कि जब सुनवाई के लिए अपील बुलाई गई थी, उसकी अनुपस्थिति का समुचित कारण था, अधिकरण अपील निरस्त करने के आदेश को एक ओर रखते हुए आदेश करेगा और इसे वापस कर सकेगा:

परंतु कि जहाँ योग्यता के आधार पर मामले का निपटान किया गया था, पुनर्विलोकन के सिवाय, निर्णय को फिर से नहीं खोला जाएगा।

(14) (क) जहाँ अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को अथवा किसी अन्य दिनांक को जिस पर ऐसी सुनवाई का स्थगन किया जा सकता है, जब सुनवाई के लिए अपील बुलवाई जाती है, अपीलकर्ता उपस्थित होता है और प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होता हैं, अधिकरण अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुनवाई को स्थगित कर सकता है अथवा सुनवाई कर सकता है और अपील पर एक पक्षीय निर्णय कर सकता है।

(ख) जहाँ प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों के विरुद्ध एक पक्षीय अपील सुनी गई है, इस प्रकार के प्रत्यर्थी अधिकरण को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि इस प्रकार का/के प्रत्यर्थी अधिकरण को संतुष्ट कर देते हैं कि नोटिस का विधिवत तामिल नहीं की गई थी, अथवा सुनवाई के लिए जब अपील बुलाई गई थी, उपस्थिति से उसको/उनको रोकने के लिए पर्याप्त कारण थे, अधिकरण उसके अथवा उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई को अपास्त करते हुए इस प्रकार के निबंधनों पर जिसे वह उचित समझता है, आदेश पारित कर सकेगा, और अपील की प्रक्रिया के लिए एक दिन नियुक्त करेगा:

परंतु कि जहाँ एक पक्षीय आदेश इस प्रकार कि प्रकृति का हो कि इसे केवल एक प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता, इसे सभी अथवा अन्य प्रत्यर्थियों में से किसी एक के भी विरुद्ध अपास्त किया जा सकेगा :

परंतु कि आगे उपनियम (9) के खण्ड (ज) द्वारा व्याप्त मामलों में, अधिकरण केवल इस आधार पर अपील के एक पक्षीय आदेश को अपास्त नहीं कर सकेगा कि इसकी प्रत्यर्थी अथवा प्रत्यर्थियों पर तामिल नहीं की गई थी।

(15) (क) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित होने के दौरान एक पक्ष की मृत्यु के मामले में, दिवंगत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि अथवा अपीलकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा जिसे आवश्यक पक्षों के रूप में रिकॉर्ड पर लाने हेतु इस प्रकार की मृत्यु की दिनांक से तीस दिनों के अंदर आवेदन कर सकेगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर दिवंगत पक्ष के विधिक प्रतिनिधि से आवेदन प्राप्त न होने के मामले में, दिवंगत पक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का उपशमन कर दिया जाएगा।

परंतु कि उचित एवं पर्याप्त कारणों पर अधिकरण, एक आवेदन पर उपशमन के आदेश को अपास्त कर सकेगा, और विधिक प्रतिनिधि का विकल्प तैयार कर सकेगा।

(16) अधिकरण, यदि कार्यवाही के किसी भी चरण पर पर्याप्त कारण दर्शाए जाते हैं, पक्षों को अथवा उनमें से किसी एक को समय प्रदान कर सकेगा और अपील की सुनवाई को स्थगित कर सकेगा।

(17) अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और इसी डिजिटल रूप से अथवा अन्यथा उस पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसने आदेश की घोषणा की थी और आदेश की घोषणा खुले न्यायालय में की जाएगी।

(18) (क) किसी अपील पर पारित किया गया प्रत्येक अंतिम आदेश अपीलकर्ता और संबन्धित प्रत्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा हस्तगत अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकरण के साथ) से निशुल्क प्रेषित किया जायेगा।

(ख) यदि किसी कार्यवाही का अपीलकर्ता अथवा प्रत्यर्थी किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही की प्रति की मांग करता है तो इसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर जारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत इस प्रकार के शुल्क के भुगतान ऐसे निबंधन और शर्तों पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

(19) अधिकरण, अपने आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए अथवा इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए अथवा न्याय को सुरक्षित करने के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसे निदेश दे सकता है जो आवश्यक अथवा समीचीन हैं।

(20) अधिकरण का कार्यालय, शनिवार, रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी आदेश के शर्ताधीन, 9.30 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न तक खुला रहेगा।

(21) अधिकरण का कार्य समय सामान्यतया पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक होगा जो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन होगा।

(22) (क) अधिकरण के अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेंगे और वे ऐसे अन्य कार्य भी करते रहेंगे जो उन्हें इन नियमों के अंतर्गत या पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग आदेश द्वारा सौंपे जाएंगे।

(ख) आधिकारिक मुहर रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(ग) पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी सामान्य या विशेष निदेश के अधीन, अधिकरण की मुहर का प्रयोग रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के सिवाय किसी भी आदेश, समन या अन्य प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होगी।

(घ) अधिकरण की मुहर रजिस्ट्रार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर नहीं लगाई जाएगी।

(23) इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, नामतः:-

(i) समस्त अपीलें और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करना;

(ii) अपीलों के पंजीकरण से पूर्व उनकी जांच से उत्पन्न सभी प्रश्नों का निर्णय करना;

(iii) अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील को संहिता और नियमों के अनुसार संशोधित करने की मांग;

(iv) अधिकरण के निदेशों के अधीन, अपीलों या अन्य कार्यवाही की पहली सुनवाई की दिनांक नियत करना और उसके लिए नोटिस जारी करना;

(v) अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन के निदेश देना;

(vi) पक्षकारों को कार्यवाही के दस्तावेज़ की प्रतियां प्रदान करने के आदेश;

(vii) अधिकरण के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति देना;

(viii) नए नोटिस जारी करने की अन्य प्रक्रिया या नोटिस की तामील से संबंधित सभी मामलों का निपटान करना और ऐसी अपीलों को दायर करने की समय-अवधि बढ़ाना और जवाब दाखिल करने या प्रत्युत्तर के लिए पंद्रह दिनों का समय देना, यदि कोई हो तो, तथा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त आदेश के लिए मामले को अधिकरण के समक्ष रखना;

(ix) किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से रिकॉर्ड का अधिग्रहण;

(x) अपील के लम्बन के दौरान मृतक पक्षकारों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए मृत्यु की दिनांक से तीस दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त करना;

(xi) प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और निपटान करना सिवाय जहां प्रतिस्थापन में किसी निरस्तीकरण आदेश को अलग रखना सम्मिलित हो; और

(xii) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटान करना।

(24) (क) धारा 23 के अंतर्गत अधिकरण को अपील करने वाला व्यक्ति अधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या अपनी पसंद के किसी विधि-व्यवसायी की सहायता ले सकता है।

(ख) संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य कोई प्राधिकरण एक या इससे अधिक विधि-व्यवसायी या अपने किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अपील के संबंध में अपनी ओर से मामले को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(25) अधिकरण की आधिकारिक मुहर और संप्रतीक गोल आकार में होंगे जिसमें अधिकरण का नाम बड़े अक्षरों में और राष्ट्रीय संप्रतीक मुहर के बीच में होगा।

(26) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और अधिकरण के स्टाफ के सदस्य की पोशाक ऐसी होगी जिसे पीठासीन अधिकारी समय-समय पर जारी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(27) विधि-व्यवसायी, जैसी स्थिति हो, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपनी पेशेवर पोशाक में ही अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होगा, यदि कोई हो, और यदि ऐसी कोई पोशाक नहीं है, तब:

- (i) यदि पुरुष है तो वह कॉलर बंद कोट और पतलून या लाउंज सूट में;
- (ii) यदि महिला है तो वह साड़ी, या अच्छे रंग के किसी अन्य परंपरागत पोशाक में।

अध्याय 4

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

14. महानिदेशक और वित्त आयुक्त के वेतन और भत्ते:- (1) धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक और वित्त आयुक्त केंद्र सरकार के उसी स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतन स्तर के तदनुसार वेतन और भत्ते तथा अन्य लाभ प्राप्त करेंगे:

परंतु कि जहां महानिदेशक या वित्त आयुक्त पहले से ही निगम की सेवा में हैं, महानिदेशक या वित्त आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति पर वे पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) और अन्य अधिवर्षिता लाभों के लिए उसी प्रकार हकदार होंगे, जिसके लिए वे अन्यथा हकदार होते।

(2) (क) निगम के महानिदेशक की शक्तियाँ और उनके कर्तव्य होंगे—

- (i) निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना;
- (ii) संहिता और केंद्र सरकार द्वारा इसके आधार पर बनाए गए नियमों के अनुसार निगम के अध्यक्ष के आदेशों के अधीन, निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ समिति की बैठकें बुलाना और बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करना;
- (iii) संहिता या इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या इसके आधार पर बनाए गए विनियमों, या निगम या उसकी स्थायी समिति के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार निगम की ओर से अनुबंध करना;
- (iv) संहिता या केंद्र सरकार द्वारा इसके आधार पर बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित सभी विवरणियां और दस्तावेज केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और निगम से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार करना;
- (v) संहिता और केंद्रीय नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उन्हें समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का प्रयोग करना। निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों

(ख) महानिदेशक, स्थायी समिति के अनुमोदन से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय नियमों या विनियमों के अंतर्गत या निगम या उसकी स्थायी समिति के किसी संकल्प के अंतर्गत जैसा भी मामला हो, अपनी किसी भी शक्ति या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी अधिकार अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निष्पादन ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन होगा, जिन्हें महानिदेशक द्वारा निगम की स्थायी समिति के अनुमोदन से अधिरोपित किया जा सकता है।

(3) निगम के वित्त आयुक्त की शक्तियां और कर्तव्य, महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन होंगे,

- (i) निगम के लेखों का अनुरक्षण और निगम के केंद्रों तथा क्षेत्रों से विवरणियों का संग्रह कर लेखों के संकलन की व्यवस्था करना;
- (ii) निगम का बजट तैयार करना;
- (iii) निगम के केंद्रों और क्षेत्रों के लेखों तथा उन पर प्राप्तियों और भुगतानों की आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था करना;
- (iv) निगम की निधियों के निवेश के लिए सिफारिशें करना; और
- (v) कार्यपालक सुविधा के लिए उन्हें समय-समय पर सौंपे या प्रत्यायोजित किए गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

(4) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम स्तर 14 वाले पदों के संबंध में निगम ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए धारा 24 की उप-धारा (7) के अंतर्गत निगम की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

15. कर्मचारी राज्य बीमा निधि या निगम द्वारा धारित किसी अन्य धन का निवेश - (1) निगम केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें निहित कर्मचारी राज्य बीमा निधि का निवेश करेगा।

(2) योजना के कुशल प्रशासन के लिए निगम उतने खाते खोल सकता है जितने वह आवश्यक समझे या योजना में विनिर्दिष्ट हो।

(3) किसी निवेश से उत्पन्न सभी खर्चों और हानि को, यदि कोई हो, कर्मचारी राज्य बीमा निधि में लिया जाएगा और निवेश की बिक्री से हुए लाभ को भी कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जोड़ा जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत किए गए किसी भी निवेश को उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, समय-समय पर परिवर्तित, पक्षांतरित या अधिलाभ किया जा सकता है:

परंतु कि, यदि ऐसे परिवर्तन, पक्षांतरित या अधिलाभ से हानि होने की संभावना है, तो केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

व्याख्या — केंद्र सरकार का अनुमोदन केवल इस आधार पर आवश्यक नहीं होगा कि इसकी परिपक्वता पर प्रतिभूति का मूल्य इसके क्रय मूल्य से कम है।

(5) केंद्र सरकार, किसी भी समय, आंशिक या पूर्ण रूप से निवेश बंद करने का निदेश दे सकती है, या किसी प्रतिभूति या प्रतिभूति श्रेणियों या किसी भूमि या भवन में निवेश को प्रतिबंधित कर सकती है।

(6) किसी निवेश से प्राप्त सभी लाभांश, ब्याज या अन्य राशि प्राप्त होने पर उसे यथाशीघ्र कर्मचारी राज्य बीमा निधि के खाते में भुगतान या जमा किया जाएगा।

16. व्यय की अदायगी की सीमाएं - बीमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के उपायों को बढ़ावा देने के लिए, चालीस वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्तियों का वार्षिक चिकित्सीय परीक्षण निगम द्वारा केवल अपने अस्पतालों या औषधालयों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, दिव्यांग या घायल हुए बीमित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्नियोजन के लिए, निगम कर्मचारी राज्य बीमा निधि से प्रति वर्ष अधिकतम एक हजार करोड़ रुपये तक, या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक, व्यय कर सकता है।

17. संपत्ति का स्वामित्व आदि-(1) उप नियम (3) के उपबंधों और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं, महानिदेशक, संहिता के प्रयोजनों के लिए निगम की ओर से चल या अचल संपत्ति अधिगृहीत कर सकते हैं:

परंतु कि, किसी अचल संपत्ति का विनिमय, छत्तीस माह से अधिक अवधि के लिए किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने, या किसी उपहार की स्वीकृति या दायित्व के अधीन संपत्ति के अंतरण के लिए निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) उप नियम (3) के उपबंधों और निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन महानिदेशक-

(क) निगम से संबंधित किसी चल संपत्ति की बिक्री या विनिमय द्वारा निपटान कर सकते हैं, जिसका मूल्य प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या निगम से संबंधित अचल संपत्ति को बारह माह से कम किसी भी अवधि के लिए पट्टे पर दे सकते हैं।

(ख) निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति से, निगम से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति को पट्टे पर देना, बिक्री या अन्यथा निपटान कर सकते हैं।

(3) (क) निगम ऐसे सभी अनुबंध कर सकता है और उन्हें निष्पादित कर सकता है जो संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक या उचित हों।

(ख) संहिता के अधीन या संहिता के किसी भी प्रयोजन के लिए किया गया प्रत्येक अनुबंध निगम की ओर से किया जाएगा-

(i) महानिदेशक द्वारा; या

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन, जो निगम के ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, जैसा कि वह प्राधिकृत कर सकता है:

परंतु कि, पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले किसी भी अनुबंध के संबंध में निगम की स्थायी समिति की संस्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ग) खंड (ख) के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक अनुबंध को ऐसे तरीके और रूप में किया जाएगा जो उसे बाध्य करेगा जैसे यह अनुबंध उसकी ओर से ही किया गया हो और उसी तरीके और रूप में परिवर्तित अथवा निर्वहन किया जाएगा:

परंतु कि, निगम की सामान्य या आधिकारिक मुहर, जैसा भी मामला हो, पांच लाख रुपये से अधिक राशि के प्रत्येक अनुबंध पर लगाई जाएगी।

(4) (क) निगम, उसकी स्थायी समिति की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संहिता के प्रयोजनों के लिए ऋण जुटा सकता है।

(ख) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम ऋण जुटा सकता है -

(i) भूमि के अधिग्रहण या उस पर भवनों का निर्माण या दोनों, जैसा भी मामला हो; या

(ii) इस उप नियम के अधीन जुटाए गए ऋण को चुकाने के लिए; या

(iii) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

(ग) इस उप नियम के अधीन सभी ऋण प्राप्त किए जाएंगे -

(i) केंद्र सरकार से ब्याज की ऐसी दरों और समय तथा पुनर्भुगतान की ऐसी शर्तों पर, जैसा केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट कर सकती है; या

(ii) केंद्र सरकार के अनुमोदन से ऐसे बैंक या बैंकों से जो नियम 30 में विनिर्दिष्ट हैं।

(घ) जहां नियम 31 में विनिर्दिष्ट ऐसे बैंक या बैंकों से ऋण लिया जाता है, निगम, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अग्रिम राशियों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए उसमें निहित सभी या किसी भी संपत्ति को गिरवी रख सकता है।

(ङ) ऋण पर ब्याज और पुनर्भुगतान के लिए निगम से देय सभी भुगतान इस तरह से और ऐसे समय पर किए जाएंगे जिस पर सहमति हो सकती है।

परंतु कि, निगम किसी भी ऋण की मूल राशि के संबंध में देय किसी भी राशि के पुनर्भुगतान में किसी भी राशि के लिए आवेदन कर सकता है, जबकि हो सकता है उसका पुनर्भुगतान देय न हो।

(च) केंद्र सरकार की पिछली संस्वीकृति के बिना, ऋण से किए गए व्यय को निगम द्वारा पूंजी पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(छ) निगम, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों और पुनर्भुगतान दर्शाते हुए प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल तक केंद्र सरकार को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

18. कर्मचारियों का बीमा:- (1) किसी स्थापना के संबंध में नियोक्ता, किसी व्यक्ति को रोजगार में लेने से पहले या उसी दिन, यदि वह व्यक्ति पहले से ही कोड के अध्याय 4 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो उसका नाम, आधार संख्या और अन्य विवरण निर्धारित पोर्टल पर दर्ज करके उसका पंजीकरण करेगा। पंजीकरण होते ही कर्मचारी को स्वतः एक बीमा संख्या आवंटित कर दी जाएगी, जो तीस दिनों की अवधि तक मान्य रहेगी। जो व्यक्ति पहले से अध्याय 4 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें उनकी बीमा संख्या और नियुक्ति दिनांक दर्ज करके उक्त पोर्टल पर जोड़ा जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन पंजीकरण होने पर, नियोक्ता विनिर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा-पत्र पर उस कर्मचारी और परिवार का अद्यतित विवरण दर्ज करेगा और बीमाकृत व्यक्ति और उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को निगम इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से आधार से जुड़ा पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि कर्मचारी का विवरण तीस दिनों की अवधि के भीतर घोषणा-पत्र पर अद्यतित नहीं किया जाता है या नव नियोजित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया आधार नंबर संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए बिना वापस कर दिया जाता है तो उप नियम (1) के अधीन आवंटित बीमा संख्या स्वतः अमान्य हो जाएगी।

(4) नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर भरे गए कर्मचारी के विवरण की यथार्थता के लिए स्थापना का नियोक्ता जिम्मेदार होगा और नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए अपने परिवार के विवरण की यथार्थता के लिए बीमाकृत व्यक्ति जिम्मेदार होगा।

(5) कर्मचारी की बीमा संख्या का उपयोग नियोक्ता द्वारा अंशदान जमा करने और कर्मचारी के संबंध में अन्य सभी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(6) उप नियम (1) के अधीन कर्मचारी को आवंटित बीमा संख्या का उपयोग उसके द्वारा संहिता के अधीन उसे या उसके परिवार के सदस्यों या दोनों, जैसा भी मामला हो, को उपलब्ध हितलाभ लेने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बीमा संख्या" से, संहिता के अध्याय-4, केंद्रीय नियमों और उस आधार पर बनाए गए विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल द्वारा आवंटित संख्या अभिप्रेत है।

19. अंशदान की दर- (1) मजदूरी अवधि के लिए अंशदान की राशि निम्नलिखित के संबंध में होगी-

(क) नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी को देय मजदूरी के तीन और एक-चौथाई प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित); और

(ख) कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी को देय मजदूरी के तीन-चौथाई प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित)।

(2) एक कर्मचारी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 (1999 का 44) के अधीन एक दिव्यांग है, के संबंध में नियोक्ता को अंशदान अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से नियोक्ता के अंशदान के हिस्से का भुगतान अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन ऐसी अवधि और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के हिस्से के अंशदान की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को की जाएगी।

20. प्रशासनिक व्यय-(1) निगम द्वारा निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय को धारा 30 के अधीन प्रशासनिक व्यय माना जायेगा, अर्थात्:-

(क) निगम, स्थायी समिति और चिकित्सा हितलाभ समिति तथा निगम की अन्य समितियों के सदस्यों को शुल्क और भत्तों का भुगतान;

(ख) निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी और कार्यग्रहण समय भत्ते, यात्रा और प्रतिकर और अन्य भत्ते, बोनस, उपदान और अनुकंपा भत्ते, पेंशन, भविष्य या अन्य हितलाभ निधि में योगदान और प्रशिक्षण संबंधी व्यय का भुगतान;

(ग) निगम के कार्यालयों, स्टाफ कारों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टर, आवास किराए पर लेना, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, लेखा-सामग्री की खरीद, छपाई और अन्य व्यय के मूल्यहास और अनुरक्षण पर खर्च का भुगतान;

(घ) संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता अभिदान और अन्य सेवाओं के लिए व्यय चुकाना;

(ङ.) निगम के खातों की लेखापरीक्षा और इसकी परिसंपत्ति तथा देयताओं के मूल्यांकन की लागत (सभी खर्चों सहित) का भुगतान;

(च) संहिता के अधीन स्थापित कर्मचारी बीमा न्यायालयों की लागत (सभी खर्चों सहित) का भुगतान;

(छ) निगम या उसकी स्थायी समिति द्वारा या इस संबंध में निगम या ऐसी स्थायी समिति द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संहिता के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी अनुबंध के अधीन किसी राशि का भुगतान;

(ज) अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के लिए या किसी समझौते या किसी दावे का निपटारा या अन्य कानूनी कार्यवाही या निगम के खिलाफ स्थापित दावा या निगम या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण में किसी डिक्री, आदेश या अधिनिर्णय के अधीन राशि का भुगतान;

(झ) संहिता के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने या बचाव करने की लागत और अन्य प्रभारों का भुगतान;

(ञ) संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों और प्रचार सामग्री की छपाई सहित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रचार से संबंधित व्यय का भुगतान; और

(ट) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कामकाज के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन अध्ययन पर होने वाले व्यय का भुगतान।

(2) निगम की कुल राजस्व आय का प्रतिशत जो प्रत्येक वर्ष उसके प्रशासनिक व्यय पर खर्च किया जा सकेगा, पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कर्मचारी राज्य बीमा योजना" से निगम द्वारा प्रशासित संहिता के अध्याय 4 में उल्लिखित योजनाएं और ऐसे केंद्रीय और राज्य नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को निगम द्वारा प्रशासित किया जाना आवश्यक है, जिसमें निगम द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश सम्मिलित हैं।

21. अंत्येष्टि के लिए व्यय सीमा - धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (च) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अंत्येष्टि व्यय की राशि निगम द्वारा अधिसूचित की जाएगी और बीस हजार रुपए होगी।

22. हितलाभ दावे के लिए अर्हता - (1) संहिता के उपबंधों और विनियमों के अधीन, कोई व्यक्ति किसी भी हितलाभ अवधि के दौरान होने वाली बीमारी के लिए बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा, यदि उसके संबंध में अंशदान तदनुरूपी अंशदान अवधि में कम से कम अठत्तर दिनों से कम देय न हो और वह संबंधित अंशदान अवधि के दौरान उस व्यक्ति की "मानक हितलाभ दर" के 70 प्रतिशत की दर से ऐसा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित होगी:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहली बार संहिता के अध्याय 4 के अधीन कर्मचारी बनता है और जिसके लिए 156 दिनों से कम की अंशदान अवधि उपलब्ध है, वह बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा यदि उसके संबंध में अंशदान ऐसी अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था:

परंतु इसके अतिरिक्त मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने वाली यथा स्थिति बीमाकृत महिला या अस्थायी निःशक्तता हितलाभ प्राप्त करने वाले बीमाकृत व्यक्ति के मामले में और इस तरह के तथ्य के कारण, जैसा भी मामला हो, उनके लिए कम अंशदान अवधि उपलब्ध है, वह तदनुरूपी हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र होंगे यदि उनके संबंध में अंशदान ऐसी कम अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था:

परंतु यह भी कि वह बीमारी के पहले दो दिनों के लिए हितलाभ का हकदार नहीं होगा, सिवाय बीमारी के बाद की अवधि के मामले में, पंद्रह दिनों तक के अंतराल पर, बीमारी की अवधि जिसके लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान अंतिम बार किया गया था :

परंतु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को लगातार किसी दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों से अधिक के लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) (क) यदि कोई व्यक्ति निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक बीमारियों से पीड़ित है तो बीमारी हितलाभ बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि बीमाकृत व्यक्ति ने अवधि की शुरुआत से ठीक पहले चार अंशदान अवधियाँ पूरी कर ली हों जिसमें बीमारी का पहली बार निदान हुआ है और उसने उपर्युक्त चार अंशदान अवधियों में 156 दिनों की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान किया है और वह उपर्युक्त चार अंशदायी अवधियों में से कम से कम एक में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र हो।

(ख) विस्तारित बीमारी हितलाभ केवल तभी दिया जाएगा जब बीमाकृत व्यक्ति अन्यथा पूर्वगामी उपबंधों के अधीन विस्तारित बीमारी हितलाभ का हकदार हो, परंतु उप-नियम (1) के चौथे परंतुक के अधीन उसको देय बीमारी हितलाभ समाप्त हो गया है या उप-नियम (1) के अनुसार बीमारी हितलाभ के लिए पात्र नहीं है।

(ग) धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन, बीमारी हितलाभ को उप-नियम (1) के चौथे परंतुक के अधीन बीमारी हितलाभ सहित अधिकतम 730 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(घ) बीमाकृत व्यक्ति की विस्तारित बीमारी हितलाभ की दैनिक दर "मानक हितलाभ दर" की 80 प्रतिशत होगी।

(3) (क) कोई बीमाकृत महिला हितलाभ अवधि में होनी वाली प्रसूति या प्रत्याशित प्रसूति के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगी, यदि ठीक पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों में उनके संबंध में अंशदान कम से कम 70 दिनों के लिए देय था।

(ख) संहिता और विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, यदि कोई हो, कोई बीमाकृत महिला जो खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, वह खंड (ड) में विनिर्दिष्ट दैनिक दर पर उन सभी दिनों के लिए मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिन पर वह 26 सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है, जो प्रसूति की अपेक्षित तारीख से पहले आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगी:

परंतु जहां बीमाकृत महिला की प्रसव के दौरान या प्रसव की तारीख के ठीक बाद की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए वह मातृत्व हितलाभ की हकदार है और बच्चे को पीछे छोड़कर जाती है, दोनों में से कोई एक मामला, उस पूरी अवधि के लिए मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, परंतु यदि उक्त अवधि के दौरान बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है तो, बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उन दिनों तक, बीमाकृत महिला द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को और धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से, और यदि ऐसा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को मातृत्व हितलाभ का भुगतान किया जाएगा:

परंतु यह भी कि बीमाकृत महिला उस तारीख से बारह सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ की हकदार होगी, जिस तारीख से बच्चे को जन्म के बाद कमीशनिंग मां या दत्तक मां, जैसा भी मामला हो, को सौंपा जाता है:

परंतु यह भी कि दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाली बीमाकृत महिला 12 सप्ताह की अवधि के दौरान मातृत्व हितलाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसमें से 6 सप्ताह से अधिक की अवधि प्रसूति की अपेक्षित तारीख से पहले नहीं होगी।

(ग) कोई बीमाकृत महिला जो खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात के मामले में, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जैसा कि खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट दरों पर मातृत्व हितलाभ के लिए धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन आवश्यक हो, उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी, जब वह अपने गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात की तारीख के तुरंत बाद 6 सप्ताह की अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है।

(घ) कोई बीमाकृत महिला जो गर्भावस्था, प्रसूति, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात से उत्पन्न बीमारी के मामले में खंड (क) के अनुसार मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक है, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने पर, जो धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन आवश्यक हो, अध्याय 4 के किसी भी अन्य उपबंधों के अधीन उसे देय मातृत्व हितलाभों के अतिरिक्त उन सभी दिनों के लिए हकदार होगी, जिन पर वह मातृत्व हितलाभ के पारिश्रमिक के लिए खंड (ड) में विनिर्दिष्ट दरों पर काम नहीं करती है एवं उन सभी दिनों के लिए जब वह एक मास से अधिक की अतिरिक्त अवधि के दौरान पारिश्रमिक के लिए काम नहीं करती है।

(ड) किसी हितलाभ अवधि के दौरान होनी वाली प्रसूति या प्रत्याशित प्रसूति के संबंध में देय मातृत्व हितलाभ की दैनिक दर, संबंधित अंशदान अवधि के दौरान बीमाकृत महिला के संबंध में मानक हितलाभ दर के बराबर होगी, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित होगी।

(4) एक बीमाकृत महिला और एक बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पत्नी के संबंध में प्रसूति व्यय के लिए चिकित्सा बोनस के रूप में प्रति मामला पंद्रह हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा:

परंतु कि प्रसूति ऐसे स्थान पर हो जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं:

परंतु यह भी कि प्रसूति व्यय का भुगतान केवल दो प्रसूतियों के लिए किया जाएगा।

(5) (क) कोई व्यक्ति संहिता के अधीन किसी कर्मचारी के रूप में निरंतर ऐसी निःशक्तता की अवधि के लिए कम से कम तीन दिनों (दुर्घटना के दिन को छोड़कर) के लिए अस्थायी निःशक्तता के लिए निःशक्तता हितलाभ का दावा करने के लिए अर्हक होगा।

(ख) कोई व्यक्ति इस प्रकार की निःशक्तता के लिए, चाहे पूर्ण या आंशिक, संहिता के अधीन किसी कर्मचारी के रूप में स्थायी निःशक्तता के लिए आवधिक भुगतान का दावा करने के लिए अर्हक होगा:

परंतु जहां स्थायी निःशक्तता, चाहे पूर्ण हो या आंशिक, अनंतिम रूप से सीमित अवधि के लिए या अंततः निर्धारित की गई है, इस उप-नियम के अधीन उपबंधित हितलाभ उस सीमित अवधि के लिए, या जीवनभर के लिए, जैसा भी मामला हो, देय होगा।

(ग) निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर, उस हितलाभ अवधि के तदनुसूची अंशदान अवधि में मानक हितलाभ दर का नब्बे प्रतिशत होगी जिसमें रोजगार के दौरान क्षति होती है, जिसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है:

परंतु जहां किसी व्यक्ति के संबंध में पहली हितलाभ अवधि के शुरू होने से पहले रोजगार के दौरान क्षति होती है, निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर होगी-

- (i) जहां किसी व्यक्ति को क्षति वाली अंशदान अवधि में पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद रोजगार क्षति होती है, उस मजदूरी अवधि में उसकी औसत दैनिक मजदूरी का नब्बे प्रतिशत, जिसे अगले उच्चतर रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है;
- (ii) जहां किसी व्यक्ति को क्षति वाली अंशदान अवधि में पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति से पहले रोजगार के दौरान क्षति होती है, उसकी वास्तव में अर्जित मजदूरी का नब्बे प्रतिशत या वह मजदूरी जो उसे दुर्घटना के दिन पूरे दिन काम करने पर मिलती, अगले उच्च रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है;

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन गणना किए गए निःशक्तता हितलाभ को "पूर्ण दर" कहा गया है।

(घ) निःशक्तता हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को निम्नानुसार देय होगा, अर्थात्: -

- i) अस्थायी निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर पर;
- ii) स्थायी पूर्ण निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर पर;
- iii) चौथी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट क्षति के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता के लिए, पूर्ण दर के ऐसे प्रतिशत पर, जो स्थायी कुल निःशक्तता के मामले में देय होता, जैसा कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट है, जो क्षति के कारण अर्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत होने के नाते होता।
- iv) उस चोट के परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक निःशक्तता जो कि चौथी अनुसूची के भाग-2 में निर्दिष्ट नहीं है, स्थायी कुल निःशक्तता के मामले में देय पूर्ण दर के ऐसे प्रतिशत पर जो स्थायी चोट के कारण अर्जन क्षमता की हानि के अनुपात में है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, जहां एक ही दुर्घटना के कारण एक से अधिक क्षति कारित हुई, उप-खंड (iii) और (iv) के अधीन देय हितलाभ की दर को जोड़ा जाएगा, किन्तु किसी भी मामले में ऐसी दर पूर्ण दर से अधिक नहीं होगी और निःशक्तता के मामलों में उप-खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में व्याप्त न हुए निःशक्तता के मामलों में ऐसी दर पर, पूर्ण दर से अधिक नहीं, जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबंधित है।

(6) बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को आश्रितजन हितलाभ का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, जिसकी मृत्यु रोजगार के दौरान चोट के परिणामस्वरूप, अर्थात्: -

(क) बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, आश्रित हितलाभ उसकी विधवा, बच्चों और विधवा माँ को निम्नानुसार देय होगा, अर्थात्: -

- (i) विधवा को आजीवन, पुनर्विवाह करने तक, पूर्ण दर के तीन बटे पांच के बराबर राशि और, यदि दो या अधिक विधवाएं हैं, तो विधवा को देय राशि विधवाओं के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी;
- (ii) प्रत्येक वैध या दत्तक पुत्र को, पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पूर्ण दर के दो-पांचवें के बराबर राशि:

परंतु एक वैध या दत्तक पुत्र के मामले में जो अक्षम है और जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूरी तरह से निर्भर है, आश्रितजन हितलाभ का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि अक्षमता बनी रहती है;

(iii) प्रत्येक वैध या दत्तक अविवाहित पुत्री को पूर्ण दर के दो-पांचवें के बराबर राशि:

परंतु वैध या दत्तक पुत्री के मामले में जो अक्षम है और बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की आय पर पूरी तरह निर्भर है, आश्रितजन हितलाभ का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि अक्षमता बनी रहती है;

(iv) विधवा मां को जीवन भर पूरी दर के दो-पांचवें हिस्से के बराबर राशि।

परंतु यह और कि यदि पूर्वोक्त रूप में मृतक व्यक्ति की विधवा और वैध या दत्तक बच्चों और विधवा माता के बीच वितरित आश्रितजन हितलाभ का कुल योग किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, ताकि उन्हें देय कुल राशि पूर्ण दर निःशक्तता हितलाभ की राशि से अधिक न हो।

(ख) यदि मृतक व्यक्ति की विधवा या वैध या दत्तक बच्चे या विधवा मां नहीं है, तो आश्रितजन के हितलाभ अन्य आश्रितों को निम्नानुसार देय होंगे, अर्थात्:-

- (i) विधुर को आजीवन, पुनर्विवाह करने तक, पूर्ण दर के तीन बटे पांच के बराबर कोई राशि;
- (ii) विधवा माता या दादा-दादी के अलावा किसी अन्य माता-पिता को, जीवन भर के लिए, पूर्ण दर के दो बटे पांच के बराबर राशि पर और यदि दो या अधिक माता-पिता (विधवा माता के अलावा) या दादा-दादी हैं तो माता-पिता को देय राशि (विधवा माता को छोड़कर) या दादा-दादी जैसा कि पूर्वोक्त है, उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी;
- (iii) किसी अन्य को -

(क) पुरुष आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता,

(ख) महिला आश्रित, जब तक वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या विवाह तक, जो भी पहले हो या यदि विधवा हो, तब तक जब तक कि वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करती या पुनर्विवाह नहीं कर लेती, जो भी पहले हो,

पूर्ण दर के दो बटे दस के बराबर राशि पर :

परंतु यदि उपखंड (ii) के अधीन एक से अधिक आश्रित हैं, तो इस उप-नियम के अधीन देय राशि को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा;

परंतु यह भी कि यदि धारा (ख) के अधीन मृतक व्यक्ति के अन्य आश्रितों के बीच वितरित आश्रितजन हितलाभों का कुल योग किसी भी समय पूर्ण दर से अधिक हो जाता है, तो प्रत्येक आश्रित का हिस्सा आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें देय कुल राशि पूर्ण दर पर देय निःशक्तता हितलाभ की राशि से अधिक न हो।

(7) आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर उस हितलाभ अवधि के तदनु रूप अंशदान अवधि में मानक हितलाभ दर का नब्बे प्रतिशत होगी जिसमें रोजगार के दौरान चोट लगती है:

परंतु जहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में पहली हितलाभ अवधि शुरू होने से पहले रोजगार के दौरान चोट लगती है, आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर होगी -

- (i) जहाँ किसी व्यक्ति को उस अंशदान अवधि के पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति के बाद, जिसमें चोट लगी हो, रोजगार के दौरान चोट लगती है, वहाँ उस मजदूरी अवधि के दौरान उसकी औसत दैनिक मजदूरी का नब्बे प्रतिशत, जिसे अगले ऊँचे रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा;
- (ii) जहाँ किसी व्यक्ति को उस अंशदान अवधि के पहली मजदूरी अवधि की समाप्ति से पहले ही काम के दौरान चोट लग जाती है, जिसमें वह चोट लगी हो, तो उसे वास्तव में अर्जित वेतन का नब्बे प्रतिशत, या वह वेतन जो उसे दुर्घटना के दिन पूरे दिन काम करने पर मिलता, दिया जाएगा, अगले उच्च रुपये के लिए पूर्णांकित किया जाता है:

परंतु मृतक कर्मचारी के सभी पात्र आश्रितों को देय आश्रितजन हितलाभ के आवधिक मासिक भुगतान की न्यूनतम कुल राशि, निगम द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(8) किसी भी समय जब इसकी निधि अनुमति देती है, निगम, संहिता के अधीन स्वीकार्य किसी भी हितलाभ के पैमाने और जिस अवधि के लिए ऐसा हितलाभ दिया जा सकता है, की समीक्षा और परिवर्तन कर सकेगा।

23. चिकित्सा अपील अधिकरण में अपील- (1) यदि बीमाकृत व्यक्ति या निगम चिकित्सा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो बीमाकृत व्यक्ति या निगम, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्णय के विरुद्ध धारा 37 की उप-धारा (7) में संदर्भित चिकित्सा अपील अधिकरण में उक्त निर्णय के सूचित होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके अपील कर सकेगा:

परंतु चिकित्सा अपील अधिकरण नब्बे दिनों की अवधि के बाद आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के निर्दिष्ट रूप में होगा।

(3) चिकित्सा अपील अधिकरण के अध्यक्ष को आवेदन स्पीड पोस्ट (रजिस्ट्रीकरण सहित) द्वारा भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

24. कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील- (1) बीमाकृत व्यक्ति या निगम, जैसा भी मामला हो, चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपील अधिकरण के निर्णय के सूचित होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परंतु कर्मचारी बीमा न्यायालय नब्बे दिनों की अवधि के बाद आवेदन पर विचार कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के पर्याप्त कारण थे।

(2) कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने में पालन किये जाने वाले प्ररूप और रीति के संबंध में संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगे।

25. बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार के चिकित्सा हितलाभ के दावे के लिए अर्हता और अन्य शर्तें— (1) कोई व्यक्ति किसी भी अवधि के दौरान चिकित्सा लाभ का हकदार होगा जिसके लिए उसके संबंध में अंशदान का भुगतान किया जाता है या भुगतान किए जाने योग्य है या जिसमें वह बीमारी हितलाभ या मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए पात्र है।

(2) कोई व्यक्ति जो निःशक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहा है, वह चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, जबकि वह ऐसा हितलाभ प्राप्त कर रहा है।

परंतु निःशक्तता को स्थायी निःशक्तता के रूप में घोषित कर दिए जाने के बाद, व्यक्ति चिकित्सा हितलाभ का हकदार नहीं होगा, यदि वह अन्यथा ऐसे हितलाभ का हकदार नहीं है, सिवाय किसी चिकित्सा उपचार के संबंध में, जो रोजगार के दौरान चोट के कारण आवश्यक हो जिससे निःशक्तता हुई हो।

(3) कोई व्यक्ति पहली बार बीमाकृत व्यक्ति बनने पर तीन मास की अवधि के लिए चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, परंतु कि ऐसा व्यक्ति तीन मास या उससे अधिक समय तक उस प्रतिष्ठान का कर्मचारी बना रहे जिसके लिए संहिता का अध्याय 4 लागू होने पर, वह तदनुसारी हितलाभ अवधि की शुरुआत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

(4) जिस व्यक्ति के संबंध में अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान किया गया है, वह संबंधित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो पहली बार संहिता के अर्थ के भीतर कर्मचारी बनता है, और जिसके लिए 156 दिनों से कम अंशदायी अवधि उपलब्ध है, वह संबंधित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा यदि उसके संबंध में अंशदान ऐसी अंशदान अवधि में काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या के आधे से कम के लिए देय नहीं था।

(5) जब कोई व्यक्ति नियम 22 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के उपबंध और धारा 157 के अधीन विषय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमारी हितलाभ के विस्तार के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो वह प्रासंगिक विस्तारित लाभ अवधि के अंत तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा।

(6) कोई बीमाकृत व्यक्ति, जिसकी चिकित्सा हितलाभ की हकदारी इस नियम के अधीन समाप्त हो गई है, फिर से एक कर्मचारी के रूप में अपने पुनः नियोजन की तारीख से संहिता के अध्याय IV के अधीन इस तरह के उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट पोर्टल पर उस स्थापना द्वारा रजिस्ट्रीकरण पर तुरंत चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा, जिस पर कोड लागू होता है और ऐसा बीमाकृत व्यक्ति, जब तक कि वह उप-नियम (4) या (5) द्वारा व्याप्ति नहीं किया जाता है, तब तक चिकित्सा हितलाभ का हकदार होगा जब तक कि अंशदान अवधि के अनुरूप हितलाभ अवधि शुरू नहीं हो जाती, जिसमें उसे पुनर्नियोजित किया जाता है।

(7) बीमाकृत व्यक्ति का परिवार उस तारीख से चिकित्सा हितलाभ का हकदार हो जाएगा, जो निगम द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जा सकेगी और तब तक उसका हकदार बना रहेगा, जब तक बीमाकृत व्यक्ति स्वयं के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार है, या बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उस तारीख तक जब तक बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा देखभाल का हकदार होता, यदि वह जीवित रहता।

(8) बीमाकृत व्यक्ति और उसका परिवार केवल उसी प्रकार के और उसी पैमाने पर चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जो यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम प्रदान करें और बीमाकृत व्यक्ति या उसके परिवार को आबंटित डिस्पेंसरी, अस्पताल, क्लिनिक या अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा उपचारों या जैसा कि धारा 157 के

अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकेगा, के अतिरिक्त किसी भी चिकित्सा उपचार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) इन नियमों में कोई बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिवार को किसी भी चिकित्सा उपचार के संबंध में किए गए किसी भी खर्च के लिए निगम से प्रतिपूर्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(10) बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार के दौरान चोट के कारण स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहता है, वह उप नियम (8) के अधीन प्रदान किए जाने वाले पैमाने पर अपने और अपने जीवन साथी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने का निम्नानुसार पात्र होगा-

(i) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह रोजगार के दौरान चोट से उत्पन्न स्थायी निःशक्तता के कारण बीमा योग्य रोजगार में नहीं रहा है और यह प्रमाण निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की संतुष्टि और पद्धति के अनुसार होगा;

(ii) निगम के संबंधित कार्यालय को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से एक बार में एक वर्ष के लिए पचास रुपये प्रति मास की अग्रिम एकमुश्त राशि के अंशदान का भुगतान; और

(iii) दिव्यांग बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उप नियम (8) में दिए गए पैमाने पर उनका जीवनसाथी चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो खंड (ii) में निर्दिष्ट योगदान के भुगतान के अधीन होगा।

(11) बीमित व्यक्ति की यथा स्थिति विधवा या विधुर, जो आश्रित लाभ प्राप्त कर रहा/रही है, उप-नियम (8) में निर्धारित स्तर के अनुसार चिकित्सीय हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा/होगी, परंतु वह निगम के संबंधित अधिकारी को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रति मास पचास रुपये की दर से एक वर्ष के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान का भुगतान करे।

(12) नियोक्ता उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 में उपबंधित पैमाने पर निगम के माध्यम से उसके स्वयं के औषधालयों या अस्पतालों से चालीस वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में निःशुल्क वार्षिक चिकित्सा जांच की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

26. कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी- (1) राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी (जिसे इसमें इसके पश्चात सोसाइटी कहा गया है) के रूप में ऐसे संगठन की स्थापना कर सकेगी, जो धारा 40 की उप धारा (5) के नियमों के अनुसार एक प्रबंधकीय और स्वास्थ्य देखभाल निकाय के रूप में कार्य करेगा।

(2) सोसायटी में शासी निकाय, कार्यकारी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय शामिल होंगे।

(3) सोसायटी को राज्य विशिष्ट सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या राज्य विशिष्ट लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(4) सोसायटी के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

- (i) राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में;
- (ii) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (श्रम या स्वास्थ्य) जो कोई भी उपाध्यक्ष के रूप में राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं की देखरेख कर रहा हो;
- (iii) खंड (ii) के अधीन सदस्य के रूप में नियुक्त के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (स्वास्थ्य या श्रम);
- (iv) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (वित्त) सदस्य के रूप में;
- (v) निर्देशक, राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव के रूप में;
- (vi) सदस्य के रूप में निगम का नामनिर्दिष्ट;
- (vii) निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट तीन नियोक्ता प्रतिनिधि;

- (viii) निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट तीन कर्मचारी प्रतिनिधि;
- (ix) क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम सदस्य के रूप में;
- (x) राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम या निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।

(5) सोसायटी के मामलों का प्रबंधन शासी निकाय को सौंपा जाएगा और सोसायटी की संपत्ति शासी निकाय में निहित होगी और सोसायटी के कब्जे में संपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए सोसायटी जिम्मेदार होगी और जो शासी निकाय में निहित है।

(6) सोसाइटी की एक कार्यकारी समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर शासी निकाय की ओर से कार्य करेगी और कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

- (i) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (श्रम या स्वास्थ्य) जो अध्यक्ष के रूप में राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय की देखरेख करते हैं;
- (ii) उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (स्वास्थ्य या श्रम);
- (iii) अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (वित्त), सदस्य के रूप में,
- (iv) राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय के मुख्य निदेशक, सदस्य के रूप में,
- (v) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक, सदस्य के रूप में;
- (vi) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राज्य चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी;
- (vii) एक नियोक्ता प्रतिनिधि, सदस्य के रूप में;
- (viii) सदस्य के रूप में एक कर्मचारी प्रतिनिधि;
- (ix) निदेशक, राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सदस्य सचिव होंगे।

(7) शासी निकाय या कार्यकारी समिति के सदस्यों के भरे हुए पदों में से एक तिहाई या कम से कम तीन, जो भी अधिक हो, उनकी बैठक के लिए गणपूर्ति करेगा और बैठक से पहले निर्णय के लिए आने वाला प्रत्येक मामला, यथा स्थिति शासी निकाय या कार्यकारी समिति, बैठक के समय उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा तय किया जाएगा और मतों की समानता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त निर्णायक वोट होगा।

(8) शासी निकाय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा और कार्यकारी समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(9) अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, यथास्थिति, शासी निकाय या कार्यकारी समिति का उपाध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(10) सोसायटी एक सचिवालय स्थापित करेगी जो सोसायटी की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

(11) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शासी निकाय द्वारा सोसाइटी की ओर से ऐसे अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा जैसा कि वह राज्य सरकार के मानदंडों के अधीन, सोसाइटी के कार्यों के संचालन में उचित समझे।

(12) सोसायटी प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर तक अपना बजट प्रस्तुत करेगी और सोसायटी के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(13) सोसायटी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

(14) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण वर्ष की 31 मई तक तैयार किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर वार्षिक लेखा के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट निगम को प्रस्तुत की जाएगी।

(15) सोसायटी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए अधिकृत किसी अनुसूचित बैंक में खाता खोला जाएगा और सोसाइटी भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा में अनुदान, दान, अंशदान, सदस्यता, वसीयत, शुल्क, ऋण या अन्य आकस्मिकताएं नकदी में लेने की हकदार होगी परंतु उसका सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त हुआ हो।

(16) सोसायटी के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और कोई भी गैर-सरकारी सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में दो से अधिक कार्यकाल के लिए, हकदार नहीं होगा।

(17) संबंधित मामले के संदर्भ में, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य सदस्यों के नाम से मुकदमा या नाम पर मुकदमा चलाया जा सकेगा, जो भी इस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(18) सोसायटी राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्रीय सरकार या निगम से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को नियुक्त करेगी और उनकी पेंशन संबंधी देनदारियां, यदि कोई हो, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों के पास होंगी।

(19) सोसाइटी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निगम द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य गतिविधि को निष्पादित करेगी।

(20) शासी निकाय के गैर-सरकारी सदस्यों और समिति की कार्यकारी समिति को वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 में पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता की अनुमति दी जाएगी।

27. कर्मचारी को देय लाभ का पूंजीकृत मूल्य - स्थायी दिव्यांगता हितलाभ और आश्रित हितलाभ के पूंजीकृत मूल्य की गणना धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों के तहत आश्रित या बीमाकृत व्यक्ति की आयु के आधार पर हितलाभ की दैनिक दर को गुणन कारक से गुणा करके की जाएगी।

28. अन्य लाभार्थियों के लिए योजना के संचालन के लिए नियम और शर्तें - धारा 44 के अधीन अन्य लाभार्थियों के लिए योजना के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें, जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा और उपयोगकर्ता शुल्क निगम द्वारा समय-समय पर पूर्व अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा।

29. कर्मचारी बीमा न्यायालय, आदि के समक्ष कार्यवाही - कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही यथा स्थिति निगम या पीडित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के नियोक्ता, के आवेदन पर शुरू की जाएगी।

(2) संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों और उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में स्थापित की जाएगी जिसमें बीमाकृत व्यक्ति काम कर रहा था, जिस समय प्रश्न या विवाद उत्पन्न हुआ है।

(3) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले को उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकेगा, तो वह इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अध्याय 4 के अधीन हो सकेगा, ऐसे मामले के निपटान के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देगा और उस मामले से संबंधित अभिलेखों को तत्काल ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित करेगा।

(4) राज्य सरकार राज्य में किसी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को उस राज्य की राज्य सरकार की सहमति से किसी अन्य राज्य में किसी ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकती है।

(5) जिस न्यायालय को उप-नियम (3) या उप-नियम (4) के अधीन कोई मामला स्थानांतरित किया जाता है, वह कार्यवाही जारी रखेगा, आगे उस चरण से आगे बढ़कर, जैसे कि वे मूल रूप से इसमें स्थापित किए गए थे।

30. निधि का प्रबंधन -(1) कर्मचारी राज्य बीमा कोष को अर्जित या देय सभी धन निगम के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो इस संबंध में प्राधिकृत हो सकेगा और इस तरह प्राप्त राशि को धारा 157 के अधीन बनाए गए विनियमों

में विनिर्दिष्ट अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रसीद द्वारा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंकों में इस तरह के फंड के खाते में जमा किया जाएगा:

परंतु निधि जमा करने के लिए बैंक, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए प्राधिकृत कोई अनुसूचित बैंक होगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, - (क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई समरूपी नया बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई समरूपी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूचित बैंक" से कोई अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है जिसे धारा 42 में विनिर्दिष्ट किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ग) "सरकारी एजेंसी व्यवसाय के लिए प्राधिकृत बैंक" से समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार वित्त मंत्रालय वय्य विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या एस-11021/1(20)/आरएलआई/2008/आरबीडी/2018, दिनांक 7 दिसंबर, 2016 द्वारा अधिसूचित बैंक अभिप्रेत है।

(2) (क) निगम को प्राप्त या देय सभी धन ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित बैंक या बैंकों को जमा किए जाएंगे और किसी भी उद्देश्य के लिए सीधे उपयोग नहीं किए जाएंगे;

(ख) ऐसे बैंक या बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक कैलेंडर मास की समाप्ति पर निगम को, या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को, उस मास के दौरान निधि में जमा की गई और उससे निकाली गई राशियों का विवरण प्रस्तुत करें; तथा महानिदेशक द्वारा इन विवरणों की जांच उस अवधि की समाप्ति के दो मास के भीतर की जाएगी जिससे वह विवरण संबंधित है।

(3) (क) निधि के लेखाओं ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रचालित किए जाएंगे जो निगम के अनुमोदन से स्थायी समिति द्वारा प्राधिकृत किए जा सकेंगे।

(ख) बैंक या बैंकों द्वारा निधि से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चेक के जो खंड (क) के अधीन प्राधिकृत किए जा सकते हैं।

(ग) एक हजार रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पूर्वोक्त के रूप में हस्ताक्षरित चेक के माध्यम से किया जाएगा, और किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थायी समिति या निगम द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न हो।

(घ) निधि से कोई भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यय को वर्तमान बजट अनुदान द्वारा उल्लेखित नहीं किया जाता है:

परंतु वर्तमान बजट अनुदान की अभाव में, निगम या तो आम तौर पर या किसी विशेष मामले के लिए भुगतान को अधिकृत कर सकेगा:

परंतु संहिता के उपबंधों के अधीन बीमाकृत व्यक्तियों को हितलाभों का भुगतान और विधिवत संस्वीकृत पदों के वेतन और भत्तों का भुगतान से स्वीकृत बजट अनुदान के अभाव में नहीं रोका जाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्राधिकृत करने से पहले, वह स्वयं को संतुष्ट करेगा कि जिस राशि के लिए चेक निकाला गया है वह—

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत किसी उद्देश्य या कार्य के लिए आवश्यक और वर्तमान बजट अनुदान द्वारा उल्लेखित किए गए हों; और

(ii) धारा 26 के अधीन विनिर्दिष्ट और संदर्भित किसी भी भुगतान के लिए आवश्यक हो।

(5) (क) अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले 31 मार्च के दिन समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निगम का बजट प्राकलन निगम के वित्त आयुक्त द्वारा ऐसे रूप में तैयार किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर

निदेश दे और पिछले वर्ष के फरवरी के पहले दिन से पहले आयोजित की जाने वाली स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए महानिदेशक द्वारा स्थायी समिति को अपनी अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) बजट प्राक्कलन की एक प्रति स्थायी समिति या निगम की बैठक से कम-से-कम सात दिन पहले स्थायी समिति और निगम के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी, जिस पर इस प्राक्कलन पर विचार किया जाना है।

(ग) स्थायी समिति बजट प्राक्कलन पर ऐसे परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदित करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(घ) स्थायी समिति द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन को पिछले वर्ष के फरवरी के 20वें दिन से पहले आयोजित की जाने वाली निगम की बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

(ङ) निगम द्वारा पारित बजट प्राक्कलन को निगम की सामान्य मुहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा और इसे धारा 117 के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो अगले मार्च के पहले दिन के बाद नहीं होना चाहिए।

(च) केन्द्रीय सरकार बजट प्राक्कलन में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जिन्हें अनुमोदन से पहले आवश्यक समझा जाए।

(छ) निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्राक्कलन को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उस वित्तीय वर्ष से पहले के मार्च के मास में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिससे प्राक्कलन संबंधित हैं।

(6) निगम की स्थायी समिति एक अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करके निगम को प्रस्तुत करे, यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और अधिक व्यय किए जाने की संभावना है और ऐसे प्रत्येक अनुपूरक प्राक्कलन पर निगम द्वारा विचार किया जाएगा और संस्वीकृत किया जाएगा तथा उसे उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष मूल वार्षिक प्राक्कलन की तरह ही प्रस्तुत किया जाएगा, संबंधित वित्तीय वर्ष के फरवरी के 15 वें दिन से पहले, तथा उप-नियम (5) के उपबंधों, जहां तक हो सके, ऐसे पूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।

(7) (क) यदि महानिदेशक को वर्ष के दौरान यह पता चलता है कि किसी शीर्ष के अधीन संस्वीकृत बजट प्राक्कलन पर अधिक व्यय होने की संभावना है, तो वे किसी अन्य शीर्ष के अधीन संभावित बचत का पता करने और पुनर्विनियोजन करने के उद्देश्य से बजट प्राक्कलन के प्रत्येक शीर्ष के अधीन आवंटन की जांच करेंगे और जहां इस तरह के पुनर्विनियोजन व्यवहार्य हैं, वे ऐसी शर्तों के अधीन पुनर्विनियोजन को मंजूरी दे सकेंगे जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सवाय बजट प्राक्कलन में विचार नहीं की गई नई सेवा पर व्यय को पूरा करने के लिए निधि को फिर से विनियोजित नहीं किया जाएगा।

(ग) प्रशासनिक खर्चों के लिए संस्वीकृत अनुदान, जिसका दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, और किसी अन्य व्यय के लिए संस्वीकृत अनुदान के बीच किसी भी पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय 5

उपदान

31. अवयस्कों के लाभ हेतु निवेशित उपदान- नामनिर्दिष्ट व्यक्तिया उत्तराधिकारी, जो अव्यस्क है, के मामले में, धारा 53 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में ऐसे अव्यस्क के हितलाभ के लिए नियोक्ता द्वारा उसके पास जमा की गई उपदान राशि का निवेश करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों हेतु, "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक संबंधित नया बैंक अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक संबंधित नया बैंक है।

32. नामांकन, नया नामांकन और आशोधन—(1) नामांकन प्ररूप 3 में होगा और कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दो प्रतियों में या तो व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से, उचित रसीद प्राप्त करने के पश्चात, अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) किसी कर्मचारी के मामले में, जो पहले से ही इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए रोजगार में है, लेकिन आमतौर पर, ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर नामांकन प्रस्तुत नहीं करता है, सामान्यतया, ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर; और

(ii) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो इन नियमों के लागू होने की तारीख के पश्चात एक वर्ष की सेवा पूर्ण करता है, सामान्यतः एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने के नब्बे दिनों के भीतर:

परंतु प्ररूप 3 में नामांकन निर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि दाखिल किया जाता है एवं इस तरह से स्वीकार किया गया कोई नामांकन केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह निर्दिष्ट अवधि के बाद फाइल किया गया था।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप 3 में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता कर्मचारी का सेवा विवरण प्राप्त करेगा, जैसा कि नामांकन प्ररूप में उल्लेख किया गया है, स्थापना के रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा और कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा, इसकी रसीद प्राप्त करने के बाद, प्ररूप 3 में नामांकन की अनुलिपि प्रति या तो नियोक्ता द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा, विधिवत रूप से सत्यापित की जाएगी, नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के प्रतीक के रूप में और नामांकन की दूसरी प्रति रख ली जाएगी।

परंतु नामांकन प्ररूप भरते समय कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आधार का विवरण प्रदान किया जाएगा।

(3) कोई कर्मचारी जिसका नामांकन करते समय कोई परिवार नहीं है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से परिवार होने के नब्बे दिनों के भीतर, धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन आवश्यक रूप से एक नया नामांकन, नियोक्ता को प्ररूप 3 में प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए थे।

(4) नामांकन में संशोधन की सूचना, जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां नामनिर्दिष्ट व्यक्ति कर्मचारी से पूर्व मृतक हो जाता है, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके से नियोक्ता को प्ररूप 3 में डुप्लिकेट में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन बनाए गए थे।

(5) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन में संशोधन की सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी अथवा निरक्षर होने की स्थिति में, दो सक्षम गवाहों की उपस्थिति में उसका अंगूठा निशान लगाया जाएगा। ये गवाह नामांकन, नए नामांकन या नामांकन में संशोधन की सूचना, जो भी लागू हो, में इस आशय की एक घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इसे कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) नामांकन, नया नामांकन या नामांकन के आशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा इसकी प्राप्ति तारीख से प्रभावी होगी।

33. उपदान एवं अपील इत्यादि हेतु आवेदन,— (1) (क) कोई कर्मचारी जो कोड के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र है, या कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, लिखित रूप में, उसकी ओर से कार्य करने के लिए, आमतौर पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा, जिस तारीख से उपदान देय हो गया था:

परंतु जहां किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी नियोक्ता को सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिनों से पूर्व आवेदन कर सकेगा:

परंतु इसके अतिरिक्त कर्मचारी एक निश्चित अवधि के रोजगार के आधार पर उपदान हेतु पात्र होगा, यदि वह अनुबंध के अधीन कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए और बाद की अवधि के लिए छह मास तथा उससे अधिक, लेकिन एक वर्ष से कम की अवधि हेतु सेवा प्रदान करता है, तो उसे एक अतिरिक्त वर्ष हेतु पूर्णांकित किया जाएगा।

(ख) धारा 53 की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र किसी कर्मचारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, सामान्यतः उसे उपदान देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन किया जाएगा:

परंतु सादे कागज में संबंधित विवरणों के साथ भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा और नियोक्ता ऐसे अन्य विवरण भी प्राप्त कर सकेगा, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(ग) कर्मचारी का कोई उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपदान के भुगतान हेतु पात्र है, आमतौर पर उपदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर जो उसे देय हो गया था, नियोक्ता को प्ररूप 4 में आवेदन करेगा:

(घ) जहां इन नियमों के प्रारंभ से पहले कोड के अधीन ग्रेच्युटी देय हो जाती है, खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सीमा की अवधि को ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रभावी माना जाएगा;

(ङ) इस नियम में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात दायर उपदान के भुगतान हेतु आवेदन पर भी नियोक्ता द्वारा विचार किया जाएगा, यदि आवेदक दावा करने में देरी का पर्याप्त कारण बताता है एवं कोड के अधीन उपदान हेतु कोई भी दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि दावेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा है और इस संबंध में किसी भी विवाद को सक्षम प्राधिकारी को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

(च) इस नियम के अधीन एक आवेदन नियोक्ता को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) (क) उपदान के भुगतान के लिए उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता, -

(i) यदि दावा सत्यापन करने पर स्वीकार्य है, तो आवेदन प्राप्ति तारीख के तीसवें दिन के अंदर भुगतान के लिए देय उपदान की राशि को निर्दिष्ट एवं तारीख निर्धारित करते हुए आवेदक कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, को प्ररूप 5 में एक नोटिस जारी करें अथवा

(ii) यदि उपदान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं है, तो उपदान के लिए दावे को स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को बताते हुए आवेदक कर्मचारी, यथा स्थिति नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या कानूनी वारिस, को प्ररूप 5 में एक नोटिस जारी करे तथा सक्षम प्राधिकारी को नोटिस की एक प्रति पृष्ठांकित करे।

(ख) यदि उपदान का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किया जाना शेष है, तो खंड (क) उप-नियम (2) के उप-खंड (i) के अधीन प्ररूप 5 में नोटिस में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से निर्धारित की जाएगी, यदि इस संबंध में एक लिखित आवेदन में आदाता द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसके लिए निर्दिष्ट तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।

(ग) यदि उपदान का दावेदार, कोई नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी है तो नियोक्ता ऐसे गवाह या साक्ष्य की मांग कर सकेगा जिसे यथा स्थिति उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे को कायम रखने के लिए प्रासंगिक समझा जा सकेगा और उस मामले में, उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा उस तारीख से प्रभावी होगी जब नियोक्ता द्वारा मांगे गए ऐसे गवाह या साक्ष्य, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) प्ररूप 5 में एक सूचना आवेदक को या तो रसीद लेने के पश्चात व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से, अथवा स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील की जाएगी।

(ङ) धारा 56 की उप-धारा (2) के अधीन एक नोटिस प्ररूप 5 में होगा।

(3) संहिता के अधीन देय उपदान का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पात्र कर्मचारी, यथा स्थिति, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी, के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा।

(4) (क) यदि कोई नियोक्ता-

(i) नियम 32 के अधीन नामांकन स्वीकार करने या उप-नियम (1) के अधीन दायर किए जाने के लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करने से इनकार करता है; या

(ii) उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन नोटिस जारी करता है या तो उपदान की राशि निर्दिष्ट करता है जिसे आवेदक द्वारा देय राशि से कम माना जाता है या उपदान के भुगतान की पात्रता को अस्वीकार करता है; या

(iii) उप-नियम (1) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने के बाद, उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर उप-नियम (2) के अधीन आवश्यक नोटिस जारी करने में विफल रहता है,

तो दावेदार कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी, आवेदन के कारण की घटना के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, उप-धारा के अधीन निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप 6 में आवेदन कर सकेगा (5) धारा 56 की उतनी ही अतिरिक्त प्रतियों के साथ जितने विरोधी पक्ष हैं:

परंतु सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के अधीन किसी भी आवेदन को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर स्वीकार करे।

(ख) खंड (क) के अधीन आवेदन और ऐसे आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे।

(5) (क) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप 7 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) पावती देय द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सूचना जारी करके, आवेदक और नियोक्ता दोनों को एक विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर, स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आभासी (वर्चुअल) मोड या अन्यथा, सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ उपस्थित होने के लिए बुलाएगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी नियोक्ता या कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्य करना चाहता है, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी को नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसकी ओर से वह मामले में, अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए एक लिखित बयान के साथ कार्य करना चाहता है और कार्य करने के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना करता है और सक्षम प्राधिकारी उस पर या तो उसकी मंजूरी के अनुसार या निर्दिष्ट करने के लिए, अनुदान देने से इनकार करने के मामले में एक आदेश दर्ज करेगा। अनुमति के लिए प्रार्थना की, मना करने के कारणों के लिए।

(ग) किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत होने वाला पक्षकार, प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध रहेगा।

(घ) खंड (क) के अधीन निर्धारित तारीख(ओं) पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या इस तरह के और साक्ष्य के बाद, दस्तावेजों की जांच, साक्षियों, सुनवाई और जांच, जैसा आवश्यक समझा जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी अपने निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को राशि देय है और निष्कर्ष की एक प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी।

परंतु शर्त यह है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर उपदान के आवेदन का निपटान करेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(ङ) यदि संबंधित नियोक्ता पर्याप्त कारण के बिना नोटिस की उचित प्रेषण के बाद सुनवाई की निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को एक पक्षीय सुनवाई और निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा; और यदि आवेदक पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परंतु खंड (ङ) के अधीन दिए गए आदेश की, उक्त आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर उचित कारण दिखाए जाने पर, समीक्षा की जा सकेगी और आवेदन की पुनः सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख की सूचना विपक्षी पार्टी को कम से कम चौदह दिन पूर्व देने के पश्चात आवेदन पर पुनः सुनवाई की जा सकेगी (6) सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी जो वह नियत करें और वह पक्षों को इस तरह से सूचित करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(6) सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी जो वह निर्धारित करे और वह इसकी सूचना पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रदान करेगा।

(7) सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में, उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो सक्षम प्राधिकारी को उचित प्रतीत हो, प्ररूप 7 में किसी भी व्यक्ति को

या तो साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए एक निर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर समन जारी कर सकता है।

(9) (क) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश को या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा देय या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य पद्धति से प्रदान किया जा सकता है।

खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई भी सूचना, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित किसी अन्य पद्धति से प्रदान किया जा सकता है।

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए पक्षों के रूप में कई व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति किसी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हैं या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो सचिव को नोटिस दिया जाए, या जहां कोई सचिव नहीं है ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी को या अधिकृत व्यक्ति को दिया जाए जहां ऐसे व्यक्तियों के सेवार्थ उचित समझा जाएगा।

(10) (क) सक्षम प्राधिकारी धारा 56 के अधीन प्रत्येक मामले का विवरण दर्ज करेगा और आदेश पारित करते समय इस प्रकार दर्ज किए गए विवरणों पर हस्ताक्षर और तारीख दर्ज करेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्षों को भी दर्ज करेगा और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ फाइल करेगा।

(ग) किसी भी आदेश या निर्देश के रिकॉर्ड के अलावा कोई भी रिकॉर्ड, जो इन नियमों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करने के लिए आवश्यक है, सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में नियुक्त किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

(11) यदि उप-नियम (5) के खंड (घ) के अधीन यह निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि आवेदक संहिता के अधीन उपदान के भुगतान का पात्र है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित नियोक्ता को प्ररूप 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या व्यक्तिगत रूप से एक सूचना जारी करेगा, जिसमें देय राशि विनिर्दिष्ट होगी और नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए आवेदक को उसका भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा और सूचना की एक प्रति, यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(12) (क) धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन अपील का ज्ञापन, केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी को, उसकी एक प्रति विपक्षी पार्टी और सक्षम प्राधिकारी को देते हुए, या तो व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील के आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।

(ग) अपील के ज्ञापन के साथ सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष की प्रमाणित प्रति और उपदान के भुगतान के लिए निर्देश संलग्न किया जाना चाहिए।

(घ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मामले के अभिलेख को अपील प्रार्थी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ङ) अपील प्राधिकारी से अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपक्षी पक्षकार अपील के ज्ञापन के प्रत्येक पैराग्राफ का अपना उत्तर, यदि कोई अतिरिक्त दलील हो तो उसके साथ, अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति अपीलकर्ता को देगा।

(च) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात अपना निर्णय दर्ज करेगा और अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति अपील के पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट (पंजीकृत) द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा भेजे गए मामले के रिकॉर्ड वापस करते हुए भेजी जाएगी:

परंतु अपील प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छः मास के भीतर उपदान के आवेदन का निपटान करेगा:

परंतु अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(छ) सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा रखे गए मामले के अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(ज) अपीली प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के अधीन आवश्यक हो तो, उपदान के भुगतान के लिए अपने निर्णय को आशोधित करेगा तथा भुगतान की आशोधित राशि को विनिर्दिष्ट करते आवेदक को उसका भुगतान करने के निदेश देते हुए संबंधित नियोक्ता को प्ररूप-8 में नोटिस जारी करेगा, नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी और उसकी प्रतिलिपि अपीलकर्ता कर्मचारी, यथा स्थिति नामती या विधिक उत्तराधिकारी, और अपीली प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(13) जहां नियोक्ता संहिता के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप नियम (11) या उप नियम (12) के अधीन जारी नोटिस, जैसी स्थिति हो, के अनुसार देय उपदान का भुगतान नहीं करता है तो संबंधित कर्मचारी, उसका यथा स्थिति नामती या विधिक उत्तराधिकारी, जिसको उपदान का भुगतान देय है, वह धारा 129 के अधीन उसकी वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-9 (दो प्रतियों में) में आवेदन कर सकेगा।

34. सक्षम प्राधिकारी की अर्हता और अनुभव – सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम मामलों का अनुभव रखने वाले अपने राजपत्रित अधिकारियों में से की जाएगी।

अध्याय 6

प्रसूति प्रसुविधा

35. प्रसूति प्रसुविधा के दावे हेतु प्रमाणपत्र और नोटिस –(1) (क) यह तथ्य कि एक महिला गर्भवती है या उसने बच्चे को जन्म दिया है या उसका गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात हुआ है या महिला नसबंदी हुई है या गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात या महिला नसबंदी के कारण उत्पन्न बीमारी से ग्रस्त है, उसे निम्नलिखित से प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर साबित किया जाएगा-

- (i) पंजीकृत चिकित्सक; या
- (ii) अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता; या
- (iii) अर्हताप्राप्त सहायक नर्स और दाई।

(ख) यह तथ्य कि महिला को प्रसव हुआ है उसे भी नगरपालिका या ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण-पत्र, तत्समय लागू किसी कानून के उपबंधों के अधीन अनुरक्षित जन्म रजिस्टर से उद्धरण सार यथा स्थिति मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या अर्हता प्राप्त सहायक नर्स एवं दाई या ग्राम प्रधान या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका का प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके साबित किया जा सकेगा।

(ग) यह तथ्य कि महिला को गर्भपात हुआ है, अर्हता प्राप्त सहायक नर्स एवं दाई द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके भी साबित किया जा सकेगा।

(घ) महिला या बच्चे की मृत्यु के तथ्य को प्ररूप-10 में इस संबंध में खंड (क) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकारी अर्थात् यथा स्थिति ग्राम प्रधान या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी, से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके या तत्समय लागू किसी कानून के उपबंधों के अधीन अनुरक्षित मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण सार प्रस्तुत करके साबित किया जा सकेगा।

(2) (क) किसी स्थापना में नियुक्त एवं मातृत्व हितलाभ की हकदार महिला अपने नियोक्ता को प्ररूप-11 में नोटिस देगी और नियोक्ता संबंधित महिला को संहिता के अधीन मातृत्व हितलाभ और अन्य कोई देय राशि का भुगतान करेगा, यामातृत्व हितलाभ या राशि की प्राप्ति के पूर्व महिला की मृत्यु हो जाती है या जहां नियोक्ता, धारा 60 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक के अधीन उक्त महिला द्वारा प्ररूप-11 में अपने नोटिस में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को और यदि उसके कानूनी प्रतिनिधि का ऐसा कोई नामनिर्दिष्ट नहीं है, को मातृत्व हितलाभ के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

परंतु नियोक्ता द्वारा अपने विवेक पर प्ररूप-11 के बदले सुसंगत विवरण सहित सादे कागज पर आवेदन स्वीकार किया जाए:

परंतु कोई दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा कि दावेदार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा।

परंतु नामांकन प्रपत्र भरते समय महिला कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के आधार का विवरण प्रदान किया जाएगा।

(ख) संशय की स्थिति में, किसी प्रतिष्ठान में नियोजित महिला को देय प्रसूति प्रसुविधा या अन्य राशि, नियोक्ता द्वारा संबंधित महिला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी, जो अपनी इच्छानुसार आवश्यक जांच करने के पश्चात्, उस व्यक्ति को इसका भुगतान करेगा, जो उसकी राय में इसे प्राप्त करने का पात्र है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच, नियोक्ता द्वारा प्रसूति प्रसुविधा जमा करने की तारीख से तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी और, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इसे तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) जब भी खंड (क) में उल्लिखित भुगतान किया जाता है, जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया है, नियोक्ता द्वारा उससे प्ररूप-11 में रसीद ली जाएगी और खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता को रसीद दी जाएगी।

(घ) चिकित्सा बोनस का भुगतान प्रसूति प्रसुविधा के साथ किया जाएगा।

(ड.) धारा 63 के अधीन देय मातृत्व हितलाभ या किसी अन्य राशि का भुगतान ऐसा हितलाभ या राशि प्राप्त करने की हकदार महिला की मृत्यु की तारीख से दो मास के भीतर किया जाएगा करने की हकदार महिला की मृत्यु के दो मास के भीतर भुगतान की जाएगी।

(च) धारा 65 के अधीन देय मजदूरी, उसके द्वारा प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटों के भीतर ऐसी मजदूरी प्राप्त करने की हकदार महिला को भुगतान की जाएगी।

36. पोषणार्थ विराम अवधि -(1) धारा 66 में उल्लिखित प्रत्येक दो विराम 15 मिनट की अवधि के होंगे, यद्यपि महिला को झुटी के दौरान, अपने बच्चों को शिशुसदन या अपने बच्चों को रखे जाने वाले स्थान पर जाने-आने में तय की गई दूरी को देखते हुए, अतिरिक्त पर्याप्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, परंतु कि उक्त अतिरिक्त अवधि 15 मिनट तक होगी।

(2) यदि ऐसी अतिरिक्त अवधि के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामले को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

37. कर्मचारी और शिशुसदन की सुविधा -(1) प्रत्येक स्थापना में जहां सामान्यतः पचास या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां ऐसे कर्मचारियों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशुसदन उपलब्ध कार्य जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) शिशु गृह में प्रकाश व्यवस्था, वायु-संचार सहित पर्याप्त आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी और साफ एवं स्वच्छता स्थिति में अनुरक्षित होंगे तथा शिशुसदन की स्थापना के लिए निम्नानुसार मानदंड होंगे-

(i) शिशु गृह, उस स्थापना के एक किलोमीटर के भीतर स्थित होगा जिस पर संहिता का अध्याय-6 लागू होता है और उन कर्मचारियों के लिए सुविधाजन्य होगा जिनके बच्चे को इसमें रहने की सुविधा दी गई है:

परंतु यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्थानीय प्राधिकरण, द्वारा अधिसूचित औद्योगिक पार्कों या औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित स्थापनाएं जहां सार्वजनिक शिशुसदन की सुविधा ऐसे औद्योगिक पार्कों या औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदान की गई हो और कर्मचारियों के लिए सुलभ हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक किलोमीटर के दायरे में अवस्थिति में छूट दी जाएगी;

(ii) शिशु गृह सुरक्षित और पनरोक भवनों में अनुरक्षित किया जाएगा;

(iii) (क) शिशु गृह में प्रत्येक शिशु के लिए आवासीय व्यवस्था दस वर्ग फीट के तल क्षेत्रफल के मापक्रम में होगी;

(ख) बच्चों के खेलने के लिए उपयुक्त रूप से घेरादार स्थान होगा;

(iv) शिशु गृह का कार्य समय कर्मचारियों के कार्य समय के अनुरूप होगा और यह पालियों में कार्य कर कर सकेगा;

- (v) प्रत्येक शिशु गृह, अर्हताप्राप्त दाई या शिशुसदन परिचारिका प्रशिक्षित महिला के प्रभार में होगा और जहां बच्चों की संख्या दस से अधिक होगी, छः वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक दस बच्चों पर एक आया की दर से महिला आया शिशुसदन परिचारिका के सहायतार्थ होंगी;
- (vi) शिशु गृह में बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में तख्त, बिस्तरे, सूती चादरें, रबड़ की शीट, कंबल, तकिए, खिलौने और ऐसी अन्य चीजें होंगी;
- (vii) (क) प्रत्येक शिशु गृह में महिला कर्मचारियों के लिए मध्यांतर के दौरान पंद्रह माह से कम उम्र के बच्चों को खाना खिलाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था होगी;
- (ख) शिशु गृह में पर्याप्त संख्या में स्नान घर, प्रसाधन, वाश बेसिन, साफ तौलिये और साबुन की व्यवस्था की जाएगी;
- (ग) शिशु गृह में प्रशिक्षित महिला कर्मियों के पर्यवेक्षण में उचित स्थिति में प्राथमिक उपचार की सुविधा होगी;
- (घ) दूध उबालने, अल्पाहार तैयार करने और ऐसी अन्य चीजों के लिए बर्तनों और अन्य सुविधाओं सहित शिशुसदन से संबद्ध रसोई घर होगा; और
- (ङ.) शिशु गृह में बच्चों के लिए पीने का पानी, दूध और पौष्टिक अल्पाहार उपलब्ध होगा।

(viii) (क) किसी भी स्थापना में जहां औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की उप-धारा (2) या (3) के अधीन एकमात्र वार्ताकारी संघ है या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन एक वार्ताकारी परिषद है, तब इस तरह के यथा स्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, स्थापना के नियोक्ता के साथ एक करार कर सकते हैं कि धारा 67 के अधीन क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि महिलाएं या विधुर या एकल अभिभावक, जिनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और क्रेच सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और यदि प्रदान नहीं की जाती है, तो ऐसे कर्मचारी को उस स्थापना द्वारा हर महीनेक्रेच भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(ख) जहां उपखंड (क) में उल्लिखित कोई एकमात्र वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां स्थापना के अधिकांश कर्मचारी स्थापना के नियोक्ता के साथ एक करार कर सकेगा कि धारा 67 के अधीन क्रेच सुविधा प्रदान की जाएगी, यदि महिलाएं या विधुर या एकल अभिभावक कर्मचारी, जिनके छह वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और क्रेच सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और यदि प्रदान नहीं की जाती है, तब ऐसे कर्मचारी को उस प्रतिष्ठान द्वारा हर महीने क्रेच भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

परंतु, खंड (क) और इस खंड के अधीन दोनों ही स्थितियों में क्रेच भत्ते की राशि प्रति शिशु पांच सौ रुपये प्रतिमाह या ऐसी राशि से कम नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए:

परंतु क्रेच भत्ता केवल दो बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा सिवाय जब दूसरे बच्चे के जन्म के कारण एक से अधिक शिशुओं का जन्म हो जाता है।

38. घोर कदाचार—(1) धारा 68 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्य घोर कदाचार की श्रेणी में आएगा, यथा:-

- (क) नियोक्ता के माल या संपत्ति का जानबूझकर विनाश;
- (ख) कार्यस्थल पर किसी भी वरिष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;
- (ग) नैतिक अधमता से जुड़े दंडनीय अपराध जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय में दोषसिद्धि हो जाए;
- (घ) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी, या बेईमानी; और

(ड) इस विषय पर सुरक्षा उपायों या नियमों का जानबूझकर पालन न करना या सुरक्षा उपकरणों के साथ या अग्निशमन उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़-छाड़ करना।

(2) (क) धारा 68 की उप-धारा (2) के अधीन प्ररूप-12 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी;

(ख) अपील लिखित रूप में की जा सकेगी तथा या तो व्यक्तिगत रूप से सौंपी जा सकेगी या किसी पंजीकृत लिफाफे अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, उस पर उसका उत्तर मांगेगा तथा तारीख निर्धारित करके अपील से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए भी कहेगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता और अपीलकर्ता से यदि आवश्यक हो, तो और अधिक ब्यौरे का पता लगा सकता है, और वह प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर विचार करेगा, यदि कोई हो, और अपना निर्णय देगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील का निपटान करेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(ड) यदि नियोक्ता विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने या अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय एक पक्षीय दे सकेगा।

39. निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के समक्ष शिकायत और अपील -(1) (क) धारा 72 की उप-धारा (1) के अधीन कोई शिकायत प्ररूप-13-क में लिखित रूप में क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) जब उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई शिकायत किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा प्राप्त की जाती है, तो वह इस संबंध में नियोक्ता द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों की जांच करेगा, प्रतिष्ठान में नियोजित किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और जांच के उद्देश्य से आवश्यक बयान दर्ज करेगा और यदि वह संतुष्ट है कि प्रसूति प्रसुविधा या किसी राशि को अनुचित रूप से रोका गया है या महिला कर्मचारी को सेवामुक्त या बर्खास्त कर दिया गया है, तो वह नियोक्ता को शिकायतकर्ता या धारा 63 के अधीन भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश देगा, और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे, जो तत्काल होगा किंतु 45 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) (क) निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के निर्णय के विरुद्ध अपील, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी।

(ख) पीडित व्यक्ति प्ररूप-13-ख में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में तथा अन्य सहायक दस्तावेजों सहित अपील करेगा।

(ग) अपील प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी सुनवाई की तारीख निर्धारित करने से पूर्व निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से मामले का रिकॉर्ड मंगाएगा। सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, पीडित व्यक्ति और निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के बयान भी दर्ज करेगा और यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो वह प्राप्त करेगा।

(घ) उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, साक्ष्यों और उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए या उसके द्वारा निर्धारित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर अपील का निपटान करेगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि को तीन महीने से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

40. निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के कर्तव्य-(1) (क) सक्षम प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर इन नियमों के पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे गए क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ग) प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता किसी स्थापना के प्रत्येक निरीक्षण पर यह जांच करेगा-

- (i) क्या धारा 62 के अधीन दिए गए प्रत्येक नोटिस पर उचित कार्रवाई की गई है;
- (ii) क्या नियम 54 में उल्लिखित महिला कर्मचारियों के रजिस्टर का सही ढंग से रखरखाव किया गया है;
- (iii) क्या पिछले निरीक्षण के बाद से धारा 68 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्वहन या बर्खास्तगी या निर्वहन या बर्खास्तगी के नोटिस का कोई मामला सामना आया है;
- (iv) क्या धारा 59 की उपधारा (1), धारा 62 की उप-धारा (5) और (6), धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 69 और धारा 71 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और क्या संहिता के संगत उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार समय के भीतर देय राशि का भुगतान कर दिया गया है;
- (v) क्या धारा 68 की उप-धारा (2) में उल्लिखित मातृत्व लाभ अथवा चिकित्सा बोनस से वंचित किए जाने के कोई मामले सामने आया है; और
- (vi) पहले के निरीक्षणों में उल्लिखित अनियमितताओं का कहां तक निवारण किया गया है और पूर्व में जारी किए गए आदेशों का कहां तक अनुपालन किया गया है;

(घ) जहां कोई निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता संहिता या नियमों के विरुद्ध कोई अनियमितता देखता है, वह नियोक्ता को लिखित रूप में एक आदेश जारी करेगा, जिसमें नियोक्ता को आदेश प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अनियमितताओं को दुरुस्त करने और निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

(2) नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर प्ररूप-10, 11, 12, 13-क और 13-ख की प्रतियों की निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध करेगा।

(3) नियम 35 के उप-नियम (2) और नियम 39 के उप-नियम (1) और (2) की कोई बात किसी महिला के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो मातृत्व लाभ या संहिता के अधीन देय किसी अन्य राशि को प्राप्त करने की हकदार है, यदि वह उक्त नियमों के अधीन यथास्थिति नोटिस, अपील या शिकायत के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट एक रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहती है।

परंतु जहां उक्त नियमों के अधीन एक नोटिस, अपील या शिकायत किसी महिला द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में मातृत्व लाभ या संहिता के अधीन देय किसी अन्य राशि को प्राप्त करने की हकदार महिला द्वारा प्रस्तुत की गई है, संबंधित प्राधिकारी, इस तरह के नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, महिला को नोटिस, तब यथा स्थिति अपील या शिकायत, ऐसे उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।

(4) संहिता के अध्याय 6 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए केन्द्रीय नियमों का सार जो धारा 71 के अधीन प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है, प्ररूप-14 में होगा, और इसे ऐसे तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा जैसी सक्षम प्राधिकारी को आवश्यकता हो।

अध्याय 7

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर

41. उपकर का संग्रहण और वापसी- (1) (क) प्रत्येक नियोक्ता, यथा स्थिति अपने कार्य के प्रारंभ होने या उपकर के भुगतान, के शुरु होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-15 में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को प्ररूप-15 में मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया जाएगा जिसमें संशोधन या परिवर्तन को प्रभावित करने की तारीख से तुरंत लेकिन तीस दिनों के बाद ऐसे संशोधनों के विवरण शामिल होंगे।

(2) (क) नियोक्ता द्वारा धारा 100 की उप-धारा (1) के अधीन लगाया गए उपकर का अग्रिम भुगतान, अनुमोदन के समय या कार्य प्रारंभ होने से पहले चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत् प्रमाणित उसके स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

(ख) निर्माण की लागत के स्व-मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, नियोक्ता प्ररूप-16 में संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्माण की दरों में समान दर पर निर्माण कार्य की लागत की गणना करेगा या ऐसे भवन या निर्माण कार्य पर लागू दरों की किसी अन्य अनुसूची अथवा जहां रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण लागू होता है वहां किसी भवन कार्य के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत रिटर्न या दस्तावेज के अनुसार दरों की गणना करेगा जो कि उस निर्दिष्ट वर्ष के लिए लागू होता है जिसमें भवन या अन्य निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी।

(ग) खंड (क) और (ख) में निहित उपबंधों के बावजूद, जहाँ स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निर्माण कार्य के अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहाँ ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा विधिवत प्रमाणित स्व-मूल्यांकन के आधार पर देय उपकर (सेस) की रकम का राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में किए गए ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाएगा।

परंतु यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो उपकर भुगतान की रकम संबंधित भवन या अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के दौरान वहन की जाने वाली निर्माण स्व-मूल्यांकन की लागत पर देय उपकर रकम के लिए हो सकेगी और देय उपकर का भुगतान आगे खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) खंड (क) और (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, जहां उपकर का उद्ग्रहण सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इस प्रकार के कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों में से अधिसूचित दरों पर देय उपकर को काटेगा या कटौती का कारण होगा। काटा गया यह उपकर संबंधित राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को इस प्रकार की कटौती की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्माण कार्य के विवरण सहित संबंधित क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को जमा किया जाएगा।

(ङ) यदि भवन या अन्य निर्माण कार्य में रुकावट या घटौती है, तो उस स्थिति में नियोक्ता या भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में ऐसी रुकावट या घटौती के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-17 में सूचना साठ दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा।

(च) भवन या अन्य निर्माण कार्य के पूरा होने पर प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक पूर्ण कार्य के साठ दिनों के भीतर मूल्यांकन अधिकारी को प्ररूप-18 में एक विवरणी प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

(छ) उपर्युक्त उल्लिखित उपबंधों के अधीन भुगतान किए गए अग्रिम उपकर को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए अंतिम मूल्यांकन आदेश में समायोजित किया जाएगा।

(3)(क) उप-नियम (2) के अधीन एकत्रित उपकर की आय, ऐसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे यथास्थिति अन्य प्राधिकरण, अथवा मूल्यांकन अधिकारी, राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार एकत्र की गई रकम को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से संग्रहण के तीस दिनों के भीतर ऐसे बोर्ड की निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

(ग) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या ऐसे कोई अन्य प्राधिकरण के संबंधित प्राधिकारियों के साथ एकत्र किए गए उपकर की रकम का आवधिक रूप से मिलान करेगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड संचयी उपकर की रकम पर तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अवधि के दौरान किए गए व्यय ऐसी अवधि और ऐसे विवरणों के लिए चाल भवन अथवा अन्य निर्माण कर्मकारों की संख्या पर केंद्रीय सरकार को प्रति भेजते हुए राज्य सरकार को अर्धवार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।

(4) (क) मूल्यांकन अधिकारी, किसी नियोक्ता से प्ररूप-18 में प्राप्त विवरण और भुगतान किए गए उपकर की जानकारी प्राप्त होने पर, ऐसी जानकारी की जांच कर सकेगा और, यदि वह इस तरह प्रस्तुत किए गए विवरणों की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो वह ऐसी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन-आदेश देगा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की रकम को इंगित करते हुए एवं इसकी प्रति नियोक्ता और उपकर-कलक्टर एवं भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को पृष्ठांकित करेगा और इस आदेश के जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा:

परंतु केवल ऐसी जांच केवल मूल्यांकन अधिकारी द्वारा ही की जाएगी जहां स्व-मूल्यांकन के आधार पर उपकर की रकम दस लाख रुपये से अधिक है:

परंतु यदि मूल्यांकन अधिकारी एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन का आदेश देने में चूक जाता है, तो स्व-मूल्यांकन को अंतिम माना जाएगा।

(ख) यह आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुरूप, देय उपकर की रकम, नियोक्ता द्वारा पहले से ही भुगतान की गई या स्रोत पर काटी गई उपकर रकम और देय शेष रकम तथा दिनांक, जिसके द्वारा उपकर का भुगतान उपकर कलक्टर को किया जाएगा को विनिर्दिष्ट करेगा।

(ग) यदि नियोक्ता द्वारा प्ररूप-18 में दी गई सूचना की संवीक्षा करने पर, मूल्यांकन अधिकारी का मत है कि नियोक्ता ने निर्माण के लागत की गणना कम की है या अवमूल्यांकन है अथवा देय उपकर की रकम की गणना कम है, वह उपकर के मूल्यांकन के लिए नियोक्ता को नोटिस जारी करेगा।

(घ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर नियोक्ता, सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों की प्रतियों के साथ मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा:

परंतु निर्धारण अधिकारी, निर्धारण की कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकता है, यदि वह अपने दावे की पुष्टि के लिए ऐसा अनुरोध करता है।

(ङ) यदि नियोक्ता खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जहां कोई नियोक्ता प्ररूप-18 में सूचना प्रस्तुत नहीं करता, तो मूल्यांकन अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों और उसकी प्रासंगिक अन्य सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करेगा।

(च) जब कार्य प्रगति पर है या निर्माण की लागत के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है उस दौरान मूल्यांकन अधिकारी किसी भी समय ऐसे अधिकारी को कार्यस्थल पर या दस्तावेजी साक्ष्य से अथवा किसी अन्य तरीके से ऐसी जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह निर्माण की लागत का यथासंभव सटीक अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे।

(5) (क) जहां नियोक्ता ने उपकर को अग्रिम रूप से जमा कर दिया है और नियोक्ता कार्यों को रोकने या उससे बाहर निकालने का निर्णय लेता है या निर्माण की योजना को संशोधित करता है जिससे किए गए निर्माण की लागत कम हो जाती है या अन्य परिस्थितियों द्वारा किए गए कार्य को पूरा करने से पहले बंद करने के लिए मजबूर है, तो वह प्ररूप 17 में जानकारी प्रस्तुत करके जिसमें काम की कटौती या रोकने संबंधी विवरण दिया गया हो, द्वारा भुगतान की गई अग्रिम उपकर की अतिरिक्त रकम की वापसी की मांग मूल्यांकन अधिकारी से कर सकेगा।

(ख) नियोक्ता से प्ररूप-17 में सूचना प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी, प्रस्तुत की गई ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की सत्यता के बारे में संतुष्ट है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर मूल्यांकन का आदेश देगा।

(ग) खंड (ख) के अनुसार प्ररूप-17 की प्राप्ति पर किए गए मूल्यांकन आदेश के पश्चात मूल्यांकन अधिकारी, जहां कहीं भी आवश्यक हो, संबंधित निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उपकर कलक्टर और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिसे वह उचित समझे, खंड (ख) के अधीन किए गए मूल्यांकन में दिए गए अतिरिक्त उपकर की वापसी करने के लिए ऐसे मूल्यांकन की एक प्रति का अनुमोदन करेगा।

(घ) राज्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, खंड (ग) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, उस प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से नियोक्ता को आदेश में विनिर्दिष्ट रकम की वापसी करेगा।

(ङ) जहां अपीलीय प्राधिकारी ने उपकर की रकम को कम करने के लिए मूल्यांकन के आदेश को संशोधित किया है, वहां वापसी उस समय के भीतर की जाएगी जो उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है अथवा खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट तरीके और समय से किया जा सकेगा।

42. उपकर और ब्याज दर के भुगतान के लिए समय-सीमा- (1) उपकर के भुगतान की तारीख वह तारीख होगी जिस पर नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (क) और (ख) के अधीन उपकर कलक्टर के पास रकम जमा की जाती है, अथवा नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (घ) के अधीन स्रोत पर कटौती की तारीख, या वह तारीख जिस पर रकम नियम 41 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के पास जमा की गई है, जैसा भी मामला हो।

(2) यदि कोई नियोक्ता धारा 100 के अधीन देय उपकर की किसी भी रकम का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसे समय के भीतर जैसा कि मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट किया जा सके, तो ऐसे नियोक्ता उपकर की रकम पर ब्याज का भुगतान करने के लिए होगा, जिसका भुगतान प्रति माह एक प्रतिशत की दर से या उसके हिस्से में नियत तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि में शामिल है।

43. शास्ति -(1) मूल्यांकन अधिकारी को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी नियोक्ता ने मूल्यांकन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उपकर का भुगतान नहीं किया है या कम उपकर का भुगतान किया है, जिसमें स्रोत पर काटे गए उपकर या अग्रिम में भुगतान किए गए उपकर शामिल हैं, तो वह ऐसे नियोक्ता को एक नोटिस जारी करेगा कि इसे बकाया माना जाएगा और आकलन अधिकारी ऐसी जांच के बाद जैसा जो उचित समझे, ऐसे नियोक्ता पर उपकर की ऐसी रकम से अनधिक का शास्ति आरोपित करेगा।

परंतु ऐसा कोई जुर्माना लगाए जाने से पहले, ऐसे नियोजक को सुनवाई का एक समुचित अवसर दिया जाना चाहिए और उस सुनवाई के बाद अगर निर्धारणकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि चूक किसी उचित कारण से हुई है तो उस नियोजक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(2) यदि नियोजक पर कोई शास्ति लगायी गयी है या उप नियम (1) में यथा उल्लिखित नियोजक पर अधिरोपित की गई शास्ति को वापस लिया गया है तो निर्धारणकर्ता अधिकारी इस संबंध में इसका कारण स्पष्ट करते हुए एक आख्यापक आदेश जारी करेगा। इस आदेश की एक प्रति नियोजक को, उपकर संग्राहक को एवं सचिव, निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् को भी पृष्ठांकित करनी होगी।

44. अपील- (1) नियम 41 के उप-नियम (4) के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश से या नियम 43 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अपील प्राधिकारी को **प्ररूप-19** में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील में *अन्य बातों के साथ साथ* निम्नांकित संलग्न होंगे -

(क) वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो

(ख) उपकर संग्राहक से प्राप्त इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि अपील से संबंधित उपकर या शास्ति या जो भी हो कि रकम जमा कर दी गई है।

परंतु अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में अधिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपीलकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर नियम 43 के अधीन जमा की जाने वाली रकम को अधित्यजन कर सकता है या कम कर सकता है।

(ग) अपील के मामले से संबंधित विवाद की रकम या शास्ति की रकम जो भी मामला हो कि रकम का आधा प्रतिशत, परंतु रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं, होनी चाहिए, का एक अप्रतिदेय फीस

(घ) विवाद के बिंदुओं से संबंधित एक विवरणी

(ङ) विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य

- (3.) अपील की प्राप्ति के उपरांत अपील अधिकारी निर्धारक अधिकारी से उसके निर्धारण की रिपोर्ट अथवा उस विवरणी जिसके विरुद्ध अपील की गई की मांग कर सकेगा, जिसे वह इस अपील के निपटान के लिए वह आवश्यक समझे।
- (4.) अपील अधिकारी इस संबंध में अपीलकर्ता को सुनावई का एक अवसर देगा और अपील का निपटान जितनी शीघ्रता से संभव होगा उतनी शीघ्रता से परंतु अपील की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 60 दिनों के अंदर करेगा।
- (5.) उपकर की मात्रा से संतुष्ट हो जाने पर अपील अधिकारी निर्धारण अधिकारी के आदेशों की संपुष्टि करेगा अथवा अगर उनके मत में निर्धारण गलत है अथवा उच्चतर निर्धारण की तरफ है, तो वह निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा अथवा अगर उनका मत निम्नतर निर्धारण की तरफ है अथवा यदि निर्धारण का आधार गलत है, तो निर्धारण आदेश को अपने अवलोकनों के साथ निर्धारक अधिकारी को इसमें सुधार हेतु लौटा देगा। परंतु, उपकर की रकम निर्धारिती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तो उसे सुनवायी का मुक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (6.) निर्धारक अधिकारी इस प्रकार उप-नियम (5) के अधीन 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी अवलोकनों के दृष्टिगत उसके द्वारा लौटाए गए आदेश का निपटान करेगा:

परंतु, उपकर की रकम निर्धारिती द्वारा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तो उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

- (7.) अगर अपील अधिकारी का यह मत है कि अधिरोपित की गई शास्ति की प्रमात्रा उच्चतर निर्धारण की ओर है अथवा सही रीति से आकलित नहीं की गयी है तो वह समुचित रीति से इसे संशोधित कर सकेगा अथवा निर्धारक अधिकारी के आदेश को परे रखते हुए, जो भी उसे सम्यक प्रतीत हो, कर सकता है।
- (8.) इस नियम के अधीन की गई अपील को एक आख्योपक आदेश द्वारा विस्तारित किया जाएगा और इस आख्यापक आदेश की प्रति को प्रत्येक को अपीलकर्ता, निर्धारक अधिकारी और सचिव, निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद को इस आदेश के जारी होने के पांच दिनों के भीतर प्रेषित की जाएगी।

- (9.) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर की रकम को घटाया गया हो, उसमें संबंधित निर्माण कार्मिक परिषद के सचिव को स्पष्ट रूप से यह अनुदेशित किया जाएगा कि वह अधिशेष उपकर की रकम अपीलकर्ता को यथा विनिर्दिष्ट समय के अनुसार वापस करे।
- (10.) अपील के ऐसे आदेश जिसमें उपकर शास्ति अथवा दोनों की रकम को बढ़ाया गया हो अथवा घटाया गया हो, जो भी हो, उसमें भी उपकर की रकम अथवा शास्ति अथवा दोनों की रकम के भुगतान अथवा वापसी की तारीख विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।
- (11.) इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

45. निर्माण कर्मकार का पंजीकरण - (1) प्रत्येक नियोक्ता या ठेकेदार ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों का, जो इस नियम के अधीन पात्र हैं और उनके मस्टर रोल पर हैं, राज्य सरकार के पोर्टल या राज्य भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पोर्टल अथवा केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर, कर्मकारों के पात्र होने के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसा पंजीकरण आधार तथा सार्वजनिक खाता सं. या केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ऐसी किसी अन्य विशिष्ट संख्या के साथ जोड़ा (सीडेड) जाएगा।

(2) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि वह नियोजकों और संविदाकारों को पात्र निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने की सुविधा के साथ एक पोर्टल मुहैया कराए। साथ ही राज्य निर्माण कार्मिक बोर्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसी अन्य पात्र कार्मिक को भी पंजीकृत कर सकेगा।

परंतु प्रत्येक ऐसा निर्माण कर्मकार जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा जो निर्माण या अन्य विनिर्माण कार्य में विगत 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों से रोजगार में रहा हो।

(3) केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल में राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अथवा नियोजक अथवा भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य संविदाकार के पास सभी पात्र निर्माण कार्मिकों के संबंध में एक सार्वजनिक खाता संख्या या ऐसा अन्य विशिष्ट संख्या उत्पन्न करने की सुविधा होगी और ये राज्य बोर्ड केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल के साथ पंजीकृत निर्माण कार्मिकों के विवरण को तिमाही अथवा उस अवधि जिसे केंद्रीय सरकार निर्धारित करे, के दौरान साझा करेंगे।

(4) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अथवा नियोजक अथवा संविदाकार पात्र निर्माण कार्मिकों के विवरणों को अद्यतन करने अथवा नवीनीकरण करने अथवा पंजीकरण करने के लिए डाक विभाग अथवा सार्वजनिक सेवा केन्द्र अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के ई-सेवा केन्द्रों अथवा ऐसे अन्य किसी एजेंसी जो राज्य सरकार अथवा राज्य निर्माण कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्मित किया गया हो के व्यापारिक सेवा संवादाताओं की सेवाओं का अनुप्रयोग कर सकते हैं।

(5) पात्र निर्माण कार्मिकों के पंजीकरण की सुविधा के लिए बोर्ड उप नियम (1) के अधीन श्रम सघन के क्षेत्रों में, जहां कहीं आवश्यक हो, कैम्प आयोजित कर सकेगा।

(6) प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कार्मिक को एक डिजिटल फोटो परिचय पत्र जारी किया जाएगा जिसमें उनके अन्य विवरण विनिर्दिष्ट होंगे जैसा कि राज्य सरकार अथवा उल्लिखित बोर्ड के द्वारा उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट हों तथा जो राज्य सरकार अथवा ऐसे अन्य बोर्ड के पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

(7) राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य कार्मिक पंजीकरण की वैध अवधि के दौरान दिए जाने वाले लाभों को पाने का हकदार होगा जो बोर्ड की निधि द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

(8) निर्माण कर्मकारों को प्रदान की जाने वाली कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण संख्या के अनुप्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का नकद सहयोग उनके खाते में सीधे अंतरण के आधार पर किया जाएगा।

(9) निर्माण कर्मकार यदि एक राज्य से दूसरे राज्या में विस्थापित होते हैं तो उस स्थिति में नियोजक अथवा संविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे निर्माण कार्मिकों से उनकी पंजीकरण संख्या प्राप्त कर राज्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर उन कार्मिकों के ऐसे नियोजक अथवा संविदाकार की उपस्थिति पंजीका में उनके कार्यग्रहण के 30 दिनों के भीतर ऐसे कार्मिकों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन करें और यदि निर्माण कार्य कार्मिक के पास विशिष्ट पंजीकरण संख्या नहीं होगी तो नियोजक अथवा संविदाकार ऐसे पात्र निर्माण कार्मिकों को उप नियम (1) के अधीन पंजीकृत करेंगे।

(10) जहां कोई निर्माण कर्मकार एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापित होता है और उप नियम (9) के अधीन उसका पंजीकरण होता है तो वह कार्मिक उन हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा जो उस राज्य के अन्य निर्माण कार्मिकों को उस राज्य के निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा देय हैं।

परंतु उस राज्य के नियोजक अथवा संविदाकार की उपस्थिति पंजीका में दर्ज पात्र निर्माण कर्मकार को इसलिए उनके हितलाभों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे नियोजक/संविदाकार ने उस राज्य के निर्दिष्ट पोर्टल पर उनके पंजीकरण को अद्यतन नहीं किया है।

(11) प्रत्येक राज्य निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(12) राज्य निर्माण कार्मिक कल्याण परिषद् निर्माण कार्मिकों की शिकायतों के निवारण के साथ-साथ उनके लिए दूरभाष हेल्प लाइन, पंजीकरण, नवीनीकरण, अद्यतन, कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने एवं उनके हस्तान्तरण के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करेगा।

46. लाभाधिकारी के हितलाभ - अगर कोई निर्माण कार्य कार्मिक 60 वर्ष की उम्र सीमा प्राप्त करने के ठीक पहले तक कम से कम लगातार तीन वर्षों तक लाभाधिकारी रहा हो तो ऐसे कर्मकारों के निमित्त हितलाभों के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी योजनाओं को तैयार करेगी जिनके अधीन उन्हें ये हितलाभ प्राप्त होंगे तथा जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित होंगी।

47. देय की वसूली और छूट - (1) इन नियमों के अधीन अप्रदत्त उपकर, ब्याज या अतिदेय भुगतान या शास्ति के कारण देय संदाय की वसूली के उद्देश्य से, निर्धारण अधिकारी स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र तैयार करेगा, जिसमें देय रकम निर्दिष्ट होगी और संबंधित जिले के वसूली अधिकारी को भेजेगा जो उक्त नियोक्ता से उसके अधीन निर्दिष्ट रकम भू-राजस्व के बकाया की तरह या इस तरह के उद्देश्य के लिए उस राज्य में प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की आगे कार्रवाई करेगा।

(2) धारा 103 के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी,-

- (क) सचिव, राज्य भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड के पूर्वानुमोदन से ही किसी स्थापन में जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो प्रवेश कर सकता।
- (ख) कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री, मशीनरी या अन्य वस्तुओं की सूची बनासकता है;
- (ग) विभिन्न गतिविधियों में लगे श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछताछ कर सकता है;
- (घ) निर्माण की लागत या नियोजित श्रमिकों की संख्या के आकलन से संबंधित किसी भी रजिस्टर या किसी अन्य संगत दस्तावेज को प्रस्तुत करनेके लिए कह सकता है;
- (ङ) ऐसे किसी भी रिकॉर्ड को जब्त करना या उसकी प्रतियां ले सकता है;
- (च) पूर्ण निर्माण कार्य के चरण का सामान्य निर्धारण कर सकता है;
- (छ) माप, नोट्स या तस्वीरें ले सकता है; और
- (ज) निर्माण की लागत के उचित मूल्यांकन के लिए जरूरत पड़ने पर अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

(3) संहिता के अधीन निर्धारण अधिकारी या कोई निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को यदि विवरणी प्रस्तुत करने के दायित्व के उल्लंघन के, झूठी जानकारी प्रस्तुत करने, जान-बूझकर उपकर के भुगतान न करने या भुगतान से बचने का प्रयास करने के बारे में पता चलता है तो वे ऐसी शिकायत से संबंधित साक्ष्यों के साथ संबंधित राज्य भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रतिलिपि में रखते हुए राज्य सरकार को लिखित रूप में शिकायत कर सकता है।

(4) (क) राज्य में कोई भी नियोक्ता या नियोक्ताओं का वर्ग धारा 102 के अधीन छूट के लिए महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन कर सकता है, जिसमें किए गए कार्यों का विवरण, उस राज्य में लागू विधि का नाम, जिसके अधीन वह निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय के लिए उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है और इस तरह के भुगतान की तारीख और उसके प्रमाण के साथ वास्तव में भुगतान किए गए उपकर की रकम का विवरण होगा। ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रत्येक निर्धारण अधिकारी और संबंधित राज्य भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड को पृष्ठांकित की जाएगी।

(ख) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है।

(ग) इस तरह के आवेदन के आधारों, तथ्यों और गुणागुण की जांच करने पर, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग, जैसा भी मामला हो, संहिता के अधीन देय उपकर के भुगतान से छूट का आदेश जारी कर सकती है जहां पर ऐसी संबंधित विधि के अधीन इस तरह के उपकर की उगाही की जा रही है और ये देय है।

(घ) खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को आवेदन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए अथवा खंड (ग) के अधीन केंद्रीय सरकार के अगले आदेश आने तक मूल्यांकन कार्रवाई रोक दी जाएगी, खंड (क) के अधीन नियोक्ता या नियोक्ताओं के वर्ग को सूचित किया जाएगा जिन्होंने आवेदन किया है, जो भी पहले हो।

अध्याय 8

असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार या प्लेटफार्म कर्मकार के लिए सामाजिक सुरक्षा

48. असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकारों का पंजीकरण- (1) (क) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित पोर्टल पर धारा 113 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(ख) पात्र असंगठित कर्मकार स्व-घोषणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आधार और ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ और उस उद्देश्य के लिए सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए केंद्रीय सरकार पात्र असंगठित कर्मकारों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप या किसी अन्य आवेदन जैसी सुविधा प्रदान करेगी। स्व-पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, असंगठित कर्मकार को आधार के माध्यम से अपना पहचान-पत्र बनवाना होगा। और अन्य दस्तावेज जो केंद्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं।

(घ) केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के अधीन या अधिकार क्षेत्र के पात्र असंगठित कर्मकारों को उनके विशिष्ट वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत करने की जिम्मेदारी समुचित सरकार की होगी।

(ङ) ऐसे पात्र कर्मकार जिनके पास यदि पहले से ही सार्वभौमिक खाता संख्या नहीं है उन्हें पंजीकरण पूरा होने पर, केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऐसा संख्या या कोई अन्य विशिष्ट संख्या जारी किया जाएगा।

(च) प्रत्येक पात्र पंजीकृत असंगठित कर्मकार को एक डिजिटल पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट उसकी तस्वीर और अन्य विवरण होंगे और ऐसा डिजिटल कार्ड केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

(छ) असंगठित कर्मकार के लिए संहिता के अधीन बनाई गई किसी भी योजना के अधीन किसी भी हितलाभ की पात्रता के लिए, समुचित सरकार केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के अतिरिक्त, पात्रता के लिए विशिष्ट शर्तें, जैसा उचित समझे, अधिसूचित कर सकती है।

(ज) समुचित सरकार पात्र असंगठित कर्मकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकती है।

(झ) पात्र असंगठित कर्मकार को अपने विवरण जैसे पता, उपजीविका, मोबाइल नंबर, कौशल, या समय-समय पर किसी अन्य विवरणों को अद्यतन करना होगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और इस तरह के अद्यतन के अभाव में, कोई भी असंगठित कर्मकार, संहिता के अधीन अधिसूचित और उस पर लागू सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

(ज) डाक विभाग, जन सेवा केंद्रों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ई-सेवा केंद्रों या समुचित सरकार द्वारा तय की गई किसी अन्य एजेंसी के व्यवसाय संवाददाताओं की सेवाओं का उपयोग असंगठित कर्मकार के पंजीकरण की सुविधा, ब्योरों का अद्यतनीकरण और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रदत्त करने के लिए किया जा सकता है।

(2) (क) प्रत्येक गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार, जिन्होंने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर, धारा 113 के अधीन स्व-घोषणा के आधार पर, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित आधार और अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

(ख) प्रत्येक एग्रीगेटर, इन नियमों के प्रारंभ होने के पैंतालीस दिनों के भीतर, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, ऐसे एग्रीगेटर के साथ जुड़े गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों का विवरण सर्वव्यापी खाता संख्या या किसी अन्य ऐसे अद्वितीय नंबर के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर साझा करेगा, यदि ऐसे कर्मचारी के पास पहले से ही ऐसा नंबर नहीं है।

(ग) प्रत्येक एग्रीगेटर किसी भी नए गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों को नियुक्त करने पर ऐसे कर्मकार को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वास्तविक समय/दैनिक आधार पर केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकृत करेगा। प्रत्येक एग्रीगेटर को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वास्तविक समय/दैनिक आधार पर केंद्रीय सरकार के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर उनके साथ पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार के निकास विवरण भी साझा करना होगा।

(घ) प्रत्येक पात्र पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों को एक पहचान पत्र, डिजिटल या अन्यथा जारी किया जाएगा, जिसमें उसकी तस्वीर और ऐसे उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य विवरण होंगे; और ऐसा डिजिटल कार्ड केंद्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(ङ) गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए संहिता के अधीन बनाई गई किसी भी योजना के अधीन किसी भी हितलाभ की पात्रता के लिए, केंद्रीय सरकार अपने अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के अतिरिक्त, सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से पात्रता के लिए विशिष्ट शर्त को अधिसूचित कर सकती है।

परंतु ऐसा पात्र कर्मचारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम नब्बे दिनों के लिए गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार के रूप में एकया कई एग्रीगेटर, अथवा कई एग्रीगेटर्स के मामले में, कम से कम एक सौ बीस दिनों के लिए काम किया हो।

स्पष्टीकरण.— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (i) गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार को एक दिन के लिए एग्रीगेटर के साथ नियुक्त माना जाएगा, अगर उसने उस कैलेंडर दिन में एग्रीगेटर के साथ किए गए ऐसे काम के लिए आय अर्जित की है, भले ही रकम कुछ भी हो;
- (ii) कई एग्रीगेटर्स के साथ काम करने के मामले में, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों की नियुक्ति के दिनों की गणना एग्रीगेटर्स में संचयी तरीके से की जाएगी;
- (iii) यदि कोई गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों किसी विशेष कैलेंडर दिवस पर तीन एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे तीन दिनों के रूप में गिना जाएगा।

(च) एक पात्र गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों में एग्रीगेटर द्वारा सीधे या सहयोगी कंपनी या होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से लगे ऐसे सभी कर्मकार शामिल होंगे;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

- (i) किसी अन्य कंपनी के संबंध में 'सहयोगी कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (6) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।
- (ii) एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में 'होल्डिंग कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।
- (iii) अन्य कंपनी के संबंध में 'सहायक कंपनी', कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में परिभाषित कंपनी से है।
- (iv) साझेदारी के संबंध में 'सीमित दायित्व वाली भागीदारी' का अर्थ सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (ड) में परिभाषित सीमित देयता भागीदारी से है।

(छ) पंजीकृत गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के विवरणों को अद्यतन करने की सुविधा के लिए, प्रत्येक एग्रीगेटर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे एग्रीगेटर से जुड़े गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के विवरण को तिमाही या ऐसी अन्य आवधिकता पर और इस तरह से साझा किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार का नामित पोर्टल पर नामनिर्दिष्ट किया जाए है।

(ज) इस तरह के अद्यतनीकरण के अभाव में, एक गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकार, संहिता के अधीन अधिसूचित और उस पर लागू होने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हो सकेगा।

49. योजनाओं का कार्यान्वयन और अंशदान की प्रतिपूर्ति- (1) (क) केंद्रीय सरकार एक अधिकारी या एजेंसी को एग्रीगेटर्स से योगदान एकत्र करने और खर्च करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

(ख) ऐसा प्राधिकरण, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के पंजीकरण के लिए, धारा 114 के अधीन उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए, एग्रीगेटर्स से कोई भी जानकारी मांग सकता है।

(ग) धारा 114 के अधीन एकत्र किए गए योगदान को सामाजिक सुरक्षा निधि के भाग के रूप में धारा 141 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट गिग और प्लेटफॉर्म कर्मकारों के लिए एक अलग खाते में रखा जाएगा।

(2) यदि कोई एग्रीगेटर, इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, धारा 114 के उप धारा (4) के अधीन देय अंशदान की रकम के भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ऐसे एग्रीगेटर अंशदान की रकम पर ब्याज बकाया होने की तारीख से वास्तविक रूप से बकाया भुगतान करने की तारीख तक एक प्रतिशत प्रति माह या माह के भाग की दर से ब्याज के भुगतान के लिए दायी होंगे।

(3) (क) प्रत्येक एग्रीगेटर धारा 114 के उप धारा (4) के अधीन देय अंशदान का मूल्यांकन प्ररूप-20 में करेंगे और पिछले वर्ष के अनंतिम अंशदान का भुगतान चालू वर्ष, जिस वर्ष में अंशदान देय हो, के 30 जून तक यथा मूल्यांकित सामाजिक सुरक्षा निधि के विनिर्दिष्ट खाते में करेंगे।

परंतु यदि एग्रीगेटर गिग कर्मकारों या प्लेटफॉर्म कर्मकारों को भुगतान या देय रकम के पांच प्रतिशत के आधार पर अंशदान का भुगतान कर रहा हो, तो, इसमें एग्रीगेटर से सीधे तौर पर कार्यरत ऐसे सभी कर्मचारीगण या संबद्ध कंपनी या नियंत्रित कंपनी या होल्लिंग कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या तृतीय पक्ष के माध्यम से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे।

(ख) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के संगत उपबंधों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा के लेखापरीक्षित विवरण को अंतिम रूप दिये जाने के बाद, प्रत्येक एग्रीगेटर प्ररूप-21 में एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेंगे जिसमें चालू वर्ष, जिस वर्ष में अंशदान देय हो, के 31 अक्टूबर तक किये गए अनंतिम अंशदान का भुगतान का विवरण के साथ-साथ बकाया अंशदान, यदि कोई हो, तो उसका विवरण शामिल रहेगा।

(ग) यदि किसी भी एग्रीगेटर के द्वारा अधिक अंशदान, का भुगतान, यदि कोई है, के होने की स्थिति में ऐसे एग्रीगेटर ऐसे अधिक भुगतान की गई रकम के वापसी का दावा प्ररूप-21 में करेंगे। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी एग्रीगेटर द्वारा यथा प्रस्तुत प्ररूप-21 की जाँच की जाएगी, और अधिक भुगतान, यदि कोई, हुआ हो तो उसे ऐसे दावे के प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्ररूप-21 में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लौटा दिया जाएगा।

(4) धारा 113 के अधीन पंजीकृत कोई गिग कर्मकारों या प्लेटफॉर्म कर्मकार साठ वर्ष की आयु हो जाने पर या वे किसी भी एग्रीगेटर के साथ कम से कम नब्बे दिनों तक गिग कर्मी या प्लेटफॉर्म कर्मी के रूप में कार्यरत न होने, या मल्टीपल एग्रीगेटर होने की स्थिति में अंतिम वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों तक गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के रूप में कार्यरत न होने पर सामाजिक सुरक्षा योजना के हितलाभ के पात्र नहीं रहेंगे।

(5) प्रत्येक एग्रीगेटर श्रम सुविधा पोर्टल या इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य पोर्टल में पंजीकरण करेंगे।

अध्याय 9

वित्त एवं लेखा

50. धारा 120 के अधीन नियम- उप-धारा (1) के अधीन किसी भी चल या अचल संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, बिक्री या अन्यथा हस्तांतरण की शर्तें, धन निवेश करने की शर्तें, उप-धारा (2) के अधीन निवेश का पुनर्निवेश या वसूली, धारा 120 की उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी भी वर्ग, भविष्य या अन्य लाभ निधि के लाभ के लिए उप-धारा (3) के अधीन ऋण जुटाने और ऐसे ऋणों के निर्वहन के लिए उपाय करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी-

(क) भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, जैसा कि भविष्य निधि योजना, पेंशन निधि योजना और बीमा निधि योजना में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है; और

(ख) निगम के मामले में, जैसा कि अध्याय 4 और इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट है।

51. अपूरणीय बकायों को बट्टे खाते में डालने की शर्तें- (1) जहां निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की यह राय है कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को देय अंशदान, उपकर, ब्याज और नुकसान की रकम, मामला हो सकता है, अपूरणीय हो गया है, निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड या इसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त रकम के बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे सकता है, अर्थात्: -

(i) कि संबंधित स्थापन पांच वर्ष से अधिक समय से बंद है और सभी संभव प्रयासों के बावजूद ऐसे स्थापन के नियोक्ता के ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सकता है;

- (ii) कि निगम या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त डिफ़िकी को चूककर्ता नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति के अभाव में सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता है; या
- (iii) कि अंशदान का दावा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है -

(क) कारखाने या स्थापन के परिसमापन में जाने की स्थिति में आधिकारिक परिसमापक; या

(ख) इकाई के राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा अधिग्रहण की स्थिति में भुगतान आयुक्त।

(2) भविष्य निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि के मामले में, ऐसी बट्टे खाते में डालने वाली रकम भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट की जाएगी।

52. लेखा और वार्षिक रिपोर्ट- (1) निगम इस तरह के रूप में पूर्ण और सटीक खातों का रख-रखाव करेगा, जैसा कि उसकी स्थायी समिति, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्दिष्ट करे और पुस्तकों को प्रत्येक वर्ष मार्च की इकतीसवीं तारीख को संतुलित किया जाएगा।

(2) निगम इकतीस मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व लेखे और इकतीस मार्च को इकतीस मई तक तुलन पत्र तैयार करेगा:

परंतु निगम के आवेदन पर, केंद्रीय सरकार उक्त तारीख को तीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है:

परंतु यह और कि निगम, और यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो किसी अन्य अवधि के लिए या किसी अन्य तारीख के अनुसार राजस्व खाते और बैलेंस शीट तैयार कर सकता है।

(3) वार्षिक लेखे निर्धारित किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष संवीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष पंद्रह जून को या उससे पहले उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पेश किए जाएंगे, जिससे वे संबंधित हैं:

परंतु निगम के आवेदन पर, केंद्रीय सरकार उक्त तारीख को तीस दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

(4) निगम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसके द्वारा अपेक्षित सभी लेखाओं को प्रस्तुत करेगा और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-

(i) लिखित नोटिस द्वारा, उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष किसी दस्तावेज को पेश करने की आवश्यकता होगी, जिसे वे अपनी लेखा परीक्षा के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझें;

(ii) लिखित नोटिस द्वारा, ऐसे किसी भी दस्तावेज के लिए जवाबदेह, या अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से, उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा करना; और

(iii) अपने या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज के संबंध में घोषणा करने और उस पर हस्ताक्षर करने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या उसके या ऐसे अधिकारी द्वारा वांछित कोई कथन तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(5) वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट निगम को ऐसी तारीख पर और ऐसे रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे और रिपोर्ट में यह कहा जाएगा कि क्या उनके राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और निगम के मामलों की स्थिति के बारे में सही दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया जाता है और यदि उन्होंने निगम या अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी है क्या इसे प्रदान किया गया है या नहीं और क्या यह संतोषजनक है।

(6) (क) निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (उसमें शामिल वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित खातों को छोड़कर) पर उसकी स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दस दिसंबर से पहले निगम की आयोजित बैठक में अंगीकरण करने के लिए रखा जाएगा।

(ख) निगम के वित्तीय आयुक्त और महानिदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित और निगम की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित एक वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक खातों को लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत

किया जाएगा और लेखा परीक्षित खातों को लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दस दिसंबर से पहले निगम की बैठक में अंगीकरण के लिए रखा जाएगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस वर्ष के पश्चात्, जिससे वह संबंधित है, बीस नवंबर तक प्राप्त हो जाए।

(7) वार्षिक लेखाओं के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट और निगम द्वारा अपनाए गए निगम के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निगम की सामान्य मुहर लगा कर प्रमाणित किया जाएगा और जिनकी चार प्रतियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर निगम की टिप्पणियों के साथ, संसद के समक्ष रखे जाने के लिए, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बीस दिसंबर से पहले केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यदि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के बाद नवंबर के बीसवें दिन तक प्राप्त नहीं होती है, जिससे वह संबंधित है, तो निगम के काम और वार्षिक गतिविधियों के साथ, वार्षिक खाता और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अलग से केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) लेखापरीक्षा की लागत का भुगतान निगम द्वारा उस तारीख तक किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(9) (क) लेखा परीक्षक निगम और केंद्रीय सरकार को एक अलग बयान प्रस्तुत करेंगे, यदि आवश्यक हो, के संबंध में-

(i) कोई तात्विक अनौचित्य या अनियमितता जो वे व्यय में, या देय धन की वसूली में, या निगम के खातों में देख सकते हैं; या

(ii) किसी भी हानि या धन की बर्बादी या निगम के स्वामित्व वाली या निहित अन्य संपत्ति जो उपेक्षा या कदाचार के कारण हुई है, उन व्यक्तियों के नाम के साथ जो उनकी राय में इस तरह के नुकसान या बर्बादी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

(ख) स्थायी समिति किसी भी दोष या अनियमितता को तुरंत दूर करेगी जो लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित की जा सकती है और केंद्रीय सरकार को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करेगी:

परंतु यदि स्थायी समिति और लेखा परीक्षकों के बीच मतभेद है, या यदि स्थायी समिति उचित अवधि के भीतर किसी भी दोष या अनियमितता का समाधान नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, और उसके लिए विशेष रूप से किए गए संदर्भ पर, इस तरह के प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसा वह ठीक समझे और स्थायी समिति उसके बाद उस समय के भीतर कार्रवाई करेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

(10) (क) स्थायी समिति या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत कोई भी प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, और इस तरह के किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, संहिता के उपबंधों के विपरीत खाते की किसी भी मद को अस्वीकार कर सकता है या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के, और ऐसे खाते का भुगतान करने या अधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभार और उस व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार से होने वाली किसी भी कमी या हानि की रकम का हिसाब रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शुल्क करेगा या किसी भी रकम का जो होना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा खाते में नहीं लाया गया था, और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से देय रकम को प्रमाणित करेगा:

परंतु स्थायी समिति द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी प्रमाण-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि इसे स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(ख) स्थायी समिति अपने द्वारा किए गए या अनुमोदित प्रत्येक अस्वीकृति, अधिभार या प्रभार के लिए अपने कारणों को लिखित रूप में बताएगी और जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रमाण-पत्र बनाया गया है, उसके निर्णय के लिए देय रकम का प्रमाण-पत्र और कारणों की एक प्रति प्रदान करेगा और इसकी प्रतियां केंद्रीय सरकार को भी प्रस्तुत करेगा।

(ग) उप-नियम (10) के अधीन बनाए गए प्रमाण पत्र से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उप-नियम (10) के खंड (ख) के अधीन प्रमाण पत्र की तारीख की तारीख से एक महीने के भीतर, उस अस्वीकृति, अधिभार या शुल्क को रद्द करने या संशोधित करने के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन फाइल कर सकता है जिसके संबंध में प्रमाण पत्र बनाया गया था।

(घ) खंड (ग) के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के बाद, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे या तो पुष्टि, संशोधन या अस्वीकृति को अलग करता है, अधिभार या प्रभार जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र बनाया गया था, और उसके बाद स्थायी समिति ऐसे आदेश के अनुसार ऐसे समय के भीतर कार्रवाई करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ङ) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि उप-नियम (10) के अधीन किए गए प्रमाण-पत्र के अधीन आगे की सभी कार्रवाई खंड (घ) के अधीन उसके समक्ष लंबित मामले के निपटारे तक रोक दी जाएगी।

(11) (क) स्थायी समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति से देय होने के लिए प्रमाणित प्रत्येक रकम या यदि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र को संशोधित किया गया है, तो संशोधित प्रमाण-पत्र में ऐसे व्यक्ति से देय रकम का भुगतान किया जाएगा स्थायी समिति के प्रमाण-पत्र के साथ तीन महीने के भीतर निगम को व्यक्ति; या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमत की जा सकेगी; और ऐसी कोई भी रकम, यदि ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(ख) इस प्रकार भुगतान या वसूल की गई रकम का कोई भी रकम या हिस्सा, जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र अलग रखा गया है या संशोधित किया गया है, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने वाले व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से वापस किया जाएगा।

(12) निगम अपने उन कर्मचारियों के संबंध में, जिनकी सेवाएं केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगम के निपटान में रखी गई हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि (इसके बाद भविष्य निधि के रूप में संदर्भित) नामक एक भविष्य निधि की स्थापना, रखरखाव और योगदान करेगा।

(13) भविष्य निधि का प्रशासन निगम की स्थायी समिति या इसके द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो वह लागू करना उचित समझे।

(14) निगम भविष्य निधि के लिए प्रासंगिक या आवश्यक अन्य सभी मामलों के लिए उपबंध करने के लिए संहिता की धारा 157 के खंड (1) के अधीन नियम बना सकता है।

(15) जहां एक बीमित व्यक्ति को धारा 133 के खंड (ण) के अधीन दोषी ठहराया जाता है, वह पहली बार दोषी ठहराए जाने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए और प्रत्येक बाद की सजा के लिए निगम के संबंधित कार्यालय में न्यायालय के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए संहिता के अध्याय 4 के अधीन स्वीकार्य किसी भी नकद लाभ का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 10

प्राधिकरण, निर्धारण, अनुपालन और वसूली

53. अभिलेखों और रजिस्ट्रों आदि के रख-रखाव के लिए प्ररूप और रीति- (1) (क) प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता रजिस्टर बनाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

(i) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-1 में कर्मचारी संख्या;

(ii) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-9 में उपस्थिति-सह-मस्टर रोल;

(iii) मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-4 में मजदूरी, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और क्षति और हानि के लिए कटौती;

(iv) मजदूरी-22 में महिला कर्मचारी।

परंतु स्थापना के संबंध में, जो मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) या उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की शर्तों पर संहिता, 2020 (2020 का 37) द्वारा शासित है और इसके अधीन बनाए गए नियम खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रों को बनाए रखते हैं जिसे इन नियमों के अधीन भी नियोक्ता द्वारा बनाए रखा जाना माना जाएगा।

(ख) इस अध्याय के अधीन रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा बनाए रखा जाएगा।

(ग) रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां अंग्रेजी और हिंदी या नियोजित अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएंगी।

(घ) प्रत्येक नियोक्ता मांग पर निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष रिकॉर्ड और रजिस्टर पेश करेगा।

(ङ) सभी रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों को मूल रूप में उसमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 2026 के प्ररूप-5 में मजदूरी के भुगतान पर या उससे पहले धारा 123 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा मजदूरी पर्ची जारी करेगा।

(3) संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाए जाने के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड पूर्ण और अद्यतित रखे जाएंगे और जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, कार्य स्थल की सीमा के भीतर या उससे तीन किलोमीटर के सीमा में किसी स्थान पर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाएगा।

(4) नियोक्ता स्थापना के मुख्य द्वार पर या उसके निकट अंग्रेजी, हिंदी में मोटे अक्षरों में और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नियोक्ता द्वारा अधिकृत पदनाम वाले अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करते हुए संहिता या उसमें बनाए गए नियमों के अधीन उसकी ओर से नोटिस प्राप्त कर स्पष्ट रूप से एक नोटिस प्रदर्शित करेगा।

(5) (क) नियोक्ता जिस पर संहिता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष में 28/या 29 फरवरी को या उससे पहले, वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्ररूप-23 में एक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करें जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार, पिछले वर्ष के संबंध में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार जानकारी दे रही है।

परंतु निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की उपेक्षा हो सकती है।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।

(ख) यदि नियोक्ता जिस पर संहिता के अध्याय 5 और अध्याय 6 के उपबंध लागू होते हैं, बिक्री करते हैं, छोड़ देते हैं या स्थापन के काम-काज को बंद कर देते हैं, तो, वह ऐसी बिक्री या परित्याग की तारीख से एक महीने के भीतर या इस तरह के बंद होने की तारीख के चार महीने, जैसा भी मामला हो, ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर, खंड (क) के उप-नियम 5 में संदर्भित प्ररूप-23 में और एकीकृत विवरणी के संबंध में पिछले वर्ष के अंत और ऐसी बिक्री, परित्याग या बंद करने की तारीख के बीच की अवधि, जैसा भी मामला हो कर सकेगा।

अध्याय 11

अपराध और शास्तियां

54. अपराधों का शमन- (1) धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् शमन अधिकारी कहा गया है, अधिसूचना द्वारा धारा 138 के अधीन शमनीय अपराधों के लिए प्ररूप-24 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक शमन नोटिस जारी करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ऐसा देखा गया व्यक्ति प्ररूप-24 के भाग 3 में अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा या अन्यथा पूरी शमन रकम जमा कर सकता है।

(3) शमन अधिकारी, प्ररूप-24 के भाग 4 में शमन रकम प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को शमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी रकम शमन नोटिस की संतुष्टि में प्राप्त हुई है।

(4) यदि इस प्रकार देखा गया कोई व्यक्ति अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर शमन रकम जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उन अपराधों के लिए जिनके संबंध में शमन वाली नोटिस जारी की गयी थी, ऐसे व्यक्ति के समक्ष निर्दिष्ट समय की अंतिम तारीख से एक माह के बाद अभियोजन आरंभ किया जाएगा।

(5) किसी सक्षम न्यायालय में उसके संबंध में अभियोजन की संस्था के बाद किसी अपराध के शमन के लिए, धारा 138 की उप-धारा (6) के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 12

रोजगार सूचना और निगरानी

55. कैरियर केंद्र की स्थापना और रख-रखाव- (1) समुचित सरकार कैरियर केंद्र की स्थापना, संचालन और रख-रखाव कर सकती है या अपने पहले से स्थापित कार्यालय या रोजगार कार्यालय, या दोनों या एक पोर्टल को संशोधित और घोषित कर सकती है या किसी अन्य ऐसे केंद्रीय को कैरियर केंद्र के रूप में अधिसूचना द्वारा अधिकृत कर सकती है जब तक ऐसी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, विद्यमान स्थानीय रोजगार कार्यालय और केंद्रीय रोजगार कार्यालय क्रमशः कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) और कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के रूप में कार्य करेंगे।

(2) समुचित सरकार कैरियर केंद्र चलाने के लिए किसी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या निजी निकाय के साथ एक समझौता भी कर सकती है।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) और (2) के अधीन स्थापित कैरियर केंद्र, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित कार्य करेंगे, अर्थात्: -

(क) जानकारी का संग्रह और प्रस्तुत करना, या तो रजिस्ट्रों को रखकर या अन्यथा, मैन्युअल रूप से, डिजिटल रूप से, या वस्तुतः, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित करे उससे संबंधित -

(i) वे व्यक्ति जो कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहते हैं;

(ii) रोजगार चाहने वाले व्यक्ति;

(iii) रिक्तियों की घटना; और

(iv) वे व्यक्ति जो स्वरोजगार आरंभ करने के लिए उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श या मार्गदर्शन चाहते हैं;

(ख) कैरियर परामर्श और उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ग) नौकरी मेलों और नौकरी ड्राइव का आयोजन;

- (घ) रोजगार संबंधी सर्वेक्षण और अध्ययन;
 (ङ) रोजगार वृद्धि गतिविधियों; और
 (च) अन्य सेवाएं जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के लिए केंद्रीय सरकार और कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के लिए संबंधित राज्य सरकार होगी।

56. रिक्तियों की रिपोर्टिंग और चयन के परिणाम आदि की सूचना- (1) (क) संहिता के प्रारंभ होने पर किसी राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापन में नियोक्ता, किसी भी रिक्ति को भरने से पहले उस स्थापन में किसी भी रोजगार में, उस रिक्ति या कारण की सूचना ऐसे कैरियर केंद्र को दें जो समुचित सरकार द्वारा की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(ख) निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापन में या निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग या श्रेणी के स्थापनों से संबंधित प्रत्येक स्थापन में नियोक्ता, उस स्थापन में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने से पहले, ऐसी तारीख से जो समुचित सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस तरह के कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के लिए रिक्ति या रिपोर्ट करने का कारण रिपोर्ट करेगा।

(ग) समुचित सरकार नियोक्ताओं और कैरियर केंद्र द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल तंत्र प्रदान करेगी, जिसमें रिक्तियों की सूचना दी गई है, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक अद्वितीय रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगी और इसे लिखित रूप में नियोक्ता को बताएगी। इसे नियोक्ता को डिजिटल रूप से या किसी अन्य माध्यम से तुरंत सूचित करेगा जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों और अन्य राज्यों में तीन कार्य दिवसों के बाद नहीं होगा।

परंतु भौगोलिक परिस्थितियों या अन्य स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना के माध्यम से समुचित सरकार द्वारा तीन कार्य दिवसों की समय सीमा को सात कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) अपने द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी को लिखित रूप में, ईमेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से या किसी अन्य ऐसे मीडिया के माध्यम से साझा करेगा, जैसा कि कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को प्ररूप-25, प्ररूप-26 और प्ररूप-27 (क) में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके।

(ङ) राज्य सरकार कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को किसी भी नए स्थापित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) या किसी भी विद्यमान कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसे कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) के अधिकार क्षेत्र के विवरण के साथ, इस प्रकार स्थापित या बंद, जैसा भी मामला हो, विवरण प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापन" से स्वामित्व वाली, नियंत्रित स्थापन या स्थापन-

- (i) सरकार या सरकार का कोई विभाग;

- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित सरकारी कंपनी;
- (iii) एक निगम (एक सहकारी समिति सहित) या एक स्वायत्त संगठन या एक प्राधिकरण या एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक निकाय, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है; और
- (iv) एक स्थानीय प्राधिकरण।

(ख) "निजी क्षेत्र में स्थापन" द्वारा प्रबंधित अभिप्रेत है। एक स्थापन जो सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थापन नहीं है और 20 या उससे अधिक कर्मचारी या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों की संख्या उसमें कार्यरत हैं अभिप्रेत हैं।

(ग) राज्य सरकार, जिसका अपना कोई कैरियर केंद्र या डिजिटल पोर्टल नहीं है, अधिसूचना द्वारा, उसके क्षेत्र में स्थापनों द्वारा रिक्तियों की रिपोर्टिंग डिजिटल पोर्टल या केंद्रीय सरकार के कैरियर केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) (क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात्: -

- (i) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या मजदूरी स्तर या दोनों वाले तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों पर सभी रिक्तियां, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार संहिता के अधीन समुचित सरकार है; और
- (ii) रिक्तियां जो एक नियोक्ता राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बाहर कैरियर केंद्रों में परिचालित करने की इच्छा कर सकता है जिसमें स्थापन स्थित है;

ऐसे कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को सूचित किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके।

(ख) एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शाखाओं वाले स्थापनों में रिक्तियां, जहां नियोक्ता कई स्थानों पर ऐसी रिक्तियों को भरना चाहता है, नियोक्ता के विकल्प पर, या तो केंद्रीय रूप से कैरियर केंद्र (केंद्रीय) या अलग से संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूचित किया जा सकेगा, जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों की सूचना संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को दी जाएगी।

(3) (क) रिक्तियों को लिखित रूप में या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके और समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट कैरियर केंद्र को सूचित किया जा सके।

(ख) प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के संबंध में रिक्तियों की सूचना प्ररूप-25 में दी जाएगी, जिसमें यथासंभव अधिक से अधिक विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन कैरियर केंद्र में पहले से ही दिए गए विवरणों में कोई भी परिवर्तन लिखित रूप में या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके, और निर्दिष्ट कैरियर केंद्र को सूचित किया जाएगा।

(4) (क) कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को सूचित करने के लिए आवश्यक रिक्तियों की सूचना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले दी जाएगी।

(ख) कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को सूचित करने के लिए आवश्यक रिक्तियों की सूचना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम चालीस दिन पहले दी जाएगी।

(ग) नियोक्ता चयन की तारीख से तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट की गई रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित कैरियर केंद्र को चयन के परिणाम से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(5) (क) संहिता के प्रारंभ होने पर, किसी भी राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापन के नियोक्ता मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड बनाए रखेंगे —

- i. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
- ii. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
- iii. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के उपजीविकाजन्य विवरण;
- iv. रिक्तियां जिनके लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और
- v. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या।

(ख) समुचित सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, निर्देश दे सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से, निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता या निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग या श्रेणी के स्थापन से संबंधित प्रत्येक स्थापन मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड बनाए रखेगा —

- i. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदात्मक या निश्चित अवधि के रोजगार);
- ii. 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भर्ती किए गए व्यक्ति;
- iii. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के उपजीविकाजन्य विवरण;
- iv. रिक्तियां जिनके लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे; और
- v. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों की अनुमानित संख्या।

(6) एक नियोक्ता संबंधित कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्ररूप-26 (रोजगार सूचना विवरणी) में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अनुसार वार्षिक विवरणी मैनुअल रूप से या, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या डिजिटल रूप से, जैसा भी मामला हो, देय तारीख के तीस दिनों के भीतर, अर्थात् वर्ष के 31 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) (क) संबंधित राज्य सरकार के कैरियर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को नियंत्रित करने वाले रोजगार निदेशक या समकक्ष या ऊपर के पद के अधिकारी, जो कैरियर केंद्रों (क्षेत्रीय) के काम को देखने वाले एक अधिकारी को लिखित रूप में घोषित करेंगे संहिता के अध्याय 13 (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में वह अधिकारी होगा जो धारा 139 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, या किसी व्यक्ति को उन अधिकारों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत करेगा।

(ख) रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्य को नियंत्रित करने वाले रोजगार निदेशक या उनके समकक्ष या उससे ऊपर के पद का अधिकारी, कैरियर केंद्रों (केंद्रीय) के काम की देख-रेख करने वाले को संहिता के अध्याय 13 (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन या कार्यान्वयन के उद्देश्य से "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित रूप में घोषित करेगा। ऐसे अधिकारी धारा 139 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(8) अध्याय 13 और उसके नियमों से संबंधित संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय सरकार विस्तृत दिशा-निर्देश व्याख्यात्मक प्रकृति में जारी कर सकेगी जिसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा आगे पूरक किया जाएगा।

अध्याय 13

कर्मचारी प्रतिकर

57. धारा 77 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर - यदि धारा 77 की उप-धारा (3) के अधीन देय प्रतिकर की रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा तीस दिन की अवधि में नहीं किया जाता है, तब नियोक्ता, प्रतिकर की देय तारीख से भुगतान की जाने की तारीख तक बारह प्रतिशत की वार्षिक दर से अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

58. उपधारा (1) के अधीन नोटिस की रीति और धारा 92 की उपधारा (3) के अधीन धन संप्रेषित करने का रीति- (1) धारा 92(1) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या उसके द्वारा जिसमें दुर्घटना हुई थी, प्ररूप-29 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा क्षेत्र के ऊपर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को सूचना दिए बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूसरे को प्रेषित धन या तो प्रेषण रसीद या ई-हस्तांतरण द्वारा या नेट बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि धन का प्रेषण करने वाला सक्षम प्राधिकारी निदेश दे सकेगा।

59. धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन दावे अथवा निपटारे के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस। - (1) धारा 93 में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के आवेदन को सक्षम प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक (पंजीकरण के साथ) से भेजा जा सकेगा अथवा उसके समक्ष अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत उसके अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जा सकेगा, और ऐसा भेजा गया या प्रेषित किया गया आवेदन, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निदेशित न हो, , प्ररूप-27 में दो प्रतियों में किया जाए और उस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ, प्ररूप-28 में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र संलग्न होगा जिस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, कि आवेदन में निहित तथ्यों का विवरण उसके अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(3) जब अनुतोष पाने के लिए आवेदन दस्तावेज पर आधारित हो, तब उस दस्तावेज को आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

60. धारा 159 के अधीन प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई धनराशि के अंतरण के लिए अन्य देशों के साथ व्यवस्था लागू करने के लिए नियम - (1) जब कोई रकम, इन नियमों के अनुसार, भारत में किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रेषण अंतरण रसीद अथवा ई-अंतरण या नेट बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जाती है, तब प्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रेषण की लागत को प्रेषित की गई रकम से काट सकते हैं।

(2) इस संहिता के अधीन जब प्रतिकर के रूप में भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई पूरी एकमुश्त धनरकम या उसके भाग किसी भी अन्य देश में निवास कर रहे या करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होता है, तब सक्षम प्राधिकारी ऐसी देय रकम के उस देश में अंतरण हेतु आदेश कर सकेगा।

(3) जब सक्षम प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अधीन किसी भी रकम के अंतरण का आदेश कर दिया हो, तब वह उस मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, उस पर पारित आदेशों और भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता देते हुए एक ज्ञापन तैयार करवाएगा और अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, तब वह ज्ञापन को दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को अंतरित की जाने वाले रकम को अंतरित करेगा या तो अपने पास रखेगा अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निदेशों के अनुसार उसका निपटारा करेगा।

(5) यदि सक्षम प्राधिकारी स्वयं ही प्राधिकृत अधिकारी है, तब वह उप-नियम (6) में किए उपबंध के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, अपनी संतुष्टि के पश्चात् कि यह ज्ञापन पूर्ण है, उसे अग्रेषित करेगा और रकम को अंतरित किए जाने वाले देश के लिए इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार सुविधाजनक माने गए ऐसे सुरक्षित प्रेषण साधन के द्वारा जैसा कि वह उचित समझे रकम का प्रेषण ऐसे प्राधिकारी को करेगा अथवा प्रेषित कराएगा जिसका इससे संबंध है, अथवा यदि कोई ऐसा प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है तब ऐसे प्राधिकरणों को जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे और इसी के साथ संबोधित प्राधिकारी से यह अनुरोध करेगा कि -

(क) ज्ञापन में निहित निदेशों के अनुसार किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था करें; और

(ख) ज्ञापन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इसे प्रस्तुत करे और किसी भी ऐसी रकम को वापस करे जिसका भुगतान किसी भी कारण से असंभव है।

(7) (क) प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह सक्षम अधिकारी नहीं है जिसके साथ मामला आरंभ हुआ है, उप नियम (6) के अधीन किए गए अनुरोध के उत्तर में प्राप्त किसी भी रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ख) उप-नियम (6) के अनुसार वापस की गई किसी भी रकम का निपटान संहिता के अनुसार किया जाएगा।

(8) (क) प्राधिकृत अधिकारी अंतरणकर्ता अधिकारियों से धनरकम प्राप्त करने के लिए उचित प्राधिकारी होगा।

(ख) यदि कोई सक्षम अधिकारी अथवा अन्य सरकारी सेवक, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं हैं, अंतरणकर्ता प्राधिकारी से कोई रकम प्राप्त करता है तब वह ऐसी रकम को इससे संबंधित कागजातों के साथ निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास अग्रेषित करेगा या रकम और कागजातों के निपटान के लिए प्राधिकृत अधिकारी के निदेश प्राप्त करेगा और उसके अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(9) प्राधिकृत अधिकारी स्वयं किसी भी रकम या उसके किसी भाग, जिसे वह प्राप्त करता है अथवा उप-नियम (8) के अधीन जिसका नियंत्रण धारित करता है, का निपटान कर सकेगा अथवा ऐसे किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारियों, जैसा वह उचित समझे, के पास निपटान के लिए इसे या इसके किसी भाग को भेज सकेगा।

(10) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त सभी रकमों का निपटान यथा संभव इस संहिता के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा:

यह परंतु अंतरणकर्ता प्राधिकारी से रकम के प्रशासन की रीति के संबंध में प्राप्त निदेशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करेगा।

(11) (क) प्राधिकृत अधिकारी, अंतरण प्राधिकारी को यह दर्शाते हुए रिपोर्ट अग्रेषित करेगा कि उससे प्राप्त रकम का निपटान किस प्रकार किया गया है।

(ख) कोई भी सक्षम प्राधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, जिसने रकम के किसी भी भाग का निपटान किया है, वह रकम के उस भाग के निपटान के बारे में दो प्रतियों में एक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजेगा, और, यदि संहिता की धारा 92 के अनुसार उसे यह रकम किसी अन्य ऐसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई है तब वह अपनी रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अग्रेषित करेगा।

(12) अंतरणकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त रकम का कोई भाग जो कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात् अवितरित रह रहा जाता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके निदेश के अधीन अंतरणकर्ता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

61. मामलों के हस्तांतरण के बाद की कार्यवाही- धारा 92 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकेगा या वह धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आरंभ की गई पिछली कार्यवाही को जारी रख सकता है जैसे कि वही या उसका कोई भाग उसके सामने ले लिया गया था यदि वह संतुष्ट है कि पक्षकारों के हित इस प्रकार पूर्वाग्रहित नहीं होंगे।

62. अभिलेखों या धन का अंतरण:- (1) संहिता के अधीन यदि किसी मामले पर उस क्षेत्र, जिसमें दुर्घटना घटी है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से भिन्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अथवा उसके द्वारा, कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तब पूर्ववर्ती प्राधिकारी मामले के उचित निपटान के लिए उत्तरवर्ती प्राधिकारी से उसके पास रखे किसी भी अभिलेख अथवा धन के अंतरण सहित प्ररूप-30 में एक विस्तृत रिपोर्ट मांग सकता है और ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर वह उसका पालन करेगा।

परंतु यदि उस क्षेत्र में, जिसमें दुर्घटना हुई है, आरोप निर्धारित करने के लिए अथवा प्रतिकर की रकम के निर्धारण के लिए आगे ही जांच आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष आवेदन किया गया है, उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी, जहां पर दुर्घटना हुई है, से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ये जांचें कराए तथा ऐसी जांचों के प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक नोटिस और आदेश जारी करे।

(2) धारा 81 के अधीन एक सक्षम प्राधिकारी के पास जमा धन का दूसरे सक्षम प्राधिकारी को प्रेषण, अंतरण रसीद द्वारा अथवा ई-अंतरण अथवा नेट बैंकिंग अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

63. प्रत्येक नियोक्ता किसी कर्मचारी के नियोजन के समय, कर्मचारी को संहिता के अधीन प्रतिकर के उसके अधिकारों के बारे में लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी या रोजगार के क्षेत्र की राजभाषा, जो कर्मचारी जानता हो, में जानकारी देगा।

अध्याय 24 विविध

64. सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन- (1) निम्नलिखित सभी प्राप्त निधि अलग खाते (खातों) में जमा की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा कोष के रूप में जानी जाएगी और असंगठित के लिए धारा 109 और 114 के अधीन अधिसूचित योजना के सभी खर्चे कर्मकारों, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स को निम्नलिखित फंड से पूरा किया जाएगा, अर्थात् -

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 141 की उप-धारा (1) के अधीन; और

(ख) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 115 की उप-धारा (1) के अधीन।

(2) केंद्रीय सरकार समय-समय पर प्रारंभिक वित्त पोषण या सामाजिक सुरक्षा निधि को फिर से भरने के लिए स्रोतों की पहचान करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निधि का प्रशासन किया जाएगा।

(4) सामाजिक सुरक्षा कोष के प्रशासन के लिए नामनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाएगा।

(5) सामाजिक सुरक्षा निधि के खातों का विवरण एजेंसी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप और रीति से रखा जाएगा और समय-समय पर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) सामाजिक सुरक्षा निधि के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

65. छूट प्रदान करने के लिए पात्रता शर्तें- (1) धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए एक स्थापन को छूट प्रदान करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, अर्थात्: -

(क) ऐसे स्थापन के कर्मचारी अध्याय 3 के अधीन बनाई गई योजनाओं में दिए गए लाभों या अध्याय 4 के अधीन उपलब्ध लाभ, जैसा भी मामला हो, संहिता के समान या उससे बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) छूट की मांग करने वाला स्थापन इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा आवेदन करेगा;

(ग) स्थापन संहिता के अध्याय 3 या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों का अनुपालन कर रहा है; या, संहिता के अध्याय 4 का उपबंध या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34), जैसा भी मामला हो, आवेदन करने से तुरंत तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए और भुगतान में चूक नहीं किया है ऐसी अवधि के दौरान संबंधित अध्यायों के अधीन देय अंशदान;

(घ) धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले स्थापन में संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम पांच सौ अंशदायी सदस्य या संहिता के अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, जैसा भी मामला हो, ऐसे इस तरह के आवेदन की तारीख पर न्यूनतम पांच सौ कर्मचारी होने चाहिए।

(ङ.) भविष्य निधि योजना या धारा 15 के अधीन बनाई गई पेंशन योजना के उपबंधों से छूट की मांग करने वाले स्थापन के पास उस योजना के संबंध में पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक के सदस्यों के खाते में संचयी शेष रकम होनी चाहिए, जिससे छूट मांगी गई है;

(च) अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापन धारा 143 के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए अधिकांश कर्मचारियों की सहमति प्रस्तुत करेगी;

(छ) छूट चाहने वाले स्थापन के पास आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान सकारात्मक नेट मूल्य होना चाहिए;

(ज) स्थापना ने अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए संबंधित सदस्यों के खाते में प्रत्येक सदस्य की आधार संख्या या अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों में से प्रत्येक के आधार संख्या को जोड़ा होगा, जैसा कि मामला संबंधित डेटा-बेस में कोड का हो सकता है; और

(झ) संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापन ऑनलाइन दावा निपटान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और छूट के नब्बे दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ संबंध प्रदान करने के लिए शिकायत समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा।

(2) धारा 143 के अधीन छूट देने वाली अधिसूचना अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के लिए जारी की जाएगी और इसमें स्थापना और / या नियोक्ता द्वारा अनुपालन किए जाने वाले अन्य नियम और शर्तें शामिल होंगी, जैसा भी मामला हो।

(3) (क) धारा 143 के अधीन छूट के विस्तार के लिए आवेदन छूट की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले निर्दिष्ट पोर्टल पर किया जाएगा।

(ख) अध्याय 4 के प्रावधानों से एक स्थापन को दी गई छूट समुचित सरकार द्वारा एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, परंतु स्थापन उप नियम (1) के खंड (घ) को छोड़कर नियम 65 के विनिर्दिष्ट उप नियम (1) में सुसंगत शर्तों को पूरा करना जारी रखती है।

(ग) अध्याय 6 के प्रावधानों के अधीन निगम के पूर्व परामर्श के बिना कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(घ) निगम आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के भीतर समुचित सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर समुचित सरकार छूट के विस्तार पर निर्णय लेगी, जैसा वह उचित समझे।

(ङ) भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना, जैसा भी मामला हो, के संबंध में दी गई छूट को ऐसी अवधि के लिए और संबंधित योजनाओं में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

66. छूट के लिए आवेदन पर अपने विचार प्रदान करने के लिए केंद्रीय बोर्ड या निगम के लिए समय सीमा, -केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, छूट के प्रस्ताव की प्राप्ति के छह माह के भीतर धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार समुचित सरकार को अग्रपिहित करेगा यदि केंद्रीय बोर्ड या निगम, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ है, तो समुचित सरकार छूट के आवेदन पर समय सीमा बढ़ा सकती है या कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे।

67. छूट प्राप्त स्थापना के अनुपालन के लिए नियम एवं शर्तें- (1) जिस स्थापन को संहिता के अध्याय 4 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है -

(क) छूट प्राप्त कर्मचारियों के संबंध में ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखेगा और निगम को ऐसी विवरणी और अन्य जानकारी जमा करेगा जैसा कि धारा 157 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सके; और

(ख) एक स्थापन की विधिक स्थिति में परिवर्तन के मामले में, जिसे धारा 143 के अधीन छूट दी गई है, विलय, डिमर्जर, अधिग्रहण, बिक्री, समामेलन, एक सहायक में गठन, पूर्ण स्वामित्व वाली या नहीं, आदि के कारण छूट रद्द माना जाएगा और स्थापन को छूट के लिए समुचित सरकार को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(2) अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, स्थापना और/या नियोक्ता, छूट प्रदान करने के बाद, भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, जैसा कि धारा 15 के अधीन मामला बनाया जा सकता है।

68. न्यास के प्रबंधन के लिए नियम और शर्तें - (1) भविष्य निधि या पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समय-समय पर एक न्यासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(2) न्यासी बोर्ड में नियोक्ता और कर्मचारियों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि उतने ही समान संख्या में होंगे जितने कि भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) ऐसे छूट प्राप्त स्थापन का नियोक्ता न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, न्यासी बोर्ड की सभी बैठकों में अध्यक्ष द्वारा आर्म्स लेंथ सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।

(4) न्यासी बोर्ड हर तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और केंद्रीय सरकार या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

(5) न्यासी के कार्यालय के कार्यकाल सहित नियम और शर्तें, निर्वाचन के लिए प्रक्रिया और रीति या कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के न्यासी बोर्ड के लिए नामांकन, अयोग्यता और ट्रस्टीशिप की समाप्ति, पुनः चुनाव या न्यासियों का पुनर्नामांकन, बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति, व्यवसाय के लेन-देन का रिकॉर्ड रखना और ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए ऐसे सभी अन्य मामले और शर्तें भविष्य निधि योजना या पेंशन में प्रदान की गई होंगी। योजना, जैसा भी मामला हो।

(6) किसी विवाद या संदेह की स्थिति में-

(क) इस नियम के किसी उपबंधों का निर्वाचन, ऐसे मामले को केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा; और

(ख) ऐसी छूट के अनुदान पर कोई स्पष्टीकरण जो इस नियम से संबंधित नहीं है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी अन्य अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा;

और इस तरह के विवाद या संदेह पर केंद्रीय सरकार की निर्वाचन या केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे अधिकारियों का स्पष्टीकरण, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले के निपटान के लिए बाध्यकारी होगा।

69. धारा 148 के अधीन किसी स्थापन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी लाभ के दुरुपयोग का निर्धारण करने की रीति। - प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी या सामाजिक सुरक्षा संगठन की सिफारिशों पर, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि किसी स्थापन या किसी व्यक्ति ने संहिता या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए किसी भी लाभ का दुरुपयोग किया है, तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थापनों या ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय के लिए ऐसे लाभ से वंचित कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे स्थापन या ऐसे व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

प्ररूप-1

[नियम 13 (2) (क) देखें]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 23 के अधीन अपील

मामले का शीर्षक:

क्रमांक सं.	अपील अनुक्रमणिका विश्वसनीय दस्तावेजों का विवरण पृष्ठ	संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		

आवेदक के हस्ताक्षर

अधिकरण के कार्यालय में उपयोग के लिए
फाइल करने की तारीख (या) डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख
पंजीकरण संख्या

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण में

क.ख.
के बीच

अपील

बनाम

सी.डी.

प्रत्यर्थी

अपील का विवरण

1. अपीलकर्ता का विवरण:

- (i) अपीलकर्ता का नाम
- (ii) कार्यालय का पता
- (iii) सूचना की तामील के लिए पता

2. प्रत्यर्थी का विवरण:

- (i) प्रत्यर्थी का नाम
- (ii) कार्यालय का पता
- (iii) सूचना की तामील के लिए पता

3. आदेश/अधिसूचना की विशिष्टियां जिसके विरुद्ध अपील की गई है- अपील निम्नलिखित आदेश/अधिसूचना के विरुद्ध है

- i आदेश/अधिसूचना सं. उपाबंध के संदर्भ में
- ii तारीख
- iii द्वारा पारित
- iv विषय संक्षेप

4. अधिकरण का अधिकार क्षेत्र- अपीलकर्ता घोषित करता है कि जिस मामले के विरुद्ध वह निवारण चाहता है वह अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है।

5. सीमा -अपीलकर्ता आगे घोषणा करता है कि अपील सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 126 में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है।

6. मामले के तथ्य- मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं:

(यहाँ एक कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैरा में यथासंभव एक अलग विवाधक, तथ्य या अन्यथा सम्मिलित है)

7. समाप्त हो चुके उपचारों का विवरण -अपीलकर्ता घोषणा करता है कि उसने संहिता के अधीन उसके लिए उपलब्ध सभी उपचारों का लाभ उठाया है।

(उपाबंध संख्या के संदर्भ में यहां दिए गए ऐसे अभ्यावेदनों का विवरण और ऐसे अभ्यावेदन के परिणाम यहां कालानुक्रमिक रूप से दें)।

8. मामले पहले फाइल नहीं किए गए या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं हैं -अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने पहले किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण की किसी अन्य पीठ के समक्ष उन मामलों के संबंध में कोई अपील, रिट याचिका या वाद फाइल नहीं किया था जिनके संबंध में यह अपील की गई है और न ही ऐसी कोई इनमें से किसी के समक्ष अपील, रिट याचिका या वाद लंबित है।

यदि अपीलकर्ता ने पहले कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा फाइल किया है, तो वह चरण जिस पर लंबित है और यदि विनिश्चय लिया जाता है, तो विनिश्चय का सार उपाबंध के संदर्भ में दिया जाना चाहिए।

9. मांगा गया अनुतोष - उपरोक्त पैरा 6 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष(अनुतोषों) के लिए प्रार्थना करता है:-

[अनुतोष(अनुतोषों) के लिए आधार और विधिक उपबंधों (यदि कोई हो) पर विश्वास करते हुए मांगा गया अनुतोष(अनुतोषों) के नीचे विनिर्दिष्ट करें]।

10. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, के लिए प्रार्थना- अपील पर अंतिम विनिश्चय लंबित होने तक आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने की मांग करता है-

(यहां कारण सहित प्रार्थना किए गए अंतरिम आदेश की प्रकृति बताएं)

11. यदि अपील त्वरित डाक (पंजीकरण के साथ) द्वारा भेजे जाने की स्थिति में, यह कहा जा सकेगा कि क्या अपीलकर्ता प्रवेश स्तर पर मौखिक सुनवाई करना चाहता है और यदि ऐसा है, तो वह एक स्व-पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र संलग्न करेगा, जिस पर सूचना के संबंध में सुनवाई की तारीख उन्हें भेजी जा सकती है।

12. अपील फीस के संबंध में बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर का विवरण:

13. बैंक का नाम जिस पर आहरित किया गया है

14. डिमांड ड्राफ्ट नंबर (या)

15. ऑनलाइन निधि अंतरण का विवरण

16. संलग्नकों की सूची

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

सत्यापन

मैं, (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/श्री, पुत्री/श्री, पत्नी/श्री आयु के कार्यालय मेंके रूप में कार्यरत हूं,में रहने वाला/वालीहूं, एतद्वारा सत्यापित करता/करती हूं कि पैरा से..... की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और पैरा से जानकारी के अनुसार सही हैं, और पैरा.....से.....तक विधिक सलाह के आधार पर सत्य मानता हूं और मैंने किसी भी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

सेवा में,

रजिस्ट्रार

प्ररूप-2

[नियम 13 (2)(ग) देखें]

रसीद पर्ची

केंद्रीय सरकार के औद्योगिक अधिकरण में फाइल की गई अपील की प्राप्ति श्री/श्रीमती/कु. द्वारा में/के लिए कार्यरत इसके द्वारा अभिस्वीकृत किया जाता है।

रजिस्ट्रार के लिए
केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

तारीख:

मुहर:

प्ररूप-3

[[नियम 32(1),(2), (3) और (4) देखें]

[अध्याय-5 के प्रयोजन के लिए]

नामांकन/नया नामांकन/नामांकन का उपांतरण

(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

क्र. सं.	कर्मचारी के ब्यौरे:
1	कर्मचारी का पूरा नाम
2	पिता/ पति का नाम
3	जन्म तारीख(.../.../....)
4	यूनिवर्सल खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो):
5	लिंग
6	धर्म
7	क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर
8	विभाग/शाखा/अनुभाग जहां नियोजित हैं
9	टिकट सं. या क्रम सं., यदि कोई हो, के साथ धारित पद
10	नियुक्ति की तारीख
11	अधिवर्षिता की तारीख
12	स्थायी पता:
	गांव:
	डाक बंगला:
	थाना:
	उपखंड:

	जिला:	
	राज्य:	
	पिन कोड:	
	ईमेल आईडी:	
	मोबाइल नंबर:	

सेवा में

(पता सहित स्थापन का नाम या विवरण दें)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पूरा नाम) जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है, एतद द्वारा तारीखसे निम्नलिखित व्यक्ति (यों)/ सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (33) के भीतर कुटुंब है, को निम्नानुसार नामनिर्देशित करता हूँ, अतएव निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु पश्चात उपदान प्राप्त करने के लिए नए रूप से नामनिर्देशित करता हूँ और उस रकम के देय होने से पहले मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे खाते में संचित उपदान भी, या देय होने से पहले मेरे खाते में संचित उपदान का भुगतान नहीं किया गया है की स्थिति में उपदान की उक्त रकम का भुगतान नामनिर्देशितियों के नाम के सामने उपदर्शित भाग में किया जाएगा।

अथवा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... (यहाँ पूर्ण नाम) जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा तारीख.....को भरा गया नामांकन और आपके संदर्भ संख्यातारीख के अधीन किया गया अभिलिखित निम्नलिखित रूप में उपांतरित होंगे:-

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

नामनिर्देशितियों

क्र.सं.	नामनिर्देशितियों का पूरा नाम पता सहित	कर्मचारी के साथ संबंध	नामनिर्देशित की उम्र	नामनिर्देशित आधार संख्या	अनुपात जिसके द्वारा उपदान साझा किए जाने वाला है
1.					
2.					
3.					
आदि					

घोषणा

1. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जिन व्यक्ति(यों) का उल्लेख किया गया है, वह सामाजिक सुरक्षा, 2020 (2020 का 36) पर संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ के भीतर मेरे कुटुंब का सदस्य है/हैं।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ के भीतर मेरा कोई कुटुंब नहीं है।

3. (क) मेरे पिता / माता / माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है/हैं।

(ख) मेरे पति के पिता / माता / माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है/हैं।

4. मैंने उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) की मद में सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर अपने पति को अपने कुटुंब से बाहर रखा है।

5. ये नामांकन मेरे पिछले नामांकन को अविधिमान्य करता है।

"कुटुंब" में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की रीति

(कुटुंब के सदस्य होने के माध्यम का ब्यौरे दें अर्थात् विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित किया गया या दत्तक लेने जैसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से)

स्थान:

तारीख :

कर्मचारी के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकन को सत्यापित किया तथा इसे स्थापन के अभिलिखित कर लिया गया।

नियोक्ता का संदर्भ सं.(यदि कोई हो)

नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :

स्थापन के नाम और पता या उनकी रबर की मोहर

कर्मचारी द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए प्ररूप-3 में नामांकन जो नियोक्ता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया, की दूसरी प्रति प्राप्त की।

तारीख :

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-4

[[नियम 33 (1) देखें]

कर्मचारी/नामनिर्देशिती व्यक्ति/विधिक वारिस द्वारा उपदान के लिए आवेदन
(जो लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवा

में

,.....
.....

(यहां पूरे पते सहित स्थापन का नाम या विवरण दें)

महोदय/महोदया,

मैं..... (कर्मचारी / नामांकित / विधिक वारिस का नाम) / स्व..... का नामनिर्देशिती (कर्मचारी का नाम) / स्व.....(कर्मचारी का नाम) के विधिक वारिस के रूप में, उपदान के भुगतान के लिए आवेदन करना चाहता हूं, जिसका मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन निम्न कारणों से हकदार हूं-

- (क) मेरी अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र न्यूनतम पांच वर्ष की निरंतर सेवा/दुर्घटना के कारण कुल निःशक्तता/बीमारी के कारण कुल निःशक्तता/तारीखसे निश्चित अवधि के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति पर या;
- (ख) पूर्वोक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु / तारीख कोवर्ष की सेवा अवधि की समाप्ति पर अधिवर्षिता होने / दुर्घटना या तारीखसे सेवा में रहते हुए बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल निःशक्तता पर, या;
- (ग) पूर्वोक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान बिना कोई नामांकन दिये मृत्यु / तारीख कोवर्षों की सेवा अवधि की समाप्ति पर अधिवर्षिता होने / दुर्घटना या तारीखसे सेवा में रहते हुए बीमारी के कारण पूर्वोक्त कर्मचारी की कुल निःशक्तता पर,

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विशिष्टियों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

- कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)
 - ख. कर्मचारी का पूरा पता

अथवा

- नामांकित/विधिक वारिस का नाम, (यदि नामनिर्देशिती/विधिक वारिस द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)
 - क. कर्मचारी का नाम
 - ख. नामांकित व्यक्ति/विधिक वारिस की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
 - ग. कर्मचारी के साथ नामनिर्देशिती/विधिक वारिस का संबंध
 - घ. नामांकित व्यक्ति/विधिक वारिस का पूरा पता
 - ङ. मृत्यु की तारीख और कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण
 - च. अभिलिखित नामांकन की संदर्भ सं., यदि उपलब्ध हो

3. विभाग / शाखा / अनुभाग, जहां अंतिम बार नियोजित था
4. कर्मचारी द्वारा धारित पदा।
5. नियुक्ति की तारीख.
6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण
7. मृत्यु की तारीख
8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
9. कर्मचारी द्वारा अंतिम कुल आहरित वेतन
10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/नामांकित/विधिक वारिस द्वारा दावा की गई उपदान के भाग।
11. कृपया रेखांकित बैंक चेक द्वारा भुगतान/मेरे बैंक खाते में जमा करें।

भवदीय
आवेदक कर्मचारी / नामांकित / विधिक वारिस
के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

स्थान:

तारीख :

प्ररूप-5

[[नियम 33(2)]]

उपदान के दावे के भुगतान/अस्वीकार करने की सूचना
(जो लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवा में

(आवेदक कर्मचारी/नामांकित विधिक वारिस का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

(क) * सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 33 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अधीन यथाअपेक्षित, उक्त नियमों के अधीन प्ररूप-4 में आपके आवेदन में उपदर्शित किए गए उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा नीचे बताए गए कारणों के लिए अनुज्ञेय नहीं है:

कारण (यहां कारण को विनिर्दिष्ट करें); या

(ख) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 33 के उपनियम (2) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित है कि रकम..... (रुपये) उपदान के रूप में आपको /.....द्वारा तारीखको और इस स्थापन में किए गए नामांकन के संदर्भ में उपदान के आपके हिस्से के रूप में/स्थापन के कर्मचारी..... विधिक वारिस के रूप में देय है।

2. *कृपया उपदान भुगतान के रेखांकित चेक के लिए(स्थान) (यहां स्थान विनिर्दिष्ट करें) पर(तारीख) कोबजे कॉल करें।

3. देय रकम आपको मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी या आपके द्वारा वांछित बैंक खाते में जमा की जाएगी।

4. गणना का संक्षिप्त विवरण

(क) नियुक्ति की तारीख

(ख) समाप्ति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र/निःशक्तता/मृत्यु की तारीख

(ग) संबंधित कर्मचारी की कुल सेवा अवधि:वर्ष..... मास

(घ) अंतिम आहरित वेतन

(ड.) नामांकन के अनुसार / विधिक वारिस को देय अनुज्ञेय उपदान का भाग :

(च) देय रकम:

* लागू न होने पर पैरा को काट दें

स्थान:

तारीख:

नियोक्ता/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थापन का नाम या विवरण या
उसका रबर स्टाम्प

प्रति: (1) सक्षम प्राधिकारी।

प्ररूप-6

[(नियम 33(4) देखें)]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन अध्याय 5 के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निदेशन के लिए आवेदन

आवेदन संख्या

तारीख

के बीच

(आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

(पूरे पते के साथ संबंधित नियोक्ता का पूरा नाम)

आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता का कर्मचारी/उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का नामनिर्देशिती/उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता के कर्मचारी और स्व० का विधिक वारिस है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 53 के अधीन अपने स्वयं के/पूर्वोक्त कर्मचारी की अधिवर्षिता.....(तारीख) के कारण उसकी अपनी अधिवर्षिता/पूर्वोक्त कर्मचारी का.....(तारीख) त्यागपत्र/..... को निरंतर सेवा के पूरा होने पर/अपने स्वयं के/पूर्वोक्त कर्मचारी की दुर्घटना/रोग के कारण

..... (तारीख) से कुल अक्षमता/उक्त कर्मचारी की.....(तारीख) को मृत्यु के कारण उपदान के भुगतान का हकदार है।

2. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम के अधीन को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे स्वीकृति करने से इनकार कर दिया/तारीख को मेरे देय रकम से कम उपदान की रकम की प्रस्थापना करते हुए नियम के उपनियम के खंड के अधीन एक सूचना जारी की/तारीख को उपदान के भुगतान के लिए मेरी पात्रता को अस्वीकार करते हुए नियम के उपनियम के खंड के अधीन सूचना जारी की गई है। उक्त सूचना की दूसरी प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि मामला विवादास्पद है (विवाद विनिर्दिष्ट करें)।

4. आवेदक ने इसके साथ उपाबंध में आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत की है और निवेदन किया है कि सक्षम प्राधिकारी आवेदक को देय उपदान की रकम का अवधारण करने की कृपा करें और उपर्युक्त नियोक्ता को आवेदक को इसका भुगतान करने का निर्देश दें।

5. आवेदक ने घोषणा की है कि इसके साथ उपाबंध में दिया गया विवरण उसकी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

उपाबंध

1. आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता
2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/निःशक्तता/नियत अवधि के नियोजन के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर)
5. नियोक्ता का पूरा नाम और पता
6. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
7. टिकट या क्र. सं. के साथ कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. कर्मचारी की सेवा समाप्ति की तारीख और कारण (अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र)/निःशक्तता/मृत्यु/नियत अवधि के नियोजन के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
10. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन
12. यदि कर्मचारी की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु की तारीख और कारण
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य/गवाह
14. यदि नामनिर्देशिती है तो नियोक्ता के साथ नामांकन रिकॉर्डिंग की संख्या और तारीख
15. यदि विधिक वारिस है तो विधिक वारिस होने के समर्थन में साक्ष्य/साक्षी
16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
17. नामनिर्देशिती/विधिक वारिस के रूप में आवेदक को देय उपदान का प्रतिशत
18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की रकम

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-7

[(नियम 33(5) और (8) देखें)
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना/समन
(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

सेवा में,

(नियोक्ता/आवेदक का नाम और पता)

श्री/सुश्री/कुमारी..... आपके अधीन एक कर्मचारी या उपर्युक्त नियोक्ता के अधीन श्री सुश्री/कुमारी
..... के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम
33 के उपनियम (4) के अधीन एक आवेदन फाइल किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ----

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न करें, यदि समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति अपेक्षित नहीं है)

अब, अतः आपको आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयोजन से20..... के
दिन..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में आरोप के समर्थन में/का जवाब देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
..... (स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित
होने के लिए बुलाया जाता है और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत
किया गया है, आपको उस दिन सभी साक्षी जिनके साक्ष्य पर और वे दस्तावेज जिन्हें आप अपने आरोप/बचाव के समर्थन में
प्रस्तुत करना चाहते हैं, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ध्यान दें कि पूर्व-उल्लिखित दिन पर आप अनुपस्थित होने पर, आवेदन को खारिज किया जाएगा/उस पर सुनवाई होगी
और आपकी अनुपस्थिति में अवधारित किया जाएगा।

साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है या आपको की ओर से द्वारा उपदान के दावे से
उत्पन्न होने वाले मामले में नीचे दी गई सूची में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, प्ररूप.....और
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 56 के अधीन इस प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया गया
आवेदन, आपको इस प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से 20.....के दिन को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में
उपस्थित होने के लिए और उक्त दस्तावेजों सहित अपने साथ लाने के लिए बुलाया जाता है।

दस्तावेजों की सूची-

- 1.
- 2.
3. आदि

हस्ताक्षर और मुहर, तारीख20.....

सक्षम प्राधिकारी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता के अधीन

टिप्पण: 1. लागू न होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें।

2. लागू न होने वाले भाग को हटा दिया जाए।

3. समन दो प्रतियों में जारी किया गया है। नियत तारीख से पहले जिसे समन भेजा गया है, दूसरी प्रति हस्ताक्षर
करें और वापस भेजें।

4. यदि समनों को केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया है और साक्ष्य देने के लिए नहीं, तो यह
समन का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि दस्तावेजों को इस प्रयोजन के लिए नियत दिन और समय पर सक्षम
प्राधिकारी के समक्ष प्रस्थापित किया जाता है।

प्ररूप-8

[[नियम 33(11) और 33(12) (ज) देखें]

सक्षम/अपील प्राधिकारी द्वारा यथाअवधारित उपदान के भुगतान की सूचना
(लागू न होने वाले शब्दों को काट दें)

सेवामें,
(नाम और नियोक्ता का पता)

श्री/श्रीमती/कुमारी आपके अधीन एक कर्मचारी.....(पता) आप के अधीन एक कर्मचारी स्व० के नामनिर्देशितियों/विधिक वारिस(सों) ने मेरे समक्ष सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (36 का 2020) की धारा 56 के अधीन एक आवेदन फाइल किया है; या

आपको सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन उपदान के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी.....को रुपये का भुगतान करने हेतु सूचना दी गई थी।

और आवेदन की सुनवाई आपकी उपस्थिति में को हुई और सुनवाई के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन उपदान के रूप में रु. के भुगतान के हकदार है; या

आप या आवेदक ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील किया था, जिन्होंने विनिश्चय किया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन देय उपदान के रूप में रु.की रकम का भुगतान किया जाना है।

अब, अतः, मैं आपको इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मुझे इसकी इत्तिला देते हुए श्री/श्रीमती/कुमारीको उक्त रकम का भुगतान करने का निदेश देता हूं।

हस्ताक्षर और मुहर, तारीख20.....,

सक्षम प्राधिकारी
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता के अधीन

प्रति:

1. आवेदक- उसे भुगतान लेने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
2. अपील प्राधिकारी यदि लागू हो।

टिप्पण ---- (यदि लागू न हो तो पैरा काट दें)

प्ररूप-9

[(नियम 33(13) देखें)]

**सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन अध्याय 5 के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष
उपदान की वसूली के लिए आवेदन**

आवेदन संख्या

तारीख

के बीच

(आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता)

और

(पूरे पते के साथ संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमांकक का पूरा नाम)

1. आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित नियोक्ता का कर्मचारी है/उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का नामनिर्देशिती है।

उपर्युक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्व० का विधिक वारिस है और आपने उक्त नियोक्ता को अभिसूचना तारीख द्वारा सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2025 के नियम 33 के उपनियम (11) या उपनियम (12) के अधीन, सामाजिक सुरक्षा, 2020 (2020 का 36) के अधीन देय रु. का उपदान की रकम के भुगतान के लिए निदेश दिया है।

2. आवेदक यह निवेदन करता है कि उक्त नियोक्ता आपके निदेशानुसार मुझे उपदान की उक्त रकम का भुगतान करने में असफल रहा, यद्यपि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था।

3. अतः आवेदक प्रार्थना करता है कि आपके निदेशानुसार मुझे उपदान के रूप में उक्त रकम की वसूली के लिए धारा 129 के अधीन एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

स्थान:

तारीख:

टिप्पण—लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

प्ररूप-10

[नियम 35(1)(क), 35 (1)(घ) और 35(1)(च)देखें]

**प्रसवावस्था/गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया/बच्चे के जन्म के लिए चिकित्सा
अधिकारी/चिकित्सकों का प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

1. *मैंने की पत्नी/बेटी की (स्थापन का नाम) महिला कर्मचारी का (तारीख) को जांच की और पाया/नहीं पाया कि वह गर्भवती है और ऊपर उल्लिखित तारीख से (मास और दिन) के भीतर बच्चे का जन्म होना प्रत्याशित है या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया हुआ है/.....

(तारीख) को बच्चे का जन्म हुआ है या.....(तारीख) से गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाले रोग से पीड़ित है या प्रसव या बच्चे का समय से पहले जन्म या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन/या ट्यूबेक्टॉमी शल्यक्रिया हुआ है।

2. *..... (स्थापन का नाम) में कार्यरत का पत्नी/बेटी श्रीमतीका प्रसवावस्था से पहले/ प्रसववस्था के दौरान/ प्रसवावस्था के पश्चात् मृत्यु हो गई। बच्चेकी मृत्यु हो गई या जीवित है।
3. *मैंने (स्थापन का नाम) में कार्यरत का पत्नी/बेटी श्रीमतीका (स्थापन का नाम) में कार्यरत एक महिला की जांच की और पाया कि(तारीख) को उसके एक बच्चे का जन्म हुआ है या उसका गर्भपात हुआ है।

*अनावश्यक भाग को काट दें।

चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा व्यवसायी / आशा / एएनएम / ग्राम प्रधान / ग्राम प्रशासनिक अधिकारी / नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख.....

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) में "बच्चे" और "गर्भपात" की परिभाषाएँ-

1. "बच्चे" के अंतर्गत मृतजात बच्चे भी सम्मिलित है।
2. "गर्भपात" से गर्भावस्था के छब्बीस सप्ताह से पहले या उसके दौरान किसी भी अवधि में सगर्भ गर्भवती की अंतर्वस्तुओं का निष्कासन अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा गर्भपात नहीं आता, जिसका कारित किया जाना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय है।

प्ररूप-11

[नियम 35(2)(क) और (ग) देखें]

(धारा 62 और 63 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के दावे और उसके भुगतान की सूचना)

सेवा में,

..... (स्थापन का नाम)

भाग 1

[नियम 35(2)(क) देखें]

सूचना

मैं (महिला का नाम) (स्थापन का नाम) में के रूप में नियोजित की पत्नी या बेटी, एतद्वारा सूचित करती हूँ कि मैं इस सूचना की तारीख से अगले छह सप्ताह के भीतर प्रसवावस्था की आशा कर रही हूँ या(तारीख) को एक बच्चे को जन्म दिया है और.....(तारीख) से कार्य से अनुपस्थित रहूँगी। मैं किसी भी स्थापन में उस अवधि के दौरान काम नहीं करूँगी जिसके लिए मुझे प्रसूति प्रसुविधा मिली है।

2. धारा 63 के प्रयोजन के लिए, मैं अपनी मृत्यु की दशा में संहिता के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और/या कोई अन्य देय रकम प्राप्त करने के लिए (यहां नामनिर्देशित का नाम और पता प्रविष्ट करें) को नामनिर्देशित करती हूँ।

महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं होने के मामले में अंगूठे का निशान और एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर लगाएं
तारीख.....

भाग 2

[नियम 35(2)(ग) देखें]

प्रसूति प्रसुविधा की प्राप्ति का प्ररूप

मैं,....., अधोहस्ताक्षरी, एक महिला कर्मचारी /महिला कर्मचारी का नामनिर्देशिती या जिले में (स्थापन का नाम) में मृतक महिला कर्मचारी का विधिक प्रतिनिधि ऊपर उल्लिखित स्थापन के नियोक्ता से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और/या अन्य देय रकम प्राप्त की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

र..... को प्रसूति प्रसुविधा की पहली किस्त का को भुगतान

र..... को प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के रूप में प्रसव के पश्चात् को भुगतान

र..... को कोड की धारा 64 के अधीन मेडिकल बोनस होने के नाते.....को भुगतान

र धारा 65 के अधीन उल्लिखित से तक छुट्टी की अवधि के लिए वेतन के रूप में।

*मेरा/उसका प्रसवावस्था/गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया को हुआ या मैं/वहको गर्भावस्था/बच्चे का जन्म/बच्चे का असमय जन्म या गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया के कारण बीमार हुई। जिसके फलस्वरूप मुझे..... उसके नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 60, 64 और 65 में निर्धारित पूर्वोक्त रकम प्राप्त हुई है।

*महिला कर्मचारी या उसका नामनिर्देशिती या विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

यदि महिला हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और अंगूठे का निशान लगाती है तो एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

*अनावश्यक भाग को काट दें।

प्ररूप-12

[38(2) नियम देखें]

धारा 68 के अधीन अपील

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय 6 के अधीन नियुक्त)

.....(पता)

महोदय,

मैं, अधोहस्ताक्षरी,(स्थापन का नाम और पूरा पता) की महिला कर्मचारी हूँ जिसे कि नियोक्ता द्वारा प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से गलत तरीके से वंचित किया गया है या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार संलग्न कारणों के लिए, कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या गलत तरीके

से छुट्टी दे दी गई है या पदच्युत कर दिया गया है, धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन इस अपील को प्राथमिकता दें और अनुरोध है कि मेरे और/या उन्मोचन/पदच्युति के आदेश को रद्द करते हुए उक्त नियोक्ता को उपरोक्त उल्लिखित रकम का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में नियोक्ता के आदेश की एक प्रति संलग्न है।

महिला कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि

स्थान

तारीख

महिला कर्मचारी के मामले में एक प्रमाणक के हस्ताक्षर/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि है
हस्ताक्षर करने में असमर्थ है और अंगूठे का निशान लगाता है
महिला कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-13-क

[39(1)(क) नियम देखें]

निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत

सेवा में,
निरीक्षक-सह-सुकारक
(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन)

महोदय,

मैं (महिला कर्मचारी का नाम) (स्थापन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत हूं या मैं, (नाम), धारा 62 के अधीन नामनिर्देशिती व्यक्ति या (महिला कर्मचारी का नाम) का विधिक प्रतिनिधि(स्थापन का नाम और पूरा पता) में कार्यरत) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) और उसके तद्विना बनाए गए नियमों में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के पश्चात्, प्रसूति प्रसुविधा के रूप में रुपये और / या रु..... चिकित्सीय बोनस होने के नाते और/या रु..... धारा 65 के अधीन छुट्टी के लिए मजदूरी होने के नाते, का हकदार हूं किंतु इसे नियोक्ता द्वारा अनुचित तरीके से रोक दिया गया है / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार काम से या मेरी अनुपस्थिति के कारण छुट्टी दे दी गई है या पदच्युत कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप नियोक्ता को मुझे रकम का भुगतान करने और/या नियोक्ता द्वारा किए गए उन्मोचन या पदच्युति को अपास्त करने का निदेश दें।

महिला कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान/
नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि

स्थान

तारीख

महिला कर्मचारी जो हस्ताक्षर करने में
असमर्थ है और अंगूठे का निशान लगाता है, के मामले में
एक प्रमाणक/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
महिला कर्मचारी/नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-13 - ख
[39(2)(ख) नियम देखें]

अपील

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन नियुक्त)

.....(पता)

महोदय,

मैं, अधोहस्ताक्षरी, महिला कर्मचारी/उसका विधिक उत्तराधिकारी/उसका प्रतिनिधि या नियोक्ता/उसका प्रतिनिधि (स्थापन का नाम और पूरा पता) निरीक्षक-सह-सुकारक श्री..... के आदेश से व्यथित हूँ। ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों और इसके साथ फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन इस अपील को प्रस्तुत करते हैं।

*धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन अपने आदेश से इनकार, प्रसूति प्रसुविधा या अन्य रकम (रकम की प्रकृति) जिसके लिए (महिला कर्मचारी का नाम) हकदार है और/या सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार काम के दौरान या काम से अनुपस्थिति के कारण (महिला कर्मचारी का नाम) के उन्मोचन या पदच्युति को अपास्त करने से इनकार कर दिया। (अनावश्यक भाग काट दें)

* यह प्रस्तुत किया जाता है कि (महिला कर्मचारी का नाम) / प्रसूति प्रसुविधा या उक्त रकम की हकदार नहीं है और/या सही तरीके से उन्मोचन या पदच्युत किया गया है, अतः निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश को अपास्त किया जा सकता है।

*अनावश्यक भाग काट दें

महिला कर्मचारी/व्यथित व्यक्ति/नियोक्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान

तारीख

.....
महिला कर्मचारी हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है और अंगूठे का निशान लगाता है की स्थिति में एक सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर नामनिर्देशिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप-14

[40(4) नियम देखें]

(प्रसूति प्रसुविधा और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन बनाए गए नियम का सार)

1. कोई भी नियोक्ता किसी महिला को उसके प्रसव/गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन के तुरंत पश्चात् के छह सप्ताह के दौरान जानबूझकर नियोजित नहीं करेगा और कोई भी महिला उक्त अवधि के दौरान किसी भी स्थापन में काम नहीं करेगी।
2. किसी भी गर्भवती महिला को, इस संबंध में उसके द्वारा किए गए अनुरोध पर, उसके नियोक्ता द्वारा अपेक्षित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह पहले की अवधि के ठीक पहले की अवधि के दौरान और छह सप्ताह की अवधि जिसके लिए वह अनुपस्थिति की छुट्टी का लाभ नहीं उठाती है, कोई भी काम जो कठिन प्रकृति का है या जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना सम्मिलित है, या जिससे उसकी गर्भावस्था या भ्रूण के सामान्य विकास में बाधा पड़ने की संभावना है, या उसके गर्भपात या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इस दौरान किसी भी अवधि के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. (क) संहिता के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक महिला जिसने वास्तव में नियोक्ता की स्थापन में काम किया है, जिससे वह कम से कम अस्सी दिन की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा का दावा करती है, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, जिसके दौरान उसे काम से निकाला गया था और, या मजदूरी पर संहिता, 2019 (2019 का 29) के अधीन नियत या पुनरीक्षित मजदूरी की न्यूनतम दर या दो सौ रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो, उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए प्रसव के दिन से ठीक पहले छह सप्ताह से अधिक नहीं और उस दिन के तुरंत पश्चात् की शेष अवधि के लिए, उसका नियोक्ता उसके औसत दैनिक वेतन की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान के लिए दायी होगा:

परंतु कि जहां एक महिला की मृत्यु उस अवधि के दौरान हो जाती है जिसके लिए उसे प्रसूति प्रसुविधा देय है, प्रसुविधा केवल उसकी मृत्यु के दिन तक और उसके पश्चात् के दिनों के लिए देय होगा। तथापि, जहाँ महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है या प्रसूति प्रसुविधा की शेष अवधि के दौरान किसी भी मामले में बच्चे के सिवाय, उसके प्रसव के दिन के पश्चात् किंतु यदि बच्चे की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे की मृत्यु के दिन तक और उसके पश्चात् के दिन के लिए नियोक्ता प्रसूति प्रसुविधा की पूरी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान के लिए दायी होगा।

(ख) उसकी अपेक्षित प्रसव की तारीख से पहले की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा महिला को प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि वह गर्भवती है और एक बच्चे का जन्म प्रत्याशित है। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह, और पश्चात् की अवधि के लिए देय रकम का भुगतान नियोक्ता द्वारा महिला को प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटे के भीतर किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन बनाए गए जन्म रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण को प्रस्तुत किया है।

4. (क) किसी स्थापन में कार्यरत और संहिता के उपबंधों के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार कोई भी महिला अपने नियोक्ता को प्ररूप-11 में लिखित रूप में सूचना दे सकती है, जिसमें कहा गया है कि उसका प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य रकम जिसके लिए वह संहिता के अधीन हकदार हो सकती है उसे या ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसे वह सूचना में नामनिर्देशिती कर सकती है और वह उस अवधि के दौरान किसी भी स्थापन में काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त होती है।

(ख) गर्भवती महिला के मामले में, ऐसी सूचना में वह तारीख वर्णित होगी जिससे वह काम से अनुपस्थित रहेगी, जो उसके प्रत्याशित प्रसव की तारीख से छह सप्ताह से पहले की तारीख नहीं होगी।

(ग) कोई भी महिला जिसने गर्भवती होने पर सूचना नहीं दी है, वह प्रसव के पश्चात् शीघ्रतिशीघ्र ऐसी सूचना दे सकती है।

(घ) सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता ऐसी महिला को उसके प्रसव के दिन के पश्चात् प्रसूति प्रसुविधा की शेष अवधि की समाप्ति तक स्थापन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

5. (क) संहिता के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार प्रत्येक महिला अपने नियोक्ता से तीन हजार पांच सौ रुपये का चिकित्सीय बोनस प्राप्त करने की भी हकदार होगी, यदि नियोक्ता द्वारा कोई प्रसव पूर्व, प्रसूति और प्रसवोत्तर देखभाल निःशुल्क प्रदान नहीं की जाती है। प्रसूति प्रसुविधा की दूसरी किस्त के साथ चिकित्सीय बोनस का भुगतान किया जाएगा।

(ख) गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन की दशा में, एक महिला, प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, उसके गर्भपात के दिन के तुरंत पश्चात् छह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी के साथ छुट्टी की हकदार होगी। प्ररूप-10 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 48 घंटों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ग) गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाली बीमारी से पीड़ित महिला, प्रसव, बच्चे के समय से पहले जन्म या गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया, प्ररूप-10 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, अनुपस्थिति की अवधि की अनुज्ञा के अतिरिक्त, उसे, यथास्थिति, मातृत्व या गर्भपात/ गर्भ का चिकित्सीय समापन या ट्यूबेक्टोमी शल्यक्रिया, के कारण अधिकतम एक मास की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी के साथ छोड़ने के लिए, हकदार होगी। छुट्टी की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।

6. बच्चे के जन्म के पश्चात् काम पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को, उसे दिए गए आराम के अंतराल के अतिरिक्त, अपने दैनिक कार्य के दौरान बच्चे को दूध पिलाने के लिए 15 मिनट की अवधि के दो अंतराल की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि बच्चा पंद्रह मास की आयु पूरा नहीं कर पाता। एक अतिरिक्त पर्याप्त अवधि, तय की जाने वाली दूरी के आधार पर, क्रेच या उस स्थान से जहां काम के दौरान महिलाओं द्वारा बच्चों को छोड़ा जाता है, की यात्रा के प्रयोजन के लिए अनुज्ञा दी जाएगी, परंतु कि ऐसी अतिरिक्त अवधि 15 मिनट तक होगी।

7. (1) जब कोई महिला संहिता के उपबंधों के अनुसार स्वयं को काम से अनुपस्थित करती है, तो उसके नियोक्ता के लिए ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कारण उसे उन्मोचन या पदच्युत करना या ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे दिन की छुट्टी को समाप्त करने या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी के लिए अलाभकारी परिवर्तन करने या पदच्युति की सूचना देना अविधिमान्य होगा।

(2) (क) किसी महिला को उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय उन्मोचन या पदच्युत करना, यदि महिला किंतु जिसके लिए उन्मोचन या पदच्युति प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस की हकदार होती तो उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित करने का प्रभाव नहीं होगा:

परंतु कि जहां पदच्युति निम्नलिखित में से एक या अधिक कृत्यों के लिए हो, नियोक्ता, महिला को लिखित में आदेश द्वारा, उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कर सकता है-

- (i) नियोक्ता के सामान या संपत्ति का जानबूझकर नाश;
- (ii) कार्यस्थल पर किसी ज्येष्ठ या सह-कर्मचारी पर हमला करना;
- (iii) आपराधिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप विधि न्यायालय में दोषसिद्धि होती है;
- (iv) नियोक्ता के व्यवसाय या संपत्ति के संबंध में चोरी, कपट, या बेईमानी; और
- (v) इस विषय पर सुरक्षा उपायों या नियमों का जानबूझकर अननुपालन या सुरक्षा उपकरणों या अग्निशमन उपस्कर के साथ जानबूझकर अवरोध।

(ख) प्रसूति लाभ या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित कोई भी महिला, ऐसे वंचित होने के आदेश को सूचित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-12 में अपील कर सकती है और ऐसी अपील पर अपने विनिश्चय के बारे में बता सकती है कि क्या महिला को या प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित नहीं होना चाहिए, अंतिम होगा।

8. यदि कोई महिला अपने नियोक्ता द्वारा संहिता के उपबंधों के अधीन अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के पश्चात् किसी भी स्थापन में काम करती है, तो वह ऐसी अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा के लिए अपना दावा खो देगी।

9. (1) कोई भी महिला जो प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य रकम का दावा कर रही है, जिसके लिए वह संहिता के अधीन हकदार है और कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि देय भुगतान को दोषपूर्वक रूप से रोक दिया गया है, तो वह प्ररूप-13-क में लिखित रूप में निरीक्षक-सह-सुकारक को शिकायत कर सकता है।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक, स्वप्रेरणा से या प्ररूप-13-क में शिकायत प्राप्त होने पर, जांच कर सकते हैं या जांच करवा सकते हैं और यदि समाधान हो जाता है कि भुगतान दोषपूर्वक रोक दिया गया है, अपने आदेश के अनुसार भुगतान का निदेश दे सकते हैं।

(3) निरीक्षक-सह-सुकारक के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ऐसे विनिश्चय की सूचना दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्ररूप-13-ख में समुचित सरकार द्वारा विहित प्राधिकरण को अपील कर सकता है।

(4) प्राधिकरण का विनिश्चय जहां उसे या निरीक्षक-सह-सुकारक के लिए अपील की गई है, जहां ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, अंतिम होगा।

10. (क) नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक महिला को उसके अनुरोध पर प्ररूप 10, 11, 12, 13-क और 13-ख की मुफ्त प्रतियों की आपूर्ति करेगा।

(ख) विहित प्ररूप में सूचना, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में असफलता से प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने की हकदार महिला के अधिकार या संहिता के अधीन देय कोई अन्य रकम प्रभावित नहीं होगी। जहां कोई सूचना, अपील या शिकायत विहित प्ररूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में प्राप्त हुई है, संबंधित प्राधिकारी इस तरह के सूचना, अपील या शिकायत की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर महिला को सूचना, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि मामला विहित प्ररूप में हो सकता है।

11. (क) (1) जिस स्थापन में महिलाएं कार्यरत हैं, उसका नियोक्ता प्ररूप-22 में महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा और उसमें स्थापन में सभी महिला कर्मचारियों का विवरण प्रविष्ट करेगा।

(2) महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां स्याही से की जाएंगी और अद्यतित रखी जाएंगी और यह काम के घंटों के दौरान निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।

(ख) नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होता है, प्रत्येक वर्ष में 28 /29 फरवरी को या उससे पहले, श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय सरकार के वेब पोर्टल पर प्ररूप-23 में पिछले वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के रूप में जानकारी एक एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाइन अद्यतन करें:

परंतु कि निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा बनाए गए खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के उत्पादन की अपेक्षा हो सकती है।

स्पष्टीकरण.- "इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में है।

प्ररूप-15

[41 (1)(क) और(ख)नियम देखें]

नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में प्रारंभ या उपांतरण के लिए सूचना

1.	स्थापना का नाम और (स्थायी) पता	
2.	नियोक्ता का नाम और पता ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	
4.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता संपर्क ब्यौरे के साथ	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)	
8.	कार्य की अनुमानित अवधि	
9.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य में किसी प्रकार के परिवर्तन/उपांतरण के ब्यौरे	

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा सूचित करता/करते हूँ कि भवन या अन्य संनिर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिनांक है, (दिनांक) से प्रारंभ होने की संभावना है या उसमें उपांतरण होने की संभावना है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप - 16

[नियम 41 (2)(ख)देखें]

भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए उपकर के स्व-निर्धारण का रूप विधान नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

1.	स्थायी स्थापन का नाम और पता	
2.	नियोक्ता का नाम और पते का ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/अवस्थान जहाँ भवन या अन्य संनिर्माण कार्य प्रस्तावित है	
4.	प्राप्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता तथा संपर्क ब्यौरे	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य का प्रकार/स्वरूप	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है)	
8.	कार्य की अनुमानित अवधि	
9.	संनिर्माण कार्य का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल	
10.	संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत (पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी/रिआ या अन्य लागू दरों के आधार पर), साथ में नियम 41 के अनुसार मूल दस्तावेज	
11.	चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	अनंतिम उपकर की रकम	कुल अनुमानित लागत का प्रतिशत (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित)
		कुल अनुमानित उपकर (रुपयों में)
13.	अग्रिम उपकर का भुगतान, ब्यौरे सहित (परियोजना की स्वीकृति के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) या स्रोत पर कटौती।	
14.	उपकर भुगतान के ब्यौरे (टिप्पणी कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक है)	

क्र.सं.	वर्ष	रकम (रुपये में)
14.1	पहला वर्ष	
14.2	दूसरा वर्ष	
14.3	तीसरा वर्ष	
15	उपकर की कुल भुगतान रकम (क्र. सं. 13 + 14)	

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया नहीं गया है या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुपयुक्त पाये जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाये जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उसके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप -17

[नियम 41(2) (ई) और 41(5) (क)(ख)(ग) देखें]

भवन या अन्य संनिर्माण कार्य को रोकने या कम करने की सूचना

1.	स्थापना का नाम	
2.	स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
3.	स्थापना का पता	
4.	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	तारीख मास वर्ष
5.	कार्य की अनुमानित प्रस्तावित अवधि	तारीख मास वर्ष
6.	भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के रुकने या कम करने की तारीख	
7.	नियम 42 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति, पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दरों) की दरों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत।	

8	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत		
9	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत	कुल देय उपकर (रुपये में)
10	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो		
11	भुगतान किए गई उपकर का ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक थी)		
	क्रम सं.	वर्ष	रकम (रुपये में)
	11.1	पहला वर्ष	
	11.2	दूसरा वर्ष	
	11.3	तीसरा वर्ष	
12	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं. 10 + क्र. सं. 11)		
13.	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं. 9 - क्र. सं. 12)		
14	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी लागू हो		
15.	अधिक भुगतान उपकर की रकम, यदि लागू हो		
16.	अधिक भुगतान के मामले में, उस बैंक खाते के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है		
17	टिप्पणी यदि कोई हो		

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल संख्या:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उनके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप-18

[नियम 41 (2) (च) और 41 (4) (क), (ग) और (ड.) देखें]
नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के पूरा होने पर विवरणी

1.	स्थापना का नाम और पता (स्थायी)	
2.	नियोक्ता का नाम और पता के ब्यौरे	
3.	उस स्थान का नाम और पता/स्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है	
4.	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
5.	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6.	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति	
7.	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)	
8.	कार्य पूर्ण होने की तारीख	
9.	कार्य की अवधि	
10.	संनिर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र	
11.	नियम 41 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दरों) की दरों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12.	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत	
13.	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत
		कुल देय उपकर (रुपये में)
14.	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले) / स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो	
15.	भुगतान किए गई उपकर के ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)	
	क्रम सं.	वर्ष
		रकम (रुपये में)
	15.1	पहला वर्ष
	15.2	दूसरा वर्ष

	15.3	तीसरा वर्ष	
16		भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं.14 + क्र. सं.15)	
17.		बकाया उपकर की रकम (क्र. सं.13 – क्र. सं.16)	
18		बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी कोई हो	
19.		अधिक भुगतान उपकर की रकम, यदि लागू हो	
20.		अधिक भुगतान की दशा में, उस बैंक खाते के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है	
21.		टिप्पणी कोई प्रयोजन हो	

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल संख्या:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

उनके रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ, सम्यक् रूप से मुहर लगी हुई।

प्ररूप-19

[सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 का नियम 44(1) और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 105 देखें]

निर्धारण आदेश या अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील के लिए प्ररूप

1	स्थापना का नाम और पता (स्थायी)	
2	नियोक्ता का नाम और पता के ब्यौरे	
3	उस स्थान का नाम और पता/अवस्थान जहां भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है	
4	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	
5	प्रस्तावित भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए पत्राचार का पता	
6	प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की प्रकृति	
7	कार्य प्रारंभ होने की तारीख (टिप्पणी संनिर्माण प्रारंभ हो गया है)	
8	कार्य पूर्ण होने की तारीख	
9	कार्य की अवधि	
10	संनिर्माण कार्य का कुल पूर्ण क्षेत्र	
11	नियम 41 के अनुसार दस्तावेजों (मूल) के साथ (यथास्थिति पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी या रेरा या कुछ अन्य दरों हो) की दरों के आधार पर संनिर्माण की कुल अनुमानित लागत	
12	संनिर्माण कार्य की कुल व्यय लागत	
13	देय उपकर की कुल रकम	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संनिर्माण की कुल खर्च की गई लागत का प्रतिशत
		देय उपकर की कुल रकम
14	ब्यौरे के साथ भुगतान किया गया अग्रिम उपकर (परियोजना के अनुमोदन के समय या संनिर्माण कार्य आरंभ होने से पहले)/ स्रोत पर कटौती, टिप्पणी कोई हो	
15	भुगतान किए गई उपकर के ब्यौरे (जब प्रस्तावित संनिर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो)	
	क्र. सं.	वर्ष
	15.1	पहला वर्ष
	15.2	दूसरा वर्ष
	15.3	तीसरा वर्ष
16	भुगतान किए गई उपकर की कुल रकम (क्र. सं. 14 + क्र. सं. 15)	
17	बकाया उपकर की रकम (क्र. सं.13 – क्र. सं.16)	
18	बकाया उपकर के भुगतान का प्रमाण, टिप्पणी कोई हो	
		रकम (रुपये में)

19	अधिक भुगतान उपकर की रकम, टिप्पणी लागू हो	
20	निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित उपकर की रकम	
21	नियोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया उपकर की रकम	
22	निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गई उपकर/बकाया उपकर का भुगतान न करने पर शास्ति की रकम।	
23	सहायक दस्तावेजों के साथ अपील के लिए आधार	
24	टिप्पणी कोई प्रयोजन हो	

घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शास्तिक प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ/हैं और टिप्पणी भविष्य में उपकर रकम के उपरोक्त स्व-निर्धारण में उल्लिखित कुछ भी है, गलत या अनुचित पाए जाने पर या तथ्यों को छिपाने या उपकर की रकम की गणना के अधीन पाए जाने पर मेरे/हमारे विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

दिनांक:

स्थान:

मोबाइल संख्या:

ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप-20

[नियम 49(3)(क) देखें]

गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के एग्रीगेटर द्वारा अंशदान के स्व-निर्धारण के लिए रूपविद्वान
(चालू वर्ष के 30 जून तक जमा किया जाना है जिसमें अंशदान देय है।)

1	एग्रीगेटर की रजिस्ट्रीकरण संख्या (लिन)		
2	एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/स्थान		
3	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता		
4	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन, अर्थात् उस वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 1 अप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार की संख्या।		
5	पिछले वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर का वार्षिक कारोबार		
6	अनंतिम अंशदान निर्धारण (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) -		
	6.1	पिछले वर्ष के लिए धारा 114 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	
	6.2	पिछले वर्ष के दौरान एग्रीगेटर द्वारा गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार को देय रकम का 5 प्रतिशत भुगतान किया गया।	
7	देय अंशदान की रकम (रुपये में)		
8	अनंतिम अंशदान का भुगतान, जैसा कि ऊपर निर्धारण किया गया है।		
9	अनंतिम भुगतान के ब्यौरे		
10	टिप्पणी, यदि कोई प्रयोजन हो।		

टिप्पण: इस प्रयोजन के लिए, एक एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोई कर, उद्हरण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप – 21

[नियम 49(3)(ख) और (ग) देखें]

गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार के एग्रीगेटर द्वारा जमा की जाने वाली विवरणी के लिए रूपविधान
(वर्तमान वर्ष जिसमें अंशदान देय है, 31 अक्टूबर तक जमा किया जाना है।)

1	एग्रीगेटर की रजिस्ट्रीकरण संख्या (लिन)	
2	एग्रीगेटर का नाम और एग्रीगेटर का पता/अवस्थान	
3	संपर्क ब्यौरे के साथ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता	
4	चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन, अर्थात् उस वर्ष जिसमें अंशदान देय है, के 1 अप्रैल को एग्रीगेटर के साथ लगे गिग कर्मकार या प्लेटफॉर्म कर्मकार की संख्या।	
5	पिछले वर्ष के ऐसे एग्रीगेटर का वार्षिक कारोबार	
6	लेखा के लेखापरीक्षित ब्यौरे के पश्चात अंतिम अंशदान निर्धारण।	(रकम रुपये में)
6.1	पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 114 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के अनुसार वार्षिक कारोबार का प्रतिशत	
6.2	गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार के लिए एग्रीगेटर का 5 प्रतिशत का दायित्व।	
7	देय अंशदान की रकम (रुपये में)	
8	स्व-निर्धारण के आधार पर अनंतिम अंशदान के रूप में भुगतान की गई रकम।	
9	अनंतिम भुगतान के ब्यौरे (रसीद के साथ)	
10	भुगतान किए जाने वाले बकाया अंशदान की रकम (क्र. सं. 7- क्र. सं. 8)	
11	बकाया अंशदान का भुगतान का प्रमाण, यदि कोई हो।	
12	अधिक भुगतान किये गये अंशदान की रकम यदि कोई हो।	
13	अधिक भुगतान के मामले में, उस बैंक के ब्यौरे जिसमें अधिक रकम वापस की जानी है	
14	टिप्पणी यदि कोई हो	

टिप्पण: इस प्रयोजन के लिए, एक एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार में केंद्र सरकार को भुगतान या देय कोई कर, उद्हरण और उपकर सम्मिलित नहीं होगा।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा की गई उपरोक्त गणना में कुछ भी छुपाया या किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मुहर के साथ
नाम:
दिनांक:
स्थान:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल (टिप्पणी कोई हो):

प्ररूप- 22

[[नियम 53(1)(क)देखें]

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम
2. महिला का नाम और उसके पिता का (या, यदि विवाहित है, तो पति का) नाम
3. नियुक्ति की तारीख
4. बीमा संख्या (यदि ईएसआईसी के अधीन कवर हो)
5. प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि ईपीएफओ के अधीन कवर हो)
6. कार्य की प्रकृति
7. माह और वर्ष की वे तारीख जिसमें वह नियोजित है, नौकरी से निकाल दिया गया है और नियोजित नहीं किया गया है।

मास	नियोजित दिन की संख्या	बाहर रखे गई दिन की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिन की संख्या	टिप्पणी
क	ख	ग	घ	ड.

8. तारीख जिस दिन महिला ने धारा 62 के अधीन नोटिस दिया है।
9. सेवामुक्ति/पदच्युति की तारीख, यदि कोई हो।
10. धारा 62 के अधीन गर्भावस्था के प्रमाण को प्रस्तुत करने की तारीख।
11. बच्चे के जन्म की तारीख।
12. प्रसव/गर्भपात/गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ट्यूबक्टोमी ऑपरेशन/मृत्यु/बच्चा दत्तक ग्रहण के प्रमाण के प्रस्तुति की तारीख।
13. धारा 65 में निर्दिष्ट बीमारी के प्रमाण को प्रस्तुत करने की तारीख।
14. अपेक्षित प्रसव से पहले भुगतान किए गई मातृत्व लाभ की रकम के साथ तारीख।
15. मातृत्व लाभ के पश्चात के भुगतान की रकम के साथ तारीख।
16. धारा 64 के अधीन बोनस की रकम के साथ तारीख, यदि भुगतान कर दिया गया है।
17. धारा 65 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गई मजदूरी की रकम के साथ तारीख।
18. धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन छुट्टी के कारण भुगतान की गई मजदूरी की रकम के साथ तारीख और दी गई छुट्टी की अवधि।
19. धारा 62 के अधीन महिला द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम।
20. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/या अन्य रकम का भुगतान किया गया था, उसकी रकम और भुगतान की तारीख।
21. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है और बच्चा जीवित रहता है, तो उस व्यक्ति का नाम जिसे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ की रकम का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।
22. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने वाले स्थापन के नियोक्ता के हस्ताक्षर।
23. निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तंभ।

प्ररूप - 23

[(नियम 53(5)]

वार्षिक विवरणी

31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड, 2020 (2020 का 37), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36), और वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) और उसके अधीन बनाए गई नियम के लिए एकल वार्षिक एकीकृत विवरणी ऑनलाइन दाखिल की जाएगी।

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

- (1) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) विवरणी के दो भाग हैं अर्थात् भाग-I जिसे सभी स्थापनो द्वारा भरा जाएगा।
- (3) भाग-I के अतिरिक्त, भाग-II, उन स्थापनो द्वारा भरा जाएगा, जो खान हैं।
- (4) 'स्थापन' और 'खान' पद का वही अर्थ होगा जो संबंधित संहिता के अधीन है।
- (5) यह विवरणी, ठेकेदार या श्रम-बल आपूर्तिकर्ता के मामले में, जिसने 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित किया हो और खान के मामले में भले ही संबंधित अवधि में एक दो कर्मकार नियोजित हो, भरी जाएगी।

सभी स्थापनो के लिय लागू- भाग-I

क. सामान्य सूचना:

क्र. सं.			स्तंभ को भरने के लिए अनुदेश
1.	श्रमिक पहचान संख्या		ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)
2.	विवरणी की अवधि	से - तक-	अवधि कलेंडर वर्ष होना चाहिए
3.	स्थापन का नाम		
4.	ई-मेल आईडी (नियोक्ता)		
5.	दूरभाष संख्या (नियोक्ता)		
6.	मोबाईल नंबर (नियोक्ता)		
7.	परिसर का नाम		
8.	उप-मोहल्ला		
9.	जिला		
10.	राज्य		
11.	पिन-कोड		
12.	भू-निर्देशांक		
ख(क).	दिवस में कार्य घंटे		
ख(ख).	पालियों की संख्या किसी पाली में घंटों की संख्या		

ग. तैनात श्रमबल का ब्यौरा									
ब्यौरा	सीधे नियोजित				ठेकेदार के माध्यम से नियोजित				कुल योग
कुशलता श्रेणी	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	अतिकुशल	कुशल	अर्द्ध-कुशल	अकुशल	
1. वर्ष के दौरान किसी भी दिन स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	पुरुष/ महिला/ उभयलिंगी (पु/म/अ)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
2. वर्ष के दौरान स्थापन में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या	संख्या दर्शायी जानी है	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
3. प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या (उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020)	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	पु/म/अ	
4. कार्यरत निश्चित अवधि के कर्मचारी की संख्या	पु/म/उ	पु/म/उ	पु/म/उ	पु/म/उ					
घ. प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का विवरण									
क्र. सं.	एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम			नियोजित ठेका श्रमिक की संख्या					
ड. प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का विवरण									
क्र. सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति		सांविधिक (विधान निर्दिष्ट करें)		भरने हेतु अनुदेश				
1.	क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 24(v) के अनुसार)		बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं		उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां ठेका श्रमिक सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था				
2.	शिशु गृह (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 24 के अनुसार)		बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं		उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहाँ पचास या अधिक कामगार कार्यरत हैं				

2 क	यदि उपरोक्त 2 नहीं उपलब्ध कराया गया है तो क्या सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियम के तहत शिशुगृह भत्ता दिया जाता है।	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	सामाजिक सुरक्षा संबंधी संदर्भ नियम
3.	एम्बुलेंस कक्ष (उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 की धारा 24(2)(i) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	खान , भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिनमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है, पर लागू।
4.	सुरक्षा समिति (उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (1) के अनुसार)	बॉक्स में हां या नहीं और लागू नहीं पर निशान लगाएं	500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और वीओसीडब्ल्यू जिसमें 250 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदाने के लिए लागू।
5.	सुरक्षा अधिकारी (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 22 (2) के अनुसार)	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	खान के मामले में 100 या अधिक कामगारों, वीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों और गोदी कार्य के मामले में 500 या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है।
6.	योग्यता प्राप्त चिकित्सक (उपजीविकाजन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 12 (2) के अनुसार)	नियुक्त अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की संख्या	प्रतिष्ठान में नियोजित अर्हता प्राप्त चिकित्सक व्यवसायी की न्यूनतम संख्या के लिए कोई विनिर्देश नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस विवरण की आवश्यकता होती है।

च. औद्योगिक संबंध:			भरने हेतु अनुदेश
1.	क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है। (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 3)	हां/ नहीं और लागू नहीं	औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार नियोजित हैं
(क)	उसके गठन की तारीख		
2.	क्या सुरक्षा निवारण समिति का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 4)	हां/ नहीं और लागू नहीं	20 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान
3.	प्रतिष्ठानों में पंजीकृत यूनियनों की संख्या		
4.	क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं	
5.	क्या किसी भी समझौता परिषद का गठन किया गया है (औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 14)	हां/ नहीं	
6.	वर्ष के दौरान बर्खास्त किए गए, पदच्युत किए गए, छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या:		
	बर्खास्त किए गए	पदच्युत किए गए	बर्खास्त किए गए / सेवा समाप्त किए गए या हटाए
			कुल योग

		गए			
7.	निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रम दिवस				
क्र. सं.	कारण	अवधि/ तारीख	व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या		
(क)	हड़ताल				
(ख)	तालाबंदी				
8.	छंटनी/ कामबंदी का ब्यौरा				
क्र. सं.	अवधि के दौरान छंटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या	छंटनी किए गए कर्मचारियों को किए गए भुगतान का ब्यौरा	अवधि के दौरान कामबंदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या	कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिवसों की संख्या	300 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है
1.					
2.					

छ. प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरा:

क्र. सं.	महिला कर्मचारियों की संख्या	मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या जिन्हें चिकित्सा बोनस दिया गया	महिला कर्मचारियों की मजदूरी में कटौती, यदि कोई हो, की संख्या
1.				
2.				

ज. बोनस के भुगतान का विवरण:

क्र. सं.	बोनस प्रावधान के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक रूप से भुगतान किए गए बोनस की गई कुल राशि	बोनस भुगतान की तिथि

झ. दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और सूचनीय बीमारियों का ब्यौरा:

क्र. सं.	दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके कारण घायल व्यक्ति को उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए	उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 10 के अनुसार घातक दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतकों के नाम।	उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं की कुल संख्या।	प्रभावित व्यक्तियों के विवरण के साथ उपजीविका जन्य, सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सूचनीय बीमारियों के मामलों की कुल संख्या

	काम करने से रोका जाता है।			
ज- दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रम दिवस और उत्पादन				
क्र.सं.	दुर्घटना/ खतरनाक घटना	व्यर्थ गए श्रम दिवस	खोया हुआ उत्पादन	

भाग-2 (खदानों के लिए)

क. सामान्य सूचना		
	प्रतिष्ठान का नाम	
	कंपनी का नाम/ नियोक्ता का नाम	
	संगठन का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	पीएसयू केन्द्रीय/ पीएसयू राज्य/ निजी/
	स्वामित्व का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	फर्म/ संघ/ वैयक्तिक/ भागीदारी / कंपनी
	खनिज का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	कोयला/ धातु/ तेल
	खनिज का नाम	
	खान का प्रकार (ड्रॉप डाउन)	भूमिगत/ ओपेनकास्ट/ जमीन के ऊपर/ मिश्रित/ अपतटीय/ तटीय
	खुलने की तारीख	प्रथम बार भरा जाना
	खान कोड	प्रथम बार भरा जाना
	समापन की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलेंडर दिया जाना है
	फिर से खोलने की तारीख (यदि कोई हो)	लागू नहीं/ कैलेंडर दिया जाना है
	गहराई में , मीटर में	अधिकतम गहराई: न्यूनतम गहराई:

ख. खान में नियोजित सांविधिक कार्मिक (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या
1.			

ग. सुरक्षा मानकों की तुलना में कार्य करने का तरीका

	पद्धति का नाम (नाम स्पष्ट करें) (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)		
	क्यू.मी./ टन में उत्पादित खनिज की मात्रा		
	क्यू.मी./ टन में हटाए गए अपशिष्ट/ उपरिभार की मात्रा		
	कार्य के स्तर (ड्रॉप डाउन मेन्यू के अनुसार)	विकास/ निष्कर्षण/ मिश्रित	
	सी यू. एम में अनुमेय रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु

सी यू. एम में वास्तविक रिक्तता		निष्कर्षण स्तर हेतु
ओवरहैंग का क्षेत्रफल		निष्कर्षण स्तर हेतु
उत्पादित कोयले के प्रति टन सी यू. मीटर में जारी की गई अधिकतम ज्वलनशील गैस		विकास स्तर हेतु
समस्त पिट ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
प्रत्येक पिट के लिए अलग प्रवेश		
समस्त डम्प ढलान		ओपेनकास्ट खान हेतु
प्रत्येक डम्प के लिए अलग प्रवेश		
अग्नि का क्षेत्रफल वर्ग मी. में		
जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए जाने वाले तटबंध की लंबाई		
जल निकाय के समक्ष उपलब्ध कराए गए तटबंध की लंबाई		
संविधि के अनुसार अपेक्षित/ उपलब्ध कराई गई घेरेबंदी की लंबाई		
परित्यक्त खानों के मामले में अपेक्षित सील किए जाने वाले अपेक्षित मुहानों की संख्या		
परित्यक्त खानों के मामले में सील किए गए मुहानों की संख्या		
आयोजित किए गए मॉक ड्रिल की संख्या और कर्मचारियों के कवरेज के साथ मॉक ड्रिल आयोजन की तारीख		
तेल/ गैस कुओं की संख्या: ड्रिलिंग के अधीन/ उत्पादन के अधीन/ कार्याधीन (ड्रॉप डाउन मेनू के अनुसार)		तेल और गैस खानों के लिए
कुओं की संख्या जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है		तेल और गैस खानों के लिए
यदि उपरोक्त बिन्दु 19 के दृष्टिगत हैं, तो की गई कार्रवाई		
जहां उत्पादन बंद कर दिया गया है उन कुओं के संबंध में की गई कार्रवाई		तेल और गैस खानों के लिए
किसी भी दिन में प्रयुक्त विस्फोटक की अधिकतम मात्रा (कि.ग्रा. में)		सभी प्रकार के खानों के लिए
क्या भवन या संरचना जिसका कोई नियोक्ता नहीं है, खतरे के क्षेत्र में है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं	कोयला और लौह अयस्क धातु के लिए
वर्ष हेतु खान में स्थापित/ तैनात मशीनरी की कुल एचपी/किलोवाट		सभी प्रकारों के खानों के लिए

घ. चिकित्सा जांच- आरंभिक/ आवधिक (आईएमई/ पीएमई)

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की कुल संख्या:

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
की गई आईएमई जांच	
की गई पीएमई जांच	

चिकित्सकीय रूप से अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित	
चिकित्सा अयोग्यता के कारण वैकल्पिक रोजगार दिया गया	
चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होने के कारण नियोजन समाप्त किया गया	

ड. प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, ठेकागत कामगारों सहित व्यक्तियों की संख्या

विवरण	व्यक्तियों की कुल संख्या
प्रदान किया गया बुनियादी व्यावसायिक प्रशिक्षण	
पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया	
विशेष प्रशिक्षण दिया गया	

च. दुर्घटना, जोखिमकारी घटना और उपजीविकाजन्य रोगों का ब्यौरा:

(1) दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का ब्यौरा:

क्र.सं.	दुर्घटनाओं/ जोखिमकारी घटनाओं की तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	गंभीर शारीरिक चोट पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या (गंभीर शारीरिक चोट को छोड़कर) और जिस कारण 48 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए काम करने से रोका गया	घटना की प्रकृति	व्यर्थ गए श्रम दिवस

(2) उपजीविका जन्य बीमारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिसूचित बीमारी	मामलों की संख्या
1.		

छ. सुरक्षा प्रबंधन योजना का ब्यौरा:

(क) तैयार की गई सुरक्षा प्रबंधन योजना: (हां/ नहीं/ लागू नहीं)

(ख) जमा करने की तारीख

(ग) सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा की अंतिम तारीख

(घ) पहचान किए गए प्रमुख खतरे:

क्र.सं.	पहचान किए गए प्रमुख खतरों की सूची	प्रमुख जोखिम शमन तारीख	31 दिसंबर तक शमन न किए गए प्रमुख खतरे	इनका शमन न किए जाने के कारण
1.				

ज. खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)

(क) खानों के लिए: (खान नियोक्ता द्वारा भरा जाना)

(i) खानों की सेवा करने वाले बचाव केंद्र का भू-निर्देशांक के साथ पता;

(ii) खान मुहाने से बचाव केंद्र की दूरी; ----(किमी में)

(iii) क्या खान द्वारा खान बचाव केंद्र स्थापित किया गया है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

खान बचाव केंद्र: (केवल भूमिगत खानों के लिए)
(बचाव केंद्र के लिए)

खान बचाव केंद्र के लिए (अधीक्षक, बचाव केंद्र द्वारा भरा जाना है)

- (i) खान के नियोक्ता का नाम जहां एमआरएस केंद्रित है:
- (ii) एमआरएस का पता:
- (iii) अधीक्षक का नाम:
- (iv) बचाव केंद्र द्वारा देखभाल किए जाने वाले खानों का ब्यौरा:

क्र.सं.	खानों के नाम	एमआरएस से खान की दूरी (कि.मी. में)

(v) बचाव केंद्र में तैनात कार्मिक का विवरण

क्र.सं.	कोड के अनुसार पदनाम	अपेक्षित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या	नियोजित सांविधिक व्यक्तियों की संख्या

(vi) उपकरण/ उपस्कर का विवरण:

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण/ उपस्कर के प्रकार	उपलब्ध उपकरण/ उपस्कर की संख्या

(vii) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने का विवरण:

क्र.सं.	खान का नाम	आपातकालीन स्थिति की प्रकृति	प्रतिक्रिया समय (आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के लिए बचाव सेवाओं द्वारा लिया गया समय)	बचाव और बहाल करने में लिया गया समय	की गई कार्रवाई

(viii) अतिरिक्त सूचना:

बचाव कक्षों की संख्या:

अपेक्षित बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:

उपलब्ध बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या:

क्या कैंटीन की सुविधा मौजूद है या नहीं? (हाँ/ नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि सारणियों को विधिवत भरा गया है और सभी सारणियों में दी गई सूचना और आँकड़े मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

नियोक्ता/ अधिभोगी/ नियोक्ता/ एजेंट/ प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

भाग 3

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि की वार्षिक विवरणी
(प्रधान नियोजक द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाए)

प्रधान नियोजक का नाम:

प्रतिष्ठान का नाम:

प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या (एलआईएन):

ठेकेदारों, भुगतान की गई मजदूरी का ब्यौरा, आदि:

क्र. सं.	माह	ठेकेदारों का नाम और पता	ठेकेदार का एलआईएन	कार्य का नाम	नियोजित ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के अनुसार ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस आदि सहित)	मजदूरी बिल (यदि लागू हो) के भुगतान की तारीख	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी की राशि (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिकों को सीधे भुगतान की गई मजदूरी के तारीख (ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाने में विफल होने की स्थिति में)	टिप्पणियां

तारीख:

हस्ताक्षर

प्रधान नियोजक के

भाग 4

श्रम सुविधा पोर्टल श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ईपीएफओ/ईएसआईसी अंशदान वर्ष के लिए स्व-घोषणा पत्र: वर्ष ____	
पैन संख्या हुआ)	एल आई एन (स्वतः भरा हुआ)
ईपीएफ कोड संख्या स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य): शाखा कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य)	ईएसआई कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य): उप-कोड संख्या (स्वतः भरा हुआ) (संपादन योग्य)

ठेकेदारों का विवरण:						
क्र. सं.	ठेकेदार का नाम और पता	ईपीएफ कोड संख्या	ईएसआई कोड संख्या	कार्य की प्रकृति	किसी भी दिन नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया कुल भुगतान

<* यदि सीएलसी अनुज्ञप्ति डेटा उपलब्ध है, तो ठेकेदार का विवरण उससे पहले से भरा जा सकता है; साथ ही, अन्य ठेकेदारों को जोड़ने का विकल्प भी उपलब्ध है।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv) के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधि-वार्षिकी निधि में योगदान के रूप में दावा किए गए कर लाभ का विवरण:

वित्तीय वर्ष	योगदान	कर लाभ

दस्तावेज़ अपलोड करें:

क्र. सं.	दस्तावेज़ का नाम	<पोर्टल में अपलोड फ़ील्ड>
1.	बैलेंस शीट*	वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के लिए अपलोड फ़ील्ड
2.	प्ररूप 26AS*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26कत के लिए अपलोड फ़ील्ड
3.	प्ररूप 26Q*	वित्तीय वर्ष के फ़ॉर्म 26थ के लिए अपलोड फ़ील्ड

* अनिवार्य क्षेत्र

(नियोक्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(iv):

"किसी निर्धारिती द्वारा एक नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अंशदान के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि; जो भविष्य निधि को मान्यता देने या अधिवर्षिता निधि को अनुमोदित करने के उद्देश्य से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो; और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो बोर्ड उन मामलों में निर्दिष्ट करना उचित समझे जहाँ अंशदान वार्षिक नियत राशि के रूप में नहीं हैं, या "वेतन" मद के अधीन प्रभार्य आय, या अंशदान, या निधि के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में किसी निश्चित आधार पर तय वार्षिक अंशदान के रूप में नहीं हैं।"

प्ररूप – 24

[नियम 54 (1),(2) और (3) देखें]

धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के लिए पहली बार संहिता के उपबंधों के अधीन किए गए अपराध के लिए नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या

तारीख:

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि आपने स्थापन (रजिस्ट्रेशन संख्या) के नियोक्ता होते हुए नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार संहिता या उसके अधीन विरचित स्कीम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अपराध किया है: -

भाग – I

1.	व्यक्ति का नाम:	
2.	स्थापना का नाम और पता:	
3.	स्थापना की रजिस्ट्रेशन संख्या:	
4.	अपराध का विशिष्टियां:	
5.	संहिता/स्कीम/नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अधीन अपराध किया गया है:	
6.	अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित शमन राशि:	
7.	क्रमांक संख्या 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने हेतु खाते का नाम और ब्यौरे:	

भाग –2

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके पास इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर भाग-I के क्रम संख्या 6 में उल्लिखित संपूर्ण राशि का भुगतान करने और इस नोटिस के भाग-3 में सम्यक् रूप से आवेदन को वापस करने का विकल्प है।

यदि उक्त राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में कोई और अवसर दिए बिना अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(हस्ताक्षर)

(अधिकारी का नाम और पदनाम)

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

.....(नियोक्ता/स्थापन)

.....(नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या)

.....(पता)

भाग – 3

[नियम 54 (2) देखें]

अपराध के शमन के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन

संदर्भ: सूचना संख्या

तारीख :

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-1 के क्रम 6 में विनिर्दिष्ट पूरी राशि जमा कर दी है और भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, और भाग-1 में उल्लिखित अपराधों का शमन करने का अनुरोध किया गया है।

8. जमा की गई शमन राशि के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद की प्रति संलग्न करें):

9. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन के ब्यौरे, यदि दायर की गई है, तो दिया जा सकता है:

10. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है, यदि किया है, तो अपराध का पूरा ब्यौरा:

11. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम और पदनाम)

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

(शमन अधिकारी)

(कार्यालय का नाम)

(पता)

भाग - 4

[नियम 54 (3) देखें]

संरचना प्रमाण-पत्र

संदर्भ: नोटिस संख्या

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 133 की उप-धारा के अधीन अपराध जिसके संबंध में नोटिस संख्या तारीख: _____श्री(आवेदक), को जारी किया गया था.....के नियोक्ता (स्थापना का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या) ने पूरी राशि रु..... (रुपये _____) को उक्त नोटिस की संतुष्टि के लिए अपराधों की संरचना के एवज में छूट के आधार पर शमन (कंपाउंडेड ऑन एकाउन्ट ऑफ रिमीशन) किया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

स्थान:

सेवा में:

(नियोक्ता/स्थापन)

(नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या)

(पता)

प्ररूप-25

[नियम 56(1)(घ) और 56 (3)(ख) देखें]

कैरियर केंद्रों को रिक्तियों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्ररूप (प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए पृथक प्ररूपों का उपयोग किया जाएगा)

1	नियोक्ता की विशिष्टियां: नाम: पिन कोड के साथ पता: टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर: ईमेल पता: स्थापन का नाम और प्रकार (केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सैक्टर उपक्रम, स्वायत्त, निजी, आदि) कोड के अधीन स्थापना की रजिस्ट्रेशन संख्या: आर्थिक गतिविधि ब्यौरे:	
2.	मांगपत्र अधिकारी की विशिष्टियां: नाम: पद: टेलीफोन नंबर : मोबाइल नंबर: ईमेल पता :	

3.	रिक्ति (रिक्तियों) की विशिष्टियां: क. रिक्ति (रिक्तियों) का पदनाम / नाम पदधारी जो भरा जाना है ख. पदों के कर्तव्यों की प्रकृति/वर्णन ग. क्षेत्र (जाँव रोल/फंशनल रोल)		
	घ. अर्हताएं/ अपेक्षित कौशल (शैक्षिक, तकनीकी, अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय/पसंदीदा (प्रिफेरेबिल)
	(i) शैक्षिक अर्हताएं (ii) तकनीकी अर्हताएं (iii) कौशल (iv) अनुभव		
	ड. आयु सीमा, यदि कोई हो (आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार आयु)		
	च. वरीयताएँ (जैसे भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व्यक्ति, महिलाएँ, आदि) यदि कोई हों		
	छ. रिक्तियों की संख्या		
	ज. रोजगार की अवधि (i) 3-6 माह (ii) 6-12 माह (iii) 12 माह और अधिक	पदों की संख्या	
	झ. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो और इस अवधि के दौरान देय वेतन या भत्ते		
	ञ. भविष्य निधि के उपबंध यदि लागू हों		
	ट. कार्य के घंटे/अवकाश/शिफ्ट/प्रोन्नति के अवसर		
	ठ. यात्रा भत्ता		
	ड. नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं i. अवास सुविधा ii. कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधाएं iii. कार्यस्थल पर शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाएं		
	ढ. आवेदन करने की अंतिम तारीख		
4	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (अनुसूचित जातियों), अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजातियों), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों), अन्य पिछड़ा वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्गों), भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), आदि, जैसे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण/वरीयता देने की व्यवस्था के लिए कोई दायित्व (ओब्लिगेशन) है: हां/नहीं (यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नीचे दिए गए ब्यारों के अनुसार दें)		
	श्रेणी	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	

	(क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) ओबीसी (घ) ईडब्ल्यूएस (ड.) भूतपूर्व सैनिक (च) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (छ) महिलाएं (ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	कुल	* प्राथमिकता वाले अभ्यर्थियों द्वारा *(केंद्रीय सरकार की रिक्तियों के लिए लागू)
5.	वेतन और भत्ते: सरकारी रिक्तियों के लिए: मूल वेतन/प्रति माह वेतन के साथ पद के वेतन स्तर/ वेतनमान का अन्य ब्यौरों यदि कोई हो, के साथ उल्लेख करें। अन्य के लिए: अन्य ब्यौरों, यदि कोई हो, के साथ प्रति माह न्यूनतम कुल परिलब्धियों का उल्लेख करें।		
6.	कार्य का स्थान (नगर/गांव और जिले का नाम, पिन कोड, आदि जिसमें यह स्थित है)		
7.	आवेदन का तरीका (ई-मेल, ऑनलाइन, लिखित रूप में, आदि) और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख।		
8.	उस अधिकारी का विशिष्टियां जिसे आवेदन पत्र भेजे जाएंगे/अभ्यर्थियों को संपर्क करेंगे। (ऑनलाइन के मामले में नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, पता, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट का पता का उल्लेख करें)		
9.	साक्षात्कार का स्थल		
10.	भर्ती का तरीका {कैरियर केंद्र, प्लेसमेंट अभिकरण, स्व-प्रबंधन, किसी अन्य मोड के माध्यम से (विनिर्दिष्ट करें)}		
11.	क्या कैरियर केन्द्र के साथ रजिस्ट्रीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करना चाहते हैं	हां/नहीं	
12.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी		

मुहर और तारीख सहित स्थापना/नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
(आधिकारिक उपयोग के लिए- कैरियर केंद्र द्वारा भरा जाना है)

13.	कैरियर केंद्र का नाम, पता, ईमेल आईडी	
14.	रिक्तियों की प्राप्ति की तारीख	
15.	स्थापना का एनआईसी कोड/	
16.	पद का एनसीओ कोड	

17	विशिष्ट रिक्ति आईडी (संख्या)	
18	आदेश संख्या / डायरी संख्या	

हस्ताक्षर
मुहर और तारीख के साथ कैरियर केंद्र के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

टिप्पणी:

1. कैरियर केंद्र, जहां रिक्तियों की सूचना(रिपोर्टिंग) दी जाती है, रिपोर्ट की गई रिक्ति के लिए एक अनोखा रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा और इसे नियोक्ता को लिखित रूप में, ई-मेल या डिजिटल रूप से या किसी अन्य ऐसे मीडिया के माध्यम से तुरंत सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में रिक्तियों की सूचना (रिपोर्टिंग) प्राप्त होने की तारीख से पूर्वोत्तर राज्यों में सात कार्य दिवस से अधिक नहीं और अन्य राज्यों में तीन कार्य दिवस से अधिक नहीं होगा।
2. एक नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन करता है या किसी अभिकरण या किसी अन्य माध्यम से भर्ती करता है, तो उस विज्ञापन या भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को अनिवार्य रूप से उद्धृत करेगा।
3. कैरियर केंद्र को पहले से ही दिए गए विवरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको, यथास्थिति, लिखित रूप में या वैध आधिकारिक ईमेल के माध्यम से या डिजिटल रूप से (एक पोर्टल के माध्यम को सम्मिलित करते हुए) उपयुक्त कैरियर केंद्र को सूचित किया जाएगा।

प्ररूप-26

[नियम 56(1) (घ) और 56 (6) देखें]
प्ररूप ईआईआर (रोजगार सूचना रिटर्न)

.....समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय 13 - रोजगार सूचना और मॉनीटरिंग) के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना है।

नियोक्ता का नाम और पता	
नियोक्ता की ईमेल आईडी	
नियोक्ता का मोबाइल नंबर / संपर्क नंबर	
संस्था का नाम	
इकाई का प्रकार (कारखाना, दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, खान, बागान, आदि)	
स्वामित्व का प्रकार (फर्म/एसोसिएशन/व्यक्तिगत/साझेदारी/कंपनी, आदि)	
क्या प्रधान कार्यालय है - यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें	

शाखा कार्यालय यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें (क) (ख) (ग)		
प्रतिष्ठान का प्रकार (पब्लिक सेक्टर (केंद्रीय)/ पब्लिक सेक्टर (राज्य)/ प्राइवेट सेक्टर)		
व्यवसाय की प्रकृति/मुख्य गतिविधि		
श्रम पहचान संख्या—(एल.आई.एन. संख्या)		
कोड के अधीन स्थापना रजिस्ट्रीकरण संख्या		
<p>1. (क) नियोजन</p> <p>अंशकालिक श्रमिकों और प्रशिक्षुओं को छोड़कर, काम करने वाले स्वामी /साझेदारों/आकस्मिक भुगतान किए गए और ठेका श्रमिकों, आउट-सोर्स श्रमिकों सहित स्थापना की कुल जनशक्ति। (आंकड़ों में हर वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसको मजदूरी (वेतन) या सैलरी दिया जाता है)।</p>		
श्रेणी	पिछले वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर	रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर
पुरुष औरत	अत्यधिक कुशल कुशल अर्ध-कुशल	अत्यधिक कुशल कुशल अर्ध-कुशल
अन्य (ट्रांसजेंडर) कुल : पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) उपरोक्त कुल में से		

2. वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों की संख्या* और कैरियर केंद्र को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की संख्या और वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या				
रिक्तियां हुई	रिपोर्ट की गई		भरी गई	स्रोत (कैरियर केंद्र/एनसीएस पोर्टल/सरकारी भर्ती अभिकरण/निजी प्लेसमेंट संगठन/अन्य)
	कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय)	कैरियर केंद्र (केंद्रीय)		
1	2	3	4	5

*सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय 13) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार।

3. श्रमबल की कमी (शोर्टेज):

उपयुक्त आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद खाली रहे।

व्यवसाय का नाम या पद का पदनाम	खाली (नहीं भरी गई) रिक्तियों/पदों की संख्या		
	कौशल/योग्यता (शैक्षिक/तकनीकी/अनुभव) विहित (प्रिस्क्राइब्ड)	आवश्यक	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया किन्हीं अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए इस प्रतिष्ठान को हाल ही में उपयुक्त आवेदक प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई थी।)

4. अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उपजीविकाजन्य वर्गीकरण द्वारा अनुमानित जनशक्ति की आवश्यकता (कृपया प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग से नीचे दें)।

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या				
	कृपया सेवानिवृत्ति/विस्तार या पुनर्गठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की यथासंभव अनुमानित संख्या दें।				
विवरण	पुरुष	महिला	अन्य (उभयलिंगी)	कुल	कुल में से पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति)
1	2	3	4	5	6
*					
कुल :					

* स्तंभ में (विवरण) - सटीक शब्दों का प्रयोग करें जैसे इंजीनियर (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (धातुकर्मी); अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री); पर्यवेक्षक (सिलाई), निरीक्षक (स्वच्छता), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (बिक्री), प्रबंधक (लेखा), कार्यकारी (विपणन), डाटा एंट्री ऑपरेटरआदि।

मुहर और तारीख सहित स्थापन/नियोक्ता के प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

सेवा में,

कैरियर केंद्र (केंद्र),

.....

टिप्पण:- 1. यह विवरणी(रिटर्न) संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय-13 रोजगार सूचना और मॉनीटरिंग) के अधीन अपने दायित्व के अधीन प्रतिष्ठानों / नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) को प्रदान की जानी है।

2. नियोक्ताओं से जानकारी प्राप्त करने का मुख्य प्रयोजन यह जानना है (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों को; (ii) कर्मियों (व्यक्तियों) के प्रकार को जो कम आपूर्ति में हैं; और (iii) नौकरी चाहने वालों को उपजीविकाजन्य मार्गदर्शन प्रदान करके भविष्य में नौकरी के अवसरों को और उन्हें नियोक्ताओं के साथ जोड़ना। यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए कैरियर केंद्रों पर कॉल कर सकेंगे।

प्ररूप - 26 (क)

[नियम 56(1)(घ) देखें]

नियोजनार्थी सूचना प्रतिवेदन प्ररूप

क्रम संख्या	विशिष्टियां	विवरण
1.	नाम:	
2.	पिता का नाम:	
3.	मां का नाम:	
4.	जन्म तारीख:	
5.	जन्म स्थान:	
6.	नियोजनार्थी का आधार नंबर:	
7.	मोबाइल:	
8.	लिंग:	i. पुरुष ii. महिला iii. टीजी(उ.लि) (ट्रांसजेंडर)
9.	स्थान:	I. ग्रामीण II. शहरी
10.	वैवाहिक स्थिति:	i. विवाहित ii. अविवाहित iii. तलाकशुदा iv. विधवा v. विधुर
11।	वर्ग:	i. सामान्य ii. अनुसूचित जाति iii. अनुसूचित जनजाति iv. अन्य पिछड़ा वर्ग
12.	धर्म:	i. हिंदू ii. मुसलमान iii. ईसाई

		iv. सिख v. अन्य																				
13.	आरक्षण श्रेणी:	i. दिव्यांगजन (दिव्यांग) ii. भूतपूर्व सैनिक iii. ईडब्ल्यूएस																				
14.	i. यदि निःशक्तता का प्रकार: दिव्यांग (ओएच/वीएच/एचएच/ हैं: पीडब्ल्यूबीडीअन्य) ii. विकलांगता प्रतिशत: क. 40% से नीचे ख. 40-60 % ग. 60-80% घ. 80% से ऊपर																					
15.	# रोज़गार की स्थिति:	i. कार्यरत ii. बेरोज़गार iii. स्वनियोजित iv. विद्यार्थी																				
16.	ज्ञात भाषा: (प्राथमिक भाषा)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>भाषा</th> <th>पढ़ना</th> <th>बोलना</th> <th>लिखना</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		भाषा	पढ़ना	बोलना	लिखना	1.					2.					3.				
	भाषा	पढ़ना	बोलना	लिखना																		
1.																						
2.																						
3.																						

17.	शारीरिक दक्षता: i ऊंचाई (सेमी में): ii छाती (सेमी में): iii. वज़न (किलोग्राम में): iv. आँखों की रोशनी: v आंशिक विकलांगता: क नेत्रहीन ख बधिर ग मूक					
18.	पिन कोड के साथ पता:					
19.	अर्हता: (उच्चतम शिक्षा से शुरू)					
	परीक्षा उत्तीर्ण	विषय कोड	बोर्ड/ विश्वविद्यालय/	वर्ष	कक्षा/श्रेणी/ ग्रेड	प्रमाणपत्र संख्या

	iii. कार्यमुक्ति की तारीख:	
28.	नौकरी छोड़ने के कारण:	
स्व-रोज़गार (स्व-नियोजन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने हेतु)		
1	क्या आप अभी स्व-नियोजित हैं?	हां नहीं यदि हाँ, तो ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें:
2	(i) स्व-रोज़गार के लिए पहले लिया गया लोन: यदि हां, क. बैंक का नाम ख. शाखा (ii) व्यतिक्रमी: यदि हां, क. देर से भुगतान का कारण ख. शेष राशि	हां नहीं हां नहीं
3	क्या आप स्व-रोज़गार में रुचि रखते हैं: यदि हां, इच्छित स्व-रोज़गार :	हां नहीं
4	क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के व्यतिक्रमी हैं? यदि हां, i. बैंक का नाम: ii. शाखा: iii. बकाया राशि:	हां नहीं
उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गई जानकारीयों पर आधारित हैं तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं।		

टिप्पण: # मद संख्या (15 एवं 25) तक की सूचना प्रस्तुत करने से रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस विभाग, अर्धसैनिक बलों/सशस्त्र बलों आदि में नियोजन सेवाओं के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने हेतु।

प्ररूप-27

[नियम 59(1) देखें]
प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी।

आवेदक, निवासी...

बनाम

विपक्षी, निवासी...

एतद्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) आवेदक, जो विपक्षी के यहाँ (या विपक्षी के किसी ठेकेदार के अधीन) नियोजित एक कर्मचारी है, उसे तारीख ___ माह ___ वर्ष 20__ को अपने नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न एक दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट आई। चोट का कारण था (यहाँ सामान्य भाषा में चोट का संक्षिप्त कारण लिखें)

(2) आवेदक को निम्नलिखित चोटें आई, अर्थात्:--

(3) आवेदक का मासिक वेतन ___ रुपये है। आवेदक की आयु 15 वर्ष से अधिक/कम है।

(4) (क) दुर्घटना की सूचना तारीख ___ माह ___ को दी गई थी।

(ख) सूचना यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप में दी गई थी।

(ग) दुर्घटना की सूचना (नियत समय पर) इस कारण से नहीं दी जा सकी: ___

(5) तदनुसार आवेदक निम्नलिखित प्राप्त करने का पात्र है:--

(क) ___ रुपये का अर्ध-मासिक भुगतान तारीख ___ से ___ तक।

(ख) ___ रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान।

(6) आवेदक ने समझौते के माध्यम से निपटान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं, अर्थात्: ___ लेकिन विवादित प्रश्न का निपटारा करना असंभव रहा क्योंकि: ___

*अतः आपसे अनुरोध है कि विवादित निम्नलिखित प्रश्नों का निर्धारण करें, अर्थात्: --

(क) क्या आवेदक 'संहिता' के अर्थ के अंतर्गत एक कर्मचारी है;

(ख) क्या दुर्घटना आवेदक के नियोजन के दौरान या नियोजन से उत्पन्न हुई थी;

(ग) क्या दावा की गई प्रतिकर की राशि, या उस राशि का कोई भाग देय है;

(घ) क्या विपक्षी ऐसा प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है जो देय है;

(ङ) आदि, (यथा अपेक्षित)

तारीख 20.

आवेदक

* जो खण्ड लागू नहीं होते उन्हें हटा दें।

प्ररूप-28

[नियम 59(2) देखें]

आवेदक द्वारा प्रमाणपत्र

सेवा में
कर्मचारी प्रतिकर के लिए सक्षम अधिकारी

यह निवेदित किया जाता है कि: -

मैं/हम घोषित करते हैं कि प्रपत्र 27 में दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं/हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा भरे गए उक्त प्रपत्र में न तो कुछ छिपाया गया है और न ही किसी तथ्य को दुर्व्यपदेशित से प्रस्तुत किया गया है।

तारीख:

आवेदक

प्रपत्र -29

[नियम 58(1) देखें]

चूंकि (आवेदक) द्वारा के विरुद्ध प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त आवेदक ने दावा किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय 7 की धारा 92 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन आवेदन करने का पात्र है;

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी का यह समाधान हो गया है कि उक्त आवेदक उपरोक्त दावा प्रस्तुत करने का पात्र है;

अतः, अब कर्मचारी प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी/..... सरकार को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी संहिता के उपबंधों के अनुसार आवेदक के दावे का निपटान करने का प्रस्ताव करता है।

तारीख:

सक्षम प्राधिकारी

प्रपत्र-30

[नियम 62(1) देखें]

सेवा में

.....

महोदय,

एक दुर्घटना जो कि दिनांक पर (यहां परिसर का विवरण दर्ज करें) घटित हुई और जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी की मृत्यु/विकलांगता हुई, की रिपोर्ट नीचे दी गई है :-

1. (क) कर्मचारी का नाम ----- लिंग ----- आयु -----
(ख) मासिक वेतन

- (ग) रोजगार की प्रकृति
- (घ) नियोक्ता का नाम
- (ड.) कर्मचारी/आश्रितों का पूरा डाक पता (स्थानीय और स्थायी दोनों)।
- (च) कारखाने/ संस्था का पूरा डाक पता जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

2. कर्मचारी की मृत्यु/अक्षमता की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां:—

- (क) दुर्घटना का समय
- (ख) वह स्थान जहाँ दुर्घटना हुई
- (ग) मृतक उस समय किस प्रकार कार्यरत था/थे
- (घ) दुर्घटना का कारण

3. धारा 81 के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की गई धनराशि।

- 4. (क) भुगतान किए गए प्रतिकर का विवरण, यदि कोई हो
- (ख) मृतक कर्मचारी के आश्रितों के लाभ के लिए निवेश किए गए धन का विवरण।

5. निम्नलिखित दस्तावेज (मूल रूप में) अग्रेषित करें:—

- (क) मृत्यु प्रमाण पत्र
- (ख) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र
- (ग) नियोक्ता द्वारा प्रतिकर जमा करने की रसीद
- (घ) संवितरण विवरण
- (ड.) कर्मचारी/आश्रितों से प्रतिकर की प्राप्ति
- (च) समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो

[फा. सं. आर-11011/03/2020-एसएस-II]

आशुतोष ए.टी.पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 344(E).—Whereas, the draft of the Social Security (Central) Rules, 2025 were published as required under sections 154, 155, 158 and 159 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 935(E), dated the 30th December, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the notification was made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 154 read with sub-section (2) thereof, and sub-section (1) of section 155 read with sub-section (2) thereof and Section 158 and sub-section (1) read with sub-section (2) of section 159 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and read with section 24 of the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) in supersession of the-

- (i) Employee's Compensation Rules, 1924;
- (ii) Employee's Compensation (Transfer of Money) Rules, 1935;
- (iii) Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950;
- (iv) Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Rules, 1960;
- (v) Maternity Benefit (Mines and Circus) Rules, 1963;
- (vi) Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972;
- (vii) Cine-Workers Welfare Fund Rules, 1984;
- (viii) Employee's Compensation (Venue of Proceedings) Rules, 1996;
- (ix) Tribunal (Procedure) Rules, 1997;
- (x) Employees' Provident Funds Appellate Tribunal (Conditions of Service) Rules, 1997;
- (xi) Building and other Constructions Workers' Welfare Cess Rules, 1998; and
- (xii) Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Social Security (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “agency” means any corporation, body or institution, established under an Act of Parliament or central public sector undertaking or special purpose vehicle as notified by the Central Government;

(b) “appeal” means an appeal preferred under the Code;

(c) “Appellate authority” means in Central sphere, the Central Government or the authority specified by the Central Government under sub-section (8) of section 56 or in State sphere, an officer, senior in rank to the Assessing Officer for the purposes of section 105, appointed by the State Government, as the case may be;

(d) “Assessing Officer” means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of cess under Chapter VIII of the Code;

(e) “Authorised Officer for Employees’ Compensation” means any officer whom the State Government may designate either generally or in respect of any area or class of areas, for the purpose of performing the functions assigned by these rules to the Authorised Officers;

(f) “authority” means the Central Government or the authority specified by the Central Government for the purpose of sub-section (3) of section 72;

(g) “average daily wages during a contribution period” under Chapter IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;

(h) “average daily wages during a wage period” under Chapter IV of the Code means —

(i) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;

(ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period:

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 day or days if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation. — Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

(i) “benefit period” means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as specified in the regulations made under section 157;

- (j) “career centre (central)” means that career centre as notified by the Central Government;
- (k) “career centre (regional)”, throughout India, except the Union territory of Chandigarh, means the career centre as notified by the respective State Government or the Administration of the Union territory as having jurisdiction –
- (i) over the area in which the establishments concerned are situated; or
 - (ii) over specified classes or categories of establishments concerned or vacancies;
- (l) “career centre (regional) in the Union territory of Chandigarh” means the career centre established either by the Union territory Administration of Chandigarh or by the State Government of Punjab or Haryana, as the case may be, notified by the respective States as having jurisdiction over specified classes or categories of establishments or vacancies:
- Provided that the career centres established by the State Government of Punjab or Haryana shall not have jurisdiction over—
- (i) the public sector offices or establishments other than those belonging to the respective States; and
 - (ii) private sector establishments;
- (m) “cess collector” means an officer appointed by the State Government for collection of cess under Chapter VIII of the Code;
- (n) “chairperson” means the chairperson of the Corporation, the Central Board, the National Social Security Board, the State Unorganised Workers’ Social Security Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;
- (o) “chartered engineer” means a person having an engineering degree and the corporate membership of the Institution of Engineers (India);
- (p) “Code” means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (q) “contribution period” means the period not exceeding six consecutive months, as specified in the regulations made under section 157;
- (r) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the designated Portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code;
- (s) “excluded vacancies” means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 under the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 140;
- (t) “Form” means a form appended to these rules;
- (u) “fund” means the Employees’ State Insurance Fund referred to in section 25, the Provident Fund, the Pension Fund and the Employees’ Deposit-Linked Insurance Fund referred to in section 16 or the Social Security Fund referred to in section 141, as the case may be;
- (v) “Government Securities” means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006);
- (w) “immovable property” includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (x) “movable property” means property of every description except immovable property;

(y) “nodal officer” means a person designated by the Building Workers’ Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or to perform any other function relating to building workers from the private sector, State Government, Central Government and public sector undertakings or local authority including supervising and monitoring the functions of the beneficiary registering officers designated by the appropriate Government;

(z) “nomination” means nomination made under section 55;

(za) “register of women employees” means a register of women employees maintained under rule 53;

(zb) “Schedule” means the Schedule to the Code;

(zc) “section” means a section of the Code;

(zd) “ShramSuvidha Portal” means the portal of the Ministry of Labour and Employment with such name;

(ze) “specified” means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government;

(zf) “standard benefit rate” means average daily wages obtained by dividing the total wages paid during the contribution period by the number of days for which these wages were paid;

(zg) “transferring authority” means any authority in any country which transfers or causes to be transferred any lump sum awarded under the law relating to employees compensation in such country and applicable for the benefit of any person residing or about to reside in India; and

(zh) “year” means the financial year, beginning from the 1st day of April and ending with the 31st day of March of the following year.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Manner and conditions of making the provisions of Chapter III or Chapter IV inapplicable to an establishment.— (1) The employer of an establishment to which the provisions of Chapter III or Chapter IV have been made applicable under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, may apply electronically on the specified portal to the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, for making such provisions inapplicable to the establishments, subject to the condition that the employer and the majority of the employees of that establishment agree in writing to such request.

(2) The Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, shall decide the application under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code within a period of sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that if no decision is taken by the Central Provident Fund Commissioner or the Director General, as the case may be, within the period of sixty days from the date on which the application is made, the permission under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, as the case may be, shall be deemed to have been granted with effect from the date of completion of such sixty days:

Provided further that no such application shall be entertained if the provisions of Chapter III or Chapter IV have become applicable, in terms of sub-section (4) of section 1 of the Code, to the establishment at any time subsequent to the notification under sub-section (5) or sub-section (7) of section 1 of the Code, as the case may be:

Provided also that no such application shall be made by the employer of the establishment before five years of such coverage under the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be:

Provided also that no such application shall be entertained unless the employer has furnished all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application.

4. Income of dependent parents of employee.—For the purposes of sub-clause (e) of clause (33) of section 2 of the Code, the income from all sources, for the purposes of Chapter IV of the Code shall not exceed fourteen thousand rupees in a month or such amount as may be specified by notification.

5. Registration of establishments and cancellation thereof.—(1)(a) Every employer seeking registration for an establishment not already registered shall apply electronically in Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, on the Shram Suvidha Portal by furnishing details of the establishment and uploading documents related to registration of the establishment including proof of identity and address of the employers, as specified in the Form.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, Form-I under the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 shall be the common form for registration under these rules.

(b) The Form shall be signed digitally or in such other manner as may be required on the portal.

(c) The applicant shall be responsible for the veracity of all information submitted in the application.

(d) The Permanent Account Number (PAN) of the establishment allotted under Income Tax 2025 (30 of 2025) or any other unique number allotted to the establishment under any other law for the time being in force or any other particular furnished in the form, may be verified online.

(e) The certificate of registration shall be issued in Form-III of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 electronically, if the application is complete in all respects but not later than seven days from the date of submission of complete application, failing which such establishment shall be deemed to have been registered and the certificate of registration shall be auto-generated:

Provided that in exceptional circumstances, the Central Government may, by notification and for such period as may be specified therein, dispense with the requirement of electronic registration in respect of establishment or class of establishments, for the whole or any part of India, and submission of application in the Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 so provided, may be allowed.

(2) The authorised officer under the Code shall direct the employer who fails to comply with the requirements of sub-rule (1) to do so within the time stated therein and such employer shall thereupon comply with the instructions issued by that officer in this behalf.

(3) The employer in respect of an establishment already registered under any other central labour law for the time being in force shall, update the particulars of the employer or establishment on the Shram Suvidha Portal within such period as prescribed under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

(4) Any registration obtained by furnishing wrong information shall be liable to cancellation after the establishment has been given an opportunity to show cause within a period of thirty days from the date on which the notice is served on the concerned employer, electronically or otherwise, as to why the certificate of registration should not be cancelled.

(5) The employer shall quote the registration number on all documents prepared or submitted by him in connection with the Code or the schemes or the rules or the regulations, as the case may be, and in all correspondence with the offices concerned.

(6) Any change in the particulars furnished in the Form-I of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 submitted on the specified portal shall be updated by the employer within thirty days of such change.

(7) The employer of an establishment to which the provisions of the Code apply and whose business activities are in the process of closure, may apply for cancellation of registration in the specified form online on the Shram Suvidha Portal after furnishing complete details and the status of the contribution and other dues payable under the Code.

(8) The application for cancellation of registration shall be allowed after the particulars in the application are verified in such manner as may be specified by the Central Government:

Provided that no such application for cancellation of registration shall be entertained unless the employer has furnished all returns, paid all dues under the Code and submitted a self-certification to that effect along with the application:

Provided further that such application for cancellation shall be decided within a period of ninety days from the date of receipt of the application complete in all respects.

(9) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous places in the premises where the work is being carried out.

CHAPTER II

SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

A. CENTRAL BOARD, EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

6. Administration of funds vested in Central Board.—(1) The Central Board shall administer the funds vested in it in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Central Board for the efficient administration of the schemes may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the schemes.

(3) All moneys belonging to the funds shall be deposited in the Reserve Bank of India or the State Bank of India or in such other Scheduled Banks as may be approved by the Central Government from time to time or shall be invested as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, Specify.

(4) All expenses incurred in respect of, and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the funds.

(5) The funds, not including therein the administration account, shall not be expended for any purpose other than the payment of the sums standing to the credit of individual members of the funds or to their nominees or heirs or legal representatives in accordance with the provisions of respective schemes.

(6) The funds shall be operated upon by such officers as may be authorised in this behalf by the Central Board.

7. Executive Committee. – (1) The Central Board shall perform such functions as may be assigned to it by the Central Government under section 13 and administer the Schemes framed under section 15.

(2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely: -

- i. a Chairperson to be appointed by the Central Government from amongst the members of the Central Board;
- ii. two persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 4;
- iii. three persons appointed by the Central Government from amongst the persons referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 4;
- iv. three persons representing the employers elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 4;
- v. three persons representing the employees elected by the Central Board from amongst the persons referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 4; and
- vi. the Central Provident Fund Commissioner, *ex officio*.

(3) (a) The Chairperson of the Central Board shall call a meeting of the Board for the purpose of election to the Executive Committee of the members representing the employers or, as the case may be, the employees referred to in sub-clauses (iv) and (v) of sub-rule (2).

(b) The Chairperson of the Central Board may invite the members to propose the names of those members who represent the employers or, as the case may be, the employees and every such proposal shall be duly seconded by another member of the Board.

(c) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) does not exceed the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers, or, as the case may be, the employees, the persons whose names have been so proposed and seconded in relation to the category of employers or employees, shall be declared elected to the Executive Committee.

(d) In case where the number of persons proposed and seconded for election under clause (a) exceeds the number of vacancies to be filled up from amongst the persons representing the employers or, as the case may be, the employees, each member of the Board present at the meeting, other than the Chairperson, shall be given a ballot paper containing the names of all the candidates so proposed and seconded and he may record his votes thereon for as many candidates belonging to the categories of employers or employees, as there are vacancies to be filled up in relation to each such category, but not more than one vote shall be given in favour of any one candidate.

(e) In case where any member votes for more candidates than the number of vacancies in relation to the categories of employers or employees or gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(f) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson as duly elected to the Executive Committee at the same meeting or as soon thereafter as possible:

Provided that where there is an equality of votes between candidates, the Chairperson shall have a casting vote.

(g) In case where any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central Government, which shall decide the same.

(4) The Central Board may, by order, constitute one or more committees consisting of as many trustees and officers of the Employees' Provident Fund Organisation, as may be specified in the order:

Provided that the Central Board may also include such persons, who in its opinion, have special knowledge of the subject matter relating to the committee.

(5) The Executive Committee shall function under the general superintendence of the Central Board and assist the Central Board in performance of its functions and shall perform such functions as may be assigned to it by the Central Board.

(6) (a) The term of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and every trustee of the Central Board referred to in clauses (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 4 shall be four years commencing on and from the date on which their respective appointment is notified in the Official Gazette.

(b) The term of office of the Chairperson and every member of the Executive Committee shall be two years, commencing on and from the date on which their respective appointment is notified.

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), every trustee or member of the Central Board or Executive Committee, as the case may be, shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette:

Provided that a member of the Executive Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Central Board.

(d) A trustee or a member referred to in clauses (a) and (b) appointed to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the trustee or member in whose place he is appointed and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(e) A person shall be eligible for appointment as a trustee or a member for a maximum of two terms:

Provided that such limitation of terms shall not apply to the Chairperson, Vice-Chairperson, and a trustee or member appointed *ex officio* and such appointment shall be co-terminus with the tenure of the office of the trustee or member, as the case may be:

Provided further that the maximum of two terms shall also include the number of terms for which a person has been appointed as a trustee of the Central Board under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) of section 5A of the erstwhile Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

(7) (a) The Central Provident Fund Commissioner shall be the Secretary to the Central Board and also to the Executive Committee.

(b) The Secretary to the Central Board and the Executive Committee shall, in consultation with the Chairperson of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be, convene meetings of the Central Board or the Executive Committee, keep a record of their minutes and shall take necessary steps for carrying out the decisions of the Central Board or the Executive Committee, as the case may be.

B. EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

8. The Employees' State Insurance Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Committee.—(1) Every person representing each of the States shall be appointed as a member of the Corporation, on nomination by the State Government concerned.

(2) (a) The common seal of the Corporation shall remain in the custody of the Director General of the Corporation and shall not be affixed to any instrument except in the presence of the Director General or two members of the Standing Committee constituted under sub-rule (3) and the Director General or the said two members shall sign the contract in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(b) The Corporation shall have for use at each of its other offices, as it may specify, an official seal which shall be a facsimile of the common seal of the Corporation with the addition of the name of the office where it is to be used.

(c) The official seal shall not be affixed to any instrument except in the presence of such person or persons as the Standing Committee may authorise in this behalf and such person or persons shall sign the instrument in token of the fact that the same was sealed in his or their presence.

(d) An instrument to which an official seal is duly affixed shall bind the Corporation as if it had been sealed with the common seal of the Corporation.

(3) A Standing Committee of the Corporation shall be constituted from amongst its members, consisting of —

(a) a Chairperson appointed by the Central Government;

(b) three members of the Corporation, appointed by the Central Government;

(c) three members of the Corporation representing such three State Governments thereon as the Central Government shall specify from time to time;

(d) eight members elected by the Corporation as follows, namely: —

(i) three members from among the members of the Corporation representing employers;

(ii) three members from among the members of the Corporation representing employees;

(iii) one member from among the members of the Corporation representing the medical profession; and

(iv) one member from among the members of the Corporation elected by Parliament; and

(e) the Director-General of the Corporation, *ex officio*.

(4) (a) The Chairperson of the Corporation shall, at a meeting of the Corporation at which it is proposed to elect members of the Standing Committee under clause (d) of sub-rule (3), invite members to propose names from among members of the Corporation belonging to the group from which election is to be held and the names proposed shall be duly seconded by another member of the Corporation.

(b) If the number proposed from any group for election does not exceed the number of vacancies to be filled therefrom, the persons whose names have been so proposed shall be declared elected to the Standing Committee.

(c) If the number proposed from a group for election exceeds the number of vacancies to be filled there from, each member of the Corporation present at the meeting shall be given a secret ballot paper containing the names of all the candidates proposed and he shall be required to vote thereon for as many candidates from the group as there are vacancies to be filled up, with one vote in favour of any

one candidate and if any member votes for more candidates than there are vacancies in the group or gives more than one vote in favour of any one candidate, all his votes shall be deemed to be invalid.

(d) The persons getting the highest number of votes shall be declared by the Chairperson at the meeting or as soon thereafter as possible as duly elected to the Standing Committee:

Provided that where an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entitle any of the candidates to be declared to be elected, the determination of the person or persons to whom such one additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lot to be drawn in the presence of the Chairperson and in such manner as he may determine.

(e) If any question arises as to the validity of any election, it shall be referred to the Central Government whose decision in the matter shall be final.

(5) The powers and duties of the Medical Benefit Committee shall be—

(a) to advise the Corporation in regard to the constitution, setting up, duties and powers of local committees constituted for the purpose of assisting in the administration of medical benefit;

(b) to make recommendations to the Corporation in regard to —

- (i) the scale and nature of medical benefit provided at hospitals, dispensaries, clinics and other institutions and the nature and the extent of the medicines, staff and equipment which shall be maintained at such institutions and the extent to which these fall short of the desired standard;
- (ii) the medical formulary for use in connection with the medical benefit provided under the Code;
- (iii) medical certification for the purposes of the grant of benefits, including the procedure and the forms for such certification, statistical returns, registers and other medical records; and
- (iv) measures undertaken for the improvement of the health and welfare of Insured Persons, and the rehabilitation and re-employment of Insured Persons, disabled or injured;

(c) to advise the Corporation on any matter relating to the professional conduct of any medical practitioner employed for the purpose of providing medical benefit under the Code.

(6) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of members of the Corporation, other than the members referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 and the *ex officio* member, shall be for four years commencing from the date respectively on which their appointment or election is notified:

Provided that a member of the Corporation shall notwithstanding the expiry of the said period of four years, continue to hold office until the appointment or election of his successor is notified:

Provided further that the tenure of non-official members of the Corporation shall not be for more than a total of two terms.

(b) The members of the Corporation referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of section 5 shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(7) (a) Save as otherwise expressly provided in the Code, the terms of office of a member of the Standing Committee, other than a member referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule (3), shall be two years from the date on which his election is notified:

Provided that a member of the Standing Committee shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until the election of his successor is notified:

Provided further that a member of the Standing Committee shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Corporation.

(b) A member of the Standing Committee referred to in clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-rule (3) shall hold office during the pleasure of the Central Government.

(8) The Standing Committee shall be responsible for administering the affairs of the Corporation and may exercise any of the powers and perform any of the functions of the Corporation as provided under the rules and regulations made under the Code.

C. NATIONAL SOCIAL SECURITY BOARD

9. National Social Security Board.—(1)(a) A member of the National Social Security Board other than an *ex officio* member thereof, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member, other than an *ex officio* member, shall not hold the office for more than total of two terms.

(b) The Central Government shall seek nominations from amongst the representatives of associations of unorganised sector workers and employers' associations of unorganised sector, in the National Social Security Board in the category of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 in such manner as it may determine.

(c) The Central Government shall nominate seven persons under sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 from amongst persons of eminence in the fields of labour welfare, management, finance, law and administration.

(d) The Central Government shall seek nominations of two Lok Sabha members from the Speaker of the Lok Sabha and one member from the Chairman of the Rajya Sabha under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, as the case may be.

(e) The Central Government shall nominate ten members under sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 representing Ministries or Departments of the Central Government, concerned with the matters related to the welfare of the unorganised sector workers.

(f) The Central Government shall nominate five members representing the State Governments under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, and one member representing Union territories under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 on rotation basis in such manner, as it may determine.

(g) A member nominated under sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 6, shall cease to be a member of the National Social Security Board, if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated:

Provided that out of seven persons nominated under said sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the minorities and women shall be represented.

(h) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of section 6 shall cease to be a member of the National Social Security Board, if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected.

(1) No person shall be chosen as, or continue to be, a member of the National Social Security Board if such person attracts any provision of section 8.

(2) (a) The National Social Security Board for Unorganised Workers constituted under section 6 shall be the Board referred to in sub-section (6) of section 114, for the gig and platform workers.

(b) A member of the National Social Security Board, other than an *ex officio* member thereof, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a member, other than an *ex officio* member, shall not hold the office for more than total of two terms.

(c) The Central Government shall nominate five members under clause (a) of sub-section (6) of section 114, as representative of aggregators on rotation basis from amongst the types of the aggregators mentioned in the Seventh Schedule.

(d) The Central Government shall nominate five members under clause (b) of sub-section (6) of section 114 from amongst the gig workers and platform workers, on rotation basis, representing the different types of gig workers and platform workers.

(e) The Central Government shall nominate five members as experts from amongst persons of eminence in the field of labour welfare, management, finance, law, administration, e-commerce or information technology under clause (e) of sub-section (6) of section 114.

(f) In the discharge of functions of the National Social Security Board for the purpose of the welfare of gig workers and platform workers, the quorum for transaction of business at any of the meeting shall be six members.

(g) The National Social Security Board may constitute an expert committee to advise it on matters related to the welfare of gig workers and platform workers, assessment of number of gig workers and platform workers, identifying the new types of aggregators or any other matter related to gig workers and platform workers.

(3) (a) The National Social Security Board, for discharging its functions as assigned to it, under sub-section (7) of section 6, may constitute a committee to deliberate and recommend on the specific issues as may be assigned to such committee;

(b) Such committee may co-opt members from such Board or outside, as the case may be, from the fields of the experts, on which the committee is required to deliberate.

(4) (a) The Central Government shall initiate the process for reconstitution of the National Social Security Board, prior to six months of expiry of the term of the Board.

(b) If the new Board is not re-constituted after completion of the term of the National Social Security Board, such arrangements may be made for discharging the functions of the Board as may be decided by the Central Government for the period till the new Board is constituted, through a notification.

(c) Consequent upon institution of arrangement referred to in clause (b), all actions taken shall have the same effect as if it has been carried out by the Board itself.

(5) (a) A member of the National Social Security Board, not being an *ex officio* member, may resign by a letter in writing addressed to the Central Government.

(b) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(c) The power to accept the resignation of such a member shall vest with the Central Government.

(6) If such a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(7) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the National Social Security Board, Member-Secretary of the Board shall submit a report to the Central Government and on receipt of such report, the Central Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy in the manner specified under sub-rules (1) and (2) of rule 9, and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(8) (a) During the pendency of the proceeding, if any, under clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 8, for removal of a member of the National Social Security Board for Unorganised Workers, such member shall abstain from the meetings of the Board;

(b) the decision of the Central Government, on the debarment, dis-qualification and removal of any member under section 8, shall be final.

10. Other welfare measures and facilities.— If, in the opinion of the Central Government, it is necessary, for the improvement of well-being of the building workers, to formulate a new welfare scheme or schemes in a State, Building Workers Welfare Board shall make provisions for such other welfare measures and facilities as may be prescribed by the Central Government.

D. GENERAL

11. Meetings, notice of meetings, list of business and quorum.—(1) (a) The Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof shall, subject to sub-rule (2), meet at such place and time as may be decided by its Chairperson.

(b) The Central Board or the Corporation shall meet at least twice in a year.

(c) The Executive Committee of the Central Board and the Standing Committee of the Corporation shall meet at least four times in a year and the Medical Benefit Committee of the Corporation shall meet at least twice in a year.

(d) The National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board shall meet at least thrice in a year.

(e) The Chairperson of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof may whenever he thinks fit, and shall within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one half of the members of the body concerned call for a special meeting thereof and a requisition so made shall specify the object of the meeting proposed to be called.

(2) (a) A notice of not less than fifteen days from the date of issue, containing the date, time and place of every ordinary meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, together with a list of business proposed to be transacted and approved by the Chairperson concerned shall be sent to every trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building

Workers' Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or speed post (with registration) or by special messenger, and a brief note on each item of the agenda shall be sent along with the agenda as soon thereafter as possible.

(b) When the Chairperson concerned calls an emergency meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as the case may be, for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient and shall be sent to every trustee or member of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof, as the case may be, through e-mail or speed post (with registration) or by special messenger.

(c) No business other than for which the meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof has been convened shall be considered at the meeting except with the permission of the Chairperson of the meeting.

(3) The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board, as the case may be, shall preside over the meeting and in the event of absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meeting shall be presided over by such trustee or member as may be nominated by the Chairperson.

(4) No business shall be transacted at any meeting of Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof unless a quorum of –

(a) eleven trustees in case of Central Board and four members in case of Executive Committee thereof; or

(b) fifteen members in case of Corporation, five members in case of Standing Committee and seven members in case of Medical Benefit Committee thereof; or

(c) ten members in case of National Social Security Board for Unorganised Workers and six members in case of National Social Security Board for Gig Workers and Platform Workers; or

(d) four members in case of the State Building Workers' Welfare Board;

is present:

Provided that if at any meeting, no sufficient number of trustees or members, as the case may be, are present to form quorum, the Chairperson of the meeting shall adjourn the meeting for an hour and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of trustees or members attending.

(5) (a) If a trustee or member is unable to attend any meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as the case may be, he may, by a written instrument, signed by him, addressed to the Chairperson of the concerned body and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation, which he represents on the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof, as his substitute for attending that meeting of the Central Board or Corporation or

National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof in his place:

Provided that no such appointment shall be valid unless—

- (i) such appointment has been approved by the Chairperson of the body concerned; and
- (ii) the instrument making such appointment has been received by the Chairperson of the body concerned before the date fixed for the meeting.

(b) A substitute validly appointed under clause (a) shall have all the rights and powers of the member to whom he represents in relation to the meeting of the body concerned, in respect of which he is appointed and shall receive allowances, and be under obligations as if he were a trustee or the member appointed under the Code.

(c) A trustee or the member appointing a substitute for attending any meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof under clause (a), shall, notwithstanding anything contained in this sub-rule, continue to be liable for the misappropriation or misapplication of the fund by the substitute and shall also be liable for any act of misfeasance or non-feasance committed in relation to the fund by the substitute appointed by him.

(6) Every question considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any Committee thereof shall be decided by a majority of the votes of the trustees or members of the body concerned present and voting and in the event of an equality of votes the Chairperson shall exercise an additional casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any question shall be decided by the circulation of necessary papers to the trustees or members of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof and by securing their opinions in writing; and any such question shall be decided in accordance with the opinion of the majority of the trustees or members received within the time-limit allowed and if the opinions are equally divided, the opinion of the Chairperson shall prevail:

Provided further that any trustee or member of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof may request that the question referred to the trustees or members of the concerned body, as the case may be, for written opinion be considered at a meeting of the Central Board or Corporation or National Social Security Board or the State Building Workers' Welfare Board or any committee thereof and thereupon the Chairperson may, and if the request is made by not less than three trustees or members of the concerned body, shall direct that it be so considered.

(7) (a) The minutes of each meeting showing *inter-alia* the names of the members present there, shall be forwarded to each trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, as the case may be, and to the Central Government and in the case of the State Building Workers' Welfare Board, the minutes shall be forwarded to each member or any committee thereof, as the case may be, and to the State Government concerned, as soon as possible and in any case not later than four weeks after the meeting.

(b) The records of the minutes of each meeting of the Central Board and the Executive Committee thereof shall be signed by the Central Provident Fund Commissioner with the approval of the Chairperson.

(c) The minutes of the meeting shall be confirmed with such modification considered necessary at the next meeting.

(d) The minutes of a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof shall be kept in separate Books (hereinafter referred to as minute-books) and shall be signed by the Chairperson of the meeting at which the proceedings are confirmed.

(e) A copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the Central Government within fifteen days from the date of such confirmation:

Provided that in the case of State Building Workers' Welfare Board, a copy of the minutes so confirmed shall be forwarded to the State Government concerned within fifteen days from the date of such confirmation.

(f) The minute-books shall be kept open at the principal office of the Central Board or Corporation or National Social Security Board during office hours on working days for inspection free of charge by any of the respective member.

(8) (a) Every non-official trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, as the case may be, shall be allowed travelling and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to officers of the Central Government holding a post in Level 11 in the pay matrix.

(b) Where such trustee or member, is a Member of Parliament or a Member of State Legislature, he shall be paid travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) or the respective provisions of the law pertaining to the members of the concerned State Legislature, as the case may be:

Provided that when a Minister is appointed as Chairperson or trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof and attends a meeting, his travelling and daily allowance shall be governed by the rules applicable to him for journeys performed on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(c) No daily or travelling allowance, as the case may be, in respect of any day of journey shall be claimed by a trustee or member of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof, if he has drawn or will draw allowance for the same from his employer or as a member of the committee or any legislature or of any committee or conference constituted or convened by Government and no travelling allowance shall be claimed, if he uses a means of transport provided at the expense of Government or his employer.

(d) The daily and travelling allowance shall also be payable to a member in respect of the meetings of any sub-committee set up by the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or by any Committee thereof, attended by him.

(e) For attending a meeting of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board or any committee thereof or meetings of a sub-committee set up by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or any Committee thereof, an official trustee or member of the Central Government shall draw his travelling allowance from his department on a scale admissible to him under the Central Government rules and the amounts so drawn shall, on a demand being made therefor by the Central Government, be reimbursed by the Central Board or Corporation or National Social Security Board or Committee thereof to that Government.

(f) Payments shall not be made to a non-official member earlier than the last date up to which the allowance is claimed and the travelling allowance for both the onward and return journeys will be included in the travelling allowance bill and the payment made therefor treated as final, irrespective of the date of completion of the journey.

12. Reconstitution of Corporation, Central Board, National Social Security Board, State Unorganised Workers' Board, Building Workers' Welfare Board or any of the Committees.—When the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board has been superseded under the provisions of section 11, the Central Government or the State Government, as the case may be, shall —

(a) appoint or cause to be appointed or elected new trustees or members to the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board in accordance with section 4 or section 5 or section 6 read with proviso to sub-section (6) of section 114 or section 7, as the case may be; and

(b) in its discretion, make such arrangement for such period as it may think fit, to exercise the powers and perform the functions of the Central Board or the Corporation or the National Social Security Board for Unorganised Workers or the State Unorganised Workers' Social Security Board or the State Building and Other Construction Workers' Welfare Board.

CHAPTER III

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

13. Form, manner, time limits and fees for filing of appeal.—(1) The language of the Tribunal shall be English:

Provided that the parties to the proceedings before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided further that —

(i) the Tribunal may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings, but the final order shall be in English;

(ii) the Tribunal hearing the matter, may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.

(2) (a) An appeal to the Tribunal shall be presented in Form-I by the appellant in person or by an agent or by a duly authorised legal practitioner to the registry or any other officer authorised in writing by the Registrar of the Tribunal to receive the same or be sent by speed post (with registration) with acknowledgement duly addressed to the Registrar.

(b) The appeal under clause (a) shall be presented electronically or in triplicate in a paper-book form along with one unused file size envelope bearing full address of the respondent:

Provided that where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the appeal in paper-book form as there are respondents together with unused file size envelopes bearing the full address of each respondent or electronically shall be furnished by the Appellant:

Provided also that where the number of respondents is more than five, the Registrar may permit the appellant to file the extra copies of the appeal at the time of issue of notice to the respondents.

(c) The Registrar shall cause to be issued an acknowledgement of receipt of the appeal electronically or otherwise in Form-II.

(3) (a) The Registrar, or the officer authorised by him under sub-rule (2), shall endorse on every appeal the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement digitally or otherwise.

(b) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(c) If the appeal, on scrutiny, is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Registrar may allow the party to rectify the same in his presence, and if the defect is not formal in nature, the Registrar shall give instruction to the appellant by speed post (with registration) or electronic mail, to remove the defects within a period of fifteen days from the date of the receipt of such intimation.

(d) If the appellant fails to rectify the defect within the specified time under clause (c), the Registrar may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and inform the appellant accordingly.

(4) The appeal shall ordinarily be filed by the appellant with the Registrar of such Tribunal within whose jurisdiction —

- (i) the cause of action has arisen, or
- (ii) office of the respondent against whose order relief is sought, is located.

(5) (a) Every appeal filed with the Registrar shall be accompanied by a fee of rupees two thousand to be remitted by electronic transfer or in the form of crossed demand draft on a scheduled commercial bank in favour of the Registrar and payable at the main branch of that Bank at the station where the seat of the said Tribunal is situated.

(b) Any person aggrieved by an order passed under section 125 or section 128 may within a period of sixty days from the date of issue of the order, prefer an appeal to the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within sixty days, extend the said period by a further period of sixty days:

Provided further that no appeal by the employer shall be entertained by the Tribunal unless he has deposited with the respective Fund constituted under section 16, by way of electronic transfer or demand draft, a sum equal to twenty-five per cent of the amount due from him as determined under section 125.

(6) Every appeal filed under sub-rule (2) shall set forth concisely under distinct heads the grounds for such appeal and such grounds shall be numbered consecutively; and the appeal, including any miscellaneous petition shall be filed electronically or typed in double space on both sides on thick paper of good quality.

(7) (a) Every appeal being filed electronically or otherwise shall be accompanied by a paper-book containing —

- (i) a copy of the order against which the appeal is filed;
 - (ii) copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;
- and
- (iii) an index of the documents.

(b) The documents referred to in clause (a) may be digitally signed or attested by a legal practitioner or by a gazetted officer and each document shall be marked serially as Annexures A-1, A-2, A-3 and so on.

(c) Where an appeal is filed by an agent, document authorising him to act as such agent shall also be appended to the appeal:

Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner, it shall be accompanied by a duly executed 'Vakalatnama' in digital format or otherwise.

(8) An appeal shall be based upon a single cause of action and may seek one or more reliefs provided that they are consequential to one another.

(9) (a) Notices and processes to be issued by the Tribunal may be served electronically or by any of the following modes as directed by the Tribunal, namely:—

- (i) service by the party itself; or
- (ii) by hand delivery (Dasti) through process server; or
- (iii) by speed post (with registration) with acknowledgement due.

(b) Where notice issued by the Tribunal is served by the party himself electronically or by 'Hand delivery' (Dasti), he shall file with the registry of the Tribunal, the acknowledgement, together with an affidavit of service.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (a), the Tribunal may, taking into account the number of respondents and their places of residence or work and other circumstances, direct that notice of the appeal shall be served upon the respondents electronically or in any other manner including any manner of substituted service, as it appears to the Tribunal just and convenient.

(d) Notwithstanding anything done under clause (a), the Tribunal may, in its discretion, having regard to the nature and urgency of the case, direct the service of the notice on the Standing Counsels appointed as such by the Central Government or any State Government or any other authority under the Code, as the case may be.

(e) Every notice issued by the Tribunal shall, unless otherwise ordered, be accompanied by a copy of the appeal along with a copy of the paper-book.

(f) Every appellant shall pay a fee for the service or execution of process in such manner as the Tribunal may direct under clause (c), such a sum, not exceeding the actual charges incurred in effecting the service, as may be determined by the Tribunal.

(g) The fee for the service or execution of processes under clause (c) shall be remitted in the manner specified in sub-rule (5) within one week of the date of the order of the Registrar determining the fee or within such extended time as he may permit.

(h) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (d), if the Tribunal is satisfied that it is not reasonably practicable to serve notice of appeal upon all the respondents, it may, for reasons to be recorded in writing, direct that the appeal shall be heard notwithstanding that some of the respondents have not been served with notice of the application:

Provided that no appeal shall be heard unless -

(i) notice of appeal has been served on the Central Government or the State Government or the Central Board if such Government or Board is a respondent;

(ii) notice of appeal has been served on the authority which passed the order against which the appeal has been filed; and

(iii) the Tribunal is satisfied that the interests of the respondents on whom notice of the appeal has not been served are adequately and sufficiently represented by the respondents on whom notice of the appeal has been served.

(10)(a) Any person intending to contest the appeal, shall file electronically or in triplicate the reply to the appeal and the documents relied upon in paper-book form with the registry of the Tribunal within a period of thirty days of the service of notice of the appeal on him.

(b) In the reply filed under clause (a), the respondent shall specifically, admit, deny or explain the facts stated by the appellant in his appeal and may also state such additional facts as may be found necessary for the just decision of the case and it shall be signed digitally or otherwise and verified as a written statement by the respondent or any other person duly authorised by him in writing in the same manner as provided for in order VI, rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(c) The reply referred to in clause (b) shall be filed along with the documents and the same shall be marked as R-1, R-2, R-3 and so on.

(d) The respondent shall also serve a copy of the reply along with documents as mentioned in clause (c) on the appellant or his legal practitioner, if any, electronically or otherwise and file proof of such service in the registry of the Tribunal.

(e) Where the respondent fails to file the reply within the said period of thirty days, he shall be allowed to file the reply on such other day, as may be specified by the Tribunal, for reasons to be recorded in writing and on the payment of such costs as the Tribunal deems fit, but which shall not be later than sixty days from the date of the service of notice on the respondent for such purpose.

(11) The Tribunal shall notify to the parties the date and the place of hearing of the appeal electronically or otherwise in such manner as the presiding officer of the Tribunal may, by general or special order direct.

(12) (a) The Tribunal shall draw up a calendar for the hearing of cases and, as far as possible, hear and decide the cases according to the calendar;

(b) Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the appeal under section 23, as far as practicable, shall be heard on a day-to-day basis and endeavour shall be made to ensure that the same is decided within a period of one year.

(c) The Tribunal shall have the power to decline an adjournment and also to limit the time for oral arguments.

(13) (a) Where on the date fixed for hearing of the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion, either dismiss the appeal for default or hear and decide it on merits.

(b) Where an appeal has been dismissed for default and the appellant files an application for restoration of appeal within a period of thirty days from the date of dismissal and satisfies the Tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance when the appeal was called for hearing, the Tribunal shall make an order setting aside the order dismissing the appeal and restore the same:

Provided that where the case was disposed of on merits, the decision shall not be reopened except by way of review.

(14) (a) Where on the date fixed for hearing the appeal or on any other date to which such hearing may be adjourned, the appellant appears and the respondent does not appear when the appeal is called for hearing, the Tribunal may, in its discretion adjourn the hearing or hear and decide the appeal *ex parte*.

(b) Where an appeal has been heard *ex parte* against a respondent or respondents, such respondent or respondents may apply to the Tribunal for an order to set it aside and if such respondent or respondents satisfy the Tribunal that the notice was not duly served or that he or they were prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, the Tribunal may make an order setting aside the *ex-parte* hearing as against him or them upon such terms as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the appeal:

Provided that where the *ex-parte* order is of such nature that it cannot be set aside as against one respondent only, it may be set aside as against all or any of the other respondents also:

Provided further that in cases covered by clause (h) of sub-rule (9), the Tribunal shall not set aside *ex-parte* order of an appeal merely on the ground that it was not served upon the respondent or respondents.

(15) (a) In case of death of a party during the pendency of the proceedings before the Tribunal, the legal representatives of the deceased respondent or appellant may apply electronically or otherwise within thirty days of the date of such death for being brought on record as necessary parties.

(b) Where no application is received from the legal representatives of deceased party within the period specified in clause (a), the proceedings against the deceased party shall abate:

Provided that on good and sufficient reasons the Tribunal, on an application, may set aside the order of abatement and substitute the legal representatives.

(16) The Tribunal may, if sufficient cause is shown at any stage of proceedings, grant time to the parties or any of them, and adjourn the hearing of the appeal.

(17) Every order of the Tribunal shall be in writing and shall be signed digitally or otherwise by the presiding officer who pronounced the order and the order shall be pronounced in open court.

(18)(a) Every final order passed on any appeal shall be communicated to the appellant and to the respondent concerned either electronically or otherwise by hand delivery or by speed post (with registration), free of cost.

(b) If the appellant or the respondent to any proceeding requires a copy of any document or proceeding, the same shall be supplied to him on such terms and conditions on payment of such fees as may be fixed by the presiding officer in consultation with the Central Government by general or special order, issued from time to time.

(19) The Tribunal may make such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to its orders or to prevent abuse of its process or to secure the ends of justice.

(20) Except on Saturdays, Sundays and other public holidays, the office of the Tribunal shall, subject to any order made by the presiding officer remain open from 9.30 A.M. to 6.00 P.M.

(21) The sitting hours of the Tribunal shall, ordinarily, be from 10.30 A.M. to 1.30 P.M. and 2.30 P.M. to 5.00 P.M. subject to any general or special order made by the presiding officer.

(22) (a) The Registrar shall have the custody of the records of the Tribunal and shall exercise such other functions as are assigned to him under these rules or by the presiding officer by separate order.

(b) The official seal shall be kept in the custody of the Registrar.

(c) Subject to any general or special direction by the presiding officer, the seal of the Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process save under the authority in writing of the Registrar.

(d) The seal of the Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Tribunal save under the authority in writing of the Registrar.

(23) In addition to the powers conferred elsewhere in these rules, the Registrar shall have the following powers and duties subject to any general or special order of the presiding officer, namely:

—

- (i) to receive all appeals and other documents;
- (ii) to decide all questions arising out of the scrutiny of the appeals before they are registered;
- (iii) to require any appeal presented to the Tribunal to be amended in accordance with the Code and the rules;
- (iv) subject to the directions of the Tribunal, to fix the date of first hearing of the appeals or other proceedings and issue notices thereof;
- (v) to direct any formal amendment of records;
- (vi) to order grant of copies of document to parties to the proceedings;
- (vii) to grant permission to inspect the records of the Tribunal;
- (viii) to dispose of all matters relating to the service of notices or other process for the issue of fresh notices and for extending the time for filing such appeals and to grant time not exceeding fifteen days for filing a reply or rejoinder, if any, and to place the matter before the Tribunal for appropriate order after the expiry of the aforesaid period;
- (ix) to requisition records from the custody of any court or other authority;
- (x) to receive applications, within sixty days from the date of death, for substitution of legal representatives of the deceased parties during the pendency of the appeals;
- (xi) to receive and dispose of applications for substitution, except where the substitution would involve setting aside an order of abatement; and
- (xii) to receive and dispose of application by parties for return of documents.

(24) (a) A person preferring appeal to a Tribunal under section 23 may either appear in person or take the assistance of a legal practitioner of his choice to present his case before the Tribunal.

(b) The Central Government or a State Government or any other authority under the Code may authorise one or more legal practitioner or any of its officers and every person so authorised may present the case on its behalf with respect to any appeal before a Tribunal.

(25) The official seal and emblem of the Tribunal shall be in a round shape bearing name of the Tribunal in capital letters with the National Emblem in the Centre.

(26) The dress for the presiding officer of the Tribunal and member of the staff of the Tribunal shall be such as the presiding officer may specify by order from time to time.

(27) A legal practitioner or, as the case may be, a presenting officer shall appear before the Tribunal in his professional dress, if any, and if there is no such dress, then:

- (i) if a male, in a closed collared coat and trousers or in a lounge suit;
- (ii) if a female, in a saree, or any other customary dress of sober colour.

CHAPTER IV

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

14. Salary and allowances of Director General and Financial Commissioner.—(1)The Director General and the Financial Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24 shall receive such pay and allowances and other benefits as are admissible to officers of the Central Government drawing corresponding level of pay:

Provided that where the Director General or the Financial Commissioner is a person already in the service of the Corporation, he shall be entitled to pension, gratuity and other superannuation benefits to which he would have been otherwise entitled but for his appointment as the Director General or the Financial Commissioner.

(2) (a) The powers and duties of the Director General of the Corporation shall be —

- (i) to act as the Chief Executive Officer of the Corporation;
- (ii) to convene, under the orders of the Chairperson of the Corporation, meetings of the Corporation, the standing committee and the medical benefit committee thereof in accordance with the Code and the rules made thereunder by the Central Government and to implement the decisions reached at the meetings;
- (iii) to enter into contracts on behalf of the Corporation in accordance with the Code or the rules made by the Central Government thereunder or regulations made thereunder, or the general or special instructions of the Corporation or the Standing Committee thereof;
- (iv) to furnish all returns and documents required by the Code or the rules made thereunder by the Central Government, to the Central Government and to correspond with the Central Government and the State Governments upon all matters concerning the Corporation;
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may from time to time, be entrusted to him under the Code and the Central Rules and Regulations made thereunder.

(b) The Director General may, with the approval of the Standing Committee, by general or special order, delegate any of his powers or duties under the Central rules or the regulations or under any resolution of the Corporation or the Standing Committee thereof, as the case may be, to any person subordinate to him and the exercise or discharge of any of the powers or duties so delegated shall be subject to such restrictions, limitations and conditions, if any, as the Director General may, with the approval of the Standing Committee of the Corporation, impose.

(3) The powers and duties of the Financial Commissioner of the Corporation shall, subject to the control of the Director General, be —

- (i) to maintain the accounts of the Corporation and to arrange for the compilation of accounts by the collection of returns from the centres and the regions of the Corporation;
- (ii) to prepare the budget of the Corporation;
- (iii) to arrange for internal audit of the accounts of the centres and the regions of the Corporation and of the receipts and payments thereat;
- (iv) to make recommendations for the investment of the funds of the Corporation; and
- (v) to undertake such other duties and to exercise such other powers as may, from time to time, be entrusted or delegated to him for executive convenience.

(4) The powers of the Corporation under sub-section (7) of section 24 for employing such officers and employees shall be exercised by the Corporation in relation to posts carrying maximum of level 14 in the pay matrix as per the Seventh Central Pay Commission.

15. Investment of Employees' State Insurance Fund or any other money held by Corporation. -

(1) The Corporation shall invest the Employees' State Insurance Fund vested in it in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

(2) The Corporation for the efficient administration of the scheme may open as many accounts as it may consider necessary or as specified in the scheme.

(3) All expenses incurred in respect of and loss, if any, arising from any investment shall be charged to the Employees' State Insurance Fund and the profit, if any from the sale of any investment shall also accrue to the Employees' State Insurance Fund.

(4) Any investment made under this rule may, subject to the provisions of sub-rule (1), be varied, transposed or realised from time to time:

Provided that if such variation, transposition or realisation is likely to result in a loss, the prior approval of the Central Government shall be obtained.

Explanation. — The approval of the Central Government shall not be required merely on the ground that the value of the security on its maturity is less than the price at which it was purchased.

(5) The Central Government may, at any time, direct the vacation in part or in whole, or prohibit investment in any security or class of securities or any land or building.

(6) All dividends, interest or other sums received in respect of any investment shall, as soon as possible after receipt, be paid into or credited to the account of the Employees' State Insurance Fund.

16. Limits for defraying of expenditure.—For the promotion of measures for the improvement of the health and the welfare of insured persons, annual medical examination for insured persons of the age of forty years and above through the Corporation from its own hospitals or dispensaries only and for the rehabilitation and re-employment of insured persons who have been disabled or injured, the Corporation may incur an expenditure up to a limit of rupees one thousand crore per year, or as may be specified by the Central Government from time to time, from the Employees' State Insurance Fund.

17. Holding of property, etc.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may, from time to time, be laid down by the Corporation, the Director General may, for the purposes of the Code, acquire on behalf of the Corporation movable or immovable property:

Provided that sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be required for the exchange of any immovable property, for the taking of any property on lease for a term exceeding thirty six months, or for the acceptance of any gift or bequest of property burdened with an obligation.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) and such conditions as may be laid down by the Corporation from time to time, the Director General may —

(a) dispose of, by sale or exchange, any movable property belonging to the Corporation, the value of which does not exceed rupees one crore in each case, or grant for any term not exceeding twelve months a lease of any immovable property belonging to the Corporation;

(b) with the sanction of the Standing Committee of the Corporation, lease, sell or otherwise dispose of any movable or immovable property belonging to the Corporation.

(3) (a) The Corporation may enter into and perform all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying into effect the provisions of the Code.

(b) Every contract made under or for any purpose of the Code shall be made on behalf of the Corporation-

(i) by the Director General; or

(ii) subject to such conditions as it may specify, by such member or officer of the Corporation as it may authorise:

Provided that the sanction of the Standing Committee of the Corporation shall be obtained in respect of any contract involving an expenditure exceeding rupees twenty-five crore.

(c) Every contract entered into by any person as provided in clause (b) shall be entered into in such manner and form as would bind him if it were made on his own behalf and may in like manner and form be varied or discharged:

Provided that the common or official seal, as the case may be, of the Corporation shall be affixed to every contract for amounts exceeding rupees five lakh.

(4) (a) The Corporation may, in pursuance of a resolution passed at a meeting of the Standing Committee thereof, and with the prior approval of the Central Government, raise loans for the purposes of the Code.

(b) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Corporation may raise loans —

(i) for the acquisition of land or the raising of buildings thereon or both, as the case may be; or

(ii) to repay a loan raised under this sub-rule; or

(iii) for any other purpose approved by the Central Government.

(c) All loans under this sub-rule shall be obtained —

(i) from the Central Government on such rates of interest and such terms as to the time and method of repayment as the Central Government may specify; or

(ii) with the approval of the Central Government from such bank or banks specified in rule 30.

(d) Where a loan is obtained from such bank or banks specified in rule 31, the Corporation may, with the approval of the Central Government, grant mortgages of all or any of the property vested in it for securing the repayment of the sums so advanced, with interest.

(e) All payments due from the Corporation for interest on, and repayment of, loans shall be made in such manner and at such times as may have been agreed upon:

Provided that the Corporation may apply any sums, which can be so applied, in repayment of any amount due in respect of the principal amount of any loan although the repayment of the same may not be due.

(f) No expenditure incurred out of a loan shall be charged by the Corporation to capital, except with the previous sanction of the Central Government.

(g) The Corporation shall submit to the Central Government an annual statement by the thirtieth of April each year showing the loans raised and repayments made during the preceding year.

18. Insurance of employees.—(1) The employer in respect of an establishment shall before or on the day of taking any person into employment, unless such person is already registered under Chapter IV of the Code, register him by entering his name and Aadhaar number and other details on the specified portal for such purpose and an insurance number shall be automatically allotted to the employee immediately on his registration which shall remain valid for a period of thirty days. Persons already registered under chapter IV shall be added on the specified portal by inserting Insurance number and date of appointment.

(2) On registration under sub-rule (1), the employer shall enter the updated particulars of that employee and family on declaration form available on the specified portal and an Aadhaar linked identity card shall be provided by the Corporation to the insured person and his dependent family members, electronically or otherwise.

(3) The insurance number allotted under sub-rule (1) shall automatically become invalid if the employee's details are not updated on the Declaration form within a period of thirty days or the Aadhaar number provided by the newly employed person is returned unauthenticated by the concerned authorities.

(4) The employer of the establishment shall be responsible for correctness of the particulars of the employee, filled on specified portal by him and the Insured Person shall be responsible for correctness of the particulars of his family submitted to the employer.

(5) The insurance number of an employee will be used by the employer for filing the contributions and for all other purposes in respect of the employee.

(6) The insurance number allotted to the employee under sub-rule (1) shall be used by him for availing any benefits available to him or his family members or both, as the case may be, under the Code.

Explanation.— For the purposes of this rule, “insurance number” means a number allotted by the specified portal to an employee for the purpose of Chapter-IV of the Code, Central rules and regulations made thereunder.

19. Rate of contributions.—(1) The amount of contribution for a wage period shall be in respect of

(a) employer's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three and one-fourth per cent. of the wages payable to an employee; and

(b) employee's contribution, a sum (rounded to the next higher rupee) equal to three-fourth per cent. of the wages payable to an employee.

(2) In respect of an employee who is a person with disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and under the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the employer shall not be required to pay employer's share of contribution up to a maximum period of three years or for such period as may be specified by the Central Government, from the date of commencement of the contribution period.

(3) The employer's share of contribution in respect of such employees and for such period under sub-rule (2) shall be reimbursed to the Corporation by the Central Government.

20. Administrative expenses.—(1) The expenditure incurred by the Corporation on the following items shall be termed as administrative expenses under section 30, namely:—

(a) payment of fees and allowances to members of the Corporation, the Standing Committee and the Medical Benefit Committee and other committees of the Corporation;

(b) payment of salaries, leave and joining time allowances, travelling and compensatory and other allowances, bonus, gratuities and compassionate allowances, pension, contributions to the Provident or other benefit funds and training related expenses of officers and employees of the Corporation;

(c) defraying expenses on depreciation and maintenance of staff cars, office buildings, staff quarters, hiring of accommodation, purchase of furniture, office equipment, stationery, printing and other expenditure in respect of offices of the Corporation;

(d) defraying expenses towards membership subscription to International Organisation, and other services for the purposes of giving effect to the provisions of Chapter IV of the Code;

(e) defraying the cost (including all expenses) of the auditing accounts of the Corporation and of the valuation of its assets and liabilities;

(f) defraying the cost (including all expenses) of the Employees' Insurance Courts set up under the Code;

(g) payment of any sums under any contract entered into for the purposes of the Code by the Corporation or the Standing Committee thereof or by any officer duly authorised by the Corporation or such Standing Committee in that behalf;

(h) payment of sums under any decree, order or award of any Court or Tribunal against the Corporation or any of its officers or servants for any act done in the execution of his duty or under a compromise or settlement of any suit or other legal proceedings or claim instituted or made against the Corporation;

(i) defraying the cost and other charges of instituting or defending any civil or criminal proceedings arising out of any action taken under the Code;

(j) defraying the expenditure in connection with publicity of the Employees' State Insurance Scheme including printing of publicity materials and courses relevant for the purposes of the Code; and

(k) defraying the expenditure on conducting evaluation studies on various aspects of functioning of the Employees' State Insurance Scheme.

(2) The percentage of the total revenue income of the Corporation which may be spent every year on its administrative expenses shall not exceed fifteen per cent.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “Employees’ State Insurance Scheme” means the schemes referred to in Chapter IV of the Code, administered by the Corporation and such Central and state rules, regulations and notifications required to be administered by the Corporation including administrative instructions issued by the Corporation.

21. Limit for funeral expenses.—The amount of funeral expenses for the purposes of proviso to clause (f) of sub-section (1) of section 32 shall be notified by the Corporation and shall be twenty thousand rupees.

22. Qualification for claiming benefits.—(1) Subject to the provisions of the Code and the regulations, a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than seventy-eight days in the corresponding contribution period and shall be entitled to receive such benefit at the rate of seventy per cent. of the “Standard Benefit Rate” of that person during the corresponding contribution period rounded to the next higher rupee:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of Chapter IV of the Code for the first time and for whom a shorter contribution period of less than one hundred and fifty six days is available, he shall be qualified to claim sickness benefit if the contribution in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period:

Provided further that in case of an Insured woman in receipt of maternity benefit or an Insured Person in receipt of temporary disablement benefit and owing to such fact, as the case may be, a shorter contribution period is available to her or him, she or he shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in her or his respect were payable for not less than half the number of days available for working in such shorter contribution period:

Provided also that he shall not be entitled to the benefits for the first two days of sickness except in the case of a spell of sickness following, at an interval of not more than fifteen days, the spell of sickness for which sickness benefits were last paid:

Provided also that sickness benefits shall not be paid to any person for more than ninety-one days in any two consecutive benefit periods.

(2) (a) The sickness benefit may be extended if the person is diagnosed to be suffering from any one or more of the diseases specified in regulations made by the Corporation, provided that the Insured Person has completed four contribution periods immediately preceding the beginning of the spell in which the disease is first diagnosed and has paid contribution for a period of one hundred and fifty six days in the four aforesaid contribution periods and he is eligible to claim sickness benefit at least in one of the aforesaid four contributory periods.

(b) The extended sickness benefit shall be granted only if the Insured Person is otherwise entitled to extended sickness benefit under foregoing provisions but has exhausted the sickness benefit due to him under the fourth proviso to sub- rule (1) or is ineligible to sickness benefit in terms of sub-rule (1).

(c) The sickness benefit may be extended for a maximum period of seven hundred and thirty days including the sickness benefit under fourth proviso to sub-rule (1), subject to the conditions as specified in the regulations made under section 157.

(d) The daily rate of the extended sickness benefit of an insured person shall be eighty per cent. of the “Standard Benefit Rate”.

(3) (a) An insured woman shall be qualified to claim maternity benefits for a confinement occurring or expected to occur in a benefit period, if the contributions in respect of her were payable for not less than seventy days in the immediately preceding two consecutive contribution periods.

(b) Subject to the provisions of the Code and the regulations, if any, an insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall be entitled to receive it at the daily rate specified in clause (e) for all days on which she does not work for remuneration during a period of twenty-six weeks of which not more than eight weeks shall precede the expected date of confinement:

Provided that where the insured woman dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery for which she is entitled to maternity benefits, leaving behind child in either case, the maternity benefits shall be paid for the whole of that period but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child, to the person nominated by the insured woman in the manner as specified in the regulations made under section 157, and if there is no such nominee, to her legal representative:

Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as the case may be:

Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement.

(c) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) shall, in case of miscarriage or medical termination of pregnancy, be entitled, on production of such proof, as may be required under the regulations made under section 157, to maternity benefits at the rates specified in clause (e), for all days on which she does not work for remuneration during a period of six weeks immediately following the date of her miscarriage or medical termination of pregnancy.

(d) An insured woman who is qualified to claim maternity benefits in accordance with clause (a) in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of child or miscarriage or medical termination of pregnancy shall, on production of such proof, as may be required under the regulations made under section 157, be entitled, in addition to the maternity benefits payable to her under any other provisions of the Chapter IV, for all days on which she does not work for remuneration to maternity benefits at the rates specified in the clause (e) for all days on which she does not work for remuneration during an additional period not exceeding one month.

(e) The daily rate of maternity benefit payable in respect of confinement occurring or expected to occur during any benefit period shall be equal to the standard benefit rate in respect of the insured woman during the corresponding contribution period, rounded to the next higher rupee.

(4) An insured woman and an Insured Person in respect of his wife shall be paid a sum of rupees fifteen thousand per case as medical bonus on account of confinement expenses:

Provided that the confinement occurs at a place where necessary medical facilities under the Employees’ State Insurance Scheme are not available:

Provided further that confinement expenses shall be paid for two confinements only.

(5) (a) A person shall be qualified to claim disablement benefits for temporary disablement for not less than three days (excluding the day of accident) for the period of such disablement sustained as an employee under the Code.

(b) A person shall be qualified to claim periodical payment for permanent disablement sustained as an employee under the Code whether total or partial, for such disablement:

Provided that where permanent disablement, whether total or partial, has been assessed provisionally for a limited period or finally, the benefit provided under this sub-rule shall be payable for that limited period, or as the case may be, for life.

(c) The daily rate of disablement benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs, rounded to the next higher rupee:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of disablement benefit shall be —

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages in that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his wages actually earned or which would have been earned, had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee.

Explanation. — The disablement benefit calculated under the foregoing provisions of this sub-rule shall be called the “full rate”.

(d) The disablement benefits shall be payable to the Insured Person as follows, namely: -

(i) for temporary disablement, at the full rate;

(ii) for permanent total disablement, at the full rate;

(iii) for permanent partial disablement resulting from an injury specified, in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate which would have been payable in the case of permanent total disablement, as specified in the said Schedule as being the percentage of the loss of earning capacity caused by the injury;

(iv) for permanent partial disablement resulting from an injury not specified in Part II of the Fourth Schedule, at such percentage of the full rate payable in the case of permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the injury.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, where more injuries than one are caused by the same accident, the rate of benefit payable under sub-clauses (iii) and (iv) shall be aggregated but not so in any case as to exceed the full rate and in cases of disablement not covered by sub-clauses (i), (ii), (iii) and (iv) at such rate, not exceeding the full rate, as provided in the regulations made under section 157.

(6) Dependants' benefit shall be paid to the dependants of the Insured Person who dies as a result of an employment injury, in the following manner, namely:-

(a) In the case of death of the Insured Person, the dependants' benefit shall be payable to his widow, children and widowed mother as follows, namely: -

(i) to the widow during life until remarriage, an amount equivalent to three-fifths of the full rate and, if there are two or more widows, the amount payable to the widow as aforesaid shall be divided equally between the widows;

(ii) to each legitimate or adopted son, an amount equivalent to two-fifths of the full rate until he attains the age of twenty-five years:

Provided that in the case of a legitimate or adopted son who is infirm and who is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants' benefits shall continue to be paid while the infirmity lasts;

(iii) to each legitimate or adopted unmarried daughter, an amount equivalent to two-fifths of the full rate:

Provided that in the case of legitimate or adopted daughter who is infirm and is wholly dependent on the earnings of the Insured Person at the time of his death, dependants' benefit shall continue to be paid while the infirmity lasts.

(iv) to the widowed mother during life an amount equivalent to two-fifths of the full rate:

Provided that if the total of the dependants' benefits distributed among the widow(s) and legitimate or adopted children and widowed mother of the deceased person as aforesaid exceeds at any time the full rate, the share of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(b) In case the deceased person does not leave widow or legitimate or adopted child or widowed mother, dependants' benefits shall be payable to other dependants as follows, namely:-

(i) to the widower during life until remarriage, at an amount equivalent to three-fifths of the full rate;

(ii) to a parent other than the widowed mother or grandparent, for life, at an amount equivalent to two fifths of the full rate and if there are two or more parents (other than widowed mother) or grandparents the amount payable to the parents (other than widowed mother) or grandparents as aforesaid shall be equally divided between them;

(iii) to any other —

(a) male dependant, until he attains the age of eighteen years, (b) female dependant, until she attains the age of eighteen years or until marriage, whichever is earlier or if widowed, until she attains eighteen years of age or re-marriage, whichever is earlier,

at an amount equivalent to two-tenths of the full rate:

Provided that if there be more than one dependant, under sub-clause (ii), the amount payable under this sub-rule shall be equally divided between them:

Provided further that if the total of the dependants' benefits distributed among the other dependants of the deceased person under clause (b) exceeds at any time the full rate, the share

of each of the dependants shall be proportionately reduced, so that the total amount payable to them does not exceed the amount of disablement benefits at the full rate.

(7) The daily rate of dependants' benefit shall be ninety per cent. of the standard benefit rate in the contribution period corresponding to the benefit period in which the employment injury occurs:

Provided that where an employment injury occurs before the commencement of the first benefit period in respect of a person, the daily rate of dependants' benefit shall be —

(i) where a person sustains employment injury after the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of his average daily wages during that wage period, rounded to the next higher rupee;

(ii) where a person sustains employment injury before the expiry of the first wage period in the contribution period in which the injury occurs, ninety per cent. of wages actually earned or which would have been earned had he worked for a full day on the date of accident, rounded to the next higher rupee:

Provided that the minimum total amount of the periodical monthly payment of dependants' benefit payable to all eligible dependants of a deceased employee, shall be as notified by the Corporation.

(8) At any time when its funds so permit, the Corporation may review and alter the scale of any benefit admissible under the Code and the period for which such benefit may be given.

23. Appeal to Medical Appeal Tribunal.—(1) If the Insured Person or the Corporation is not satisfied with the decision of the medical board, the Insured Person or the Corporation, as the case may be, may appeal against such decision to The Medical Appeal Tribunal referred to in sub-section (7) of section 37 by presenting an application within ninety days from the date of communication of the said decision to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the medical appeal tribunal may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The application, referred to in sub-rule (1), shall be in such form as may be specified in the regulations made under section 157.

(3) The application may be sent to the Chairperson of the Medical Appeal Tribunal by speed post (with registration) or may be presented personally.

24. Second appeal to Employees' Insurance Court. — (1) The Insured Person or the Corporation, as the case may be, may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within a period of ninety days from the date of the communication of the decision of the medical board or medical appeal tribunal:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

(2) The rules made by the State Government under the Code in respect of the form and manner to be followed in presenting applications to the Employees' Insurance Court, shall be applicable to the applications presented under this rule.

25. Qualification and other conditions of Insured Person and his family for claiming medical benefit.—(1) A person shall be entitled to medical benefit during any period for which contributions are paid or payable in respect of him or in which he is qualified to claim sickness benefit or maternity benefit.

(2) A person who is in receipt of disablement benefit shall be entitled to medical benefit while he is in receipt of such benefit:

Provided that after the disablement has been declared as permanent disablement, the person shall not be entitled to medical benefit, if he is not otherwise entitled to such benefit, except in respect of any medical treatment which may be rendered necessary on account of the employment injury from which the disablement resulted.

(3) A person on becoming an Insured Person for the first time shall be entitled to medical benefit for a period of three months provided that where such a person continues for three months or more to be an employee of an establishment to which the Chapter IV of the Code applies, he shall be entitled to medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period.

(4) The person in respect of whom contributions have been paid in a contribution period for not less than seventy-eight days in the said contribution period shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period:

Provided that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the Code, for the first time, and for whom a shorter contributory period of less than one hundred and fifty six days is available, he shall be entitled to medical benefit till the end of the corresponding benefit period if the contributions in respect of him were payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period.

(5) When a person qualifies for extension of sickness benefit as per provision of clause (b) of sub-rule (2) of rule 22 and regulations made on the subject under section 157, he shall be entitled to medical benefit till the end of the relevant extended benefit period.

(6) An Insured Person, whose entitlement to medical benefit has ceased under this rule, shall again be entitled to medical benefit from the date of his re-employment as an employee under Chapter IV of the Code by an establishment to which the Code applies immediately on registration on specified portal for such purpose and such an Insured Person shall, unless he is covered by sub-rule (4) or (5), be entitled to medical benefit till the commencement of the benefit period corresponding to the contribution period in which he is re-employed.

(7) The family of an Insured Person shall become entitled to medical benefit from such date as may be specified by the Corporation, by notification and shall continue to be so entitled so long as the Insured Person is entitled to receive medical benefit for himself, or in the case of death of the Insured Person till such date up to which the Insured Person would have remained entitled to medical care, had he survived.

(8) An Insured Person and his family shall be entitled to receive medical benefit only of such kind and on such scale as may be provided by the State Government or by the Corporation, as the case may be, and an Insured Person or his family shall not have a right to claim any medical treatment except such as is provided by the dispensary, hospital, clinic or other institution to which he or his family is allotted, or as may be provided by the regulations made under section 157.

(9) Nothing in these rules shall entitle an Insured Person and his family to claim reimbursement from the Corporation of any expenses incurred in respect of any medical treatment, except as may be provided by the regulations made under section 157.

(10) An Insured Person who ceases to be in an insurable employment on account of permanent disablement caused due to an employment injury shall be eligible to receive medical benefits for himself and his spouse at the scale to be provided under sub-rule (8), subject to —

(i) the production of proof by such an Insured Person that he ceased to be in an insurable employment on account of permanent disablement due to employment injury to the satisfaction of such officer in such manner as may be authorised by the Corporation;

(ii) the payment of contribution at the rate of fifty rupees per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned office of the Corporation in the manner specified by it; and

(iii) after demise of disabled Insured Person, his spouse shall be eligible to receive medical benefit at the scale as provided in sub-rule (8), subject to payment of contributions specified in clause (ii).

(11) The widow or widower, as the case may be, of an insured person in receipt of dependant benefits shall be eligible to receive medical benefit at the scale to be provided in sub-rule (8) subject to the payment of contribution at the rate of rupees fifty per month in lump sum for one year at a time in advance to the concerned officer of the Corporation in the manner specified by it.

(12) The employer may avail the facility of free annual medical examination in respect of Insured Person of the age of forty years and above through the Corporation from its own dispensaries or hospitals on the scale as provided in the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

26. Employees' State Insurance Society.— (1) The State Government may establish such organisation as an Employees' State Insurance Society (hereinafter refer to as the Society), which shall serve as a managerial and health care body, in terms of sub-section (5) of section 40.

(2) The Society shall consist of the Governing Body, the Executive Committee, the Chief Executive Officer and the Secretariat.

(3) The Society shall be registered under the State specific Societies Registration Act or the State specific Public Trust Act.

(4) The Governing Body of the Society shall consist of the following members, namely: -

- (i) Chief Secretary of the State as Chairperson;
- (ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health) whosoever is overseeing the Employees' State Insurance Services in the State as Vice-Chairperson;
- (iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour) other than appointed under clause (ii) as member;
- (iv) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance) as member;
- (v) Director, Employees' State Insurance Services of the State as Chief Executive Officer-cum-Member Secretary;
- (vi) Corporation's Nominee as member;
- (vii) three Employers' Representative nominated by the Corporation as member;
- (viii) three Employees' representatives nominated by the Corporation as member;
- (ix) Regional Director, Employees' State Insurance Corporation as member;
- (x) State Medical Officer, Employees' State Insurance Corporation or any other Medical Officer nominated by the Corporation as member.

(5) The management of the affairs of the Society shall be entrusted to the Governing Body and the property of the society shall be vested in the Governing Body and the Society shall be responsible for repair and maintenance of the properties in the possession of the Society and vested in the Governing Body.

(6) The Society shall have an Executive Committee which shall act for and discharge functions on behalf of Governing Body, consisting of the following members, namely:—

(i) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Labour or Health) overseeing the Employees' State Insurance Directorate in the State as Chairperson;

(ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Health or Labour) other than the Chairperson as Vice Chairperson;

(iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance) as member,

(iv) Director-in-Chief of Directorate of Health and Family Welfare of State as member,

(v) Regional Director of Employees' State Insurance Corporation as member;

(vi) State Medical Officer of Employees' State Insurance Corporation or any other Medical Officer nominated by the Corporation as member;

(vii) One Employer Representative as member;

(viii) One Employee Representative as member;

(ix) The Director, State Employees' State Insurance Directorate shall be the Chief Executive Officer-cum-Member Secretary.

(7) One third or at least three, whichever is higher, of the filled in posts of the members of the Governing Body or the Executive Committee, shall form the quorum for their meeting and every matter coming up for decision before a meeting of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall be decided by the majority of persons present and voting at the time of meeting and in case of equality of votes, the Chairperson of the meeting shall have an additional casting vote.

(8) The Governing Body shall hold meeting at least twice a year and the Executive Committee shall hold meeting at least once in every three months

(9) The Chairperson, or in his absence, the Vice Chairperson of the Governing Body or the Executive Committee, as the case may be, shall preside at the meeting.

(10) The Society shall establish a secretariat which shall be responsible for day to day management of the Society's activities.

(11) The Chief Executive Officer may be authorised by the Governing Body to execute such contracts on behalf of the Society as it may deem fit in the conduct of the business of the Society, subject to the State Government norms.

(12) The Society shall submit its budget by 10th December of each year and the accounts of the Society shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India.

(13) The financial year of the Society shall be from 1st April to 31st March.

(14) The financial statement for the year ending 31st March shall be prepared by 31st May of the year and an annual report along with annual accounts shall be submitted to the Corporation within six months of the closure of financial year.

(15) It shall have a bank account in the name of the Society to be opened in a Nationalised Bank or any scheduled bank authorised for government agency business and the Society shall be entitled to receive grants, donations, contributions, subscription, bequests, fees, loan or contingency in cash or kind, either in Indian or foreign currency, subject to the approval of Governing Body of the Society.

(16) The tenure of non-official members of the Society shall be two years and no non-official member shall be entitled to more than two terms as a member of the Society.

(17) The Society may sue or be sued in the name of Chief Executive Officer of the Society or of such other members as shall, in reference to the matter concerned, be appointed by the Governing Body for the occasion.

(18) The Society shall engage employees on deemed deputation from the State Government or the Public Sector Undertaking or the Central Government or the Corporation and their pensionary liabilities, if any, shall rest with respective appointing authorities.

(19) The Society shall carry out any other activity as may be specified by the Central Government or as may be directed by the Corporation.

(20) The non-official members of the Governing Body, and the Executive Committee, of the Society shall be allowed travelling allowance and daily allowance for attending its meetings at the rates admissible to the officers of the Central Government holding a post in level 12 in the pay matrix.

27. Capitalised value of benefit payable to the employee.—The capitalised value of the permanent disablement benefit and dependants' benefit shall be calculated by multiplying the daily rate of benefit with the multiplication factor based on age of the Insured Person or the dependants provided in the regulations made under section 157.

28. Terms and conditions for operation of scheme for other beneficiaries.—The terms and conditions for providing benefits under the scheme for other beneficiaries under section 44, such as may be notified, by the Central Government from time to time and user charges shall be as specified by the Corporation from time to time, with the prior approval of the Central Government.

29. Proceedings before Employees' Insurance Court, etc.— (1) The proceedings before an Employees' Insurance Court shall be commenced on application by the Corporation or the aggrieved person or the employer of an establishment, as the case may be.

(2) Subject to the provisions of Chapter IV of the Code and any rules made by the State Government thereunder, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the Insured Person was working at the time the question or dispute arose.

(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the State Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.

(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.

(5) The Court to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings, further from the stage it is transferred to it, as if they had been originally instituted in it.

30. Administration of Fund.—(1) All moneys accruing or payable to the Employees' State Insurance Fund shall be received by such officers of the Corporation as may be authorised by it in this behalf and the amount so received shall as soon as practicable be acknowledged by a receipt electronically or otherwise in such form as specified in the regulations made under section 157 and deposited in the Reserve Bank of India or Banks approved by the Central Government to the account of such fund:

Provided that such bank or banks for depositing the fund shall be a nationalised bank or any scheduled bank authorised for Government agency business.

Explanation. — For the purposes of this rule, - (a) “nationalised bank” means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(b) “scheduled bank” means a scheduled bank referred to in section 42 and specified in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and

(c) “authorised bank for Government agency business” means banks notified by the Government of India Department of Expenditure in the Ministry of Finance vide Office Memorandum number S-11021/1(20)/Rly/2008/RBD/2018, dated 7th December, 2016, as amended from time to time.

(2) (a) All moneys accruing or payable to the Corporation shall be credited to the bank or banks approved by the Central Government for such purpose and not utilised directly for any purpose;

(b) Such bank or banks shall be required at the end of every calendar month to furnish to the Corporation or such officer as may be authorised by it in this behalf, a statement of the amounts deposited in and withdrawn from the Fund during the month and these statements shall be examined by the Director General before the expiry of a period of two months following the period to which the statement relates.

(3) (a) The accounts of the fund shall be operated on by such officers as may be authorised by the Standing Committee, with the approval of the Corporation.

(b) No payment shall be made by the bank or banks out of the fund except on a cheque signed by such officers as may be authorised under clause (a).

(c) Any payment in excess of one thousand rupees shall be made electronically or by means of a cheque signed as aforesaid and not in any other way unless specifically authorised by the Standing Committee or the Corporation.

(d) No payment shall be made out of the fund unless the expenditure is covered by a current budget grant:

Provided that in the absence of a current budget grant, the Corporation may authorise payments either generally or for any particular case:

Provided further that the payment of benefits to Insured Persons under the provisions of the Code and of the pay and allowances of duly sanctioned posts shall not be withheld for want of a sanctioned budget grant.

(4) Before any person authorised under sub-rule (3) signs a cheque or authorises an electronic payment, he shall satisfy himself that the sum for which the cheque is drawn is —

(i) required for a purpose or work specifically sanctioned by the competent authority and covered by a current budget grant; and

(ii) required for any payment referred to and specified under section 26.

(5) (a) The budget estimates of the Corporation for each financial year beginning on the 1st day of April and ending on the 31st day of March next shall be prepared by the Financial Commissioner of the Corporation in such form as the Central Government may, from time to time, direct and shall be submitted with his recommendations by the Director General to the Standing Committee for approval at a meeting of the Standing Committee to be held before the 1st day of February of the preceding year.

(b) A copy of the budget estimates shall be sent to each member of the Standing Committee and of the Corporation at least seven clear days before the meeting of the Standing Committee or the Corporation at which these estimates are to be considered.

(c) The Standing Committee shall consider and approve the budget estimates with such changes as it may consider necessary.

(d) The budget estimates as approved by the Standing Committee shall be placed before a meeting of the Corporation to be held before the 20th day of February of the preceding year.

(e) The budget estimates as passed by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and shall be submitted to the Central Government under section 117, not later than the 1st day of March next following.

(f) It shall be open to the Central Government to make such alterations in the budget estimates as may be considered necessary before according approval.

(g) The budget estimates as finally adopted by the Corporation and as approved by the Central Government shall be placed before the Parliament by the administrative Ministry concerned in the month of March preceding the financial year to which the estimates relate.

(6) The Standing Committee of the Corporation may cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to the Corporation if in respect of any financial year further expenditure is likely to be incurred and every such supplementary estimate shall be considered and sanctioned by the Corporation and submitted to the Central Government in the same manner as if it were an original annual estimate, not later than the 15th day of February of the financial year to which it relates and the provisions of sub-rule (5) shall, so far as may be, apply to such supplementary estimate.

(7) (a) If the Director General finds in the course of the year that there is likely to be an excess of expenditure over the sanctioned budget estimate under any head, he shall examine the allotment under each head of the budget estimate with the object of discovering probable savings under any other head and effecting a re-appropriation and where such re-appropriation is feasible, he may sanction the re-appropriation subject to such conditions as may be laid down by the Central Government from time to time.

(b) Fund shall not be re-appropriated to meet expenditure on a new service not contemplated in the budget estimates except with the prior approval of the Central Government.

(c) No re-appropriation shall be permitted between the grant sanctioned for administrative expenses, two-thirds of which shall be met by the Central Government, and a grant sanctioned for any other expenditure.

CHAPTER V**GRATUITY**

31. Gratuity invested for benefit of minor.—In the case of a nominee, or an heir, who is minor, the competent authority referred to in the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall invest the gratuity amount deposited with him by the employer for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or any nationalised bank.

Explanation.— For the purposes of this rule, "nationalised bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

32. Nomination, fresh nomination and modification.— (1) A nomination shall be in Form-III and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by speed post (with registration) or electronically to the employer, -

(i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but has not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and

(ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within ninety days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in Form-III shall be accepted by the employer after the expiry of the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in Form-III under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form-III duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be retained by him.

Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the employee at the time of filling the nomination form.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in Form-III to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in Form-III to the employer in the manner specified in sub-rule (1), and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub-rule (1).

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression in the presence of two competent witnesses, who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination, as the case may be, and shall be submitted by the employee electronically or by personal service or by speed post (with registration) to the employer.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

33. Application for gratuity and appeal etc.,— (1) (a) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within a period of thirty days from the date the gratuity became payable, in Form-IV to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of at least one year and for subsequent period in excess of six months and more, but less than one year, shall be rounded off to one additional year.

(b) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within thirty days from the date gratuity became payable to him, in Form-IV to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted and the employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(c) A legal heir of an employee, who is eligible for payment of gratuity under the third proviso to sub-section (1) of section 53, shall apply, ordinarily within one year from the date gratuity became payable to him, in Form-IV to the employer;

(d) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) shall be deemed to be operative from the date of such commencement;

(e) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period and any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(f) An application under this rule shall be presented to the employer either electronically or by personal service or by speed post (with registration).

(2) (a) within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall—

(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in Form-V to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof; or

(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in Form-V to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible and a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

(b) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in Form-V under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the

employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

(c) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness(es) or evidence(s) as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be and in that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness(es) or evidence(s), as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(d) A notice in Form-V shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by speed post (with registration) or electronically.

(e) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-V.

(3) The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(4) (a) If an employer—

(i) refuses to accept a nomination under rule 32 or to entertain an application sought to be filed under sub-rule (1); or

(ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity; or

(iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein,

the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in Form-VI to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with copy to the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(b) Application under clause (a) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by speed post (with registration) or electronically.

(5) (a) On receipt of an application under sub-rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in Form-VII, electronically or speed post (with registration) acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative through virtual mode or otherwise together with all relevant documents and witnesses, if any.

(b) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act and the competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(c) A party who is being represented by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.

(d) After completion of hearing on the date(s) fixed under clause (a), or after taking such further evidence(s), examination of documents or witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code and a copy of the finding shall be given to each of the parties.

Provided that the Competent Authority shall dispose of the application for gratuity within six months from the date of receipt of the application:

Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(e) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause being shown, the competent authority may proceed to hear and determine the application *ex parte*; and if the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (e) may, on good cause being shown within a period of thirty days of receipt of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(6) The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same electronically or otherwise.

(7) The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of giving evidence or producing documents.

(8) The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in Form-VII either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) (a) Subject to the provisions of clause (b), any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by speed post (with registration) or electronically or in any other manner as provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(b) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the secretary, or where there is no secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) (a) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(b) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(c) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in Form-VIII electronically or by speed post (with registration) or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within a period of thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) (a) The memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 shall be submitted to the appellate authority specified, by order, by the Central Government with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or by speed post (with registration) or electronically.

(b) The memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(c) There shall be appended to the memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(d) On receipt of the copy of memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(e) Within fourteen days of the receipt of the copy of the memorandum of appeal from the appellate authority, the opposite party shall submit his reply of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(f) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and a copy of the decision made by the appellate authority shall be given to the parties to the appeal electronically or by speed post (with registration) or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning records of the case sent by him:

Provided that the Appellate Authority shall dispose of the application for gratuity within six months from the date of receipt of the application:

Provided further that the Appellate Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(g) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(h) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in Form-VIII specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within a period of fifteen days of the receipt of the notice by the employer and a copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub-rule (11) or sub-rule (12), as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in Form IX for recovery thereof under section 129.

34. Qualifications and experience of competent authority.—The competent authority shall be appointed by the Central Government, by notification, from its gazetted officers having experience in labour matters.

CHAPTER VI

MATERNITY BENEFIT

35. Certificate and notice of claim for maternity benefit.—(1) (a) The fact that a woman is pregnant or has been delivered of a child or has undergone miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation or is suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall be proved by the production of a certificate in Form-X, from-

- (i) a registered medical practitioner; or
- (ii) an Accredited Social Health Activist; or
- (iii) a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.

(b) The fact that a woman has been confined may also be proved by the production of a certificate of birth from the municipality or the gram panchayat, extract from a birth register maintained under the provisions of any law for the time being in force or a certificate signed by an Accredited Social Health Activist or qualified Auxiliary Nurse and Midwife or Gram Pradhan or Village Administrative Officer or Authorised Officer of the Municipality, as the case may be.

(c) The fact that a woman has undergone miscarriage may also be proved by the production of a certificate signed by a qualified Auxiliary Nurse and Midwife.

(d) The fact of death of a woman or a child may be proved by the production of a certificate to that effect in Form-X from any of the authorities referred to in clause (a) that is to say from the Gram Pradhan or the Village Administrative Officer or Authorised Officer of the Municipality, as the case may be, or by the production of a certified extract from a death register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

(2) (a) A woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit shall give notice to her employer in Form-XI and the employer shall make payment of the maternity benefit and any other amount due under the Code to the woman concerned, or, in case of her death before receiving such maternity benefit or amount, or where the employer is liable for maternity benefit under the second proviso to sub-section (3) of section 60, to the person nominated by the woman in her notice in Form-XI and in case there is no such nominee to her legal representative:

Provided that an application in plain paper or electronically with relevant particulars may be accepted by an employer at his discretion instead of Form-XI:

Provided further that no claim shall be invalid merely because the claimant failed to present her application in specified form.

Provided that the details of Aadhaar of the nominee shall be provided by the women employee at the time of filling the nomination form.

(b) In case of doubt, the maternity benefit or other amount due to a woman employed in an establishment shall be deposited by the employer, within two months from the date of death of the woman concerned with the competent authority, who shall, after making necessary enquiries as he may think fit, pay it to the person who, in his opinion, is entitled to receive it.

Provided that the enquiry by the Competent Authority shall be completed within three months from the date of deposit of the maternity benefit by the employer and may, for reasons to be recorded in writing, be extended for a further period not exceeding three months.

(c) Whenever the payment referred to in clause (a) is made, a receipt shall be obtained by the employer in Form-XI from the person to whom the payment is made and in cases falling under clause (b), a receipt shall be given to the employer by the competent authority.

(d) The medical bonus shall be paid along with maternity benefit.

(e) The maternity benefit or any other amount payable under section 63 shall be paid within two months of the date of death of the woman entitled to receive such benefit or amount.

(f) The wages payable under section 65 shall be paid to the woman entitled to receive such wages within forty-eight hours of production of the certificate in Form-X by her.

36. Duration of nursing breaks.—(1) Each of the two breaks mentioned in section 66 shall be of 15 minutes duration however, an extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of journey to and from the crèche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall be up to 15 minutes.

(2) If any dispute arises regarding such extra period, the matter shall be referred to the competent authority for decision.

37. Employees and crèche facility.—(1) In every establishment where fifty or more employees are ordinarily employed, there shall be provided and maintained a crèche for the use of children under the age of six years of such employees.

(2) The crèche shall provide adequate accommodation with lighting, ventilation and shall be maintained in a clean and sanitary condition and the criteria for setting up of a crèche shall be as under, namely:—

(i) a crèche shall be located within one kilometre of the establishment to which Chapter VI of the Code applies and shall be conveniently accessible to the employees whose children are accommodated therein:

Provided that the location of one kilometre radius shall be relaxed by the competent authority in case of the establishments located within the industrial parks or industrial area, notified by the Central Government or the State Government or any Local Authority of the Central Government or the State Government, as the case may be, where a common crèche facility is provided within such industrial parks or industrial area and easily accessible to the employees;

(ii) crèche shall be maintained in safe and rain proof building;

(iii) (a) accommodation in the crèche shall be on a scale of at least ten square feet of floor area per child;

(b) there shall be a play area suitably fenced for children;

(iv) the working hours of crèche shall correspond to the working hours of the employees and it may work in shifts;

(v) every crèche shall be in the charge of a woman with midwifery qualification or training as crèche attendant and where the number of children exceeds ten, the crèche attendant shall be assisted by female ayahs at the rate of one ayah for every ten children up to six years;

- (vi) the crèche shall have sufficient number of cots, beds, cotton sheets, rubber sheets, blankets, pillows, toys, and like other things for children;
- (vii) (a) every crèche shall have suitable arrangement for female employees to feed their children below fifteen months of age during the intervals;
- (b) adequate number of bathrooms, toilets, washbasins, clean towels and soap shall be provided in the crèche;
- (c) the crèche shall have first aid facility kept in proper condition under the supervision of trained female staff;
- (d) there shall be a kitchen attached to the crèche with utensils and other facilities for boiling milk and preparing refreshments and like other things; and
- (e) drinking water, milk and wholesome refreshments shall be available for the children at the crèche;
- (viii) (a) In any establishment where there is a sole negotiating union under sub-section (2) or (3) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or a negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, may enter into an agreement with the employer of the establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that establishment.
- (b) Where there is no sole negotiating union or negotiating council referred to in sub-clause (a) the majority of the employees of the establishment may enter into an agreement with the employer of the establishment that the crèche facility under section 67 shall be provided, if women or widower or single parent employees, who are having children below the age of six years and eligible to get crèche facility and if not provided, then, such employee shall be paid crèche allowance every month by that establishment.

Provided that, in both cases under clause (a) and this clause, the amount of crèche allowance shall not be less than rupees five hundred per month per child or such amount as may be notified by the Central Government from time to time:

Provided further that the crèche allowance shall be admissible for two children only except when the number of children exceeds two due to second child birth resulting in multiple births.

38. Gross misconduct.—(1) The following acts shall constitute gross misconduct for the purposes of second proviso to sub-section (1) of section 68, namely:—

- (a) wilful destruction of employer's goods or property;
- (b) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (c) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a court of law;
- (d) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (e) wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference with safety devices or with firefighting equipment.

(2) (a) An appeal under sub-section (2) of section 68 shall be preferred to the competent authority in Form-XII;

(b) The appeal may be made in writing and either handed over personally or sent under a registered cover or electronically to the competent authority.

(c) When an appeal is received, the competent authority shall furnish a copy of the memorandum of appeal to the employer, call for his reply thereto and also ask him to produce documents connected with the issue of the appeal by fixing a date.

(d) The competent authority may ascertain further details, if necessary, from the employer as well as from the appellant, and he shall consider the facts presented to him, if any, and shall give his decision.

Provided that the Competent Authority shall dispose of the appeal within three months from the date of receipt of the appeal:

Provided further that the Competent Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

(e) In case the employer fails to submit his reply or produce the required documents within the specified period, the competent authority may give his decision *ex-parte*.

39. Complaint before Inspector-cum-Facilitator and appeal.—(1) (a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in Form-XIII-A to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

(b) When a complaint referred to in sub-rule (1) is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or any amount has been improperly withheld or the woman employee is discharged or dismissed, he shall direct the employer to make the payment to the complainant or to the person claiming the payment under section 63, and pass such order as he deems fit, immediately but not exceeding period of 45 days.

(2) (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator, shall lie to the competent authority.

(b) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the competent authority in Form-XIII-B and file other supporting documents.

(c) When an appeal is received, the competent authority shall call record of the case from the Inspector-cum-Facilitator before fixing the date of hearing. The competent authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification, if any is required.

(d) Taking into account the document(s), the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the competent authority shall give his decision.

Provided that the Competent Authority shall dispose off the appeal within three months from the date of receipt of the appeal.

Provided further that the Competent Authority may for reasons to be recorded in writing, extend the said period for a further period not exceeding three months.

40. Duties of Inspector-cum-Facilitator.—(1) (a) The competent authority shall be responsible for the administration of these rules within their respective areas notified by the Central Government.

(b) Every Inspector-cum-Facilitator shall discharge his duties within the area assigned to him by the Central Government and shall act under the supervision and control of the competent authority.

(c) Every Inspector-cum-Facilitator shall at each inspection of an establishment see—

(i) whether due action has been taken on every notice given under section 62;

(ii) whether the register of women employees referred to in rule 53 is correctly maintained;

(iii) whether there have been any cases of discharge or dismissal or notices of discharge or dismissal in contravention of the provisions of section 68 since the last inspection;

(iv) whether the provisions of sub-section (1) of section 59, sub-sections (5) and (6) of section 62, sections 64, 65, 66, 67, 69 and 71 have been complied with and whether amounts due have been paid within the time as per the relevant provisions of the Code and rules made by the Central Government;

(v) whether there have been any cases of deprivation of maternity benefit or medical bonus as referred to in sub-section (2) of section 68; and

(vi) how far the irregularities pointed out at previous inspections have been remedied and how far orders previously issued have been complied with.

(d) Where an Inspector-cum-Facilitator observes any irregularity against the Code or the rules, he shall issue an order in writing electronically or otherwise to the employer asking the employer to rectify the irregularities within a period of fifteen days from the date of receipt of the order and report compliance to the Inspector-cum-Facilitator.

(2) The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms-X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.

(3) Nothing in sub-rule (2) of rule 35 and sub-rules (1) and (2) of rule 39 shall affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code if she fails to submit a notice, appeal or complaint under the said rules, as the case may be, in a form specified for such purpose:

Provided that where a notice, appeal or complaint under the said rules has been submitted by a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code in a form other than the form specified for such purpose, the authority concerned may, within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be, in the form specified for such purpose.

(4) The abstract of the provisions of Chapter VI of the Code and the Central rules made there under required to be exhibited under section 71 shall be in Form-XIV, and shall be exhibited in such manner as the competent authority may require.

CHAPTER VII**SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS**

41. Collection and refund of cess.— (1) (a) Every employer, within sixty days from the date of commencement of his work or payment of cess, as the case may be, furnish to the assessing officer, information in Form-XV.

(b) Any change or modification in the information furnished under clause (a) shall be communicated to the assessing officer in Form-XV incorporating details of such modifications immediately but not later than thirty days from the date of affecting the modification or change.

(2) (a) The cess levied under sub-section (1) of section 100 shall be paid by an employer in advance, on the basis of his self-assessment duly certified by a chartered engineer at the time of approval or before the commencement of the work.

(b) For the purpose of self-assessment of cost of construction, the employer shall calculate the cost of construction work on the uniform rate or rates of construction as specified by respective State's Public Works Department (PWD) or the Central Public Works Department (CPWD) or any other schedule of rates applicable to such building or construction work or rates as per return or document submitted to the Real Estate Regulatory Authority for a building work (where Real Estate Regulatory Authority is applicable), applicable for that particular year in which the commencement of building or other construction work took place in Form-XVI.

(c) Notwithstanding the provisions contained in clauses (a) and (b), where the approval of a construction work by a local authority or such other authority notified by the State Government, as the case may be, is required, every application for such approval shall be accompanied by proof of online payment made in favour of the State Building Workers' Welfare Board for an amount of cess payable on the basis of self-assessment duly certified by the chartered engineer:

Provided that if the duration of the project is likely to exceed one year, the amount of cess payment may be for the amount of cess payable on cost of construction self-assessed to be incurred during one year from the date of commencement of the concerned building or other construction work and further payments of due cess shall be made as per the provisions of clause (b).

(d) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), where the levy of cess pertains to building or other construction work of a Government or of a public sector undertaking, such Government or the public sector undertaking shall deduct, or cause to be deducted, the cess payable at the notified rates from the bills paid for such works. This deducted cess shall be deposited with the respective State Building Workers' Welfare Board within a period of thirty days from the date of such deduction made along with the details of the construction work to the assessing officer of the area concerned.

(e) In case, there is any stoppage or reduction of building or other construction work, employer shall furnish the information in Form-XVII, to the assessing officer within sixty days of such stoppage or reduction of building or other construction work.

(f) Every employer on completion of building or other construction work, shall be required to submit a return in Form-XVIII, to the assessing officer within sixty days of each completed project.

(g) Advance cess paid under the aforementioned provision shall be adjusted in the final assessment order made by assessing officer.

(3) (a) The proceeds of the cess collected under sub-rule (2), shall be transferred by such Central or State Government office, public sector undertaking, local authority or such other authority notified by

the State Government, or assessing officer, as the case may be, in the bank account of the State Building Workers' Welfare Board, electronically through online payment system.

(b) The amount so collected shall be transferred to such Board's fund within thirty days of its collection through online payment system.

(c) The State Building Workers' Welfare Board shall periodically reconcile the amount of cess collected, with the concerned authorities of the State Government or Central Government or Public Sector Undertaking of the State Government or the Central Government or any such other authority, as specified by the appropriate Government.

(d) The State Building Workers' Welfare Board shall submit half-yearly report, to the State Government with a copy to the Central Government, on the amount of cess collected, cumulative and during the period, expenditure incurred during the period, number of live building or other construction workers, for such period and with such details, as specified by the Central Government.

(4) (a) The assessing officer, on receipt of information of return and cess paid from an employer in Form-XVIII, may conduct a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date of receipt of such information, indicating the amount of cess payable by the employer and endorse a copy thereof to the employer and to the cess-collector and to the Building Workers' Welfare Board and despatch such order within five days of the date on which such order is made:

Provided that such scrutiny shall be done by the assessing officer only where the amount of cess based on self-assessment exceeds rupees ten lakhs:

Provided further that if the assessing officer fails to make the order of assessment within a period of one hundred and eighty days, the self-assessment shall be deemed to be final.

(b) The order shall, inter-alia, specify the amount of cess due, cess already paid by the employer or deducted at source and the balance amount payable and the date, consistent with the provision of sub-rule (2), by which the cess shall be paid to the cess collector.

(c) If on the scrutiny of information furnished by the employer in Form-XVIII, the Assessing Officer is of the opinion that employer has undervalued or miscalculated the cost of construction or has calculated less amount of cess payable, he shall issue notice to the employer for assessment of the cess.

(d) On receipt of such notice the employer shall furnish to the Assessing Officer a reply together with copies of documentary or other evidences in support of his claim, within thirty days of the receipt of the notice:

Provided that the Assessing Officer may, in the course of assessment afford an opportunity to the assessee to be heard in person, if he so requests to substantiate his claim.

(e) If the employer fails to furnish the reply within the stipulated period specified under clause (d) or where any employer fails to furnish information in Form-XVIII, the Assessing Officer shall proceed to make the assessment on the basis of the available records and other information incidental thereto.

(f) The assessing officer may, at any time while the work is in progress or in the process of assessment of cost of construction authorise an officer to make such enquiry at the work site or from documentary evidence or in any other manner as he may think fit for the purpose of estimating the cost of construction as accurately as possible.

(5) (a) Where the employer has deposited the cess in advance and the employer decides to withdraw from or foreclose the works or modifies the plan of construction thereby reducing the cost of construction undertaken or has been forced by other circumstances to call off the completion of the work undertaken, he may seek refund of the excess amount of advance cess paid by submitting information in Form-XVII to the Assessing Officer giving details of such reduction or stoppage of work.

(b) The Assessing Officer, on receipt of information in Form-XVII from an employer shall make a scrutiny of such information furnished and, if he is satisfied about the correctness of the particulars so furnished, he shall make an order of assessment within a period not exceeding thirty days of receipt of such information.

(c) Following the assessment order made on receipt of Form-XVII as per clause (b), the assessing officer shall, wherever necessary, endorse a copy of the such assessment to the respective Building Workers' Welfare Board, cess collector and to such other persons as he thinks appropriate, for making the refund of excess cess as ordered in the assessment made under clause (b).

(d) The State Building Workers' Welfare Board shall, within thirty days of receipt of the endorsement from the assessing officer under clause (c), refund the amount specified in the order to the employer through electronic payment system in the bank account as per details furnished by the employer for that purpose.

(e) Where the appellate authority has modified the order of assessment reducing the amount of cess, refund shall be made within such time as may be specified in that order or in the manner and time as specified under clause (d).

42. Time limit for payment of cess and rate of interest.— (1) Date of payment of cess shall be the date on which the amount is deposited with the cess collector under clauses (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 41, or the date of deduction at source under clause (d) of sub-rule (2) of rule 41, or the date on which the amount has been deposited with the local authority under clause (c) of sub-rule (2) of rule 41, as the case may be.

(2) If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100, within such time as may be specified in the assessment order, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess, to be paid, at the rate of one percent per month or part thereof comprised in the period from the due date until the date of actual payment.

43. Penalty.—(1) An assessing officer, if it appears to him that an employer has not paid the cess within the date as specified in the assessment order or has paid less cess, including the cess deducted at source or paid in advance, shall issue a notice to such employer that it shall be deemed to be in arrears and such assessing officer may, after such inquiry as it deems fit, impose on such employer, a penalty not exceeding such amount of cess:

Provided that before imposing any such penalty, such employer shall be given a reasonable opportunity of being heard and if after such hearing the assessing officer is satisfied that the default was for any good and sufficient reason, no penalty shall be imposed on such employer.

(2) If any penalty is imposed on the employer or the notice for imposing the penalty is withdrawn, as mentioned in sub-rule (1), the assessing officer will pass a speaking order in this regard stating the reasons thereof. A copy of such order shall be endorsed to the employer, cess-collector and to the secretary, Building Workers' Welfare Board.

44. Appeal.— (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under sub-rule (4) of rule 41 or by an order imposing penalty made under rule 43, may file an appeal in Form-XIX against

such order, within ninety days of the receipt of such order, to the appellate authority as notified by the State Government in this regard.

(2) Such appeal, *inter alia*, shall be accompanied by—

(a) the order appealed against;

(b) a certificate from the cess collector to the effect that the amount of cess or penalty or both, as the case may be, relating to such appeal has been deposited;

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, waive or reduce the amount to be deposited under rule 43 on application by the appellant.

(c) a non-refundable fee equivalent to one-half percent., but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal;

(d) a statement of points in dispute; and

(e) documentary evidence relied upon.

(3) On receipt of the appeal, the appellate authority may, call details from the assessing officer or his statement on the basis of his assessment order appealed against, as such appellate authority may consider necessary for the disposal of such appeal.

(4) The appellate authority shall give the appellant an opportunity of being heard in the matter and dispose of the appeal as expeditiously as possible but not exceeding sixty days from the date of receipt of such appeal.

(5) On being satisfied on the quantum of cess the appellate authority shall confirm the order of the assessing officer or if in his opinion the assessment was wrong; or on the higher side shall modify the order of assessment or if in his opinion the assessment is on the lower side or if the basis of assessment is wrong, it shall remand the assessment order to the assessing officer along with his observations to rectify the error.

(6) An order remanded back under sub-rule (5) shall be disposed of by the assessing officer within thirty days in view of the observation made by the Appellate Authority:

Provided that, if the amount of cess is proposed to be enhanced the assessee shall be given an opportunity of being heard.

(7) If the appellate authority is of the opinion that the quantum of penalty imposed is on the higher side or not correctly made it shall suitably modify or set aside the order of the assessing officer, as he deems appropriate.

(8) The appeal under this rule shall be disposed of by making a speaking order and a copy of such order shall be sent to each of the appellant, the assessing officer and to the secretary, Building Workers' Welfare Board within five days of the date on which such order is made.

(9) An order in appeal, reducing the amount of cess, shall also ask the Secretary of the concerned Building Workers' Welfare Board to refund the excess cess stating clearly a specified time to the appellant.

- (10) An order in appeal enhancing or reducing the amount of cess or penalty or both, as the case may be, shall also specify the date by which the amount of cess or penalty or both shall be paid or refunded.
- (11) No appeal shall lie against the order of the appellate authority under this rule.

45. Registration of building worker.— (1) Every employer or the contractor shall be responsible to register such building workers eligible under this rule who are on their muster roll on the portal of the State Government or the State Building Workers' Welfare Board or the designated portal of the Central Government, within 30 days of the worker(s) becoming eligible, and such registration shall be seeded with Aadhaar and the Universal Account Number or any other such unique number generated through the designated portal of the Central Government.

(2) It shall be the responsibility of the State Building Workers' Welfare Board to provide a portal with the facility to the employers and contractor to register the eligible building workers on such portal. Further, the State Building Workers' Welfare Board shall also register any other eligible building worker within the geographical area of the State:

Provided that every such building worker has completed eighteen years of age and is less than sixty years of age and has been engaged in building or other construction work for not less than ninety days in the preceding twelve months.

(3) The designated Portal of the Central Government shall have the facility for enabling each of the State Building Workers' Welfare Board or the employer or the contractor of building or other construction work to have access for generating Universal Account Number or any other such unique number in respect of all eligible building workers and such State Board shall share details of the registered building workers with the designated Portal of the Central Government quarterly or at such periodicity as may be decided by the Central Government.

(4) The State Building Workers' Welfare Board or the employer or the contractor may utilise the services of the business correspondents of the Department of Posts or Common Service Centres or e-sewa kendras of the Central Government or the State Government or any such other agency as may be decided by the State Government or State Building Workers' Welfare Board for facilitating the registration, renewal or updation of particulars of eligible building workers.

(5) To facilitate the registration of eligible building workers, the Board referred to in sub-rule (1) may set up camps as may be required in the labour-intensive areas.

(6) Every registered building worker shall be issued a digital identity card bearing his photograph and other details as may be specified by the State Government or the Board referred to in sub-rule (1) which shall be downloadable from the portal of the State Government or such Board.

(7) Every building worker registered with the State Building Workers' Welfare Board, shall be entitled to receive the benefits provided by the Board from its fund during the validity period of such registration.

(8) The delivery of welfare schemes for the building workers may be done electronically using the registration number of the building worker and any cash assistance shall be given through direct benefit transfer only.

(9) In case a building worker moves from one State to another State, then, it shall be the responsibility of the employer or the contractor to obtain the unique registration number from the building worker and effect the requisite changes in respect of such worker on the portal of the State Building Workers' Welfare Board of the destination State within a period of thirty days of such worker joining the muster roll under such employer or contractor, and in case the building worker does not possess such unique registration number then the employer or the contractor shall register such eligible building worker as referred to in sub-rule (1).

(10) Where a building worker moves from one State to another State, and is registered under sub-rule (9), he shall be entitled to get such benefits as are applicable to the other building workers of the destination State from the Building Workers' Welfare Board of that State:

Provided that an eligible building worker on the muster roll of an employer or a contractor in the destination State shall not be denied benefits only because such employer or contractor has failed to update his registration on the portal of the destination State.

(11) Every State Building Workers' Welfare Board shall submit a report annually to the State Government with a copy to the Central Government in the form as may be specified by the Central Government for such purpose.

(12) The State Building Workers' Welfare Board shall provide a mechanism for redress of grievances of building workers including telephone helpline, registration, renewal, updation, portability and delivery of welfare schemes.

46. Benefits of beneficiary.—If any building worker has been a beneficiary for at least three years continuously immediately before attaining the age of sixty years, for the benefit applicable to such worker, the Central Government may formulate such schemes as may be notified by the Central Government under which such worker shall be eligible to get such benefit.

47. Recovery of due and exemption.— (1) For the purpose of recovery of sums due on account of unpaid cess, interest or overdue payment or, penalty under these rules, the assessing officer shall prepare a certificate signed by him, specifying the amount due and send it to the recovery officer of the district concerned who shall proceed to recover from the said employer the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue or under any other such law prevailing in that State for such purpose.

(2) An assessing officer, for the purposes of section 103, may-

(a) enter any establishment where building or other construction work is going on only with the prior approval of the Secretary, State Building Workers' Welfare Board;

(b) make an inventory of materials, machinery or other articles lying at the workplace;

(c) enquire about the number of workers engaged in various activities;

(d) require the production of any concerned register or any other documents relevant to the assessment of cost of construction or number of workers employed;

(e) seize or take copies of any such records;

(f) make a general assessment of the stage of the construction work of the completed construction work;

(g) take measurement, notes or photographs; and

(h) exercise such other powers considered absolutely necessary for reasonable assessment of cost of construction.

(3) The assessing officer or any Inspector-cum-Facilitator under the Code, having come to know of violation of an obligation to furnish return, furnishing of false information, intentionally or wilfully evading or attempting to evade the payment of cess may make a complaint with evidence pertaining to such complaint to the State Government with a copy to the concerned State Building Workers' Welfare Board in writing.

(4) (a) Any employer or class of employers in a State seeking exemption under section 102 may make an application to the Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment, Government of India, stating the details of works undertaken, name of the corresponding law in force in that State under which he is liable to pay cess for the social security and welfare measure of the construction workers and amount of cess actually paid along with the date of such payment and proof thereof. A copy of such application shall be endorsed to each of the assessing officer and the State Building Workers' Welfare Board concerned.

(b) On receipt of such application, the Central Government may, if it considers necessary, seek a report from the State Government concerned.

(c) On examining the grounds, facts and merits of such application the Central Government may, by notification, issue an order exempting the employer or class of employers, as the case may be, from payment of cess payable under the Code where such cess is already levied and payable under such corresponding law.

(d) Assessment proceedings shall be stopped by the assessing officer for a period of thirty days commencing from the date of the receipt of a copy of the application under clause (a) to him, or till the order of the Central Government under clause (c) is conveyed to an employer or class of employers who made the application under clause (a), whichever is earlier.

CHAPTER VIII

SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS OR PLATFORM WORKERS

48. Registration of unorganised workers, gig workers and platform workers.—(1) (a) Every unorganised worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be registered under section 113, on the designated Portal of the Central Government.

(b) The eligible unorganised worker shall make an application for registration on a self-declaration basis, electronically, with Aadhaar and such other documents and in such form as specified by the Central Government, through general or special order, for that purpose.

(c) The Central Government, shall provide a facility such as mobile app or any other application facilitating the eligible unorganised workers to register themselves on the designated Portal of the Central Government. In order to avail the facility of self-registration, an unorganised worker, shall be required to establish his identity through Aadhaar and other documents as prescribed by the Central Government through general or special order.

(d) It shall be the responsibility of the appropriate Government to register their specific set of eligible unorganised workers within their geographical area of the State/UT or jurisdiction, as the case may be, on the designated Portal of the Central Government.

(e) On completion of registration, such eligible worker, if not already in possession of a Universal Account Number, shall be issued such a number or any other such unique number through the designated Portal of the Central Government.

(f) Every eligible registered unorganised worker shall be issued a digital identity card bearing his photograph and other details as specified by the Central Government for such purpose, through general or special order, and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the Central Government.

(g) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for unorganised workers, the appropriate Government may notify specific conditions for eligibility, as it deemed fit, in addition to registration on the designated Portal of the Central Government.

(h) The appropriate Government shall access the information from the designated Portal of the Central Government for delivery of benefits of the social security schemes to the eligible unorganised workers.

(i) The eligible unorganised worker, shall be required to update their particulars such as address, occupation, mobile number, skill or any other particulars from time to time, as may be specified by the appropriate Government and in the absence of such updation, any unorganised worker, may not be eligible to avail benefits of the social security schemes notified under the Code and applicable on him.

(j) The services of business correspondents of the Department of Posts, Common Service Centres or e-sewa kendras of the Central Government or the State Government or any other such agency as may be decided by the appropriate Government may be utilised for facilitating the registration, updation of particulars of, and delivery of welfare schemes for, unorganised workers.

(2) (a) Every gig and platform worker, who has completed sixteen years of age shall be required to be registered with Aadhaar and other documents as prescribed by the Central Government through general or special order, on self-declaration basis under section 113, on a portal designated for the purpose by the Central Government.

(b) Every aggregator shall, within forty five days from the commencement of these rules, share through Application Programming Interface (API) or other electronic modes, the details of gig and platform workers who are engaged with such aggregator on the designated Portal of the Central Government for the generation of a Universal Account Number or any other such unique number, if such worker is not already in possession of such number.

(c) Every aggregator engaging any new gig and platform worker shall register such worker on the designated Portal of the Central Government in real time or daily basis through Application Programming Interface (API) or other electronic modes. Every Aggregator shall also share the exit details of gig and platform worker registered with them on the designated Portal of the Central Government on a real time or daily basis through Application Programming Interface (API) or other electronic modes.

(d) Every eligible registered gig and platform worker shall be issued an identity card, digital or otherwise, bearing his photograph and other details as specified by the Central Government for such

purpose; and such digital card shall be downloadable from the designated Portal of the Central Government.

(e) In order to be eligible for any benefit under any scheme framed under the Code for gig and platform workers, the Central Government may notify specific conditions for eligibility through general or special order, in addition to registration on the designated Portal of the Central Government:

Provided that such eligible worker has been engaged as gig and platform worker for not less than ninety days with an aggregator, or in the case of multiple aggregators, not less than one hundred and twenty days, in the last financial year.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, –

- (i) a gig and platform worker will be considered to be engaged with an aggregator for one day, if he has earned income, irrespective of the amount, for such work rendered with the aggregator on that calendar day;
- (ii) in case of working with multiple aggregators, the days of engagement of a gig and platform worker shall be calculated across the aggregators in cumulative manner;
- (iii) if a gig and platform worker is engaged with three aggregators on a particular calendar day, it shall count as three days.

(f) An eligible gig and platform worker shall include all such workers engaged by the aggregator directly or through associate company or holding company or subsidiary company or limited liability partnership or through a third party;

Explanation: For the purposes of this clause,

- (i) ‘associate company’ in relation to another company means a company as defined in clause (6) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (ii) ‘holding company’ in relation to one or more other companies means a company as defined in clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (iii) ‘subsidiary company’ in relation to other company as defined in clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).
- (iv) ‘limited liability partnership’ in relation to partnership means a limited liability partnership as defined in clause (n) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009).

(g) For facilitating updation of particulars of registered gig and platform workers, every aggregator shall share electronically the details of the gig and platform workers engaged with such aggregator, monthly or at such other periodicity and in such form as shall be specified on the designated Portal of the Central Government.

(h) In the absence of such updation, a gig and platform worker, may not be eligible to avail benefits of the social security schemes notified under the Code and applicable to him.

49. Implementation of schemes and refund of contribution.–(1) (a) The Central Government shall designate an officer or an agency, as the authority responsible to collect and expend the contributions from the aggregators.

(b) Such authority may seek any information as may be required from the aggregators for registration of gig and platform workers, formulation of suitable social security schemes under section 114 and implementation thereof.

(c) The contribution collected under section 114 shall be maintained as part of the Social Security Fund in a separate account meant for gig and platform workers as specified in sub-section (2) of section 141.

(2) If any aggregator fails to pay any amount of contribution payable under sub-section (4) of section 114, within such time as may be specified by the Central Government for such purpose, such aggregator shall be liable to pay interest on the amount of contribution, to be paid, at the rate of one per cent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

(3) (a) Every aggregator shall assess contribution payable under sub-section (4) of section 114 in Form-XX and pay provisional contribution as assessed in the designated account of the Social Security Fund, for the preceding year not later than the 30th June of the current year in which the contribution is payable:

Provided that if the aggregator is making the contribution payable on the basis of five per cent. of the amount paid or payable to gig and platform workers, then, this shall include all such workers engaged with the aggregator directly or through associate company or holding company or subsidiary company or limited liability partnership or through a third party.

(b) After finalisation of the audited statement of the account for the previous financial year as per the relevant provisions of the Income-Tax Act, 2025 (30 of 2025) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009), each aggregator shall submit a final return in Form-XXI, detailing the provisional payment of contribution made along with the details of outstanding contribution, if any, paid by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.

(c) In case of excess contribution, if any, paid by any aggregator, such aggregator shall claim the refund in Form-XXI of such excess amount. The authority designated by the Central Government in this regard shall scrutinize Form-XXI, as submitted by the aggregator and excess amount paid, if any, shall be refunded electronically in the bank account specified in Form-XXI, within a period not exceeding ninety days from the date of receipt of such claim.

(4) Any gig and platform worker registered under section 113 shall cease to be eligible for the benefits of social security schemes, when he attains the age of sixty years or when he is not engaged as gig and platform worker, with any of the aggregators for a period not less than ninety days, or in case of multiple aggregators, for a period not less than one hundred and twenty days in the last financial year.

(5) Every aggregator shall register on the designated Portal or any other portal, as may be specified by the Central Government for such purpose.

CHAPTER IX

FINANCE AND ACCOUNTS

50. Rules under section 120.—The conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2), terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit fund under sub-section (4), of section 120 shall be—

(a) in case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, as specified respectively in the Provident Fund Scheme, Pension Fund Scheme and Insurance Fund Scheme; and

(b) in case of the Corporation, as specified in Chapter IV and under this Chapter.

51. Conditions for writing off irrecoverable dues.— (1) Where the Corporation or the National Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the Corporation or the National Social Security Board, as the case may be, have become irrecoverable, the Corporation or National Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

(i) that the concerned establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer of such establishment cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(ii) that the decree obtained by the Corporation or the National Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or

(iii) that the claim for contribution is not fully met by —

(a) the official liquidator in the event of the factory or establishment having gone into liquidation; or

(b) the Commissioner of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

(2) In case of the Provident Fund, Pension Fund or Insurance Fund, such writing off shall be specified in the Provident Fund Scheme or Pension Scheme or Insurance Scheme, as the case may be.

52. Account and annual report.—(1) The Corporation shall maintain complete and accurate accounts in such form as the Standing Committee thereof may, with the approval of the Central Government, specify from time to time and the books shall be balanced on the thirty-first day of March each year.

(2) The Corporation shall prepare revenue accounts for the financial year ended on the thirty-first March and a balance sheet as on the thirty-first March by the thirty-first of May:

Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days:

Provided further that the Corporation may, and if so required by the Central Government shall, cause to be prepared the revenue accounts and the balance sheet for any other period or as on any other date.

(3) The annual accounts shall be set out and produced before the Comptroller and Auditor General of India for scrutiny on or before the fifteenth of June of each year following the close of the financial year to which they relate:

Provided that on the application of the Corporation, the Central Government may extend the said date by a period not exceeding thirty days.

(4) The Corporation shall submit all accounts to the Comptroller and Auditor General of India as required by him and the Comptroller and Auditor General of India may —

(i) by written notice, require the production before him or before any officer subordinate to him, of any document which he may consider necessary for the proper conduct of his audit;

(ii) by written notice, require any person accountable for or having the custody or control of, any such documents, to appear in person before him or before any officer subordinate to him; and

(iii) require any person so appearing before him or before any officer subordinate to him to make and sign a declaration with respect to such document or to answer any question or prepare and submit any statement desired by him or such officer.

(5) The report of the Comptroller and Auditor General of India on the annual accounts shall be submitted to the Corporation on such date and in such form as the Central Government may specify in this behalf and in the report it shall be stated whether in their opinion the balance sheet is a full and fair balance sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Corporation's affairs and in case they have called for any explanation or information from the Corporation or any of its officers whether it has been given and whether it is satisfactory or not.

(6)(a) The annual report on the work and activities of the Corporation (excluding the unaudited accounts for the year incorporated therein) shall be considered by the Standing Committee thereof and shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the said financial year.

(b) The annual accounts relating to a financial year duly authenticated by the Financial Commissioner of the Corporation and the Director General and approved by the Standing Committee of the Corporation shall be submitted for audit to the Comptroller and Auditor General of India and the audited accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be placed for adoption at a meeting of the Corporation to be held before the tenth of December following the close of the said financial year:

Provided that the report of the Comptroller and Auditor General of India shall be received by the twentieth of November, following the year to which it pertains.

(7) The annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon and the annual report on the work and activities of the Corporation as adopted by the Corporation shall be authenticated by affixing the common seal of the Corporation and four copies thereof, together with the comments of the Corporation on the report of the Comptroller and Auditor General shall be submitted to the Central Government not later than the twentieth of December following the close of the financial year concerned for being placed before the Parliament:

Provided that if the report of the Comptroller and Auditor General of India is not received by the twentieth of November following the financial year to which it pertains, the annual accounts together with the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon shall be submitted to the Central Government separately from the annual report on the work and activities of the Corporation.

(8) The cost of audit shall be paid by the Corporation by such date as may be specified by the Central Government.

(9)(a) The auditors shall submit to the Corporation and the Central Government a separate statement, if necessary, in regard to —

(i) any material impropriety or irregularity which he may observe in the expenditure, or in the recovery of money due to, or in the accounts of the Corporation; or

(ii) any loss or waste of money or other property owned by or vested in the Corporation which has been caused by neglect or misconduct, with the names of the persons who in their opinion are directly or indirectly responsible for such loss or waste.

(b) The Standing Committee shall forthwith remedy any defect or irregularity that may be pointed out by the auditors and shall report to the Central Government the action taken by it thereon within a period of ninety days of the receipt of the report of the auditors:

Provided that if there is a difference of opinion between the Standing Committee and the auditors, or if the Standing Committee does not remedy any defect or irregularity within a reasonable period, the Central Government may, and on a reference specifically made therefor, shall pass such orders thereon as it thinks fit and the Standing Committee shall thereafter take action in accordance therewith within such time as may be specified by the Central Government.

(10) (a) The Standing Committee or any authority authorised by it in this behalf may after giving the person concerned an opportunity to submit an explanation, and after considering any such explanation, disallow any item of account contrary to the provisions of the Code or of the Rules or Regulations made thereunder, and surcharge the same on the person making or authorising the making of payment of such account and shall charge against any person accounting, the amount of any deficiency or loss incurred by the negligence or misconduct of that person, or of any sum which ought to have been but is not brought into account by that person, and shall in every such case certify the amount due from such person:

Provided that no certificate made by the authority authorised by the Standing Committee shall have effect unless it is approved by the Standing Committee.

(b) The Standing Committee shall state in writing its reasons for every disallowance, surcharge or charge made or approved by it and shall serve a certificate of the amount due and a copy of the reasons for its decision on the person against whom the certificate is made and shall also furnish copies thereof to the Central Government.

(c) Any person aggrieved by a certificate made under sub-rule (10) may, within one month from the date of the service of certificate on him under clause (b) sub-rule (10), file an application to the Central Government for setting aside or modifying the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made.

(d) On receipt of an application under clause (c) or on its own motion, the Central Government may, after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit either confirming, modifying or setting aside the disallowance, surcharge or charge in respect of which the certificate was made, and the Standing Committee shall thereupon take action in accordance with such order within such time as may be specified by the Central Government.

(e) The Central Government may by order direct that all further action under the certificate made under sub-rule (10) shall be stayed until the disposal of the matter pending before it under clause (d).

(11) (a) Every sum certified to be due from any person by the Standing Committee or if the certificate has been modified by the Central Government, the sum shown to be due from such person in the modified certificate, shall be paid by such person to the Corporation within three months after he has been served with the certificate of the Standing Committee ; or within such longer period as may be allowed by the Central Government; and any such sum, if not so paid, shall be recovered as arrears of land revenue.

(b) Any sum or part of a sum so paid or recovered, the certificate in respect of which is set aside or modified, shall, as the case may require, be wholly or partly refunded to the person who paid it.

(12) The Corporation shall establish, maintain and contribute to a Provident Fund called the Employees' State Insurance Corporation Provident Fund (hereinafter referred to as the Provident Fund) in respect of its employees other than those whose services are placed at the disposal of the Corporation by the Central Government or State Government.

(13) The Provident Fund shall be administered by the Standing Committee of the Corporation or by any other Committee approved by it for the purpose and subject to such conditions as it may deem fit to impose.

(14) The Corporation may make regulations under clause (1) of section 157 of the Code to provide for all other matters incidental to or necessary for the Provident Fund.

(15) Where an Insured Person is convicted under clause (o) of section 133, he shall not be entitled to any cash benefit admissible under Chapter IV of the Code for a period of three months for first conviction and six months for each subsequent conviction from the date of receipt of judgment of the court in the concerned office of the Corporation.

CHAPTER X

AUTHORITIES, ASSESSMENT, COMPLIANCE AND RECOVERY

53. Form and manner for maintenance of records and registers etc.—(1) (a) the employer of every establishment shall maintain, register –

- (i) of employees in Form – I of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (ii) of attendance-cum-muster roll in Form - IX of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (iii) of wages, overtime, advances, fines and deductions for damages and losses in Form – IV of the Wages (Central) Rules, 2026;
- (iv) of women employees in Form – XXII.

Provided that in respect of establishment which is governed by the Code on Wages, 2019(29 of 2019) or the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 (37 of 2020) and rules made thereunder maintain the registers specified in clause (i), (ii) and (iii) which shall be deemed to be maintained by the employer under these rules also;

- (b) registers under this Chapter shall be maintained electronically or otherwise;
- (c) entries in the registers shall be made in English and Hindi or the language understood by a majority of persons employed;
- (d) every employer shall produce records and registers, on demand before the Inspector-cum-Facilitator or any person authorised in that behalf by the Central Government;
- (e) all the registers and other records shall be preserved in original for a period of five calendar years from the date of last entry made therein.

(2) Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees under clause (c) of section 123 on or before payment of wages in Form – V of the Wages (Central) Rules, 2026.

(3) All registers and other records required to be maintained under the Code and the rules made thereunder shall be maintained complete and up-to-date and unless otherwise provided by the Central Government, shall be kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the workplace or at a place within a radius of three kilometres therefrom.

(4) The employer shall display conspicuously a notice at or near the main entrance of the establishment in bold letters in English, Hindi and in a language understood by the majority of the

employees specifying the name of the officer with designation authorised by the employer to receive, on his behalf, notices under the Code or the rules made therein.

(5) (a) The employer to which the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, on or before the 28th or 29th day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXIII online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, registers and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(b) If the employer to whom the provisions of Chapter V and Chapter VI of the Code apply, sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return in Form XXIII referred to in clause (a) of sub-rule 5 in respect of the period between the end of the preceding year and the date of such sale, abandonment or discontinuance, as the case may be.

CHAPTER XI

OFFENCES AND PENALTIES

54. Compounding of offences.—(1) The officer authorised by the Central Government, (hereinafter in this rule referred to as the “compounding officer”) by notification, for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in Form-XXIV for the offences which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed under sub-section(1) may apply in Part III of the Form-XXIV to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of Form-XXIV within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Officer, the prosecution shall be instituted after one month from the last date of specified time before the Competent Court against such person for the offences in respect of which the compounding notice was issued.

(5) For the compounding of an offence after the institution of prosecution in a Competent Court in respect thereof, the provisions of sub-section (6) of section 138 shall apply-

CHAPTER XII

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

55. Establishment and maintenance of career centre.— (1) The appropriate Government may establish, run and maintain a career centre or modify and declare its already established office or employment exchange, or both or a portal or authorise any other such centre as career centre, by notification. Until such notification is made, existing local Employment Exchanges and Central Employment Exchanges shall function as career centres (Regional) and career centres (Central) respectively.

(2) The appropriate Government may also enter into an agreement with any institution, local authority, local body or private body for running a career centre.

(3) The career centres established under sub-rules (1) and (2) above shall, inter-alia, perform the following functions, namely:—

(a) collection and furnishing of information, either by the keeping of registers or otherwise, manually, digitally, or virtually as may be notified by Central Government from time to time, relating to -

- (i) persons who seek to employ employees;
- (ii) persons who seek employment;
- (iii) occurrence of vacancies; and
- (iv) persons who seek vocational guidance and career counselling or guidance to start self-employment;

(b) providing career counselling and vocational guidance;

(c) organising job-fairs and job drives;

(d) employment related surveys and studies;

(e) employability enhancement activities; and

(f) other services as may be decided by the appropriate Government from time to time.

Explanation.— For the purposes of this chapter, appropriate Government shall be Central Government for Career Centre (Central) and respective State Government for career centre (Regional).

56. Reporting of vacancies and result of selection etc.—(1) (a) on the commencement of the Code, the employer in every establishment in public sector in any State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre as may be specified by notification, made by the appropriate Government;

(b) the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre (Regional) from such date as may be specified in the notification made by the appropriate Government;

(c) appropriate Government shall provide a digital mechanism for receipt of vacancies reported by the employers and career centre to which the vacancies are to be reported, which shall generate a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer digitally or through any other such media immediately but not later than seven working days from the date of receipt of reporting of vacancies in north-eastern States and three working days in other States:

Provided that time limit of three working days may be further extended up to seven working days by the appropriate Government, through notification, keeping in view the geographical conditions or other local needs;

(d) Career Centre (Regional) shall share all information collected by it in writing, through email or digitally or through any other such media, as may be notified by central government from time to time, to the Career Centre (Central) in the Form-XXV, Form-XXVI and Form-XXVI (A).

(e) The State Government shall furnish to the Career Centre (Central) the details of any newly established Career Centre (regional) or of the closure of any existing Career Centre (regional) within 15 days from the date of such establishment or closure, along with the jurisdictional details of such Career Centre (Regional), so established or closed, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this rule, —

(A) “establishment in public sector” means an establishment owned, controlled or managed by-

- (i) the Government or a Department of the Government;
- (ii) a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (iii) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organisation or an authority or a body established by or under a Central or State enactment, which is owned, controlled or managed by the Government; and
- (iv) a local authority.

(B) “establishment in private sector” means an establishment which is not an establishment in public sector and with 20 or more employees or such number of employees as may be notified by the Central Government are employed therein.

(C) Any State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify, by notification, reporting of vacancies by establishments in an area thereof to the digital portal or to the Career Centre of the Central Government.

(2) (a) The following vacancies, namely:—

- (i) all vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and
- (ii) vacancies which an employer may desire to be circulated to the career centres outside the State or Union territory in which the establishment is situated;

shall be reported to such career centre (Central) as may be specified by the Central Government, by notification:

(b) vacancies in establishments having branches in more than one State or Union Territory, where the employer seeks to fill such vacancies across multiple locations, may, at the option of the employer, be reported either centrally to the Career Centre (Central) or separately to the respective Career Centres (Regional), as may be specified by the appropriate Government.

(c) vacancies other than those specified in clause (a), shall be reported to the career centre (Regional) concerned.

(3)(a) The vacancies shall be reported in writing or through official email or digitally, as may be notified by Central Government from time to time, to the career centre specified by the appropriate Government.

(b) The vacancies shall be reported in the Form-XXV, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(c) Any change in the particulars already furnished to the career centre under clause (a) of sub-rule (3), shall be reported in writing or through official email or digitally, as the case may be, as may be notified by Central Government from time to time, to the specified career centre.

(4)(a) Vacancies, required to be reported to the career centre (Regional), shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications.

(b) Vacancies required to be reported to the career centre (Central) shall be reported at least forty days before the last date of receipt of the applications.

(c) The employer shall furnish the information relating to the result of selection to the concerned career centre against the vacancies reported within thirty days from the date of selection.

(5) (a) On commencement of the Code, the employers of every establishment in the public sector in any State or area shall maintain records manually or electronically or digitally about –

- (i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
- (ii) persons recruited during the year ending on 31st March;
- (iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;
- (iv) vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- (v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(b) Appropriate Government may, through notification, direct that from such date as may be specified in the notification, the employer of every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about –

- i. total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) as on 31st March of every year;
- ii. persons recruited during the year ending on 31st March;
- iii. occupational details of its employees as on 31st March of every year;
- iv. vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
- v. approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(6) An employer shall furnish to the concerned Career Centre (Regional) yearly returns in Form-XXVI (Employment Information Return) and yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government by notification, within thirty days of the due date, namely, 31st March of the year.

(7) (a) the Director of Employment or officer of equivalent or higher rank, controlling the work of career centres (Regional) of the respective State Government, will declare in writing an officer, who is looking after the work of career centres (Regional) as Executive Officer for each district for the purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and

Monitoring) of the Code and such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139, or authorise any person in writing to exercise those rights and perform duties;

(b) the Director of Employment or an officer of equivalent or higher rank, controlling the work of Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, New Delhi, will declare in writing an officer, who is looking after the work of career centres (Central) as Executive Officer for the purpose of enforcement or implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. Such officer shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139.

(8) For implementation of provisions of Code relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central Government may issue detailed guidelines explanatory in nature which shall be supplemented further by the respective State Government as per local needs.

CHAPTER XIII

EMPLOYEE'S COMPENSATION

57. Rate of interest payable by employer under clause (a) of sub-section (3) of section 77.-If the amount of compensation payable under sub-section (3) of section 77 is not paid by the employer within the period of thirty days, the employer shall pay, from the date on which the compensation becomes payable to the date on which it is paid, simple interest at the rate of twelve per cent. per annum or any other rate notified by the Central Government from time to time.

58. Manner of notice under sub-section (1) and the manner of transmitting money under sub-section (3), of section 92.- (1) No application under section 92(1) shall be processed before or by a competent authority other than the competent authority having the jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in Form-XXIX electronically or otherwise to the competent authority having jurisdiction over the area in which accident occurred and the State Government concerned.

(2) Money transmitted by one competent authority to another in accordance with sub-section (3) of section 92 shall be transmitted either by remittance receipt or by e-transfer or by net banking or by Demand Draft, as the competent authority transmitting the money may direct.

59. Form, manner and fee for application for claim or settlement under sub-section (3) of section 93.- (1) The applicant may send any application of the nature referred to in section 93 to the competent authority by speed post (with registration) or electronically or may be presented to him or to any of his subordinates authorised by him in this behalf, and, if so sent or presented, shall, unless the competent authority otherwise directs, be made in duplicate in Form-XXVII, if any, and shall be signed by the applicant.

(2) There shall be appended to every such application a certificate in Form-XXVIII, which shall be signed by the applicant to the effect that the statement of facts contained in the application is to the best of his knowledge and belief, accurate.

(3) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application.

60. Rules to give effect to arrangements with other countries for transfer of money paid as compensation under section 159.-(1) When any sum is transmitted by any competent authority in India to any other competent authority in accordance with these rules by remittance transfer receipt or

by e-transfer or by net banking or by demand draft, the competent authority which transmits the sum may, deduct the costs of such transmission from the sum so transmitted.

(2) When the whole or any part of a lump sum deposited with a competent authority for payment as compensation under the Code is payable to any person or persons residing or about to reside in any other country, the competent authority may order the transfer to that country of the sum so payable.

(3) When the competent authority has ordered the transfer of any sum under sub-rule (2), he shall cause to be prepared and shall certify under his hand a memorandum containing a brief statement of the facts of the case, of the orders passed upon it and of the name and address of each person to whom payment is to be made.

(4) If the competent authority is not himself the Authorised Officer he shall forward the memorandum in duplicate to the Authorised Officer and may either remit the sum to be transferred to the Authorised Officer or retain it and dispose of it in accordance with the directions of the Authorised Officer.

(5) If the competent authority is himself the Authorised Officer, he shall proceed as provided in sub-rule (6).

(6) The Authorised Officer, after satisfying himself that the memorandum is complete, shall forward it and remit or cause to be remitted the sum to which it relates by such means of safe transmission as he may consider convenient to the authority appointed in this behalf for the country to which the sum is to be transferred, or if no such authority has been appointed, to such authority as the State Government may, by general or special order, direct, and shall at the same time request the authority addressed—

(a) to arrange for payment to be made in accordance with the directions contained in the memorandum; and

(b) to furnish him with a report of the action taken upon the memorandum and return any sum the payment of which is for any reason impossible.

(7) (a) The Authorised Officer shall, if he is not the competent authority with whom the matter originated, forward to such competent authority a copy of any report received in response to a request made under sub-rule (6).

(b) Any sum returned in accordance with sub-rule (6) shall be disposed of in accordance with the Code.

(8) (a) The Authorised Officer shall be the proper authority to receive moneys from transferring authorities.

(b) If any competent authority or other Government servant, not being the Authorised Officer, receives any sum from a transferring authority he shall either forward such sum, together with any papers relating thereto, to the Authorised Officer for disposal or obtain the instructions of the Authorised Officer as to the disposal of the sum and papers and act in accordance with his instructions.

(9) The Authorised Officer may himself dispose of any sum or part of any sum which he receives or of which he assumes control under sub-rule (8) or may send it or any part of it for disposal to such competent authority or competent authorities as he considers proper.

(10) All sums received from a transferring authority shall be disposed of as far as possible in accordance with the provisions of the Code and the rules made there under:

Provided that the directions, if any, received from the transferring authority as to the manner in which the sum should be administered shall be complied with.

(11)(a) The Authorised Officer shall forward to the transferring authority a report showing how the sum received from him has been disposed of.

(b) Any competent authority, not being the Authorised Officer who has disposed of any part of the sum, shall make a report in duplicate as to the disposal of that part to the Authorised Officer, and, if the sum was received by him from another such competent authority in accordance with section 92 of the Code, shall forward his report through that competent authority.

(12) Any part of the sum received from the transferring authority which shall have remained undisbursed after the completion of the proceedings shall be returned to the transferring authority by, or under the direction of the Authorised Officer.

61. Proceedings after transfer of matters. - The competent authority under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) of section 92 may initiate the proceedings afresh or he may continue the previous proceedings initiated under clause (a) of sub-section (1) of section 91 as if the same or any of its part had been taken before him if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be prejudiced.

62. Transfer of records or money.-(1) If any matter under the Code is required to be processed before or by a competent authority other than the competent authority having jurisdiction over the area in which the accident took place the former may for the proper disposal of the matter call for in Form-XXX a detailed report including transfer of any records or money remaining with the latter and on receipt of such a request he shall comply with the same:

Provided that if any further enquiry is necessary in the area in which the accident took place for framing of issues or for determining the amount of compensation, the competent authority, before whom the application has been filed, may require the competent authority of the area in which the accident took place to conduct such enquiries and to serve such notices or orders as may be necessary for the purpose of such enquiries.

(2) Money deposited with one competent authority under section 81 shall be transmitted to another competent authority either by remittance transfer receipt or by e-transfer or by net banking or by demand draft.

63. Every employer shall at the time of employment of an employee, inform the employee of his right to compensation under the Code, in writing and by electronic means, in English or Hindi or in the official language of the area of employment, which is known to the employee.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

64. Establishment and administration of Social Security Fund.— (1) All the following funds received shall be credited to separate account(s) and called as Social Security Fund and all expenses towards the scheme notified under sections 109 and 114 for the Unorganised Workers, Gig Workers or Platform Workers shall be met out of the following Fund, namely –

(a) under sub-section (1) of section 141 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); and

(b) under sub-section (1) of section 115 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The Central Government shall identify the sources for initial funding or replenishing the Social Security Fund from time to time.

(3) The Fund shall be administered by the Central Government through an agency designated by the Central Government in the manner, as specified by the Central Government.

(4) Directions of the Central Government, if any, shall be complied with by the agency designated for the administration of the Social Security Fund.

(5) The Statement of accounts of the Social Security Fund shall be maintained by the agency, in the form and manner as specified by the Central Government and shall be submitted to the Central Government from time to time.

(6) The accounts of the Social Security Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

65. Eligibility conditions for grant of exemption.— (1) An establishment, to be eligible to seek exemption under section 143 shall be required to fulfil the following conditions, prior to grant of exemption, namely: -

(a) the employees of such establishment are in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits granted in the schemes framed under Chapter III or the benefits available under Chapter IV, as the case may be, of the Code;

(b) the establishment seeking exemption shall make an application electronically or otherwise;

(c) the establishment has been complying with the provisions of Chapter III of the Code or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); or, the provisions of Chapter IV of the Code or the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), as the case may be, for a continuous period of three years immediately before making the application and has not defaulted in payment of contribution payable under the respective Chapters during such period;

(d) the establishment seeking exemption under section 143 shall have minimum five hundred contributory members for the purposes of Chapter III of the Code or minimum five hundred employees for the purposes of Chapter IV of the Code, as the case may be, on the date of such application;

(e) the establishment seeking exemption from the provisions of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme framed under section 15 shall have a cumulative balance in members account of rupees fifty crore or more in respect of the Scheme from which exemption is sought;

(f) for the purposes of the Chapter III, the establishment shall furnish consent of majority of the employees for seeking exemption under section 143;

(g) the establishment seeking exemption should have a positive net worth during each of the last three years before the date of application;

(h) the establishment must have seeded the Aadhaar number of each member in the respective member's account for the purposes of Chapter III or that of each of insured person and his or her family members for the purposes of Chapter IV, as the case may be, of the Code in the respective database; and

(i) for the purposes of Chapter III of the Code, the establishment shall provide facilities for online claim settlement and has an online portal for grievance resolution to provide linkages with that of Employees' Provident Fund Organisation within ninety days of grant of exemption.

(2) The notification granting exemption under section 143 shall be issued so as to take effect from the date of the notification and shall contain the other terms and conditions to be complied with by the establishment and /or the employer, as the case may be.

(3) (a) The application for extension of exemption under section 143 shall be made on specified portal, at least six months before expiry of exemption.

(b) The exemption granted to an establishment from the provisions of Chapter IV shall be extendable by the appropriate Government for a period of five years at a time, subject to the condition that the establishment continues to fulfil the relevant conditions in specified sub-rule (1) of rule 65 except that in clause (d) of sub-rule (1).

(c) No exemption under the provisions of Chapter IV shall be extended without prior consultation of the Corporation.

(d) The Corporation shall submit its views to the appropriate Government within three months of receipt of application failing which the appropriate Government shall decide on the extension of exemption, as it may deem fit.

(e) The exemption granted in respect of the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, may be extended for such period and on such terms and conditions as may be specified in the respective Schemes.

66. Time limit for Central Board or Corporation to provide views on application for exemption.

—The Central Board or the Corporation, as the case may be, shall forward its views on the application seeking exemption under section 143 to the appropriate Government within six months of receipt of proposal for exemption. If the Central Board or the Corporation, as the case may be, is unable to provide its views within the said period, the appropriate Government may extend the time limit or take action on the application for exemption, as it may deem fit.

67. Terms and conditions for compliance of exempted establishment.—(1) The establishment to which exemption has been granted from the provisions of Chapter IV of the Code –

(a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation as may be specified in the regulations made under section 157; and

(b) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under section 143, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, etc., the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption to the appropriate Government.

(2) For the purposes of Chapter III, the establishment and/or employer, after the grant of exemption, shall comply with all such terms and conditions as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, framed under section 15.

68. Terms and conditions for management of trust.—(1) A Board of Trustees shall be established for the management of the Provident Fund or the Pension Fund according to such directions as may be given by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner, as the case may be, from time to time.

(2) The Board of Trustees shall consist of such equal number of representatives each of the employers and employees as may be specified in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(3) The employer of such exempted establishment shall be the Chairperson of the Board of Trustees and the Chairperson may exercise a casting vote in the event of equality of votes and arm's length principles shall be maintained by the Chairperson in all meetings of the Board of Trustees.

(4) The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in the accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government or the Central Provident Fund Commissioner or any officer authorised by him.

(5) The terms and conditions, including the tenure of office of the Trustees, the procedure and manner for election or nomination of the representatives of the employees and of employers to the Board of Trustees, disqualification and cessation of trusteeship, re-election or re-nomination of trustees, the quorum at the meeting of the Board, records to be kept of the transaction of business and all such other matters and conditions for the management of the Trust shall be as provided for in the Provident Fund Scheme or the Pension Scheme, as the case may be.

(6) In case of any dispute or doubt on-

(a) the interpretation of any provision of this rule, such matter shall be referred to the Central Government; and

(b) any clarifications on the grant of such exemption which do not relate to this rule, shall be referred to the Central Provident Fund Commissioner or any other officer of the Employees' Provident Fund Organization authorised by him;

and the interpretation of the Central Government or the clarification of the Central Provident Fund Commissioner or such officers, as the case may be, on such dispute or doubt shall be binding for the disposal of such matter so referred.

69. Manner of determining misuse of any benefit by an establishment or by any other person under section 148.-On the recommendations of the authority or the competent authority or Social Security Organisation, if the Central Government is satisfied that any establishment or any person has misused any benefit provided under the Code or these rules, the Central Government may by notification, deprive such establishments or such person, as the case may be, from such benefit for such time as may be specified in the notification:

Provided that no such order shall be passed unless an opportunity of being heard is given to such establishment or such person, as the case may be.

FORM- I

[See rule 13 (2)(a)]

APPEAL UNDER SECTION 23 OF THE CODE ON SOCIAL SECURITY, 2020

Title of the case:

APPEAL

INDEX

Serial No.	Description of documents relied	Page No.
1.		
2.		
3.		
4.		

Signature of the Applicant

*For use in Tribunal's office*Date of filing (or) Date of receipt by post Registration
No.

Signature of Registrar

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

BETWEEN

A.B.

APPELLANT

Vs.

C.D.

RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL

1. Particulars of the Appellant:

- i. Name of the appellant
- ii. Office address
- iii. Address for service of notices

2. Particulars of the Respondent:

- i. Name of the respondent
- ii. Office address
- iii. Address for service of notices

3. Particulars of the order/notification against which appeal is made.- The appeal is against the following order/notification

- i. Order/notification No. with reference to Annexure

- ii. Date
- iii. Passed by
- iv. Subject in brief
4. **Jurisdiction of the Tribunal.**- The appellant declares that the subject of the matter against which he wants redressal is within the jurisdiction of the Tribunal.
5. **Limitation.** —The appellant further declares that the appeal is within the limitation specified in section 126 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
6. **Facts of the case.**- The facts of the case are given below:

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

7. **Details of remedies exhausted.** —The appellant declares that he has availed of all the remedies available to him under the Code.

(Give here chronologically the details of representations made and the outcome of such representation with reference to the Annexure numbers).

8. **Matters not previously filed or pending with any other Court.** —The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matters in respects of which this appeal has been made, before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

In case the appellant has previously filed any appeal, writ petition or suit, the stage at which it is pending and if decided, the gist of the decision should be given with reference to the Annexure.

9. **Relief(s) sought.** —In view of the facts mentioned in para 6 above, the appellant prays for the following relief(s):--

[Specify below the relief(s) sought explaining the ground for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon].

10. **Interim order, if any, prayed for.** —Pending final decision on the appeal the applicant seeks issue of the following interim order—

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

11. In the event of appeal being sent by speed post (with registration), it may be stated whether the appellant desires to have oral hearing at the admission stage and if so, he shall attach a self-addressed Post Card, Inland Letter, at which intimation regarding the date of hearing could be sent to him.

12. **Particulars of Bank Draft or Postal order in respect of the Appeal Fee:**

13. Name of the Bank on which drawn
14. Demand Draft No. (OR)
15. Details of online fund transfer
16. **List of enclosures**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

VERIFICATION

I, (Name of the Appellant) S/O, D/O, W/O
 Age..... working asin the office of resident of do
 hereby verify that the contents of paras to..... are true to my personal knowledge
 and paras to..... believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any
 material fact.

Signature of the Appellant

Date:
Place:

To
The Registrar

FORM-II

[See rule 13 (2)(c)]

RECEIPT SLIP

Receipt of the appeal filed in the Central Government Industrial Tribunal at by
 Sri/Smt/Kum..... working in/for..... of..... residing
 at..... is hereby acknowledged.

For Registrar
Central Government Industrial
Tribunal

Date:
Seal:

FORM-III

[(See rules 32 (1),(2), (3) and (4)]
[For the purpose of Chapter-V]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination
(Strike out the words not applicable)

Sl. No.	Details of the employee:	
1.	Name of employee in full	

2.	Father's/Spouse's name	
3.	Date of Birth (- -/ - / - - - -)	
4.	Universal Account Number(if available):	
5.	Sex	
6.	Religion	
7.	Whether unmarried/married/widow/widower	
8.	Department/Branch/Section where employed	
9.	Post held with Ticket No. or Serial No., if any	
10.	Date of appointment	
11.	Date of superannuation	
12.	Permanent address:	
	Village:	
	Post-Office:	
	Thana:	
	Sub-Division:	
	District:	
	State:	
	Pin-Code:	
	E-mail ID:	
	Mobile Number:	

To.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) with effect from the(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Name in full here) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date and recorded under your reference No.....dated..... shall stand modified in the following manner:-

**Strike out unnecessary portion.*

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full	Relationship	Age of	Aadhaar No. of the	Proportion	by
-------	------------------------	--------------	--------	--------------------	------------	----

	address nominee(s)	of/with the employee	nominee	nominee	which the gratuity will be shared
1.					
2.					
3.					
So on					

DECLARATION

1. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).
2. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code.
- 3 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
- (b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
4. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.
5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any

Signature of the employer/Officer authorised
Designation

Date:

Name and address of the establishment

or

rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in **Form-III** filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature of the Employee

FORM-IV

[(See rule 33(1)]

Application for gratuity by an Employee/nominee/legal heir
(Strike out the words not applicable)

To,.....
(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I,(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late.....(Name of the employee)/ as a legal heir of late.....(Name of the employee), want to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the.....or;

(b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on.....after completion of.....years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the..... or;

(c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on.....(date) without making any nomination after completion ofyears of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

1. Name of employee in full, (if the gratuity is claimed by an employee)
 - a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower)
 - b. Address in full of employee

or

2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)

- a. Name of Employee
- b. Marital status of nominee/legal heir (unmarried/married/widow/widower)
- c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
- d. Address in full of nominee/legal heir
- e. Date of death and proof of death of the employee
- f. Reference No. of recorded nomination, if available

3. Department/Branch/Section where last employed

4. Post held by employee.

5. Date of appointment.

6. Date and cause of termination of service

7. Date of Death

8. Total period of service of the employee

9. Total wages last drawn by the employee.

10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.

11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no.....

Yours faithfully,
Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.

Place:

Date:

FORM-V

[(See rule 33(2))]

Notice for payment/rejecting claim of gratuity

(Strike out the words not applicable)

To,.....
.....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 of the Social Security (Central) Rules, 2026, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in **Form-IV** under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons (Here specify the reasons); or

(b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 33 the Social Security (Central) Rules, 2026 that a sum of Rs.(Rupees.....) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made byon

.....and.....recorded in thisas a legal heir of.....an employee of this establishment.

2. *Please call aton..... (Here specify place).....(date) at.....(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation

- a. Date of appointment.
- b. Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.
- c. Total period of service of the employee concerned:years..... months.

(d) Wages last drawn:

(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable:

**strike out para, if not applicable*

Place:

Date:

Signature of the Employer/Authorised Officer.

Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.

Copy to:

The Competent Authority.

FORM-VI

[(See rule 33(4)]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the above-mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under rule..... of the Social Security (Central) Rules, 2026 on thebut the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clauseof sub-rule of ruleoffering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated the

..... under clause..... of sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the applicant and direct the above-mentioned employer to pay the same to the applicant.

5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement / resignation /disablement / death/Completion of contract period under fixed term employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir, if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date:

Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM – VII

[(See rules 33 (5) and (8)]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shri/Smt/Kumarian employee under your a nominee(s)or legal heir(s) of Shri/Smt/Kumari.....an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 33 of the Social Security(Central) Rules, 2026 alleging that---

(A copy of the said application is enclosed, if summon is issued then copy of application is not required)

Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at(place)either personally or through a person duly authorised in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the day of20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/defence.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence or you are required to produce the documents mentioned in the list below, on behalf of in the case arising out of the claim for gratuity by Form and referred to this Authority by an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the day of20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon and to bring the said documents with you.

List of documents-

- 1.
- 2.
3. so on

Given under my hand and seal, thisday of20.....

Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020

Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.

2. The portion not applicable to be deleted.

3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.

4. In case the summons are issued only for producing a document and not to give evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – VIII

[(See rules 33(11) and 33(12)(h)]

Notice for payment of gratuity as determined by Competent/Appellate Authority

(Strike out the words not applicable)

To,
(Name and address of employer)

Whereas Shri/Smt./Kumari..... an employee..... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of latean employee under you, filed an application under section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), before me; or

Whereas a notice was given to you onrequiring you to make payment of Rs..... to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

And whereas the application was heard in your presence on.....and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari..... is entitled to a payment of Rs..... as gratuity under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020); or

Whereas you or the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount of Rs..... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity due under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs.to Shri/Smt./Kumari within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, thisday of.....20.....

Competent Authority
under the Code on Social Security Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority if applicable.

Note.--- *(Strike out paragraphs if not applicable)*

FORM – IX

[(See rule 33 (13))]

Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020

Application No.

Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late.....

an employee of the above mentioned employer/a legal heir of latean employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated theunder sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 33 of Social Security (Central) Rules, 2026for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020).

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 for recovery of the said sum of Rs.due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.

Place:

Date:

Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – X

[See rule 35(1)(a), 35(1)(d) and 35(2)(f)]

Certificate of Medical Officer/Medical Practitioner for confinement/miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/ delivery of a child

This is to certify that-

1. *I examined.....wife/ daughter of a woman employee in..... (Name of the establishment) on..... (Date) and found/ cannot discover that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within (month and/days) from the above mentioned date or has undergone miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation/has been delivered of a child on..... (Date) or is suffering from.....(date) from illness arising out of pregnancy or delivery or premature birth of a child or miscarriage/ Medical termination of pregnancy or tubectomy operation.
2. *Smt..... wife/daughter of..... employed in..... (Name of the establishment) expired onbefore/during/ after confinement. The child died on.....or survives her.
3. *I examined....wife/ daughter of....a woman employed in..... (Name of establishment) and found that she has been delivered of a child or has undergone miscarriage on..... (date).

*Strike out unnecessary portion.

Signature and designation of

Medical Officer/Medical Practitioner/ASHA/ANM/Gram Pradhan/Village Administrative Officer/
Authorised Officer of the Municipality

Date.....

Definitions of "child" and "miscarriage" as in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).-

1. "Child" includes a still-born child.
2. "Miscarriage" means expulsion of the contents of a pregnant uterus at any period prior to or during the twenty-sixth week of pregnancy but does not include any miscarriage, the causing of which is punishable under the Indian Penal Code.

FORM – XI

[See rule 35 (2)(a) and (c)]

(Notice of claim for maternity benefit and payment thereof under sections 62 and 63)

To

..... (name of establishment)

PART I

[See Rule 35 (2)(a)]

Notice

I (name of woman) wife or daughter of..... employed as..... at.....(name of establishment), hereby give notice that I expect to be confined within six weeks next following from the date of this notice or have given birth to a child on.....(date) and shall be absent from work from.....(date). I shall not work in any establishment during the period for which I receive maternity benefit.

2.For the purpose of section 63, I hereby nominate..... (Here enter name and address of the nominee) to receive maternity benefit and/ or any other amount due to me under the Code in case of my death.

Signature of an Attester in case
the woman is not able to sign
and affix thumb impression.
Date.....

Signature or thumb impression of woman

PART II

[See rule 35 (2)(c)]

FORM OF RECEIPT OF MATERNITY BENEFIT

I,....., the undersigned, a woman employee/ the nominee of..... woman employee or legal representative of..... woman employee deceased in.....(name of establishment) at..... in..... district received maternity benefit and/or other amount due under the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) from the employer of the establishment referred to above, as detailed below:-

Rs..... being the first installment of maternity benefit paid on.....

Rs..... being the second installment of maternity benefit after delivery paid on.....

Rs..... being the medical bonus under section 64 of the Code paid on.....

Rs.....being the wages for the leave period from..... to..... mentioned under section 65.

*My/ Her confinement/ miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation took place on.....or I/she fell ill because of pregnancy, delivery, premature birth of a child or miscarriage or Medical termination of pregnancy or tubectomy operation on..... In consequence I..... her nominee/legal representative has received the aforesaid amounts prescribed in sections 60, 64 and 65 of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020).

Signature or thumb impression of.....

*Woman employee or her nominee or legal representative

Signature of an Attester in case the woman is not able to sign
and affixes thumb impression

Place:

Date:

*Strike out unnecessary portion.

Form XII

[seerule 38 (2)]

Appeal under Section 68

To

The Competent Authority
(Appointed under Chapter VI of Code on Social Security, 2020)
.....(Address)

Sir,

I, The undersigned, woman employee of(name and full address of the establishment) have been wrongly deprived by the employer of maternity benefit or medical bonus or both or wrongly discharged or dismissed during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me and/or set aside the order of discharge/dismissal. A copy of the order of the employer in this behalf is enclosed.

Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative

Place.....

Date.....

Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the woman employee /nominee/legal representative.

FORM – XIII-A

[See rule 39(1)(a)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator
(under the Code on Social Security, 2020)

Sir,

I..... (Name of woman employee) employed in..... (name and full address of the establishment) or I....., (name), a person nominated under section 62 by or a legal representative of.....(name of woman employee) employed in.....(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and the rules framed thereunder, am entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of my/her absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of Code on Social Security, 2020(36 of 2020).

You are, therefore, requested to direct the employer to pay the amount to me and/or to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman employee/
nominee/ legal representative

Place.....

Date.....

Signature of an Attester in case the woman employee/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.

Full address of the woman employee/nominee/legal representative.

FORM-XIII-B

[See rule 39 (2) (b)]

Appeal

To,

The Appellate Authority,

(Appointed under the Code on Social Security, 2020)

.....(Address)

Sir,

I....., the undersigned, woman employee/her legal heir/her representative or employer/his representative of..... (name and full address of the establishment) aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator Shri..... hereby prefer this Appeal under sub-section (3) of section 72 in view of the facts mentioned in the memorandum and other documents filed herewith.

*Denial by his order under sub-section (2) of section 72, the maternity benefit or other amount (Nature of amount) to which..... (Name of woman employee) is entitled and/or refused to set aside discharge or dismissal of (Name of woman employee) during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter VI of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020)(*Strike out unnecessary portion*).

*It is submitted that the (Name of woman employee) is not entitled to the maternity benefit or the said amount and/or rightly discharged or dismissed hence the order of the Inspector-cum-Facilitator may be set aside.

**Strike out unnecessary portion.*

Signature or thumb impression of the Woman employee/Aggrieved person/Employer

Place.....

Date.....

.....
Signature of an Attester in case the woman employee is
not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative

FORM – XIV

[See rule 40(4)]

(Abstract for the Maternity Benefit, and the rules made under the Code on Social Security, 2020).

1. No employer shall knowingly employ a woman during the six weeks immediately following the day of her delivery/miscarriage/Medical termination of pregnancy and no woman shall work in any establishment during the said period.

2. No pregnant woman shall, on a request being made by her in this behalf, be required by her employer to do during the period of one month immediately preceding the period of six weeks before

the date of her expected delivery and also for any period during this period of six weeks for which she does not avail of leave of absence, any work which is of an arduous nature or which involves long hours of standing, or which in way is likely to interfere with her pregnancy or the normal development of the foetus, or is likely to cause her miscarriage or otherwise to adversely affect her health.

3. (a) Subject to the provisions of the Code, every woman who has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than eighty days, including the days during which she was laid off, shall be entitled to, and her employer shall be liable for, the payment of maternity benefit at the rate of her average daily wages, or the minimum rate of wage fixed or revised under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or two hundred rupees a day, whichever is higher, for the period of her actual absence not exceeding six weeks immediately preceding the day of delivery and the remaining period immediately following that day:

Provided that where a woman dies during the period for which maternity benefit is payable, to her, the benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. However, where the woman having been delivered of a child, dies during her delivery or during the remaining period of maternity benefit leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for the payment of maternity benefit for the entire period of maternity benefit following the day of her delivery but if the child also dies during the said period, then, for the days up to and including the day of the death of the child.

(b) The amount of maternity benefit for the period preceding the date of her expected delivery shall be paid in advance by the employer to the woman on production of a certificate in **Form-X** stating that she is pregnant and is expected to be delivered of a child within six weeks of the date of production of the certificate, and the amount due for the subsequent period shall be paid by the employer to the woman within forty-eight hours of production of the certificate in **Form-X** stating that she has been delivered of a child or production of a certified extract from a Birth Register maintained under the provisions of any law for the time being in force.

4. (a) Any woman employed in an establishment and entitled to maternity benefit under the provisions of the Code may give notice in writing in **Form-XI** to her employer, stating that her maternity benefit and any other amount to which she may be entitled under the Code may be paid to her or to such person as she may nominate in the notice and that she will not work in any establishment during the period for which she receives maternity benefit.

(b) In the case of a woman who is pregnant, such notice shall state the date from which she will be absent from work, not being a date earlier than six weeks from the date of her expected delivery.

(c) Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery.

(d) On receipt of the notice, the employer shall permit such woman to absent herself from establishment until the expiry of the remaining period of maternity benefit after the day of her delivery.

5. (a) Every woman entitled to maternity benefit under the Code shall also be entitled to receive from her employer a medical bonus of rupees three thousand and five hundred, if no pre-natal, confinement and post-natal care is provided for by the employer free of charge. The medical bonus shall be paid along with the second installment of the maternity benefit.

(b) In case of miscarriage/medical termination of pregnancy, a woman shall, on production of a certificate in **Form-X** be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefit, for a period of six weeks immediately following the day of her miscarriage. The wages shall be paid within 48 hours of production of the certificate in **Form-X**.

(c) A woman suffering from illness arising out of pregnancy, delivery, premature birth of child or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation shall, on production of a certificate in **Form-X**, be entitled, in addition to the period of absence allowed to her on account of maternity or miscarriage/ medical termination of pregnancy or tubectomy operation, as the case may be, to leave with wages at the rate of maternity benefit for a maximum period of one month. The wages for the leave period shall be paid within 48 hours of the expiry of that period.

6. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the interval for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work two breaks of 15 minutes' duration for nursing the child until the child attains the age of fifteen months. An extra sufficient period, depending upon the distance to be covered, shall be allowed for the purpose of the journey to and from the creche or the place where the children are left by women while on duty, provided that such extra period shall be upto 15 minutes.

7. (1) When a woman absents herself from work in accordance with the provisions of the Code, it shall be unlawful for her employer to discharge or dismiss her during or on account of such absence or to give notice of discharge or dismissal on such a day that the notice will expire during such absence, or to vary to her disadvantage any of the conditions of her service.

(2) (a) The discharge or dismissal of a woman at any time during her pregnancy, if the woman but for which discharge or dismissal would have been entitled to maternity benefit or medical bonus shall not have the effect of depriving her of the maternity benefit or medical bonus:

Provided that where the dismissal is for one or more of the following acts, the employer may, by order in writing communicate to the woman, deprive her of the maternity benefit or medical bonus or both-

- (i) wilful destruction of employer's goods or property;
- (ii) assaulting any superior or co-employee at the place of work;
- (iii) criminal offence involving moral turpitude resulting in conviction in a Court of law;
- (iv) theft, fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property; and
- (v) wilful non-observance of safety measures or rules on the subject or wilful interference with safety devices or with fire-fighting equipment.

(b) Any woman deprived of maternity benefit or medical bonus or both, may within sixty days from the date on which the order of such deprivation is communicated to her, appeal in **Form-XII** to the Competent Authority and his decision on such appeal whether the woman should or should not be deprived of maternity benefit or medical bonus or both, shall be final.

8. If a woman works in any establishment after she has been permitted by her employer to absent herself under the provisions of the Code, she shall forfeit her claim to the maternity benefit for such period.

9. (1) Any woman claiming the maternity benefit or any other amount to which she is entitled under the Code and any person claiming that payment due has been improperly withheld may make complaint to the Inspector-cum-Facilitators in writing in **Form-XIII-A**.

(2) The Inspector-cum-Facilitators may, on his own motion or on receipt of a complaint in **Form-XIII-A**, make an inquiry or cause an enquiry to be made and if satisfied that payment has been wrongfully withheld, may direct the payment to be made in accordance with his orders.

(3) Any person aggrieved by the decision of the Inspector-cum-Facilitator may, within, thirty days from the date on which such decision is communicated to such person, appeal in **Form-XIII-B** to the Authority prescribed by the appropriate Government.

(4)The decision of Authority where an appeal has been preferred to him or of the Inspector-cum-Facilitator where no such appeal has been preferred, shall be final.

10. (a)The employer shall supply to every woman employed by him at her request free of cost copies of Forms X, XI, XII, XIII-A and XIII-B.

(b)The failure to submit a notice, appeal or complaint in the prescribed form shall not affect the right of a woman entitled to receive maternity benefit or any other amount due under the Code. Where a notice, appeal or complaint has been received in a form other than the prescribed form, the authority concerned shall within fifteen days of the receipt of such notice, appeal or complaint, require the woman to submit the notice, appeal or complaint, as the case may be in the prescribed form.

11. (a) (1) The employer of the establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form-XXII** and shall enter therein particulars of all women employees in the establishment.

(2) All entries in the register of women employees shall be made in ink and maintained up-to-date and it shall always be available for inspection by the Inspector-cum-Facilitator during working hours.

(b)The employer to which the Code applies, on or before the 28th/29th day of February in each year, upload a unified annual return in Form-XXIII online on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.— The expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

FORM – XV

[See rule 41(1)(a) and (b)]

Information for commencement or modification in respect of building or other construction work by the employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.	
2.	Name of the employer and address details	
3.	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on.	
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work	
6.	Nature of proposed construction work	
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)	
8.	Approximate duration of work	
9.	Details of any change /modifications in the proposed construction work	

Declaration

I/we hereby intimate that the building or other construction work (name of work) having registration number dated is likely to commence or is likely to modify with effect from (date)/ [on (date)].

Signature and Seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XVI

[See rule 41 (2)(b)]

Format for Self- assessment of Cess for building or other construction work to be furnished by employer

1.	Name and address (permanent) of the establishment.			
2.	Name of the employer and address details			
3.	Name and address or location of place where the building or other construction work is proposed to be carried on.			
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details			
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work			
6.	Nature of proposed construction work			
7.	Date of commencement of work (in case construction has started)			
8.	Approximate duration of work			
9.	Total proposed area of construction work			
10.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.			
11.	Total estimated cost of construction as certified by chartered engineer			
12.	Amount of provisional cess	<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">%age of total estimated cost of the construction as notified by the Central Government</td> <td style="width: 30%;">Total estimated cess (in Rs.)</td> </tr> </tbody> </table>	%age of total estimated cost of the construction as notified by the Central Government	Total estimated cess (in Rs.)
%age of total estimated cost of the construction as notified by the Central Government	Total estimated cess (in Rs.)			

13	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) or deduction at source		
14	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl No	Year	Amount (in Rs.)
	14.1	1 st year	
	14.2	2 nd Year	
	14.3	3 rd Year	
15	Total amount of the cess paid (Sl.No. 13 + 14)		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been misrepresented in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamped.

FORM- XVII

[See rules 41(2) (e) and 41(5)(a)(b)(c)]

Notice for stoppage or reduction of Building or Other Construction Work

1.	Name of Establishment	
2.	Registration number of Establishment	
3.	Address of establishment	
4.	Date of commencement of work	DD MM YYYY

5.	Approximate proposed period of work	DD MM YYYY	
6.	Date of stoppage or reduction of the building or other construction work		
7.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.		
8.	Total incurred cost of the construction work		
9.	Total amount of cess payable	%age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
10.	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any		
11.	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work was more than one year)		
	Sl. No.	Year	Amount (in Rs.)
	11.1	1 st year	
	11.2	2 nd Year	
	11.3	3 rd Year	
12.	Total amount of the cess paid (Sl.No. 10 + Sl.No 11)		
13.	Amount of outstanding cess (Sl.No. 9 – Sl.No.12)		
14.	Proof of payment of outstanding cess, if applicable		
15.	Amount of overpaid cess, if applicable		
16.	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded		
17.	Remarks, if any		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020(36 of 2020) and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer**Along with his registration number, duly stamped.****FORM- XVIII***[See rules 41 (2) (f) and 41(4) (a), (c) and (e)]***Return on completion of building or other construction work submitted by employer**

1.	Name and address (permanent) of the establishment		
2.	Name of the employer and address details		
3.	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on		
4.	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details		
5.	Correspondence address for the proposed building or other construction work		
6.	Nature of proposed construction work		
7.	Date of commencement of work(in case construction has started)		
8.	Date of completion of work		
9.	Duration of work		
10.	Total completed area of construction work		
11.	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41		
12.	Total incurred cost of the construction work		
13.	Total amount of cess payable	% age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
14.	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any		
15.	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl. No.	Year	Amount (in Rs.)
	15.1	1 st year	

	15.2	2 nd Year	
	15.3	3 rd Year	
16	Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)		
17	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)		
18	Proof of payment of outstanding cess, if any		
19	Amount of overpaid cess, if applicable		
20	In case overpaid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded		
21	Remarks, if any		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

Certified by Chartered Engineer

Along with his registration number, duly stamped.

FORM – XIX

[See rule 44(1) of the Social Security (Central) Rules, 2026 and section 105 of the Code on Social Security, 2020]

Proforma for appeal before the Appellate Authority against Order of assessment or Order imposing penalty

1	Name and address (permanent) of the establishment.	
2	Name of the employer and address details	
3	Name and address/ location of place where the building or other construction is proposed to be carried on.	
4	Name, designation and address of the authorised Person along with contact details	
5	Correspondence address for the proposed building or other construction work	
6	Nature of proposed construction work	
7	Date of commencement of work (in case construction)	

	has started)		
8	Date of completion of work		
9	Duration of work		
10	Total completed area of construction work		
11	Total estimated cost of the construction based on the rates of (PWD or CPWD or RERA or some other rates, as the case may be) along with documents (original) as per Rule 41.		
12	Total incurred cost of the construction work		
13	Total amount of cess payable	% age of total incurred cost of the construction as notified by the Central Government	Total cess payable (in Rs.)
14	Advance cess paid, along with details (at the time of approval of the Project or before the commencement of the construction work) /deduction at source, if any		
15	Details of cess paid (when duration of the proposed construction work is more than one year)		
	Sl.No.	Year	Amount (in Rs.)
	15.1	1 st year	
	15.2	2 nd Year	
	15.3	3 rd Year	
16	Total amount of the cess paid (Sl. No. 14 + Sl. No. 15)		
17	Amount of outstanding cess (Sl. No. 13 – Sl. No.16)		
18	Proof of payment of outstanding Cess, if any		
19	Amount of overpaid cess, if applicable		
20	Amount of cess assessed by the Assessing Officer		
21	Amount of outstanding cess to be paid by the employer		
22	Amount of penalty for non-payment of cess imposed / outstanding cess claimed by the assessing officer.		
23	Ground for appeal with supporting documents		
24	Remarks, if any		

Declaration

1. I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.
2. I/We hereby declare that I/We am/are quite aware of the penal provisions of the Code on Social Security, 2020 and if in future anything mentioned in the above self-assessment of cess amount, is found to be incorrect or inappropriate or any incidence of hiding the facts or under calculation of cess amount is found, punitive action may be taken against me/us.

Signature and seal of
employer

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XX*[See rule 49(3)(a)]*

**Format for self- assessment of contribution by aggregators of gig workers or platform workers
(to be submitted by 30th June of the current year in which the contribution is payable.)**

1	Registration number (LIN) of Aggregator	
2	Name of the Aggregator and address/ location of Aggregator	
3	Name and address of the authorised person along with contact details	
4	Number of gig workers or platform workers engaged with the Aggregator as on opening day of the current financial year, i.e. 1 st day of April in the year in which contribution is payable.	
5	Annual turnover of such aggregator of the preceding year	
6	Provisional contribution assessment (tick whichever is applicable) -	
6.1	% of the annual turnover as notified under sub-section (4) of section 114 for the preceding year	
6.2	5% of amount paid or payable to gig workers and platform workers, by the aggregator during the preceding year. =	
7	Amount of contribution payable (in Rs.)	
8	Payment of provisional contribution as assessed above.	
9	Details of the provisional payment	
10	Remarks, if any	

Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

Signature of authorised person
Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXI*[See rule 49 (3)(b) and (c)]*

**Format for return to be submitted by Aggregators of gig workers or platform workers
(to be submitted by 31st October, of the current year in which the contribution is payable.)**

1	Registration number (LIN) of Aggregator	
2	Name of the aggregator and address/ location of aggregator	
3	Name and address of the authorised person along with contact details	
4	Number of gig workers or platform workers engaged with the aggregator as on opening day of the current financial year, i.e. 1 st day of April in the year in which contribution is payable.	
5	Annual turnover of such aggregator of the preceding year	
6	Final contribution assessment after audited statement of account	(Amount in Rs.)
6.1	% of the annual turnover as per notification under sub-section (4) of section 114 for the preceding year	
6.2	5% of the liability of the aggregator to gig workers and platform workers	
7	Amount of contribution payable (in Rs.)	
8	Amount paid as provisional contribution based on self-assessment.	
9	Details of the provisional payment (along with receipt)	
10	Amount of outstanding contribution to be paid (Sl. No 7- Sl.No. 8)	
11	Proof of payment of outstanding contribution, if any	
12	Amount of excess paid contribution, if any	
13	In case excess paid, details of the bank account in which excess amount is to be refunded	
14	Remarks, if any	

Note: For this purpose, the annual turnover of an aggregator shall not include any tax, levy and cess paid or payable to the Central Government.

Declaration

I/We hereby declare that the particulars given above are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or any fact has been mis-represented in the above calculation made by me/us.

Signature of authorised person
Along with seal and stamp

Name:

Date:

Place:

Mobile Number:

E-mail (if any):

FORM – XXII
[(See rule 53 (1)(a))]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

1. Name of establishment
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
3. Date of appointment.
4. Insurance No.(in case covered under ESIC)
5. Provident Fund Registration No.(in case covered under EPFO)
6. Nature of work.
7. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remarks
a	b	c	d	e

8. Date on which the woman gives notice under section 62.
9. Date of discharge/dismissal, if any.
10. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
11. Date of birth of child.
12. Date of production of proof of delivery/miscarriage/medical termination of pregnancy/tubectomy operation /death / adoption of child.
13. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
14. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
15. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
16. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
17. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (1) and (3) of section 65.
18. Date with the amount of wages paid on account of leave under sub-section (2) of section 65 and period of leave granted.
19. Name of the person nominated by the woman under section 62.
20. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
21. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
22. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
23. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM XXIII
[(See rule 53(5))]
ANNUAL RETURN

FOR THE YEARENDING 31st December

Single annual integrated return to be filed online under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020(37 of 2020), the Code on Industrial Relations, 2020(35 of 2020), the Code on Social Security, 2020(36 of 2020), and the Code on Wages, 2019(29 of 2019) and the rules made there under.

Instructions for filling up the Annual Return

- (1) This return shall be filled-up and furnished on or before the 28th or 29th day of February every year.
- (2) This return consists of two parts i.e. Part-I, which shall be filled up by all establishments.
- (3) Part-II shall be filled-up only by the establishments that are Mines in addition to Part-I.
- (4) The terms “establishment” and “mines” shall have the same meanings as assigned to them in the respective Codes.
- (5) This return shall be filled-up in the case of contractor or manpower supplier who has engaged more than 50 workers and in the case of mines, even where one worker was employed during the relevant period.

Applicable to All Establishments - Part-I

A. General Information:

Sl. N o.			Instructions for filling the column
1.	Labour Identification Number		EPFO, ESIC, MCA, MoLE (LIN)
2.	Period of the Return	From - To-	Period should be calendar year
3.	Name of the Establishment		
4.	Email ID (employer)		
5.	Telephone No. (employer)		
6.	Mobile number (employer)		
7.	Premise name		
8.	Sub-locality		
9.	District		
10	State		
.			
11	Pin Code		
.			
12	Geo Co-ordinates		
.			
B(a).	Hours of Work in a day		
B(b).	Number of Shifts		

Number of hours in a shift									
C. Details of Manpower Deployed									
Details	Directly employed				Employed through Contractor				Grand Total
	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled	
(i) Maximum No. day during the year	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(ii) Average No. the year	No. to be indicated	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iii) Maximum number of Migrant Worker during the year (Section 59 of OSH&WC Code)	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T	
(iv) Number of fixed term employee engaged	M/F/T	M/F/T	M/F/T	M/F/T					
D. Details of contractors engaged in the Establishment:									
Sl. No.	Name with LIN of the Contractor	No. of Contract Labour Engaged							
E. Details of various Health and Welfare Amenities provided.									
Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)	Instructions for filling						
1.	Whether facility of Canteen provided (as per section 24(v) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments wherein hundred or more worker including contract labour were ordinarily employed						
2.	Crèches (as per section 67 of Code on Social Security Code, 2020 and section 24 of the OSH&WC Code 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to all establishments where fifty or more workers are employed						

2	If 2 above is not given than whether Crèches allowance under Rule.. of Social Security Code given.	Tick yes or no in the box and not applicable	Reference rule.. on Social Security
3.	Ambulance Room(as per section 24(2)(i) of OSH&WC Code, 2020)	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to mine, building or other construction work wherein more than five hundred workers are ordinarily employed
4.	Safety Committee (as per section 22(1) of OSH&WC Code, 2020.	Tick yes or no in the box and not applicable	Applicable to establishments and factories employing 500 workers or more, factory carrying on hazardous process and BOCW employing 250workers or more, and mines employing 100 or more workers.
5.	Safety Officer (as per section 22(2) of OSH&WC Code, 2020)	No. of safety officers appointed	In case of mine 100 or more workers, in case of BOCW 250 or more workers and in case of dock work 500 or more workers are ordinarily employed.
6.	Qualified Medical Practitioner (as per section 12 (2) of OSH&WC Code 2020.	No. of Qualified Medical Practitioner appointed.	There is no specification for minimum number of Qualified Medical Practitioner employed in establishment. However, this detail is required to have data on occupational health.

F. The Industrial Relations:				Instructions for filling	
1.	Is the Works Committee has been functioning.(Section 3 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment in which 100 or more workers are employed		
(a)	Date of its constitution.				
2.	Whether the Safety Redressal Committee constituted (Section 4 of IR Code, 2020)	Yes/No and not applicable	Industrial establishment employing 20 or more workers		
3.	Number of registered Unions in the establishments.				
4.	Whether any negotiation union exist(Section 14 of IR Code,2020)	Yes/No			
5.	Whether any negotiating council is constituted (Section 14 of IR Code, 2020)	Yes/No			
6.	Number of workers discharged/dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:				
	Dismissed	Retrenched	Discharged /Terminated or Removed	Grand Total	
7.	Man-days lost during the year on account of				
Sl. No.	Reasons	Period /Date	No. of man-days		

			lost		
(a)	Strike				
(b)	Lockout				
8. Details of retrenchment / lay off					
Sl. No.	No. of persons retrenched during the period	Details of payment paid to retrenched employees	No. of workers laid off during the period	No. of man-days lost due to lay-off	Applies on industrial establishment employing 300 or more workers

G. Details pertaining to maternity benefit:				
No. of f	No. of female employees availed maternity leave	No. of female employees paid medical bonus	No. of deduction of wages, if any made from female employees	

H. Details of payment of bonus:			
Sl. No.	No. of employees covered under the Bonus provision	Total amount of bonus actually paid	Date on which the Bonus paid

I. Details of accidents, dangerous occurrence and notifiable diseases:				
Sl. No.	Total number of accidents by which a person injured is prevented from working for a period of 48 hours or more as per section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of fatal accidents and names of the deceased as per Section 10 of the OSH&WC Code, 2020.	Total number of Dangerous Occurrences as defined under Section 11 of the OSH&WC Code, 2020	Total number of cases of Notifiable Diseases specified in Third Schedule of the OSH&WC Code, 2020 along with the details of affected persons

J. Man days and production lost due to accidents / dangerous occurrences			
Sl. No.	Accident/Dangerous Occurrence	Man days lost	Production Lost

Part II (For Mines)

A. General information		
1.	Establishment Name	
2.	Name of Company/ Name of Owner	
3.	Type of organization (drop down)	PSU Central/ PSU State/ Private/
4.	Type of ownership (drop down)	Firm/Association/Individual/Partnership/Company
5.	Type of Mineral (drop down)	Coal/Metal/Oil

6.	Name of Mineral	
7.	Type of Mine (drop down)	Belowground/ Opencast/ Aboveground/Mixed/OffShore/OnShore
8.	Date of opening	To be filled for first time
9	Mine Code	To be filled for first time
10.	Date of closing (if any)	NA/ Calendar to be given
11.	Date of reopening (if any)	NA/ Calendar to be given
12.	Depth of working in mts.	Maximum Depth: Minimum Depth:

B. Statutory personnel employed in the mine (as on 31st December)

Sl. No.	Designation as per Code	Number of Statutory Persons required	Number of Statutory Persons employed
1.			

C. Method of Working vis-a-vis Safety Parameters

1	Name of Method (Specify the name) (as per drop down menu)		
2	Quantity of mineral Produced in Cu.m./Tonne		
3	Quantity of Waste/overburden removed in Cu.m./Tonne		
4	Stage of Working (as per drop down menu)	Development/Extraction/Mixed	
5	Permissible Void in Cu.m.		For extraction stage
6	Actual Void in Cu.m.		For extraction stage
7	Area of overhang		For extraction stage
8	Maximum Inflammable gas released in Cu. Meter per ton of coal produced		For Development stage
9	Overall Pit slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Pit		
10	Overall dump slope		For Opencast mines
	Individual entry for each Dump		
11	Area of fire in Sq. m.		
12	Length of embankment required to be provided against the water body		
13	Length of embankment provided against the water body		

14	Length of fencing required/provided as per statute		
15	No. of opening required to be sealed in case of abandoned mines:		
16	No. of Openings sealed in case of abandoned mines:		
17	Number of Mock drills conducted and date of same with coverage of employees		
18	No. of Oil/Gas wells: under drilling/ under production/ under work over (as per drop down menu)		For Oil and gas mines
19	No. of wells where production discontinued		For Oil and gas mines
20	If Yes to pt. 19 above, Action taken		
21	Action Taken in respect of Wells where production has been discontinued		For Oil and gas mines
22	Maximum Quantity of explosive used in any day (in Kgs.)		For all types of mine
23	Whether Building or Structures not belonging to owner lies within danger zone?	Yes/No/NA	For Coal & Metalliferous Mines
24	Aggregate HP/KW of machineries installed/deployed in the mine for the year		For all types of mine

D. Medical examinations - Initial/Periodical (IME/PME):

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Undergone IME	
Undergone PME	
Declared medically Temporary unfit	
Given alternate Employment due to Medical unfitness	
Terminated on account of being medically unfit	

E. Details of Vocational training imparted:

During the year, total number of persons including contractual workers:

Particulars	Total No. of Persons
Imparted Basic Vocational Training	
Imparted Refresher Training	
Imparted special Training	

F. Details of Accident, Dangerous Occurrence and Occupational Diseases :**(1) Details of Accidents and Dangerous Occurrences:**

Sl. No.	Date of Accidents/Dangerous Occurrences	No. of persons killed	No. of persons received Serious Bodily Injury	Number of persons injured (Excluding Serious Bodily Injury) and thereby prevented from working for a period of 48 hours or more	Nature of Occurrence	Mandays lost
1.						

(2) Details of Occupational diseases:

Sl. No	Notified Disease	No. of cases
1		

G. Details of Safety Management Plan:

- (a) Safety Management Plan Prepared: (Yes/No/NA)
 (b) Date of Submission : Date
 (c) Last date of review of Safety Management Plan: Date
 (d) Principal Hazards Identified:

Sl. no.	List of Principal hazards identified	Principal hazard Mitigation date	Principal hazard not mitigated till 31 st December	Reasons for failure to mitigate the same
1.				

H. Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**A. For Mine: (To be filled by mine owner)**

- (i) Address of the Rescue Station with Geo-coordinates serving the mines;
 (ii) Distance of the Rescue Station from mine opening; -----(in KM)
 (iii) Whether a mine Rescue Station has been established by the mine ? (Yes/No)

Mines Rescue Station: (For Belowground Mines Only)**(For Rescue Station)**

For Mine Rescue Station (To be filled by the Superintendent of the Rescue Station)

- (i) Name of the owner of the mine at which the Mine Rescue Station is located:
(ii) Address of MRS:
(iii) Name of the Superintendent :
(iv) Details of the mine served by the Rescue Station:

Sl. No.	Name of the Mines	Distance of the Mine from MRS (in Kms)

- (v) Details of Personnel Deployed at Rescue Station;

Sl. No.	Designation as per Code	Number of statutory persons required	Number of statutory persons employed

- (vi) Details of Equipment/Apparatus :

Sl. No.	Type of Equipment/Apparatus required	Numbers of Equipment/Apparatus available

- (vi) Particulars of Emergency Attended:

Sl.No.	Name of the Mine	Nature of Emergency	Response Time (time taken by rescue services to attend the emergency)	Time taken for Rescue & Recovery	Action Taken

- (vii) Additional Information :
(a) Number of Rescue Rooms :
(b) Number of Rescue Trained Persons Required :
(c) Number of Rescue Trained Person available :
(d) Whether Canteen facility exist or not? (Yes/No):

Certified that the tables are duly filled in and the information and figures furnished therein are correct to the best of my knowledge.

Signature of Employer/Occupier/Owner/Agent/Manager

Place:

Dated:

PART III**ANNUAL RETURN period ending 31st December**

(to be submitted by the principal employer on Shram Suvidha Portal)

1. Name of the principal employer:
2. Name of the establishment:
3. Registration number (LIN) of the establishment:
4. Details of the Contractors, wages paid, etc.:

Sl .	Month	Name and address of the contractors	LIN of the contract or	Name of the work	Maximum number of contract labour employed	Amount paid against wage bill (if applicable) to the contractor (including EPF, ESIC, Bonus etc.)	Date of payment of wage bill (if applicable)	Amount of the wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contract or fails to pay)	Date of payment of wages paid directly to the contract labour by Principal Employer (in case the contract or fails to pay)	Remarks

Signature of the principal employer**Date:**

12/20..												
01/20..												
02/20..												
03/20..												

- Upload Salary sheet of contribution details of all members as per **Form-VIII B(Register of Wages, Overtime & Deduction)**

Details of Employees non-enrolled but eligible to be member:								
Sr. No	Name of Employee	Gender	Aadhaar Number	Father's Name	Date of Birth	Date of Joining	Date of Exit(If already left)	Wages paid

Contractors details:						
S.No.	Name & Address of the contractor	EPF code No.	ESI code No.	Nature of work	Maximum Number of employees employed during any day	Total payment made during the FY

<*contractor details may be pre-filled from CLC Licence data if available with option to add other contractors>

Details of tax benefit claimed by employer by way of contribution towards a recognized provident fund or an approved superannuation fund u/s 36(1)(iv) of Income Tax Act:

Financial Year	Contribution	Tax benefit

UPLOAD DOCUMENTS:

S. No.	DOCUMENT Name	<upload field in portal>
1.	Balance Sheet*	<ul style="list-style-type: none"> • <upload field for Balance Sheet of the financial year>
2.	Form 26AS*	<ul style="list-style-type: none"> • <upload field for Form 26AS of the financial year>
3.	Form 26Q*	<ul style="list-style-type: none"> • <upload field for Form 26Q of the financial year>

*mandatory field

(Signature of the Employer/authorized representative)

***Section 36(1)(iv) of Income Tax Act:**

any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a recognised provident fund or an approved superannuation fund, subject to such limits as may be prescribed for the purpose of recognising the provident fund or approving the superannuation fund, as the case may be; and subject to such conditions as the Board may think fit to specify in cases where the contributions are not in the nature of annual contributions of fixed amounts or annual contributions fixed on some definite basis by reference to the income chargeable under the head "Salaries" or to the contributions or to the number of members of the fund;

FORM-XXIV*[See rule 54 (1), (2) and (3)]***Notice to the employer for an offence committed under the provisions of the Code for the first time for compounding of offences under sub-section (1) of section 138**

Notice No.....

Date:

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment..... (Registration No.....), have committed an offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1.	Name of the person:	
2.	Name and Address of the establishment :	
3.	Registration No. of the establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:	
6.	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:	
7.	Name and details of account for depositing the amount specified in serial no. 6:	

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the entire amount mentioned in serial no. 6 in Part-I within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature)
(Name and designation of Officer)

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

PART – III
[See rule 54 (2)]

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount as specified in serial 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

8. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):

9. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:

10. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:

11. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Date:

Place:

To:

.....(Compounding Officer)

.....(Name of the Office)

.....(Address)

PART – IV
[See rule 54 (3)]

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 in respect of which Notice No. Dated: ____ was issued to Sh..... (Applicant), the employer of (name and registration number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

To:

.....(Employer/Establishment)

.....(Name and registration number)

.....(Address)

FORM-XXV

[See rule 56 (1)(d) and 56 (3)(b)]

Form for reporting vacancies to career centres
(Separate forms to be used for each type of posts)

1	Particulars of the employer: Name: Address with pin code: Telephone No. : Mobile No.: Email address : Name and Type of Establishment (Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc) Registration No of establishment under the Code: Economic activity details:		
2.	Particulars of the indenting officer: Name: Designation: Telephone No. : Mobile No.: Email address :		
3.	Particulars of vacancy(ies): a. Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled b. Description/Nature of duties of the post c. Sector (job role/functional role)		
	d. Qualifications/Skills required (educational, technical, experience)	Essential	Desirable/Preferable
	i. Educational qualifications ii. Technical qualifications iii. Skills iv. Experience		
	e. Age limits, if any (Age as on last date of application)		
	f. Preferences (such as ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc) if any		
	g. Number of vacancies		
	h. duration of employment (i) 3-6 months (ii) 6-12 months (iii) 12 months and more	Number of posts	
	i. Probationary Period, if any and pay and allowances during that period		

	j. Provision, if any for pension/Provident fund:	
	k. Hours of work, holidays, shifts, promotional opportunities:	
	l. Travelling Allowance:	
	m. Facilities provided by Employer: <ul style="list-style-type: none"> i. Housing facilities: ii. Living conditions at the place of work: iii. Educational facilities and medical facilities at the place of work: 	
	n. Last date to apply:	
4	Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference to any category of persons such as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Economically Weaker Sections (EWSs), Other Backward Classes (OBCs), Ex-serviceman and persons with disabilities (pwd) , etc, in filling up the vacancies: Yes/No (if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed below)	
	Category	Number of vacancies to be filled
	(a) Scheduled Caste (b) Scheduled Tribe (c)OBC (d)EWS (e) Ex-Serviceman (f) Persons with disabilities (pwd) (g) women (h) Others(specify)	Total *By Priority candidates *(Applicable for Central Government vacancies)
5.	Pay and Allowances: For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details, if any. For others: Mention minimum total emoluments per month with other allowances details, if any.	
6.	Place of work/Job Location (Name of the town/village and district, pin code ,etc. in which it is situated)	
7.	Mode of application(email, online, in writing, etc) and last date for receipt of applications.	
8.	Particulars of Contact person/officer to whom the applications be sent/candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address , Mobile No., website address in case of online)	
9.	Place of Interview	
10	Mode of recruitment {Through career centre, placement agency , self-management, any other mode(specify) }	
11	Would like to obtain list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No
12	Any other relevant information	

Signature, Name and Designation of authorised signatory of establishment/ employer with seal and date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13	Name, address, email id of the Career Centre	
14	Date of receipt of Vacancies	
15	NIC Code of the establishment/	
16	NCO Code of the post	
17	Unique Vacancy ID(number)	
18	Order No./ Diary No.	

Signature

Name & Designation of Authorised Signatory

of Career Centre with seal & date

NOTE:

1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than seven working days from the date of receipt of reporting of vacancies in north-eastern States and three working days in other States.
2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

FORM-XXVI

[See rule 56(1)(d) and 56 (6)]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Year ended.....

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring).

Name and address of the employer with Pin code	
Email ID of the Employer	
Mobile No. / Contact No. of the Employer	
Name of Establishment	
Type of Entity (Factory, shop, commercial office, mine, plantation, etc.)	
Type of Ownership (Firm/Association/Individual/Partnership/Company, etc.)	
Whether – Head Office If yes, specify	

Branch Office If yes, specify (a) (b) (c)							
Type of Establishment {Public Sector (Central) / Public Sector (State) / Private Sector}							
Nature of business/principal activity							
Labour Identification Number – (LIN Number)							
Establishment Registration No. under the Code							
1. (a) EMPLOYMENT							
Total number of <i>manpower of establishment</i> including working <i>proprietors/partners/contingent</i> paid and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary <i>is paid</i>).							
Category	On the last working day of the previous Year			On the last working day of the Year under report			
	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	Highly Skilled	Skilled	Semi-Skilled	
Men							
Women							
Other (Transgender)							
TOTAL : PWD(persons with disabilities) out of above total							

2. Number of vacancies* occurred and reported to career centre during the year and the number of vacancies filled during the year				
Occurred	Reported		Filled	Source (career centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting Agencies/ Private Placement Organisations/ others)
	career centre (Regional)	career centre (Central)		
1	2	3	4	5

*As per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII) and rules made thereunder.

3. MANPOWER SHORTAGES:

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/ qualifications (educational technical/ experience) prescribed	Essential	Desirable
1	2	3	4

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next financial year (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation	Number of employees				
	Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-organisation.				
Description	Men	Women	Others (trans-gender)	Total	PWD (persons with disabilities) out of total
1	2	3	4	5	6
*					
Total :					

* In the column(description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical),Assistant Director(Metallurgist);Research Officer (Economist);Supervisor (Tailoring),Inspector(Sanitary), Superintendent (Office) , Manager(Sales), Manager(Accounts), Executive(Marketing), Data Entry Operator.....so on.

Signature, Name and Designation of Authorised Signatory
of establishment/ employer with seal and date

To

The Career Centre,
.....

Note:- 1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the *financial year* concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020(Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

Form-XXVI(A)

[See Rule 56 (1)(d)]

Form for reporting of Job seeker Information

<u>Sr.</u> <u>No.</u>	Particulars	Description
1.	Name:	
2.	Father's Name:	
3.	Mother's Name:	
4.	Date of Birth:	
5.	Place of Birth:	
6.	Aadhaar No. of Jobseeker:	
7.	Mobile:	
8.	Gender:	i. Male ii. Female iii. TG (Transgender)
9.	Location:	i. Rural ii. Urban
10.	Marital Status:	i. Married ii. Unmarried iii. Divorced iv. Widow v. Widower
11.	Category:	i. General ii. SC iii. ST iv. O.B.C.

12.	Religion:	i. Hindu ii. Muslim iii. Christian iv. Sikh v. Others																				
13.	Reservation Category:	i. PwD (Differently abled) ii. Ex-Serviceman iii. EWS																				
14.	i. If Disability type: (OH/VH/HH/PwBD other) differently abled: ii. Disability percentage: a. Below 40% b. 40-60 % c. 60-80% d. Above 80%																					
15.	# Employment Status:	i. Employed ii. Unemployed iii. Self- Employed iv. Student																				
16.	Language Known: (Primary Language)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 20%;">Language</th> <th style="width: 15%;">Read</th> <th style="width: 15%;">Speak</th> <th style="width: 15%;">Write</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Language	Read	Speak	Write	1.					2.					3.				
	Language	Read	Speak	Write																		
1.																						
2.																						
3.																						
17.	Physical Fitness: i. Height (in cms.): ii. Chest (in cms.): iii. Weight (in kgs.): iv. Eye Sight: v. Partial Disability: क. Blind: ख. Deaf:																					

	<p>१. Dumb:</p>					
18.	Address with pin code:					
19.	<p>Qualification: (Starting from Highest Education)</p>					
	Passed Exam	Subject Code	Boards/Uni./ School Name	Year	Class Div. Grade	Certificate No.
	Other Training/ Key Skills:					
20.	Medium of Education:					
21.	Specialization / Major:					
22.	<p>Additional Course/Certificate</p> <p>i. Name:</p> <p>ii. Year:</p> <p>iii. Issued by:</p>					

23.	Professional Desired Employment:							
24.	Vocational Guidance:		Yes/No If Yes, Trade Code:					
25.	# Work Experience							
	Sector Code	Organisation Type	Designation	Specialization	Period		Experience Certificate	
					From	To	Yes	No
		Central/State/ Central PSU/State PSU/Local Bodies/ Autonomus/ Company/ NGO/ Partenship/ Proprietorship/ Others						
26.	Available to Join (in days):							

FORM-XXVII

[See rule 59(1)]

Application for Compensation

To
The Competent authority for Employee's Compensation.

Applicant residing at
Versus
Opposite Party residing at

It is hereby submitted that:-

(1) The applicant, an employee employed by (a contractor with) the opposite party on the ___ day of ___ 20__ received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment. The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury)

(2) The applicant sustained the following injuries namely:--

(3) The monthly wages of the applicant amount to Rs. ____. The applicant is over/under the age of 15 years.

(4) (a) Notice of the accident was served on the ___ day of ____

(b) Notice was served as soon as practicable.

(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.

(5) The applicant is accordingly entitled to receive:--

(a) half monthly payment of Rs. __ from the ___ 20 ___ to ___

(b) a lump sum payment of Rs. ____

(6) The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely, - ___ but it has proved impossible to settle the question in dispute because .

* You are therefore requested to determine the following questions in dispute, namely: --

(a) Whether the applicant is an employee within the meaning of the Code;

(b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicant's employment;

(c) Whether the amount of compensation claimed is due, or any part of that amount;

(d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due;

(e) etc., (as required)

Date ___ 20__.

Applicant

* Strike out the clauses which are not applicable.

FORM-XXVIII

[See rule 59(2)]

Certificate by the applicant

To

The Competent authority for Employee's Compensation

It is hereby submitted that: -

I/We hereby declare that the particulars given in Form XXVII are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby declare that nothing has been concealed or no fact has been mis-represented in the above said form made by me/us.

Dated:

Applicant.

FORM-XXIX

[See rule 58(1)]

Whereas a claim for compensation has been made by (applicant) against.....and the said applicant has claimed that he is entitled to file an application under clause (b) or (c) of sub-section (1) of section 92 of the Chapter VII under the Code on Social Security, 2020;

And whereas the undersigned is satisfied that the said applicant is entitled to file the aforesaid claim;

Now, therefore, the competent authority for Employees Compensation...../Government of..... is hereby given notice that the undersigned proposes to settle the claim of the applicant as provided under the Code.

Dated:

Competent authority

FORM-XXX

[See rule 62(1)]

To

.....

Sir,

The report about an accident which occurred on.....at.....(here enter details of premises) and which resulted in death/disablement of the employee is furnished as given below :—

1. (a) Name of the employee ----- Sex ----- Age -----
- (b) Monthly wages
- (c) Nature of employment
- (d) Name of the employer
- (e) Full postal address of the employee/dependants (local and permanent both).
- (f) Full postal address of the factory/establishment where its registered office is located.

2. The circumstances leading to death/disablement of the employee :—
 - (a) Time of the accident
 - (b) Place where the accident occurred
 - (c) Manner in which deceased was/were employed at that time
 - (d) Cause of the accident
3. The amount of money deposited by the employer with the competent authority under section 81.
4. (a) Details of compensation paid, if any
 - (b) Particulars of money invested for the benefit of dependants of deceased employee.
5. Documents forwarded (in original) as under :—
 - (a) Death certificate
 - (b) Disablement certificate from the competent medical authority
 - (c) Receipt for Deposit of Compensation by the employer
 - (d) Statement of Disbursement
 - (e) Receipt of compensation from the employee/dependants
 - (f) Memorandum of Agreement, if any

[F. No. R-11011/03/2020-SS-II]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.